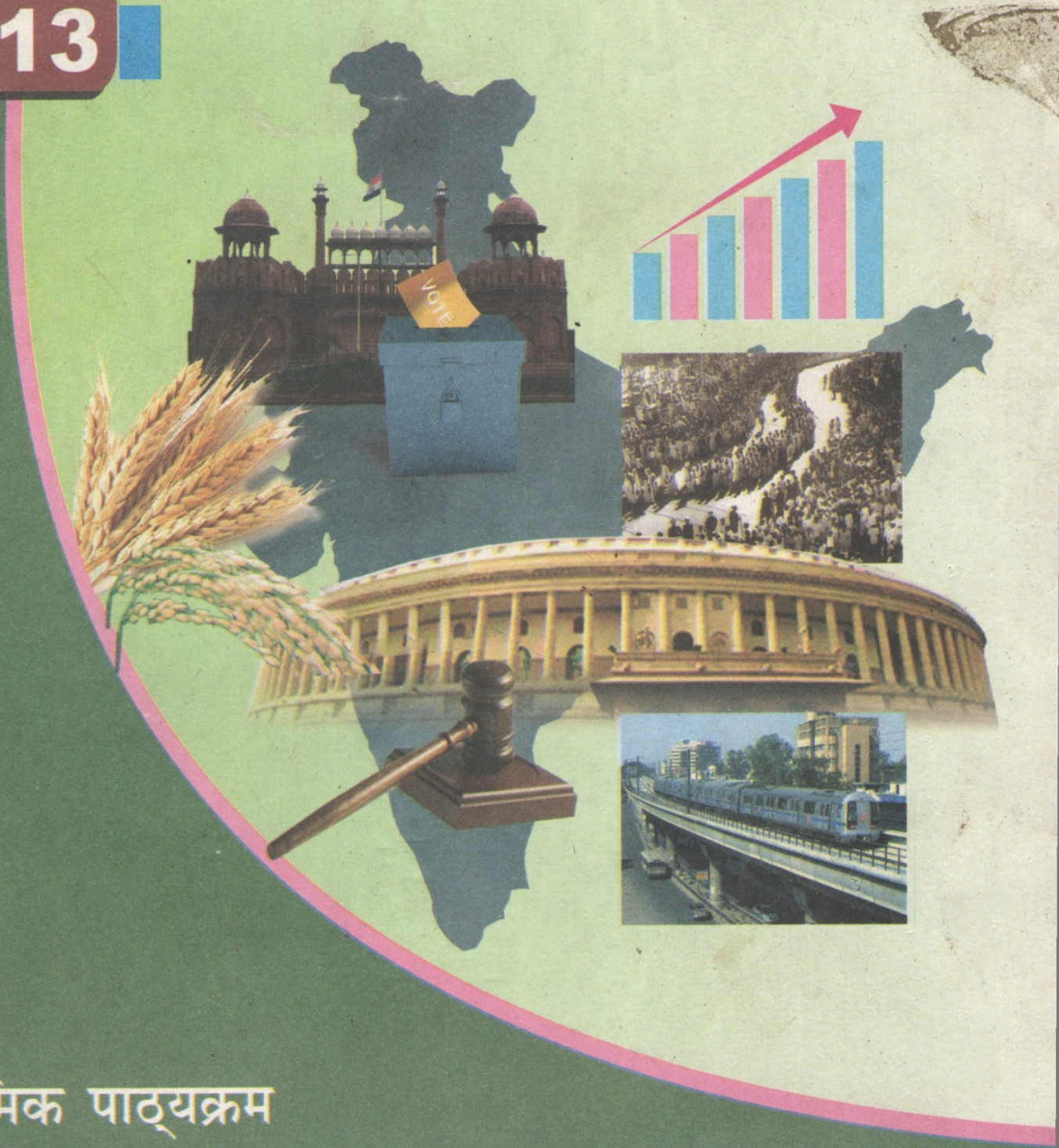


213



माध्यमिक पाठ्यक्रम
सामाजिक
विज्ञान
पुस्तक-2



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

सामाजिक विज्ञान पुस्तक -2

पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता

श्रीमति तरुण पुनिया

डॉ. चुन्नू प्रसाद

डॉ. अजमत नूरी

परियोजना संयोजक (ए.ई.पी.)

सुश्री आशिमा सिंह

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था)

ए- 24-25, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62 नोएडा-201309 (उ.प्र.)

वेबसाइट: www.nios.ac.in

,टोल फ्री नंबर 18001809393

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

अगस्त, 2012 (42,500 प्रतियाँ)

सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्ट-62, नोएडा-201309 द्वारा प्रकाशित एवं मैसर्स ए-वन ऑफसेट प्रिंटर्स 5/34, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015

सलाहकार समिति

डा. सीतांशु एस. जेना, अध्यक्ष, रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

डा. कुलदीप अग्रवाल, निदेशक (शैक्षिक), रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

डा. वैकटेश श्रीनिवासन, सहायक प्रतिनिधि, रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

सुश्री गोपा बिस्वास, संयुक्त निदेशक (शैक्षिक), रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

डा. सोनिया महल उप निदेशक (शैक्षिक), रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

पाठ्यक्रम समिति

अध्यक्ष

प्रो. सी. एस. आर. मूर्ति

सी.आई.पी.ओ.डी.एस आई एस

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

सदस्य

प्रो. निवेदिता मेनन, प्रोफेसर, एस.आई.एस., जे.एन.यू, नई दिल्ली

प्रो. अनिल सेठी, डी ई एस एस एच, एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली

स्वर्गीय श्रीमति चित्रा श्रीनिवास, पी.जी.टी (इतिहास), स.प. विद्यालय, लोधी कालोनी, नई दिल्ली

प्रो. मोहम्मद कुरैशी, प्रोफेसर, सी एस आर डी, एस एस एस, जे.एन.यू, नई दिल्ली

डा. कृष्णा मेनन, रीडर (राजनीति विज्ञान), लेडी श्रीराम कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डा. टी.एन. गिरी, क्षेत्रीय निदेशक, रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

प्रो. नूर मोहम्मद, से.नि प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डा.बी.एल, गुप्ता से.नि.उपर प्रधानाचार्य, दिल्ली सरकार, दिल्ली

श्री विवेक सिंह, एस.ई.ओ. (शैक्षिक), रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

प्रो. सलिल मिश्रा, इतिहास संकाय, एस एस एस, इग्नू, नई दिल्ली

श्रीमति अपर्णा पांडे, लेक्चरर, डी. एस. एस. एस, एन. सी.आर. टी, नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

प्रो. जे. एल. पांडे, से.नि. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी.नई दिल्ली

डा. एस के. महापात्रा, रीडर (भूगोल), इग्नू, नई दिल्ली

सुश्री उर्मिल महेन्द्र, जी-146, एल.वाई कालोनी, पश्चिम विहार, दिल्ली

श्री भगवती प्रसाद ध्यानी, प्रवक्ता (रा.विज्ञान), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली

श्रीमति तरुण पूनिया, शैक्षिक अधिकार (भूगोल), रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

सुश्री एस.के.अरोड़ा, जी एच 4/190, मीरा अपार्टमेंट, पश्चिम विहार, दिल्ली

डा. अनिता देवराज, प्रधानाचार्य, डी.ए.वी, बहादुरगढ़, हरियाणा

डा. चुन्नू प्रसाद, शैक्षिक अधिकारी, (राजनीति विज्ञान), रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

डा. आर.के. श्रीवास्तव, लेक्चरर. एस.सी.ई.आर.टी., दिल्ली

डा. बी. एल. गुप्ता, से.नि.उप प्रधानाचार्य, दिल्ली सरकार, दिल्ली

डा. अजमत नूरी, शैक्षिक अधिकारी, (इतिहास), रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

डा. टी. गीता, एसोशिएट प्रोफेसर, सी.आई.ई., दिल्ली विश्वविद्यालय

सुश्री रीता थाकचॉम, 4/43 प्रथम तल, विजय नगर, दिल्ली

पाठ लेखक

प्रो. जे.एल. पांडे, से.नि. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

श्री आर.एस.पसरीचा, से.नि. उपप्रधानाचार्य, 331-13, मियांवाली कालोनी, गुड़गांव

डा. आ.के. आनन्द, से.नि., प्राचार्य, स्कूल आफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय

डा. एन.डी. अरोड़ा, से.नि. रीडर दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

श्री मदन लाल साहनी, से.नि. पी.जी.टी. 240, सेक्टर-4 गुड़गांव (हरियाणा)

डा. बी.एल. गुप्ता, से.नि. उपप्रधानाचार्य दिल्ली सरकार, दिल्ली

डा. एस. के महापात्रा रीडर (भूगोल) इग्नू, नई दिल्ली

श्रीमती वर्षा मांकू, से.नि. प्रवक्ता, डी.ए.वी. अशोक विहार, नई दिल्ली

जीवन कौशल परामर्श समूह

प्रो. जे.एल. पांडे, से.नि. प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

डा. अनिता देवराज, प्रधानाचार्य, डी.ए.वी. बहादुरगढ़ (हरियाणा)

डा. एस. के. महापात्रा, रीडर (भूगोल), इग्नू, नई दिल्ली

सुश्री आशिमा सिंह, प्रकल्प संयोजक (ए.ई.पी.), रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

डा. जया, राष्ट्रीय प्रोग्राम अधिकारी, (यू.एन.एफ.पी.ए), नई दिल्ली

प्रवाह, मानीट्रिंग एजेंसी, सी-24 बी, कालकाजी, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम संयोजक

सुश्री तरूण पूनिया, शैक्षिक अधिकारी, रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

डा. चुन्नू प्रसाद, शैक्षिक अधिकारी (राजनीति विज्ञान), रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

डा. अजमत नूरी, शैक्षिक अधिकारी (इतिहास), रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

रेखा चित्रकार

श्री महेश शर्मा, रेखा चित्रकार, रा.मु.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

श्री रूपेश खड़कवाल, स्वतंत्र रेखा चित्रकार, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत : यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से : किशोर शिक्षा कार्यक्रम

प्रिय शिक्षार्थी

समाज की आवश्यकताएँ खास तौर पर विशेष समूहों की ज़रूरतें समय के साथ-साथ बदलती रहती हैं अतएव उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए पद्धतियों को भी बदलते रहना चाहिए। शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है। सही तरीके की शिक्षा यदि सही समय पर दी जाए, तो उससे समाज की धारणा वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जा सकता है। इससे नई चुनौतियों का सामना करने और कठिन परिस्थितियों पर विजय हासिल करने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। इस संदर्भ में निश्चित समय-अंतराल में पाठ्यचर्या में संशोधन करना जरूरी है। यदि समय-समय पर पाठ्यचर्या में परिवर्तन नहीं

किया जाए तो उससे कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि उसके द्वारा व्यक्ति तथा समाज की ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती।

इसी उद्देश्य के लिए देश भर के शिक्षाविदों ने आवश्यक और उपयोगी परिवर्तनों के बारे में विचार-विमर्श किया। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ़) तैयार की गई जिसमें प्राइमरी, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक आवश्यकताओं के तरीकों को प्रस्तुत किया गया।

इस रूपरेखा के साथ-साथ अन्य राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखकर हमने माध्यमिक स्तर पर सभी विषयों की पाठ्यचर्या को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार तथा आवश्यकता अनुरूप बनाकर संशोधित किया है। पाठ्य सामग्री निर्माण एनआईओएस के सभी कार्यक्रमों का अभिन्न और आवश्यक अंग है, जिसे मुक्त तथा दूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसलिए हमने अध्ययन-सामग्री को शिक्षार्थी-अनुकूल, रुचिकर और आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया है।

मैं उन सभी विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस सामग्री को रुचिकर और उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे आकर्षक और अनुकूल पाएँगे।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की ओर से, मैं आपके उज्ज्वल और सफल भविष्य की कामना करता हूँ।

(डॉ. एस.एस.जेना)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

निदेशक की कलम से

प्रिय शिक्षार्थी,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का शैक्षिक विभाग हमेशा आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप नए कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश करता है। अब हमने माध्यमिक स्तर पर सभी विषयों की पाठ्यचर्या को संशोधित किया है हमने सीबीएसई तथा देश के अन्य बोर्डों के समान पाठ्यचर्या देने के उद्देश्य से अनेक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्याओं का अवलोकन किया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया। व्यापक तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त हमने अपनी पाठ्यचर्या को और अधिक कार्यात्मक, जीवन से जुड़ी हुई तथा सहज बनाया है। जाहिर है, इसे अधिक प्रभावी और आपके लिए उपयोगी बनाने का दायित्व निभाना ज़रूरी था। हमने देश के प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों को आमंत्रित कर उनके निर्देशन में पाठ्यचर्या को संशोधित किया है।

साथ ही, हमने पाठ्य सामग्री पर भी विशेष ध्यान दिया है। हमने पुरानी तथा निरर्थक सूचनाओं को हटाकर नई तथा उपयोगी सामग्री को जोड़ा है तथा इसे आकर्षक और प्रभावी बनाने का प्रयास किया है।

मुझे विश्वास है कि आपके हाथ में जो नई सामग्री है, वह रुचिकर और आकर्षक होगी। आपके सुझावों का स्वागत है।

आपके सुखद तथा सफल जीवन की कामना करता हूँ।

(डॉ. कुलदीप अग्रवाल)

निदेशक (शैक्षिक)

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

प्रिय शिक्षार्थी,

एनआईओएस में स्वागत है।

आपने लक्ष्य निर्धारित करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। अक्सर किसी कार्य को शुरू करना होता है आपने स्वयं पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। आत्म-विकास की इस यात्रा में आप महसूस करेंगे कि अपनी तथा दूसरों की समझ और अपने जीवन तथा परिवेश के बारे में अधिक जानकारी और समझदारी की ज़रूरत है। आइए, उत्साहपूर्वक इस यात्रा को शुरू करते हैं।

मुक्त शिक्षा-परणाली का उद्देश्य और दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहा है। एनआईओएस ने आपके लिए जीवन-कौशल युक्त अध्ययन-सामग्री तैयार करने की पहल की है। हमारा लक्ष्य शैक्षिक क्षमता के विकास के साथ-साथ आपकी व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमता को बढ़ाना भी है। इस सामग्री को पढ़कर आपको विषय का ज्ञान होगा और आप जीवन की चिंताओं और कठिनाइयों को दूर करने के उपाय भी जान सकेंगे। आपमें सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने का कौशल विकसित होगा, ताकि आप अपने जीवन और भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकें। एनआईओएस का यह प्रयास है कि आपमें ऐसी क्षमता विकसित की जाए ताकि आप चुनौतियों का सामना करते हुए अवसर का लाभ उठाएँ। अपने को अथवा किसी और को हानि पहुँचाए बिना परिस्थितियों के प्रति तार्किक, संवेदनशील और सकारात्मक प्रतिक्रिया कर सकें। एनआईओएस ने विषयवस्तु में जीवन-कौशल को शामिल करने की पद्धति अपनाई है। आपके लिए यह सामग्री 'मुद्रित रूप में शिक्षक' के समान है, जिसे परस्पर भागीदारी की परणाली अपनाकर जीवन के अनुभवों से जोड़ा गया है।

इस अध्ययन-सामग्री में पाठों के बीच अनेक क्रियाकलाप और पाठगत प्रश्न मिलेंगे। सीखने और अभ्यास के लिए इन्हें दिया गया है। इन्हें पूरा करने का प्रयास कीजिए। पाठगत प्रश्न आपके मूल्यांकन तथा समझ को बढ़ाने के लिए हैं। जीवन-कौशल ऐसी क्षमताएँ हैं, जो आपके पास हैं। ज़रूरत है उन्हें विकसित करने की। इन क्रियाकलापों को करने से जीवन-कौशलों का विकास होगा। आप इस पहल का हिस्सा बनें और इसे सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएँ।

प्रिय शिक्षार्थी, आप देश के लाखों किशोरों में से एक हैं। आप इस देश का भविष्य हैं। आप में दूसरों से श्रेष्ठ होने तथा भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाने की क्षमता है। आप अपने आदर्श व्यक्ति की प्रशंसा क्यों करते हैं? नेतृत्व-क्षमता, संप्रेषण-कौशल, रचनात्मकता, दूसरों के साथ बेहतर विचार-विमर्श इत्यादि ऐसी क्षमताएँ हैं जो व्यक्ति को भीड़ से अलग करती हैं। इसलिए, जब आप किसी विषय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके साथ-साथ व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को भी विकसित कीजिए।

मुझे विश्वास है कि ये जीवन-कौशल पाठ्य-सामग्री को समृद्ध करेंगे और आपकी दिनचर्या में सहायक होंगे। इनके समायोजन द्वारा आपमें सकारात्मक चिंतन भावना और व्यवहार के विकास का मार्ग विस्तृत होगा।

(आशिमा सिंह)

परियोजना-समन्वयक

(किशोर शिक्षा परियोजना)

आपसे कुछ बातें

प्रिय शिक्षार्थियो,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, माध्यमिक स्तरीय सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की दूसरी पुस्तक में आपका स्वागत करता है। अब तक आप पहली पुस्तक में भारत के इतिहास और भूगोल का अध्ययन कर चुके होंगे। इस दूसरी पुस्तक के माध्यम से आप समझ सकेंगे व्यापक भौतिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद हमारा देश आन्तरिक रूप से एकता के सूत्र में बंधा है। यह एकता भारत को एक सबसे बड़े लोकतन्त्र के रूप में स्थापित करती है जिसके अन्तर्गत देश के सभी लोग मिलकर विभिन्न मुद्दों चिन्ताओं तथा सरोकारों का सम्बोधन व समाधान करते हैं।

इस मॉड्यूल में आप एक अच्छे नागरिक के महत्व को समझ सकेंगे जो अपने अधिकारों का उपयोग करने से पहले अपने कर्तव्यों का पालन करना है। आवश्यक समझता है। राज्य और नागरिकों के परस्पर सुदृढ़ सम्बन्ध पुस्तक में दिए गए अध्यायों की विशिष्टता है, इससे ग्रामीण और शहरी स्तरों में सरकार की कार्यप्रणाली की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के अध्ययन से आप भारत की आन्तरिक व बाहरी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की पहचान कर पाएँगे। इतना ही नहीं आप राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान के लिए अपनी सकारात्मक की पहचान समझ प्राप्त कर उसे पूरा कर पाएँगे।

प्रस्तुत पुस्तक में दिए गए अध्यायों को पढ़ते समय आपको कई किर्याकलाप जैसे सर्वेक्षण, स्थिति/घटना अध्ययन (केस स्टडी), समस्या निवारण आदि मिलेंगे, ये गतिविधियाँ और किर्याकलाप आपकी सोचने-विचारने सम्प्रेषण, वार्ता व संधि और ऐसी ही अन्य निपुणता और क्षमताओं की अभिवृद्धि के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हैं। इन किर्याकलापों को आवश्यक समय दे क्योंकि उनका उद्देश्य शिक्षार्थियों के रूप में आपके ज्ञान और समझ का संवर्धन करना है।

हम अपेक्षा करते हैं कि प्रस्तुत पुस्तक व पाठ्यसामग्री परीक्षोपयोगी होने के साथ-साथ आपको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी उत्प्रेरित करेगी। पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी किसी भी प्रकार की कठिनाइयों, प्रश्नों व जिज्ञासाओं को हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। आपकी प्रतिपुष्टि व प्रतिक्रियाओं का समाधान होगा।

तरुण पुनिया, शैक्षिक अधिकारी (भूगोल), रा.मु.वि.शि.सं. नोएडा, उ.प्र.

डॉ. चुन्नू प्रसाद शैक्षिक अधिकारी (राजनीतिक विज्ञान) रा.मु.वि.शि.सं. नोएडा, उ.प्र.

डॉ. अजमत नूरी शैक्षिक अधिकारी (इतिहास) रा.मु.वि.शि.सं. नोएडा, उ.प्र.

अपने पाठ कैसे पढ़ें!

बधाई! आपने स्व-शिक्षार्थी बनने की चुनौती स्वीकार की है। एनआईओएस हर कदम पर आपके साथ है। आपकी पाठ्य सामग्री हिंदी क्षेत्र के विशेषज्ञों की समिति ने तैयार की है। इसे विशेष रूप से आपकी आवश्यकताएँ को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। आप स्वतंत्र रूप से स्वयं पढ़ सकें, इसके लिए इसे एक प्रारूप में ढाला गया है। निम्नलिखित संकेत आपको सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग करने का तरीका बताएँगे। दिए गए पाठों को कैसे पढ़ना है, आइए जानें-

पाठ का शीर्षक : इसे पढ़ते ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाठ में क्या दिया जा रहा है। इसे पढ़िए।

भूमिका : यह भाग आपको पूर्व जानकारी से जोड़ेगा और दिए गए पाठ की सामग्री से परिचित कराएगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। साथ ही यह विषय की पृष्ठभूमि देगा तथा आपको पाठ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

उद्देश्य : प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के बाद आप इस पाठ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएँगे। इन्हें याद कर लीजिए और जाँच लीजिए कि आपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया।

टिप्पणी : प्रत्येक पृष्ठ पर महत्वपूर्ण बिन्दुओं अथवा टिप्पणी बनाने के लिए आपके लिये हाशिये में रिक्त स्थान है।

पाठगत प्रश्न: इसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में पूछे गए प्रश्न हैं तथा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये प्रश्न पढ़ी हुई इकाई पर आधारित हैं, इनका उत्तर आपको देते चलना है। इसी से आपकी प्रगति की जाँच होगी। ये सवाल हल करते समय आप हाथ में पेंसिल रखिए और जल्दी-जल्दी सवालों के समाधान ढूँढते चलिए और अपने उत्तरों की जाँच पाठ के अंत में दी गई उत्तरमाला से कीजिए। उत्तर ठीक न होने पर इकाई को पुनः पढ़िए।

क्रियाकलाप : पाठ में स्थान-स्थान पर कुछ क्रियाकलाप दिए जा रहे हैं जिन्हें आप सरलता से कर पाएँगे। ये आपको बेहतर ढंग से पाठ के बिंदु समझने में मदद करेंगे तथा विषय के और निकट लायेंगे। आप उन्हें स्वयं करने का प्रयत्न करें अथवा घर में बड़ों से या साथियों से चर्चा करें। ये क्रियाकलाप आपमें जीवन-कौशल विकसित करेंगे तथा व्याकरण का अभ्यास भी कराएँगे।

आपने क्या सीखा : यह पूरे पाठ का संक्षिप्त रूप है। इन मुख्य बिंदुओं को याद कीजिए। यदि आप अपने अनुभव की मिलती-जुलती कुछ नई बातें जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें भी वहीं बढ़ा सकते हैं।

पाठांत प्रश्न : पाठ के अंत में लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें आप अलग पन्नों पर लिखकर अभ्यास कीजिए। यदि आप चाहें तो अध्ययन-केंद्र पर अपने शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को दिखा सकते हैं और उनसे सुझाव ले सकते हैं।

क्या आप जानते हैं : इस बॉक्स में अतिरिक्त जानकारी दिया गया है। इन बॉक्स में दिये गये तथ्य महत्वपूर्ण हैं, जिसे निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। ये मूल्यांकन के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आपके सामान्य ज्ञान की वृद्धि हेतु दिया गया है।

उत्तरमाला : इनके माध्यम से आप बोध प्रश्नों तथा पाठगत प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर सकते हैं।

वेबसाइट : अतिरिक्त अध्ययन के लिए वेबसाइट के संदर्भ दिए गए हैं।

विषय सामग्री पर एक विहंगम दृष्टि

मॉड्यूल 1: भारत तथा विश्व विभिन्न युगों में
सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना

1. प्राचीन विश्व
2. मध्यकालीन विश्व
3. आधुनिक विश्व - I
4. आधुनिक विश्व - II
5. भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव : आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक (1757- 1857)
6. औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति
7. ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध
8. भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन

मॉड्यूल II: भारत : प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन तथा विकास

9. भारत का भौतिक भूगोल
10. जलवायु
11. जैव विविधता
12. भारत में कृषि
13. यातायात तथा संचार के साधन
14. जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन

मॉड्यूल III: लोकतन्त्र की कार्यप्रणाली

15. संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था
16. मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य
17. भारत एक कल्याणकारी राज्य
18. स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन
19. राज्य स्तर पर शासन
20. केन्द्रीय स्तर पर शासन
21. राजनीतिक दल तथा दबाव समूह
22. जनता की सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया

मॉड्यूल IV: समसामयिक भारत : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

23. भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियाँ
24. राष्ट्रीय एकीकरण तथा पंथ निरपेक्षता
25. सामाजिक आर्थिक विकास तथा अभावग्रस्त समूहों का सशक्तीकरण
26. पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबन्धन
27. शान्ति और सुरक्षा

विषय सूची

मॉड्यूल III : लोकतन्त्र की कार्यप्रणाली

15. संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था
16. मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य
17. भारत एक कल्याणकारी राज्य
18. स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन
19. राज्य स्तर पर शासन
20. केन्द्रीय स्तर पर शासन
21. राजनीतिक दल तथा दबाव समूह
22. जनता की सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया

मॉड्यूल IV : समसामयिक भारत : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

23. भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियाँ
24. राष्ट्रीय एकीकरण तथा पंथ निरपेक्षता
25. सामाजिक आर्थिक विकास तथा अभावग्रस्त समूहों का सशक्तीकरण
26. पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबन्धन
27. शान्ति और सुरक्षा

प्रश्न पत्र का प्रारूप

नमूना प्रश्न पत्र

अंक योजना

प्रतिपुष्टि फॉर्म

मॉड्यूल III लोकतन्त्र की प्रणाली

15. संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था
16. मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य
17. भारत एक कल्याणकारी राज्य
18. स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन
19. राज्य स्तर पर शासन
20. केन्द्रीय स्तर पर शासन
21. राजनीतिक दल तथा दबाव समूह
22. जनता की सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया

15. संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था

मोना शिलाँग के एक स्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा है। उसने अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछा जो उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था। उसने कहा, महोदय, मैंने समाचार पत्रों और टेलिविजन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का उल्लेख होते अक्सर देखा है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में कभी नहीं सुना। ऐसा क्यों? अध्यापक ने कहा कि “मोना तुमने एक महत्वपूर्ण अन्तर पर ठीक ही ध्यान दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था वहाँ के संविधान पर आधारित है तथा हमारी राजनीतिक व्यवस्था हमारे संविधान पर। किसी भी देश के संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही वहाँ विभिन्न संस्थाओं तथा पदों का सृजन होता है तथा वे सभी कार्य करते हैं। वस्तुतः संविधान एक देश की राजनीतिक पद्धति के सभी पहलुओं को परिभाषित करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान कुछ ऐसे मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है, जो राजनीतिक पद्धति का केन्द्र होते हैं। ये मूल्य न केवल सरकार बल्कि नागरिक और समाज के लिए भी मार्गदर्शक होते हैं। मोना की तरह आपके दिमाग में भी भारत के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में अनेक प्रश्न हो सकते हैं। जैसे भारत के संविधान में कौन से मूल्य प्रतिबिम्बित हैं? भारत की राजनीतिक पद्धति की प्रकृति क्या है? भारत को संघीय व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इस पाठ में हम इन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ के पूर्ण अध्ययन के बाद आप :

- व्याख्या कर पाएंगे कि संविधान किस प्रकार आधारभूत व मौलिक कानून एवं एक जीवंत दस्तावेज है;
- संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण कर पाएंगे तथा प्रतिबिम्बित केन्द्रक मूल्यों की पहचान कर पयेंगे;
- उन केन्द्रक सवैधानिक मूल्यों की समीक्षा कर पाएंगे, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में व्याप्त हैं; तथा
- भारतीय संघीय व्यवस्था और शासन प्रणाली की प्रकृति का परीक्षण कर सकेंगे ।

15.1 भारत का संविधान

अब हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर जानना आवश्यक है कि संविधान शब्द का अर्थ क्या है?

15.1.1 संविधान का अर्थ

आपने संविधान शब्द कई बार सुना होगा। इस शब्द का प्रयोग कई संदर्भों में किया जाता है, जैसे राज्य या राष्ट्र का संविधान, संगठन, संस्था या यूनियन का संविधान, खेल क्लब का संविधान, गैर सरकारी संस्था का संविधान, किसी कम्पनी का संविधान आदि। क्या संविधान शब्द का अर्थ इन विभिन्न संदर्भों में एक समान है? नहीं ऐसा नहीं है। सामान्यतः संविधान शब्द का प्रयोग नियम और कानूनों के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो ज्यादातर लिखित होते हैं तथा जो किसी संस्था, संगठन या कम्पनी की संरचना और कार्यप्रणाली को परिभाषित तथा नियमित करते हैं। लेकिन जब इसका प्रयोग राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में होता है तो संविधान का अर्थ मूल सिद्धांतों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित परम्पराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं सरकार के तीन अंगों-कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अंतर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यों की पहचान करता है, परिभाषित करता है और नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतन्त्रताओं का प्रावधान करता है और वैयक्तिक नागरिक तथा राज्य और सरकार के बीच के संबंधों को स्पष्ट करता है।

संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है लेकिन इसमें देश के मूलभूत कानून समाविष्ट होते हैं। यह सर्वोच्च एवं परम मान्य ग्रन्थ होता है। कोई भी निर्णय या कार्यवाही जो संविधान के अनुरूप नहीं हो वह असंवैधानिक और गैर-कानूनी मानी जाती है। संविधान सत्ता के दुरुपयोग को टालने के लिए सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है। इसके अतिरिक्त, यह एक स्थिर नहीं बल्कि एक जीवन्त दस्तावेज होता है, क्योंकि इसे अद्यतन बनाए रखने के लिए समय-समय पर संशोधित करना आवश्यकता होता है। इसकी नमनशीलता लोगों की बदलती आकांक्षाओं, की जरूरतों तथा समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार इसे परिवर्तित होते रहने योग्य बनाती है।

क्या आप जानते हैं

अधिकतर लोकतांत्रिक देशों के संविधानों से भिन्न ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा अलिखित है जिसका संहिताकरण नहीं किया गया। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान की तरह एक पूर्ण दस्तावेज के रूप में नहीं किया गया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान लिखित संविधान हैं।

15.1.2 भारतीय संविधान

क्या आपने भारतीय संविधान का दस्तावेज देखा है? क्या आप निम्नांकित चित्र में उसके मुखपृष्ठ को पहचान सकते हैं? यदि आपने इसे देखा है या आपको इसे देखने का मौका मिलता है तो आप इस बात से सहमत होंगे कि यह बहुत ही बड़ा है। वास्तव में, भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधानों में सबसे लम्बा संविधान है, इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया

गया था। यह सभा जनप्रतिनिधियों द्वारा गठित हुई थी। इसके अधिकतम सदस्य स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल थे। उन्हें आदर से संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माण प्रक्रिया पर निम्नांकित कारकों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था :

(क) लंबे समय तक चले स्वतन्त्रता आंदोलन द्वारा पैदा की गई आकांक्षाएँ

(ख) ब्रिटिश शासन के दौरान हुए राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव;

(ग) गांधीवाद, के नाम से लोकप्रिय महात्मा गांधी विचारधारा;

(घ) देश की सामाजिक संस्कृति सोच और परिवेश; तथा

(ङ) दुनिया के लोकतान्त्रिक देशों में संविधानों के क्रियान्वयन के अनुभव।

भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब से इस दिन को प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।



चित्र 15.1 भारतीय संविधान

क्या आप जानते हैं

संविधान सभा ने 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। 11 दिसम्बर 1946 को डा. राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दो वर्ष 11 महीने 18 दिन अवधि में संविधान सभा की 166 दिन बैठक हुई। संविधान निर्माण 26 नवम्बर 1949 को पूरा हुआ तथा उस दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया।

भारत का संविधान भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं के साथ-साथ इसके आधारभूत उद्देश्यों को भी परिभाषित है। इसके प्रावधान (क) भारत का भू-क्षेत्र (ख) नागरिकता (ग) मौलिक अधिकार (घ) राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य (ङ) केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारों की संरचना और कार्यप्रणाली तथा (च) राजनीतिक व्यवस्था के कई अन्य पक्ष से सम्बन्धित हैं यह भारत को एक सम्प्रभुत्व लोकतान्त्रिक समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। इसमें सामाजिक बदलाव तथा नागरिक और राज्य के आपसी संबंधों को परिभाषित करने संबंधी प्रावधान हैं।

भारत के संविधान की प्रति को पुस्तकालय से उपलब्ध करिए या इन्टरनेट पर देखिए। अपने पास-पड़ोस में निकटतम में अवस्थित किसी और संगठन या खेल क्लब, विद्यार्थी संघ, शिक्षक संघ या सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन का पता लगाइए। उनसे अनुरोध कर उनके संगठन के संविधानों का प्रति प्राप्त कीजिए।

भारतीय संविधान का तुलना उन संगठनों के संविधानों के साथ कीजिए। दोनों तरह के संविधान में क्या-क्या अंतर हैं, संक्षेप में लिखिए।

1. संविधान का क्या अर्थ है?

2. रिक्त स्थान भरिए :

(i) भारतीय संविधान — संविधान है ।

(ii) संविधान का निर्माण — द्वारा हुआ था ।

(iii) भारतीय संविधान एक जीवन्त दस्तावेज है, क्योंकि इसे — बनाए रखना जरूरी है ।

(iv) प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को — के रूप में जाता है, क्योंकि संविधान — को लागू हुआ ।

15.2 संवैधानिक मूल्य

किसी भी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है। यह कुछ ऐसे आदर्शों को निर्धारित करता है, जो ऐसे देश का आधार बनते हैं जिसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। सामान्यतः एक देश लोगों के विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। यह आवश्यक नहीं कि ये लोग सभी मुद्दों पर आवश्यक रूप से एकमत होते। लेकिन वे कुछ आस्थाओं में साझेदारी करते हैं। संविधान सिद्धान्तों, नियमों तथा प्रक्रियाओं का एक ऐसा सेट प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर आम सहमति विकसित है। लोग चाहते हैं कि देश का शासन इसी सहमति के आधार पर संचालित हो तथा समाज आगे बढ़े। यह सहमति आदर्शों पर भी बनती है, जिन्हें बनाए रखा जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ केन्द्रिक सांविधानिक मूल्य हैं जो इसके विभिन्न अनुच्छेदों तथा प्रावधानों में अभिव्यक्त होते हैं।

लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि 'मूल्य' शब्द का अर्थ क्या होता है? आप तुरंत यह कहेंगे कि सत्य, अहिंसा, शान्ति, सहयोग, ईमानदारी, आदर तथा दया मूल्य हैं। आप ऐसे अनेक मूल्यों की सूची बना सकते हैं। वास्तव में आम समझ के अनुसार मूल्य ऐसी चीज हैं जो बहुत समाज के अस्तित्व के लिए वांछनीय हैं। संविधान में सभी सार्वभौम, मानवीय तथा लोकतांत्रिक मूल्य निहित हैं।

निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। इनमें से ऐसे 6 शब्दों को चुनिए, जिन्हें आप अपने लिए मूल्य मानते हैं। उन शब्दों को गए बॉक्स में लिखिए।

स्वतन्त्रता, प्रेम, पैसा, धुन, रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा, प्रेरणा, खुशी, उत्तेजना, ज्ञान, सफलता, प्रसिद्धि, जोखिम, उत्साह, शांति, मित्रता, निद्रा, सुन्दरता

1.4.

2.5.

3.6.

इन 6 मूल्यों में से ऐसे मूल्य को चुनिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। ऐसे दो कारण लिखिए जिसके आधार पर आप इसको सबसे महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं।

मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य _____ है।

इसके कारण हैं

1. _____

2. _____

क्या आप यह सोचते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य आपकी मनोवृत्ति तथा आपके व्यवहार को प्रभावित करता है? उदाहरणस्वरूप, एक व्यक्ति जो अहिंसा के मूल्य में विश्वास रखता है, हमेशा अपने व्यवहार में अहिंसक होता है।

15.2. 1 सांविधानिक स्व तथा संविधान की प्रस्तावना

क्या आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? जैसा पहले कहा गया है, सांविधानिक मूल्य भारत के संविधान में सभी जगह प्रतिबिम्बित हैं, लेकिन इसकी प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन को समाहित किया गया है, जिनपर पूरा संविधान आधारित है।

किसी भी संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें पूरे दस्तावेज के निर्देशक सिद्धान्तों की चर्चा होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ऐसा ही है। इसमें सम्मिलित मूल्यों को संविधान के उद्देश्यों की तरह अभिव्यक्त किया गया है। ये हैं सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतन्त्र, भारत राज्य की गणतान्त्रिक प्रकृति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुता, मानवीय गरिमा

तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता। इन सांविधानिक मूल्यों की चर्चा नीचे की गई है :

1. सम्प्रभुता : आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा। यह भारत को एक “सम्प्रभु पंथनिरपेक्षी लोकतान्त्रिक गणराज्य” घोषित करता है। सम्प्रभु होने का अर्थ यह है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता है तथा सर्वोच्च सत्ता इसके पास है। अर्थात् भारत आन्तरिक तौर पर सर्वशक्तिमान है तथा बाह्य दृष्टि से पूरी तरह स्वतन्त्र है। यह बिना किसी हस्तक्षेप (किसी देश या किसी व्यक्ति द्वारा) अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है। साथ ही, देश के अन्दर भी कोई इसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। सम्प्रभुता की यह विशेषता हम लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में एक राष्ट्र की तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने का गौरव प्रदान करती है। यद्यपि संविधान स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि यह सम्प्रभुता कहाँ निहित है। किन्तु प्रस्तावना में “हम भारत के लोग” कहना यह इंगित करता है कि सम्प्रभुता भारत की जनता में निहित है। स्पष्ट है कि सांविधानिक पदाधिकारी एवं सरकार के सभी अंग लोगों से ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं।

2. समाजवाद : आप यह जानते होंगे की सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ भारतीय परम्परावादी समाज में अन्तर्निहित हैं। यही कारण है कि समाजवाद को एक सांविधानिक मूल्य माना गया है। इस मूल्य का उद्देश्य सभी तरह की असमानताओं का अन्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान सभी क्षेत्रों में योजनवद्ध तथा समन्वित सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों तथा लोगों को निर्देश देता है। यह कुछ हाथों में धन तथा शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने का निर्देश भी देता है। संविधान के मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्यायों में असमानताओं को दूर करने से सम्बन्धित विशिष्ट प्रावधान हैं।

क्या आप जानते हैं

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत किए गए निम्नलिखित प्रावधान समाजवाद के मूल्य को बढ़ावा देते हैं:

“राज्य विशेषतौर पर, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा” (अनुच्छेद 38 (2))

“राज्य अपनी नीति का संचालन विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि : (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; (ख) समुदाय की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम साधन हो; (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रीयकरण न हो; (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो... (अनुच्छेद 39)

3. पंथ निरपेक्षता : हम सभी खुश हो जाते हैं, जब कोई यह कहता है कि भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का निवास है। इस बहुलता के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता एक महान सांविधानिक मूल्य है। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि हमारा देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत राज्य धर्म के विरुद्ध है। यह अपने सभी नागरिकों को किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक प्रदान करता है। साथ ही संविधान धर्म पर आधारित किसी भेदभाव पर सख्त रोक लगाता है।

4. लोकतंत्र : प्रस्तावना लोकतन्त्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है। लोकतंत्र में सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करती है। जनता देश के शासकों का निर्वाचन करती है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के लोग इनको सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के द्वारा विभिन्न स्तरों पर शासन में भाग लेने के लिए निर्वाचित करते हैं। यह व्यवस्था “एक व्यक्ति एक मत” के रूप में जाना जाता है। लोकतन्त्र स्थायित्व और समाज की निरन्तर प्रगति में योगदान करता है तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को भी सुनिश्चित करता है। यह विरोध को स्वीकार करता है तथा सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि लोकतन्त्र कानून के शासन, नागरिकों के अहरणीय अधिकारों, न्यायपालिका

की स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा प्रेम की स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों पर आधारित है।

5. गणतन्त्र : भारत केवल लोकतान्त्रिक देश ही नहीं बल्कि एक गणतन्त्र भी है। गणतन्त्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक राज्याध्यक्ष, अर्थात् राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित है। राजतन्त्र में राज्याध्यक्ष का पद वंशानुगत होता है। वह मूल्य लोकतन्त्र को मजबूत एवं प्रामाणिक बनाता है। जहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक राज्याध्यक्ष के पद पर चुने जाने का समान योग्यता रखता है। इस मूल्य का प्रमुख संदेश राजनीतिक समानता है।

6. न्याय : कभी-कभी आप यह महसूस करते होंगे कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में रहने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होता कि नागरिकों को पूर्णतः न्याय मिलेगा ही। अभी भी कई ऐसे मामले हैं जहाँ न केवल सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, बल्कि राजनीतिक न्याय भी नहीं मिला है। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सांविधानिक मूल्यों का स्थान दिया है। ऐसा करके उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय नागरिक को दी गई राजनीतिक स्वतन्त्रता सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। न्यायपूर्ण एवं समतावादी समाज का आदर्श भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्यों में एक है।

7. स्वतन्त्रता : प्रस्तावना में चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा उपासना की स्वतन्त्रता को एक केन्द्रीय मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इन्हें सभी समुदायों के प्रत्येक सदस्य के लिए सुनिश्चित करना है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों के स्वतन्त्र एवं सभ्य अस्तित्व के लिए आवश्यक कुछ न्यूनतम अधिकारों की मौजूदगी के बिना लोकतन्त्र के आदर्शों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

8. समानता : अन्य मूल्यों की तरह समानता भी एक महत्वपूर्ण सांविधानिक मूल्य है। संविधान प्रत्येक नागरिक को उसके सर्वोत्तम विकास के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। एक मनुष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का एक सम्मानजनक व्यक्तित्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति इसका पूरी तरह उपभोग कर सके, समाज में तथा देश में हर प्रकार की असमानता पर रोक लगा दी गई है।

9. बन्धुता : प्रस्तावना में भारत के लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करने के उद्देश्य से बन्धुता के मूल्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है। इसके अभाव में भारत का बहुलवादी समाज विभाजित रहेगा। अतः न्याय, स्वतन्त्रता और समानता जैसे आदर्शों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रस्तावना ने बन्धुता को बहुत महत्व दिया है। बन्धुता को चरितार्थ करने के लिए समुदाय से छुआछूत का उन्मूलन मात्र पर्याप्त नहीं। यह भी आवश्यक है कि वैसी सभी साम्प्रदायिक, कट्टरपंथी या स्थानीय भेदभाव की भावनाओं को समाप्त कर दिया जाय, जो देश की एकता के मार्ग में बाधक हों।

10 व्यक्ति की गरिमा : बन्धुता को प्रोत्साहित करना व्यक्ति की गरिमा को साकार बनाने के लिए अनिवार्य है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किए बिना लोकतन्त्र किर्याशील नहीं हो सकता। यह लोकतान्त्रिक शासन की सभी प्रक्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी को सुनिश्चित करती है।

11. राष्ट्र की एकता और अखण्डता : बन्धुता एक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य, राष्ट्र की एकता और अखण्डता, को भी बढ़ावा देता है। देश की स्वतन्त्रता को कायम के लिए एकता तथा अखण्डता अनिवार्य है। इसीलिए संविधान देश के सभी निवासियों के बीच एकता पर विशेष बल देता है। भारत के सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश की एकता और अखण्डता की रक्षा अपने कर्तव्य के रूप में करें।

12. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था : यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं हैं, लेकिन यह संविधान के अन्य प्रावधानों में प्रतिबिम्बित हैं। भारतीय संविधान राज्य को (क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का; (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का; (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का; (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का निर्देश देता है। इन मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा इनकी रक्षा करना भारत के हित में है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का भारत के विकास में बड़ा योगदान होगा।

13. मौलिक कर्तव्य : भारतीय संविधान नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित है। यह सच है कि मूल अधिकारों की तरह इन कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता, लेकिन संविधान ने इन्हें मौलिक कर्तव्यों का दर्जा दिया है। इनका इसलिए भी अधिक महत्व है क्योंकि इनमें देशप्रेम, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, पर्यावरणवाद, सद्भावपूर्ण जीवन यापन, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक, मनोदशा तथा परिपृच्छा और व्यक्तिगत एवं सामूहिक श्रेष्ठता जैसे मूल्य प्रतिबिम्बित हैं।

1. मूल्य शब्द से आप क्या समझते हैं?
2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित दो महत्वपूर्ण सांविधानिक मूल्यों को बताएँ। आप इन दोनों मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण क्यों मानते?
3. नीचे कॉलम 'अ' में दिए गए मूल्यों/उद्देश्यों का कॉलम 'ब' में दिए गए कथनों के साथ मेल मिलाइए।

‘अ’ सांविधानिक मूल्य/ उद्देश्य

(i) संप्रभुता	क. सभी तरह की असमानताओं समाप्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना
(ii) समाजवाद	ख. जनता का, जनता द्वारा तथा जनता लिए शासन
(iii) पंथ निरपेक्षता	ग. बिना किसी भेदभाव के समान बर्ताव
(iv) लोकतन्त्र	घ. राज्याध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है
(v) समानता	ड. धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता

(vi) स्वतन्त्रता

च. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा
तथा राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण
संबंध

(vii) बन्धुता

छ. पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता
तथा सर्वोच्च सत्ता

(viii) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं
न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय
व्यवस्था

ज. चिन्तन, अभिव्यक्ति एवं
विश्वास की स्वतन्त्रता

(ix) गणतन्त्र

झ. सामान्य भाईचारा की भावना

कम-से-कम 5 लोगों के विचार इस प्रश्न पर इकट्ठा कि वे यह सोचते हैं कि सांविधानिक मूल्यों को कितना साकार बनाया गया है या सांविधानिक उद्देश्यों को कितनी दूर तक पूरा किया जाता है?

ये लोग आपकी कक्षा के मित्र या शिक्षक या आपके परिवार के सदस्य या आपके पड़ोस में वाले समाजिक कार्यकर्ता या कोई अन्य हो सकते हैं। नीचे की तालिका के एक कॉलम में सांविधानिक मूल्यों उद्देश्यों को लिखा गया है। दूसरे कॉलम में उन कम-से-कम 5 लोगों द्वारा अंक देना है उन्हें कुल 10 अंकों में से मूल्यों/उद्देश्यों के सम्बन्ध में उपलब्धि के मूल्यांकन के आधार पर अंक देना है।

सांविधानिक
मूल्य/उद्देश्य

जितनी उपलब्धि हुई है,
के आधार पर कुल 10
अंकों में दिया गया अंक

व्यक्ति¹

व्यक्ति² व्यक्ति³ व्यक्ति⁴ व्यक्ति⁵

सामाजिक तथा
आर्थिक न्याय

चिंतन तथा
अभिव्यक्ति की
स्वतन्त्रता

प्रतिष्ठा और
अवसर की
समानता

राष्ट्र की एकता
एवं अखण्डता

छुआछुत
उन्मूलन

अन्तर्राष्ट्रीय
शान्ति एवं

सुरक्षा

सार्वभौम वयस्क
मताधिकार

भारत की जनता
में निहित
संप्रभुता

न्यायपालिका
की स्वतन्त्रता

सभी लोगों के उत्तर के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष कि किस मूल्य । उद्देश्य को सबसे अधिक साकार बनाया गया है तथा किसको सब से कम । इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए ।

15.2 .2 मूल्य तथा संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

प्रस्तावना में निहित सांविधानिक मूल्यों के अब तक के विवरण से यह स्पष्ट है कि ये भारतीय लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर मूल्य के बारे में आपकी समझ और भी अधिक अच्छी होगी जब आप नीचे की गई चर्चा में यह पाएंगे कि सांविधानिक मूल्य भारतीय संविधान की सभी प्रमुख विशेषताओं में व्याप्त हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं :

1. लिखित संविधान : जैसा कि पहले कहा गया है, भारत का संविधान सबसे लम्बा लिखित संविधान है। इसमें प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 5 परिशिष्ट हैं। यह मौलिक कानूनों का दस्तावेज है, जो राजनीतिक पद्धति की प्रकृति तथा सरकार के अंगों की संरचना एवं क्रियाशीलता को परिभाषित करते हैं। यह भारत की एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र की व्यापक दृष्टि अभिव्यक्त करता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट करता है तथा ऐसा करते हुए उनमें केन्द्रक सांविधानिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है।

2. अनमनशीलता तथा नमनशीलता का अनोखा मिश्रण : अपने दैनिक जीवन में यह अनुभव करते हैं कि लिखित दस्तावेजों में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता। जहाँ तक संविधान की बात है, लिखित संविधान सामान्यतया अनमनशील होते हैं। उनमें बार बार परिवर्तन करना आसान नहीं होता। संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान होता है। ब्रिटिश संविधान जैसे अलिखित संविधानों में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किए जाते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लिखित संविधानों में संशोधन करना बड़ा ही कठिन होता है। किन्तु भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह नमनशील है, न ही अमरीकी संविधान की तरह अनमनशील। इसमें निरन्तरता के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय संविधान में तीन तरीके से संशोधन किया जा सकता है: कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत के समर्थन से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा तीसरी श्रेणी के प्रावधानों के संबंध में संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ, कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता पड़ती है।

3. मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य : आप मौलिक अधिकार पद से परिचित होंगे। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के लिए एक अलग अध्याय है। इस अध्याय को भारतीय संविधान का “अन्तःकरण” कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा शक्ति के स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं। संविधान नागरिकों को राज्य के विरुद्ध और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। संविधान अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। इन अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान है। ये मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य कई महत्वपूर्ण सांविधानिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

4. राज्य के नीति निदेशक तत्व : मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में एक अन्य अध्याय है, जिसका नाम राज्य के नीति निदेशक तत्व है। यह भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत में अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जाएं। साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य को ऐसी नीतियाँ तथा ऐसे कानून बनाने का निर्देश देते हैं, जिनसे जनता में गरीबी घटे तथा सामाजिक भेदभाव समाप्त हों। जैसा कि आपने “भारत एक कल्याणकारी राज्य” नामक पाठ में पढ़ा है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इन प्रावधानों का लक्ष्य है।

5. एकीकृत न्यायिक व्यवस्था : संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी संघात्मक व्यवस्था की न्यायिक व्यवस्था के विपरीत भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा जिला एवं निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। लेकिन ये सभी एक ही पदानुक्रम के अंग हैं। इस पदानुक्रम के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान तरह से न्याय दिए जाने को सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था से सम्बन्धित सांविधानिक प्रावधान न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करते हैं; क्योंकि यह एकीकृत न्यायपालिका कार्यकारिणी तथा विधायिका के प्रभावों से मुक्त होती है।

6. एकल नागरिकता : भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका अर्थ है कि भारत में सभी भारत के नागरिक हैं, चाहे उनका जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो या वे कहीं भी रहते हों। यह व्यवस्था संयुक्तराज्य अमेरिका की व्यवस्था से भिन्न है, जहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है वहाँ का व्यक्ति किसी एक राज्य का नागरिक है जहाँ वह रहता है। साथ ही वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। भारतीय संविधान द्वारा दी गई इकहरी नागरिकता निश्चित रूप से समानता, एकता और अखण्डता के मूल्यों की समझ बनाती है।

7. सार्वभौम वयस्क मताधिकार : समानता तथा न्याय के मूल्य की तरह संविधान की एक अन्य विशेषता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित उम्र (18 वर्ष) का हो जाने के बाद मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश तथा जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

8. संघीय व्यवस्था तथा संसदीय सरकार : भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इनके संबंध में व्यापक चर्चा हम नीचे करेंगे। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि संघीय व्यवस्था में राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता के सांविधानिक मूल्य प्रतिबिम्बित हैं।

साथ ही इसमें शक्ति के विकेन्द्रीकरण का मूल्य भी निहित है। सरकार के संसदीय स्वरूप में जनता में निहित उत्तरदायित्व और सम्प्रभुता के मूल्य प्रतिबिम्बित हैं। संसदीय प्रणाली का केन्द्रक सिद्धान्त जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली विधायिका के प्रति कार्यकारिणी का उत्तरदायित्व है।

1. भारतीय संविधान की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं?
2. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन-कौन से सांविधानिक मूल्य प्रतिबिम्बित हैं?
3. भारतीय न्यायापालिका को एकीकृत न्यायपालिका क्यों कहते हैं?
4. एकल या इकहरी नागरिकता का अर्थ क्या है?

आपने यह पाया होगा कि जब भी भारत की राजनीतिक पद्धति की प्रकृति, संरचना तथा प्रक्रियाओं पर चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि भारत एक संघीय राज्य है। सामान्यतया विश्व में दो प्रकार के राज्य हैं। वह राज्य जहाँ पूरे देश में केवल एक ही सरकार है। उसे एकात्मक राज्य कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक एकात्मक राज्य है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा ऐसे राज्य, जहाँ दो स्तरों पर सरकारें हैं : एक केन्द्रीय स्तर पर तथा दूसरी राज्य (संघीय इकाई) स्तर पर। दो स्तरों की सरकारों के अतिरिक्त संघीय पद्धति की निम्न विशेषताएँ होती हैं :

(i) लिखित संविधान, (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, तथा (iii) संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारत की संघीय पद्धति में भी ये तीनों विशेषताएँ विद्यमान हैं। भारतीय संघीय पद्धति की प्रकृति का परीक्षण हम नीचे कर रहे हैं।

15.3.1 भारतीय संघीय पद्धति की विशेषताएँ

1. **द्विसोपानीय सरकार :** आपने यह सुना होगा कि भारतीय संविधान के दो स्तरों पर सरकारों का प्रावधान किया गया है - एक सारे देश के लिए, जिसे केन्द्रीय सरकार कहते हैं तथा दूसरी प्रत्येक इकाई यानि राज्य के लिए, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। कभी-कभी आपने भारत में त्रिसोपानीय सरकार की चर्चा सूनी होगी। क्योंकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अलावा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारों का एकअलग सोपन होता है। किन्तु संविधान के अनुसार भारत में द्विसोपानीय सरकार है। स्थानीय सरकारों को अलग अधिकार क्षेत्र नहीं दिए गए हैं। ये राज्य सरकारों के अन्दर ही कार्य करते हैं।

2. **शक्तियों का विभाजन :** अन्य संघों की तरह, भारतीय संघ में भी केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सांविधानिक स्थिति प्राप्त है। उनके कार्य क्षेत्र को भी संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। संविधान द्वारा दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है, कोई भी अपनी सीमा को नहीं छोड़ता या न ही दूसरे के कार्य क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है। संविधान में तीन सूचियों द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ सूची, राज्यसूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं जैसे, रक्षा, रेलवे, डाक, एवं तार आदि। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय हैं। जैसे लोक स्वास्थ्य, पुलिस,

स्थानीय स्वशासन आदि। समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं जैसे शिक्षा, बिजली, श्रम-संघ, आर्थिक एवं सामाजिक योजना आदि। इस सूची पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। हालांकि, संविधान ने विषयों की जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं आते, केन्द्र सरकार को सौंपा है। ऐसे अधिकारों को अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। यदि शाक्ति विभाजन के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा न्यायपालिका द्वारा सांविधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।

3. लिखित संविधान : जैसा हम लोगों ने पहले देखा है, भारत एक लिखित संविधान है, जो सर्वोच्च है। यह केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के लिए शक्ति श्रोत है। ये दोनों ही सरकारें अपने-अपने शासन क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं। भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह अनमनीय नहीं है, यह एक नमनीय संविधान भी नहीं है। यह अनमनीयता तथा नमनीयता का अनोखा मिश्रण है।

क्या आप जानते हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 21 जून 1788 को स्वीकृत होने के बाद केवल 27 संशोधन हुए हैं। लेकिन भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद जनवरी 2010 तक 95 संशोधन हो चुके हैं।

4. स्वतन्त्र न्यायपालिका : संघीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता न्यायपालिका है। इसे इसलिए स्वतन्त्र रखा जाता है ताकि वह संविधान की व्याख्या कर सके तथा उसकी पवित्रता बरकरार रख सके। भारत में भी न्यायपालिका स्वतन्त्र है। केन्द्र तथा राज्य के बीच के विवादों का निपटारा करना भारत के सर्वोच्च प्रारम्भिक है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो यह कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

15.3.2 भारतीय संघीय व्यवस्था-मजबूत केन्द्र

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह कथन पढ़ा है। “भारतीय व्यवस्था का स्वरूप संघीय है लेकिन आत्मा एकात्मक है।” ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि भारत में केन्द्र सरकार बहुत मजबूत है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय की अवस्था सामाजिक-राजनीतिक को ध्यान में रखते हुए जानबुझकर किया गया था। लगभग एक महाद्वीप विशाल देश है। इसकी विविधताएँ एवं सामाजिक बहुलकवाद भी अनोखा है। संविधान निर्माताओं का इसीलिए यह विश्वास था कि भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था होनी चाहिए जो इन विविधताओं तथा बहुलवाद को समायोजित कर सके। जब भारत हुआ तो इसके समक्ष देश की एकता एवं अखण्डता को सुरक्षित रखने तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने जैसी गंभीर चुनौतियाँ थीं। भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए प्रान्तों में तो विभाजित था। इनके अतिरिक्त यहाँ 500 से भी अधिक रजवाड़े थे, जिन्हें विभिन्न राज्यों में समाहित करना था या नए राज्य बनाने थे।

इसी संदर्भ में जानबूझकर केन्द्रीय सरकार को मजबूत बनाया गया। देश की एकता से सम्बन्धित चिन्ता के अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने यह भी सोचा कि सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान राज्यों के सहयोग से एक मजबूत केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है। गरीबी, निरक्षरता, सामाजिक असमानताएँ तथा सम्पदा की असमानताएँ ऐसी समस्याएँ थीं, जिनके लिए एकीकृत योजना बनाना, उसे कार्यान्वित करना तथा समन्वय स्थापित करना आवश्यक था। हम नीचे उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे, जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार को मजबूत बनाया गया।

1. संविधान का पहला अनुच्छेद ही यह इंगित करता है कि भारतीय संघ व्यवस्था भिन्न है। इस अनुच्छेद में भारत एक को एक “संघ” (फेडरल) नहीं कहा गया है। भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर केन्द्र सरकार का अधिकार है। राज्यों का अस्तित्व तथा देश की क्षेत्रीय अखण्डता संसद के हाथों में है। संसद को किसी राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग कर या दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य को निर्मित करने का अधिकार है। यह किसी राज्य की सीमा में भी बदलाव ला सकती है तथा किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। हालांकि संविधान ने कुछ बचाव के प्रावधान किए हैं। इन मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार को सम्बन्धित राज्य की विधायिका की राय लेना आवश्यक है।

क्या आप जानते हैं

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई नये राज्यों का निर्माण किया गया है। 2000-2001 में तीन नये राज्यों का निर्माण तीन राज्यों से क्षेत्रों को अलग कर किया गया : मध्यप्रदेश से अलगकर छत्तीसगढ़, बिहार से अलगकर झारखंड तथा उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड बना। वैसा करने के कई कारण थे जिनमें से एक था उन क्षेत्रों में धीमी विकास गति।

2. शक्तियों का विभाजन भी केन्द्रीय सरकार के पक्ष में है। संघ सूची में सभी महत्वपूर्ण विषयों को रख गया है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची के संबंध में भी संविधान ने केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा बनया गया कानून एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हुई तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। इसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होगी।

3. संघीय व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका होती है। लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत तथा समाकलित है तथा इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।

4. जब किसी तीन संकटकालीन स्थितियों में से किसी एक की घोषणा हो जाए तो केन्द्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है। संकटकालीन स्थिति संघीय व्यवस्था को एकीकृत एवं केन्द्रित व्यवस्था में बदल सकती है। वैसी स्थिति में राज्यों के अधीन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी राज्य में या उसके किसी भाग में उपद्रव हो तो केन्द्रीय सरकार, राज्य में या उसके उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में केन्द्रीय बल को तैनात कर सकती है।

5. जैसा आप “राज्यस्तर का शासन” नामक पाठ में पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अर्थात्, केन्द्रीय सरकार, द्वारा होती है। यदि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो राज्यपाल अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज सकता है तथा अपने प्रतिवेदन में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का संस्तुति कर सकता है। जब केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य के मंत्रिपरिषद् भंग कर दी जाती है। तथा राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन का संचालन करता है। राज्य विधान सभा भंग की जा सकती है। या निलम्बित की जा सकती है। सामान्य अवस्था में भी राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को राज्य के विधायन प्रक्रिया में देर करने या उस विधेयक को अस्वीकार कर देने का अवसर मिल जाता है।

6. केन्द्रीय सरकार को प्रभावशाली वित्तीय अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। सबसे पहले, राजस्व उत्पन्न करने वाले सभी मद केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में हैं। राज्य अधिकतर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान तथा वित्तीय सहायता पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में स्वतन्त्रता के बाद योजना को तेज आर्थिक प्रगति एवं विकास के एक साधन के रूप में अपनाया गया है। इसके कारण भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का केन्द्रीयकरण हुआ है।

7. अन्ततः संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यकारिणी अधिकार राज्यों के कार्यकारिणी अधिकारों से श्रेष्ठ हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। साथ ही भारत में एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था है। अखिल भारतीय सेवाएँ भारत के समूचे क्षेत्र के लिए समान हैं। तथा इनके तहत चुने हुए पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन तंत्र में कार्य करते हैं। इस प्रकार एक आई.ए.एस. पदाधिकारी राज्य के अन्दर एक कलक्टर के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वे सभी केन्द्रीय सरकार के अधीन होते हैं। राज्य उनके विरुद्ध कोई प्रशासनिक या अनुशासन से संबंधित कार्यवाही नहीं कर सकता है न तो इन्हें पद मुक्त कर सकता है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय सरकार की स्थिति राज्य सरकारों से मजबूत है। राज्यों को केन्द्र के साथ सहयोग करना पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है।

पुस्तकों या इन्टरनेट की सहायता से भारत के राज्यों की एक सूची बनाइए और यह पता कीजिए कि उन राज्यों का निर्माण किस वर्ष में हुआ था।

15.3.3 राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की माँग

पिछले छः दशकों से भी अधिक अवधि में भारतीय संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन से यह स्पष्ट होता है कि संघीय व्यवस्था में केन्द्रीकरण के कारण राज्यों तथा केन्द्र के बीच के संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि राज्य अपने क्षेत्र में शासन संचालन के लिए अधिक

प्रभावशाली भूमिका की अपेक्षा करें। यही कारण है कि समय-समय पर राज्यों ने उन्हें अधिक अधिकार एवं अधिक स्वायत्तता दिए जाने की माँग की है। इस पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग तथा अन्य आयोगों की नियुक्ति की। मार्च 2010 को केन्द्र राज्य संबंध पर आयोग की नियुक्ति सबसे नया प्रयास है।

विभिन्न आयोगों द्वारा दी गई संस्तुतियों के अनुसार संविधान के बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। किन्तु एक स्थायी अन्तर राष्ट्रीय की परिषद आवश्यकता महसूस की गई है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे। यदि इन पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास योजनावद ढंग से किया गया तो पृथक्तावादी सोच स्वयं नियंत्रित हो। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच के मतान्तरों को आपसी बातचीत के द्वारा दूर किया जानी चाहिए। राज्यों द्वारा उन्हें अधिक वित्तीय सहायन दिए जाने की माँद की संस्तुतियों का काफी समर्थन मिला है।

लगभग गत 5 वर्षों से एक राज्य में एक अलग राज्य बनाए जाने लिए आन्दोलन चल रहा है। उस राज्य की कीजिए तथा इस तरह की माँग के कारणों की चर्चा कीजिए। यह भी बतलाइए कि वहाँ के नेताओं द्वारा मई और सितम्बर 2011 के बीच कौन-कौन से कदम उठाए गए थे?

1. संघीय व्यवस्था की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं?
2. भारत के बारे में यह कहा जाता है कि “भारत स्वरूप में एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है।” इसका कथन के दो कारणों की चर्चा कीजिए।
3. छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तराखण्ड राज्यों को 2000-2001 के दौरान बनाया गया। यह बताइए कि इनको किन राज्यों से अलगकर बनाया गया? इनके बनाए जाने के कारणों पर प्रकाश डालिए।

15.4 भारत में संसदीय शासन प्रणाली

भारतीय राजनीतिक पद्धति की एक अन्य विशेषता संसदीय शासन प्रणाली है। शासन प्रणालियों के दो रूप होते हैं : अध्यक्षीय तथा संसदीय। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार के तीनों अंग एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। वहाँ कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होते। संयुक्त राज्य अमेरिका एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली है।

किन्तु संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारिणी विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। यूनाइटेड किंगडम में संसदीय

शासन प्रणाली है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहाँ के लिए ब्रिटिश प्रतिमान को ही अपनाया क्योंकि भारत में 1947 के पहले जो शासन प्रणाली चल रही थी वह काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान थी। भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर शासन प्रणाली का रूप संसदीय है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

- (i) विधायिका तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध है।
- (ii) कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है।
- (iii) कार्यकारिणी में एक राज्याध्यक्ष है जो नाममात्र का प्रधान है तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद् है, जो वास्तविक कार्यकारिणी है।



चित्र 15.2 भारत की संसद

चित्र 15.2 : भारत की संसद

1. विधायिका तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध : भारत में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। केन्द्रीय सरकार की कार्यकारिणी में राज्याध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् होते हैं। विधायिका अर्थात् संसद के दो सदन हैं: लोकसभा एवं राज्य सभा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या राजनैतिक दलों के गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है। मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, सत्रावसान करता है तथा लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग होता है।
2. कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व : मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व पूरी मंत्रिपरिषद्

का उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद राज्य सभा के प्रति भी उत्तरदायी है। संसद के दोनों सदन मंत्रिपरिषद को नियन्त्रित रखते हैं। ऐसा करने के लिए वे सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उसके कार्यों पर प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं। वे सरकार के प्रस्तावों पर वाद-विवाद करते हैं तथा सरकार के कार्यों की तीखी आलोचना करते हैं। वे स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश करते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है। वार्षिक बजट भी संसद द्वारा पारित किया जाता है।

वास्तव में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देता है यानी सदन में बहुमत का समर्थन खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है।

3. नाममात्र और वास्तविक कार्यकारिणी : भारत में कार्यकारिणी के दो भाग हैं – नाममात्र कार्यकारिणी तथा वास्तविक कार्यकारिणी। राष्ट्रपति जो राज्याध्यक्ष होता है, नाममात्र या औपचारिक कार्यकारिणी है। सिद्धान्ततः संविधान के द्वारा सभी कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित किया गया है। किन्तु व्यवहार में उनका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता। उनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। अतः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। अतः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यकारिणी है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता।

4. प्रधानमंत्री-वास्तविक कार्यकारिणी : प्रधानमंत्री संसदीय कार्यकारिणी की धुरी होता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रधानमंत्री की अनुसंशा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। मंत्रियों बीच विभागों का आवंटन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह तो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच एकमात्र कड़ी है। प्रधानमंत्री के निर्णय से किसी भी मंत्री को पदच्युत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के पदत्याग करने से सारी मंत्रीपरिषद भंग जाती है।

इन विशेषताओं के साथ भारत में संसदीय प्रणाली सतोषजनक ढंग से किरयान्वित हो रही है। राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की संरचना केन्द्र की प्रणाली के अनुरूप है। वहाँ कार्यकारिणी में राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं। राज्यपाल राज्याध्यक्ष की भूमिका निभाता है तथा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारिणी तरह कार्य करते हैं। राज्य विधायिकाएँ संसद की तरह कार्य करती हैं। कुछ राज्यों की विधायिकाएँ द्विसदनीय (विधानसभा तथा विधान परिषद) हैं।

अधिकतर राज्यों में एक सदनीय (विधान सभा) विधायिकाएँ हैं।

1. संसदीय प्रणाली में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच तरह के सम्बन्ध होते हैं?
2. भारत के राष्ट्रपति को नाममात्र की कार्यकारिणी क्यों कहा जाता है?
3. सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है?
4. संसद के दोनो सदन मंत्रिपरिषद को किस तरह नियंत्रित रखते हैं?

- राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में संविधान का अर्थ मूल सिद्धान्तों आधारभूत नियमों तथा स्थापित परम्पराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के अंगों-कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अन्तर्गत प्रमुख संस्थाओं का संरचना, अधिकार तथा कार्यों को परिभाषित करता है और नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतन्त्रताओं का प्रावधान करता है और वैयक्तिक नागरिक तथा राज्य और सरकार के बीच के सम्बंधों को स्पष्ट करता है।
- भारत का संविधान इसके द्वारा स्थापित व्यवस्था के आधारभूत उद्देश्यों को परिभाषित करता है। इसके द्वारा भारत में एक सम्प्रभु, लोकतान्त्रिक, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना की गई है। इसमें सामाजिक परिवर्तन लाने तथा वैयक्तिक नागरिक एवं राज्यों के बीच के संबंधों को परिभाषित करने संबंधी प्रावधान हैं।
- किसी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है। यह कुछ, ऐसे आदर्शों को निर्धारित करता है, जो ऐसे देश का आधार बनाते हैं जिसमें हम नागरिका की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। संविधान सिद्धान्तों, नियमों तथा प्रक्रियाओं के एक सेट की तरह है जिनपर देश सभी व्यक्तियों की सहमति होती है। लोग चाहते हैं कि देश का शासन इसी सहमति के आधार पर संचालित हो तथा समाज आगे बढ़े। यह सहमति केवल शासन के प्रकार पर ही नहीं बल्कि उन आदर्शों पर भी बनती है, जिन्हें बनाए रखा जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे केन्द्रीय सांविधानिक मूल्य निहित हैं, जो संविधान की आत्मा है तथा इसके विभिन्न अनुच्छेदों तथा प्रावधानों में अभिव्यक्त हैं।
- सांविधानिक मूल्य पूरे संविधान में प्रतिबिम्बित हैं। उसकी प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन को सम्मिलित किया गया है, जिनपर पूरा संविधान आधारित है। ये हैं : सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतान्त्रिक प्रकृति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व, मानवीय गौरव तथा राष्ट्र, की एकता एवं अखण्डता।
- सांविधानिक मूल्य भारतीय संविधान के सभी प्रमुख विशेषताओं में भी व्याप्त हैं। जैसे लिखित संविधान, अनमनशील तथा नमनशील संविधान का अनोखा मिश्रण, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व, मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संघवाद तथा संसदीय शासन प्रणाली।
- भारत एक संघ राज्य है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है तथा द्विसोपानीय सरकार, केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर है। केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है तथा यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका है। लेकिन यह एक ऐसा संघ राज्य है जहाँ केन्द्रीय सरकार काफी मजबूत है। संविधान द्वारा जानबुझकर केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
- भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष तथा नाममात्र की कार्यकारिणी है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में वास्तविक कार्यकारिणी का प्रधान है। कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध है तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है।

1. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए :

- (i) प्रस्तावना को परिभाषित कीजिए ।
- (ii) संविधान का क्या अर्थ है?
- (iii) भारतीय संविधान को किसने बनाया?
- (iv) सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है?

2. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए :

- (i) संविधान के महत्व की विवेचना कीजिए ।
- (ii) प्रस्तावना में कौन-कौन से प्रमुख सांविधानिक मूल्य सम्मिलित हैं?
- (iii) भारतीय संविधान की कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं?
- (iv) भारतीय संविधान की किन्हीं तीन संघीय विशेषताओं की व्याख्या कीजिए ।
- (v) भारतीय संविधान अनमनीय तथा नमनीय है । कैसे?
- (vi) भारत को ऐसा राज्य क्यों कहा जाता है जिसका स्वरूप संघीय है लेकिन आत्मा एकात्मक है?
- (vii) भारत की संसदीय शासन प्रणाली की प्रकृति का परीक्षण कीजिए ।
- (viii) क्या आपने अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले गणतन्त्र दिवस में सहभागी या दर्शक के रूप में भाग लिया है? यदि हाँ तो उस समारोह की विशिष्टताओं की चर्चा कीजिए ।
- (ix) नीचे सउदी अरब के एक नागरिक तथा एक भारतीय नागरिक के बीच की अभिलिखित बातचीत को प्रस्तुत किया गया है । सउदी अरब के नागरिक द्वारा कही बातों को नीचे लिखा गया है । किन्तु भारतीय नागरिक द्वारा दिये गए उत्तर को अभिलिखित नहीं किया जा सका था । इसीलिए वे स्थान खाली हैं । इस पाठ से प्राप्त एवं आपके अपने ज्ञान के आधार पर इस बातचीत को पूरा कीजिए तथा समुचित उत्तर दीजिए । (“स अ” का मतलब सउदी अरब का नागरिक है तथा “भा” का मतलब भारतीय नागरिक है)
- (क) स अ हमारे देश में एक वंशानुगत राजा का शासन है । हमलोग उनको परिवर्तित नहीं कर सकते । इसलिए हमलोगों की शासन प्रणाली राजतन्त्र है ।

भा _____

(ख) स अ सउदी अरब में हम लोगों की शासन व्यवस्था आप लोगों जैसी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक दल नहीं हैं। चुनाव नहीं होते तथा लोगों की सरकार बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ तक कि मीडिया भी ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सकता, जो राजा को पसन्द नहीं।

भा _____

(ग) स अ हमारे देश में केवल एक ही धर्म हैं। अंतः वहाँ धर्म की स्वतन्त्रता नहीं है प्रत्येक नागरिक को मुसलमान होना जरूरी है।

भा _____

(घ) स अ हाँ, गैर मुस्लिमों को अपना धर्म मानने की इजाजत रहती है, लेकिन अकेले में सभी लोगों के सामने नहीं।

भा _____

(ङ) स अ हमारे देश में लिंग के आधार पर भेदभाव है। स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं समझा जाता। उनपर सार्वजनिक तौर पर कई बन्धन हैं। यहाँ तक कि एक पुरुष की गवाही दो महिलाओं की गवाही के बराबर मानी जाती है।

भा _____

भारतीय द्वारा अभिवक्त विचार

(क) स्वतन्त्रता के बाद भारत में राजा का शासन नहीं है। उसके बदले, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद है जिसपर अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। इस प्रकार भारत एक गणतन्त्र है। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें राजनीतिक दल लोगों के प्रतिनिधि के रूप में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमलोगों को संघ बनाने तथा राजनीतिक दल बनाने की स्वतन्त्रता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत में मीडिया किसी भी मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतन्त्र है।

(ग) लेकिन हमलोगों का एक पंथ निरपेक्ष देश है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धर्म की स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान करता है हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई एवं अन्य को अपने-अपने धर्म का आचरण करने की स्वतन्त्रता है।

(घ) आश्चर्य की बात है। हमारे देश में संविधान सार्वजनिक रूप से भी धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।

(ड)हमारे संविधान में लैंगिक समानता का प्रावधान है, यद्यपि व्यवहार में हमारे यहाँ भी कुछ समस्याएँ हैं। लेकिन स्त्रियों को हर क्षेत्र में बराबर का अधिकार है। उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

15.1

1. राज्य और राष्ट्र के सन्दर्भ में संविधान का अर्थ मूल सिद्धान्तों, आधारभूत नियमों एवं स्थापित परम्पराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के तीन अंगों-कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अन्तर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यों को स्पष्ट करता है, परिभाषित करता है तथा नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का भी प्रावधान करता है और नागरिक एवं राज्य तथा सरकार के बीच के सम्बन्धों को स्पष्ट करता है।

2. (i) सबसे लम्बा (ii) संविधान सभा (iii) अद्यतन (iv) गणतन्त्र दिवस, 26 जनवरी 1950

15.2

1. मूल्य ऐसी चीज है जो बहुत आवश्यक है तथा जिसका पालन करना मानव समाज के अस्तित्व के लिए वांछनीय है।

2. प्रस्तावना में अभिव्यक्त किए गए मूल्य संविधान के उद्देश्यों की तरह अभिव्यक्त किए गए हैं ये हैं: सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतन्त्र, भारतीय राज्य की गणतान्त्रिक प्रकृति, न्याय, समानता, बन्धुता, मानवीय गौरव तथा राष्ट्र एकता एवं अखण्डता।

3. 'अ' 'ब'

(i) छ

(ii) क

(iii) ड

(iv) ख

(v) ग

(vi) ज

(vii) झ

(viii) च

(ix) घ

15.3

1. (i) लिखित संविधान; (ii) अनमनशीलता तथा नमनशीलता का अनोखा मिश्रण; (iii) मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य; (iv) राज्य के नीति निर्देशक तत्व; (v) एकीकृत न्यायिका व्यवस्था; (vi) एकल नागरिकता; (vii) सार्वभौम वयस्क मताधिकार; (viii) संघीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली ।

2. सामाजिक तथा आर्थिक समानता, सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति

3. यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा जिला एवं नीचे के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं, लेकिन ये सभी एक ही पदानुक्रम के अंग हैं। इस पदानुक्रम के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।

4. इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भारतीय भारत का एक नागरिक है, चाहे उसका जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो और उसका निवास स्थान कहीं भी हो।

15.4

1. (i) केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर द्विसोपानीय सरकार; (ii) केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन; (iii) लिखित संविधान; (iv) न्यायपालिका की सर्वाच्चता एवं स्वतन्त्रता।

2. (i) भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर केन्द्र सरकार का अधिकार है। राज्यों का अस्तित्व तथा देश की क्षेत्रीय अखण्डता संसद के हाथों में है; (ii) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन भी केन्द्रीय सरकार के पक्ष में है। संघ सूची में सभी महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है; (iii) भारत में एकीकृत तथा समाकलित न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है; (iv) जब कभी तीन संकटकालीन स्थितियों में से किसी एक की घोषणा हो जाए तो केन्द्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है और भारत लगभग एक एकात्मक राज्य बन जाता है। (कोई दो)

3. पुस्तकों, पत्र, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों से अथवा इन्टरनेट से आवश्यक सूचना एकत्रित की जाए तथा इस प्रश्न का उत्तर तैयार की जाए।

15.5

4. कार्यकारिणी अर्थात् प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद् तथा विधायिका अर्थात् संसद के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिपरिषद् का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिपरिषद् को पदत्याग करना पड़ता है।

2. राष्ट्रपति जो राज्याध्यक्ष होता है, एक नाममात्र का और औपचारिक कार्यकारिणी है। सिद्धान्ततः संविधान के द्वारा सभी कार्यकारिणी अधिकार भारत के राष्ट्रपति में ही निहित किया गया है। किन्तु व्यवहार इन अधिकारों का प्रयोग उसके द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् द्वारा होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् ही वास्तविक कार्यकारिणी है।

मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मण्डल द्वारा चुना जाता है वह संसद सदस्यों से मिलकर बनता है। यदि संसद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे पदत्याग करना पड़ता है।

3. इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व होता है। यदि एक मंत्रालय की भी समझा जाता है।

4. संसद के दोनों सदन सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा कार्यों पर प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर मंत्रिपरिषद पर नियन्त्रण रखते हैं। वे स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसे संसद की स्वीकृति नहीं मिले। वार्षिक बजट भी संसद द्वारा पास किया जाता है।

आजकल “शिक्षा का अधिकार”, “सूचना का अधिकार” तथा “शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार” जैसे पदांशों का बार-बार प्रयोग किया जाता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमारे कुछ अधिकार हैं। साथ ही, हमें अन्य किसी व्यक्ति से या अपने शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है कि हमारे अन्य व्यक्तियों, समाज, राष्ट्र या मानवता के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। परंतु क्या आप सोचते हैं कि सभी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं या कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? संभवतः नहीं। परंतु इस बात से सब सहमत होंगे कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे कुछ अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को आवश्यक रूप से प्राप्त होते हैं। वैसे ही, ऐसे कुछ कर्तव्य हैं जिनका पालन लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को करना होता है। इसी कारण भारत का संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार ही “मौलिक अधिकार” कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में कुछ मुख्य कर्तव्य सूचीबद्ध हैं जिनका प्रत्येक नागरिक द्वारा पालन किये जाने की आशा की जाती है। ये “मौलिक कर्तव्य” कहलाते हैं। इस पाठ में मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है।

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात् आप सक्षम होंगे :

- मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों के अर्थ की व्याख्या करने तथा हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी आवश्यकता तथा महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में ।
- भारतीय संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों के महत्व का मूल्यांकन तथा उसके अपवादों एवं सीमाओं का विश्लेषण कर पाने में ।
- हाल ही में जोड़े गये “शिक्षा का अधिकार” के निहितार्थ को समझ पाने में ।
- मौलिक अधिकारों तथा मानव अधिकारों के बीच तुलना कर पाने में ।
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक तरीको द्वारा न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझ पाने में तथा
- मौलिक कर्तव्यों के महत्व तथा भारत के एक अच्छे तथा विधि परायण नागरिक के रूप में उनका पालन करने की आवश्यकता समझ पाने में ।

हम अक्सर अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकार शब्द का क्या अर्थ है। अधिकार लोगों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध एवं क्रिया के नियम हैं। ये राज्य और व्यक्ति अथवा समूह के कार्यों पर कुछ सीमाएं तथा दायित्व लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो इसका अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है।

अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार हैं जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अधिकार स्वतंत्रता या हकदारी के कानूनी, सामाजिक अथवा नैतिक सिद्धान्त हैं। कानूनी व्यवस्था, सामाजिक परम्परा अथवा नैतिक सिद्धान्तों के अनुसार अधिकार मूलभूत आदर्श नियम हैं जो लोगों को कुछ करने अथवा कुछ पाने का हक देते हैं। अधिकार सामान्यतः समाज अथवा संस्कृति के आधार स्तंभों के रूप में किसी भी सभ्यता के मूल माने जाते हैं। परंतु अधिकारों का वास्तविक अर्थ तभी है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कर्तव्य किसी व्यक्ति से कुछ किये जाने की अपेक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए अपने बच्चे का ठीक से ध्यान रखना माता-पिता का कर्तव्य है। आपके भी अपने माता-पिता के प्रति कर्तव्य है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह छात्रों को शिक्षित करें। वास्तव में अधिकार तथा कर्तव्य जीवनरूपी गाड़ी के दो पहिये हैं, जिनके ठीक से पालन से जीवन सरलता से चल सकता है।

अधिकार तथा कर्तव्यों के एक दूसरे के पूरक बन जानें तथा दोनों के ठीक से पालन करने से जीवन बहुत ही आसान बन सकता है। अधिकार वे हैं जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किये जाने की आशा करते हैं जबकि कर्तव्य वे कार्य हैं, जो हम दूसरों के प्रति करते हैं।

इस तरह अधिकार दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्वों के साथ मिलते हैं। ये दायित्व जो अधिकारों के साथ जुड़े होते हैं, कर्तव्य कहलाते हैं। यदि हम यातायात अथवा स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का अधिकार रखते हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि दूसरे व्यक्ति भी इन सेवाओं का उपयोग कर सकें। यदि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम इसका दुरुपयोग न करें तथा दूसरों को किसी तरह की हानि न पहुँचायें।

नीचे दिये गये बाक्स में अपने परिवार, दोस्तों तथा पड़ोसियों के प्रति अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को लिखिये।

मेरे कर्तव्य

1. परिवार के प्रति

i.

ii.

2. दोस्तों के प्रति

i.

ii.

3. पड़ोसियों के प्रति

i.

ii.

मेरे अधिकार

1. परिवार के प्रति

i.

ii,

2. दोस्तों के प्रति

i.

ii.

3. पड़ोसियों के प्रति

i.

ii.

आपके अनुसार आपके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच क्या अन्तर है? क्या वे परस्पर सम्बन्धित हैं? कैसे?

16.2 मौलिक अधिकार

जैसा कि हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए तथा विकास के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। इस अर्थ में अधिकारों की एक लंबी सूची होगी। जबकि ये सब अधिकार समाज द्वारा पहचाने जाते हैं, इनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता दी गयी है तथा संविधान में स्थान दिया गया है। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार है। ये दो कारणों से मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। प्रथम, ये संविधान में उल्लिखित है जिनकी संविधान गारंटी देता है और दूसरा, ये न्याय योग्य हैं अर्थात् न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी हैं। न्याय योग्य होने का अर्थ है कि इन अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति इनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। यदि सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो इनको सीमित करता है तो न्यायालय उस कानून को अमान्य कर देते हैं।

भारतीय संविधान के खण्ड III में ऐसे अधिकारों का प्रावधान है। संविधान भारतीय नागरिकों को छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये हैं :

1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

हालांकि ये मौलिक अधिकार सार्वभौमिक हैं, संविधान में कुछ अपवाद और प्रतिबंध भी दिये गये हैं।

क्या आप जानते हैं

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार दिये गये थे। ऊपर वर्णित छः अधिकारों के अलावा संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। चूंकि इस अधिकार की वजह से समाजवाद तथा संपत्ति के न्यायसंगत वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक समस्याएं आ रही थी अतः 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। हालांकि इसके हटाये जाने का यह अर्थ नहीं कि हम संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने का अधिकार नहीं रखते। नागरिकों का अभी भी यह अधिकार है। परंतु अब यह मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार मात्र है।

16.2.1 समानता का अधिकार

हमारे जैसे समाज के लिए समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकार का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है जहाँ पर कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जात है। भारत में सभी लोगों का समान संरक्षण तथा कानून के समक्ष समानता उपलब्ध कराने के लिए पांच प्रावधान (अनुच्छेद 14-18) किये गये हैं। साथ ही यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भेदभाव पर रोक लगाता है।

(i) कानून के समक्ष समानता : संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। इसका तात्पर्य है कि देश के कानूनों द्वारा सभी को समान संरक्षण मिलेगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि दो व्यक्ति एक प्रकार का अपराध करते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान दण्ड मिलेगा।

(ii) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं : राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है। भारत के प्रत्येक नागरिक की दुकान, जलपान गृह, मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुँच होगी तथा वह कुओं, तालाबों अथवा सड़कों का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के कर सकेगा। हालांकि राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान व छूट की व्यवस्था की जा सकती है।

(iii) सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता :

सार्वजनिक रोजगार के मामलों में राज्य के द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं तथा राज्य के कर्मचारी बन सकते हैं। वरीयता तथा योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध होंगे। हालांकि उस के कुछ अपवाद हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए रोजगार में आरक्षण के विशेष प्रावधान किये गये हैं।



चित्र 16.1 लैंगिक भेदभाव के बिना कार्यालयों में काम करते लोग

चित्र 16.1 लैंगिक भेदभाव के बिना कार्यालयों में काम करते लोग

(iv) छुआछूत का उन्मूलन : किसी भी प्रकार के छुआछूत को कानून से अंतर्गत दण्डनीय बनाया गया है। यह प्रावधान ऐसे लाखों भारतीयों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए किया

गया प्रयास है जो जाति या व्यवसाय के कारण तिरस्कृत रहे हैं। परंतु यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी यह सामाजिक बुराई आज भी बनी हुई है। एक नर्स द्वारा एक मरीज की देखभाल, मां द्वारा अपने बच्चे की सफाई तथा एक औरत द्वारा टॉयलेट की सफाई करने में आप कोई अंतर पाते हैं? टॉयलेट साफ करने को लोग बुरी निगाह से क्यों देखते हैं?

(v) उपाधियों का उन्मूलन : ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सर (नाइटहुड) या राय बहादुर जैसी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है क्योंकि ये सब कृत्रिम अंतर पैदा करते थे। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की उत्तम सेवा करने वालों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागरिक और सैन्य पुरस्कार दिये जाते हैं। नागरिक पुरस्कारों के रूप में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री एवं सैन्य पुरस्कार जैसे- वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि प्रदान किये जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पुरस्कार पदवियां नहीं हैं। शैक्षिक तथा सैन्य पुरस्कार व्यक्ति के नाम के आगे लगाये जा सकते हैं।



चित्र 16.2 नागरिक एवं सैन्य पुरस्कार

चित्र 16.2 नागरिक एवं सैन्य पुरस्कार

क्रियाकलाप 16.2

निम्नलिखित प्रश्नों पर कम से कम अपने पांच सहपाठियों, दोस्तों अथवा परिवार के व्यस्क सदस्यों और पड़ोसियों की राय एकत्रित करें।

1. क्या आप मानते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया आरक्षण उचित है?
2. क्या आप मानते हैं कि अभी भी लोग अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हाथों पानी पीने से मना करते हैं?
3. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी नागरिकों के लिए वास्तविक अर्थ में कानून के समक्ष समानता है?

उनके द्वारा दिये गये उत्तर को नीचे दी गयी सारणी में अंकित करें तथा निष्कर्ष निकालें। इन प्रश्नों के संबंध में अपने स्वयं के मत का भी उल्लेख करें।

प्रश्न व्यक्तियों के
 उत्तर

प्रथम व्यक्ति	द्वितीय व्यक्ति	तृतीय व्यक्ति	चतुर्थ व्यक्ति	पंचम व्यक्ति

प्रश्न सं
01

प्रश्न सं
02

प्रश्न सं
03

1. अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं?
2. निम्नलिखित में से कौन-से कथन समानता के अधिकार के अनुरूप नहीं हैं तथा क्यों?
 - (i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण भेदभाव का उदाहरण है।
 - (ii) एक पूर्व संघीय मंत्री को भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायालय में उपस्थित होने से छूट दी गयी है।
 - (iii) सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग सभी के लिए खुला रखा गया है।
 - (iv) रोजगार के लिये योग्यता धर्म पर आधारित है।
 - (v) राय बहादुर सोहन सिंह लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी है।
3. निम्न में से कौन-सा एक छुआछूत का एक प्रकार नहीं है?
 - (i) धार्मिक स्थानों में प्रवेश के दो दरवाजे होते हैं एक दलितों के लिये तथा दूसरा अन्यो के लिये।
 - (ii) एक व्यायामशाला में दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं है।
 - (iii) गांव के हैंडपंप का प्रयोग दलित अन्य लोगों के साथ करते हैं।
 - (iv) एक दलित वर्ग की दुल्हन को शादी के अवसर पर दुल्हन की वेशभूषा पहनने की अनुमति नहीं दी गई।

16.2.2 स्वतंत्रता का अधिकार

आप इस बात से सहमत होंगे कि स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है। मानव जाति के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्रता अपेक्षित और आवश्यक है। आप भी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हैं। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में उल्लिखित हैं। अधिकारों की निम्नलिखित

1. छः स्वतंत्रताएं – संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित छः स्वतंत्रताएं दी गयी हैं:

(अ) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(ब) शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता

(स) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता

(ड) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता

(छ) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

उपरोक्त स्वतंत्रताओं का उद्देश्य लोकतंत्र के लिए समुचित वातावरण बनाये रखना है। यद्यपि संविधान राज्य को कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है:

1. विचार अभिव्यक्ति- स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।

2. शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।

3. संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।

4. भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता तथा बस जाने की स्वतंत्रता पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।

5. कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य द्वारा कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं लगायी जा सकती हैं।

II. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण- संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

III. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण : जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

IV कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण - जैसा कि अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा प्रतिरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अविधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या व्यक्ति को तीन माह की अवधि के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं

1. क्या होगा यदि राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंधों के नाम पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे? संविधान अनुसार युक्तियुक्त प्रतिबंध के मामले का निपटारा केवल न्यायालय कर सकते हैं, सरकार नहीं।
2. विदेशियों निवासियों द्वारा केवल कुछ मूलाधिकारों का ही प्रयोग किया जा सकता है सभी का नहीं। उदाहरणार्थ कानून के समक्ष समानता का अधिकार तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं परंतु अन्य मूलाधिकार विशेष रूप से भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं।

1. भारतीय संविधान द्वारा कौन-सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गयी हैं?
2. निम्नलिखित मामलों में कौन-सी स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है?
 - (i) राज्य नीति द्वारा विशेष राजनीतिक दल के नेता को बिना किसी के सीमापार कर राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है ।
 - (ii) कामगारों को संगठित होकर अपनी मांगों को प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं देना ।
 - (iii) लोगों को अपने राज्य को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने के लिए दबाव डाला जाये ।
 - (iv) मोची के बेटे को गांव में मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाती ।
 - (v) किसी राजनीतिक दल को सार्वजनिक सभा करने की अनुमति नहीं दी जाती ।
3. अपराधों के लिए दोषसिद्धि, पुराण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के लिए संविधान में क्या उपबंध किये गये हैं ।

नीचे संविधान द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली स्वतंत्रताएं तथा राज्य द्वारा लगाये जाने वाले प्रतिबंध दिये गये हैं। स्वतंत्रता की युक्तियुक्त प्रतिबंध दिये गये हैं। स्वतंत्रता का युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ मिलान कीजिए। क्या आप मानते हैं कि ये प्रतिबंध उचित हैं? अपने विचार के पक्ष में कारण दीजिए।

स्वतंत्रताएं	युक्तियुक्त प्रतिबंध
1. विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	(अ) हिंसा को भड़काने के लिए व्यक्ति/ समूहों के भ्रमण पर प्रतिबंध
2. संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता	(ब) जुआ, वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थ के व्यापार जैसे कारोबार की अनुमति नहीं देना।
3. शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता	(स) हवाई अड्डे के पास निवास स्थान के लिए मनाही
4. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता	(द) लोगों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाली भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध
5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता	(य) आतंकवादी गतिविधियों की सहायता करने के लिए संगम के निर्माण की मनाही
6. कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता	(र) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार भाग लेना

16.2.3 शोषण के विरुद्ध अधिकार

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में कितनी तरह से शोषण किया जाता रहा है? आपने छोटे बच्चे को चाय की दुकान पर काम करते हुए देखा होगा या गरीब और निरक्षर व्यक्तियों को अमीर लोगों के घरों में जबरदस्ती काम कराते हुए देखा होगा। पारम्परिक रूप से, भारतीय समाज श्रेणियों में विभाजित रहा है जो शोषण को कई रूपों में प्रोत्साहित करता रहा है। इसलिए

संविधान में शोषण के विरुद्ध प्रावधान दिये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों को दिया गया है। ये प्रावधान निम्न हैं:

1. मानव के दुर्व्यापार तथा बलात श्रम का प्रतिषेध – मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बलात श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

क्या आप जानते हैं

1. मानव के दुर्व्यापार से अर्थ है मानव को एक वस्तु के रूप में बेचना और खरीदना। मानव व्यापार, मुख्य रूप से नव युवतियों, लड़कियाँ तथा बालकों का व्यापार एक गैर कानूनी व्यापार के रूप में आज भी जारी है।

2. पूर्व में विशेषतौर पर सामंतवादी भारतीय समाज में, गरीब तबकों तथा पददलित वर्गों के व्यक्ति जमींदारों तथा अन्य बलशाली लोगों के लिए मुआ में काम करते थे। इस तरह का चलन बेगार या बलात श्रम कहलाता था।

3. कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिषेध - जैसा कि संविधान में दिया गया है चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं लगाया जायेगा या किसी अन्य जोखिम भरे नियोजन में नहीं लगाया जायेगा। इस अधिकार का उद्देश्य भारत में युगों से चल रहे बाल श्रम जैसी प्रमुख गंभीर समस्या से छुटकारा पाना है। बच्चे समाज की परिसम्पत्ति हैं। खुशहाल बचपन तथा शिक्षा प्राप्त करना उनका आधारभूत अधिकार है। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। तथा आपने भी देखा होगा कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अनेक स्थानों पर बालश्रम की समस्या आज भी देखी जा रही है। इस दुर्भावना को विरोध में जनमत के आधार पर ही दूर किया जा सकता है।



चित्र 16.3 जोखिम भरी परिस्थिति में काम करते हुए बच्चे

चित्र 16.3 जोखिम भरी परिस्थिति में काम करते हुए बच्चे

गोनू और सोनू जो क्रमशः 9 व 11 साल के हैं, झारखण्ड के एक दूरवर्ती गांव से हैं। उनके पिता ने उनको दो-दो हजार रुपये में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के एक चूड़ी निर्माता को बेच दिया। उन्हें वहाँ बहुत ही अस्वास्थ्यकर तथा संकटमय परिस्थितियों में पहले से काम कर रहे अन्य बच्चों के साथ जबरन काम पर लगाया गया। उनको पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था, न ही सोने के लिए पर्याप्त समय। यदि उनको कोई चोट लग जाती अथवा जल जाते या बीमार हो जाते तो भी उनको मारा जाता, उत्पीड़ित किया जाता तथा बलपूर्वक 18-20 घण्टे तक काम करवाया जाता था। कुछ बच्चे जो वहाँ से बचकर भाग गये वे अन्य शहरों में भीख मांगने, चोरी कने अथवा अन्य छोटे कामों में लग गये। उनकी हमेशा इच्छा रही कि वे अपने माता-पिता से मिलें परंतु वे ऐसा कभी नहीं कर पाये।

समाचार पत्र में छपी उपरोक्त कहानी को पढ़िये तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. इस कहानी में कौन-से मूलाधिकारों का उल्लंघन हुआ है?
2. उन माता-पिता के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को बेच दिया अथवा ऐसी परिस्थितियों की तरफ धकेल दिया?

3. बच्चों को ऐसे शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए?

चूड़ी फैक्ट्री में लंबे समय तक काम कर रहे गोनू तथा सोनू की जगह अपने आप क रखिये। सहायता पाने के लिये तथा अपनी परिस्थितियों में बदलाव के लिए आप क्या कर सके हैं?

16.2.4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तावना के एक उद्देश्य के रूप में “नागरिकों के लिए विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने” की घोषणा की गयी है। चूंकि भारत में अनेक धर्म हैं, जहाँ हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य समुदाय साथ-साथ रहते हैं, संविधान में भारत को ‘पंथनिरपेक्ष राज्य’ घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। परंतु नागरिकों को अपनी पसंद से किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता दी गयी है। परंतु इससे अन्य लोगों के धार्मिक विश्वासों अथवा आराधना पद्धतियों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह स्वतंत्रता विदेशियों को भी प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 25-28 में उपबंध किये गये हैं :

1. अन्तःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबोध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता : सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबोध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि बल पूर्वक अथवा लालच देकर किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का धर्म परिवर्तन कराया जाये। साथ ही, कुछ अमानवीय, गैरकानूनी तथा अंधविश्वासी चलन पर रोक लगा दी गयी है।

देवी-देवताओं तथा किसी आलौकिक शक्तियों को प्रसाद स्वरूप पशुबलि या नरबलि जैसे चलन पर रोक लगा दी गयी है। इसी तरह, सती प्रथा के नाम पर विधवा को अपने पति के शव के साथ (इच्छा से अथवा बलपूर्वक) जिंदा जलाने पर भी रोक लगा दी गयी है। विधवाओं के दूसरी शादी की अनुमति नहीं देना अथवा सिर का मुण्डन करना अथवा सफेद कपड़े पहनने पर मजबूर करना अन्य सामाजिक बुराई है जो धर्म के नाम पर बलपूर्वक की जा रही है। ऊपर उल्लेखित प्रतिबंधों के अलावा राज्य के पास धर्म से जुड़ी हुई आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य पंथनिरपेक्ष गतिविधियों को संचालित करने की शक्ति होती है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर राज्य द्वारा इस अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाये जा सकते हैं।

2. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता : लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को (क) धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और संचालन का (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का (ग) चल-अचल सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और (द) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।

3. किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए करें के भुगतान बारे में स्वतंत्रता : किसी भी व्यक्ति को ऐसे करो का भुगतान करने के बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या संचालन पर व्यय करने के लिए विशेष तौर पर उपयोग किया जाय।

4. कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता : पूर्णतः राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। यद्यपि यह ऐसी शिक्षा संस्था में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किन्तु जो किसी ऐसे न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। परंतु राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह नाबालिग है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।

1. 'शोषण के विरुद्ध अधिकार' को मूलाधिकार बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2. निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए:
(अ) बिना किसी भुगतान के किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करना
(ब) मानव खरीद फरोक्त
3. आपके पड़ोस में वास्तविक जीवन में किये जा रहे शोषण की किन्हीं चार स्थितियों का उल्लेख कीजिए।

16.2.5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

भारत संस्कृति, लिपि, भाषा एवं धर्मों की विविधता लिये हुए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जैसा कि हम जानते हैं लोकतंत्र बहुमत का शासन है। परंतु इसके सफलता पूर्वक संचालन के लिए अल्पसंख्यक भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और धर्म का संरक्षण भी आवश्यक भी आवश्यक हो जाता है ताकि बहुमत के शासन के प्रभाव में अल्पसंख्यक उपेक्षित और कमजोर महसूस न कर सकें। चूंकि लोग अपनी संस्कृति तथा भाषा पर गर्व महसूस करते हैं, इसलिए एक विशेष अधिकार जिसे सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, मूलाधिकार अध्याय में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 29-30 में इस संबंध में प्रावधान किये गये हैं?

1. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण : किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।
2. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार : धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि

द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खण्ड के प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाये। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

क्या आप जानते हैं

राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का अर्थ अल्पसंख्यक नहीं है। राज्य स्तर पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सिख पंजाब में बहुसंख्यक है परंतु वे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। इसी तरह तेलगू कन्नड़ तथा बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग भारत के अधिकांश राज्यों में अल्पसंख्यक हैं परंतु अपने स्वयं के राज्यों अर्थात् आंध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिमी बंगाल में नहीं।

16.2.6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार

चूंकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, इसी तरह वे प्रत्याभूत हैं। ये प्रवर्तनीय हैं, यदि किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है। तो वह सहायता के लिए न्यायालय में जा सकता है। परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में मूलाधिकारों का अतिक्रमण और उल्लंघन एक विचारणीय विषय बन गया है। यही कारण है कि हमारा संविधान विधायिका तथा कार्यपालिका

को इन अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देता। संविधान हमारे मूलाधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपचार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उल्लिखित उसे संवैधानिक उपचारों अधिकार कहा जाता है। यदि हमारे किसी मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय द्वारा न्याय की मांग कर सकते हैं। हम सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं जो इन मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश अथवा रिट जारी कर सकता है।

16.2.7 शिक्षा का अधिकार (आर.टी.आई.)

शिक्षा अधिकार वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूलाधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया। लंबे समय से उसका मांग की जा रही थी ताकि 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चे (और उनके माता-पिता) मूलाधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का दावा कर सकें। देश का निरक्षरता से मुक्त करने की दिशा में उठाया गया यह एक बड़ा कदम है। परंतु इसे जोड़ा जाना अर्थहीन बना रहा, क्योंकि 2009 तक इसे लागू नहीं किया जा सका। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के उन सभी बच्चों को जो भारत में स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें स्कूलों तक लाना तथा उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जो कि उनका अधिकार है, सुनिश्चित करना है।

पाठगत प्रश्न 16.4

1. संविधान द्वारा प्रत्याभूत प्रमुख सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कौन-से हैं?

2. दिल्ली में निवास कर रहे तमिल, कन्नड़, तथा तेलगु बोलने वाले लोग बहुत से अल्पसंख्यक समुदायों में से हैं। अपनी विशिष्ट भाषा तथा संस्कृति संरक्षण के लिए वे क्या कर सकते हैं?

3. सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थितियां नहीं आती हैं।

(अ) अपनी विशिष्ट भाषा को संरक्षित करना

(ब) अल्पसंख्यकों को निधि उपलब्ध कराने में किसी तरह का भेदभाव न किया जाना

(स) अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने का अधिकार

(द) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों में बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्रवेश देना चाहिए।

4. “संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे प्रमुख मूल अधिकार है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

16.3 मानवाधिकारों के रूप में मूल अधिकार

आप यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए मूल अधिकार वास्तव में बहुत आवश्यक हैं। हम यह भी जानते हैं कि अच्छा परिवेश, अच्छी जीवन दशाएं तथा मानवीय गरिमा के संरक्षण के लिए मानव हमेशा से ही अन्याय, उत्पीड़न तथा असमानता के विरोध में संघर्षमय रहा है। सभी मानवों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयास किये गये हैं जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया तथा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणापत्र में सुनिश्चित किया जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। कुछ मानवाधिकार हैं: कानून के समक्ष समता, भेदभाव से मुक्ति, जीवन, स्वतंत्रता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार, अबाध भ्रमण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शादी एवं परिवार बनाने का अधिकार, विचारों, अन्तःकरण तथा धर्म की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन और संघ बनाने का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार आदि। यदि आप उपरोक्त अधिकारों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करेंगे तो महसूस करेंगे कि ये मानवाधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं।

यही कारण है कि इनको भारतीय संविधान के मूलाधिकारों के अध्याय में स्थान दिया गया है। कुछ मानवाधिकार जो मूलाधिकारों के अध्याय में उल्लेखित नहीं हैं उन्हें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया ताकि इन अधिकारों को भारतीय नागरिकों के लिए प्रत्याभूत किया जा सके।

क्या आप जानते हैं

मानव अधिकार सार्वभौमिक, मूलभूत और पूर्ण हैं: सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि ये सर्वत्र सभी मानवों से संबंधित है; मूलभूत इसलिए क्योंकि ये अपरिहार्य हैं; पूर्ण इसलिए क्योंकि ये वास्तविक जीवन के आधार हैं।

1. मूल कर्तव्य

मूल अधिकारों को जान लेने के बाद, आपने महसूस किया होगा कि प्रत्येक अधिकार के एवज में नागरिकों से समाज भी कुछ आशा करता है जिन्हें सामूहिक रूप से मूल कर्तव्य कहा जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किये गये हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया था। यह आशा की गयी थी कि स्वतंत्र भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन अपनी इच्छा से करेंगे। परंतु जैसी आशा की गयी थी वैसा हुआ नहीं। इसलिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 51अ में दस मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। यद्यपि जहाँ मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, वहीं मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाये गये हैं। इसका अर्थ है कि मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर अर्थात् मौलिक कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किये जाने पर नागरिकों को दण्डित नहीं किया जायेगा। निम्नलिखित दस मूल कर्तव्य संविधान में दिये गये हैं-

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वे -

- (क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करें।
- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
- (घ) देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
- (च) हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें।
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें।
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त 2009 में शिक्षा में अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद एक नया कर्तव्य और जोड़ा गया है। “प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बालक या प्रतिपाल के लिए 6-14 वर्ष के आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करें।”

16.3.1 मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति

ये कर्तव्य प्रकृति से आचार संहिता हैं। चूंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, अतः इनके पीछे कोई कानूनी अनुशास्ति नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे, इनमें कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए मिश्रित संस्कृति, गौरव शाली परम्परा, ‘मानववाद’ अथवा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष आदि का अर्थ एक सामान्य नागरिक की समझ से परे है। वे इन कर्तव्यों के महत्व को तभी समझ सकते हैं जब इनको स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया जाये।

वर्तमान सूची की भाषा को स्पष्ट करने तथा उन्हें यथार्थवादी एवं अर्थवान बनाये जाने और साथ ही कुछ आवश्यक और यथार्थवादी कर्तव्यों को जोड़ने के लिए संशोधन की मांग समय-समय पर की जाती रही है। जितना संभव हो सके इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी बनाया जाना चाहिए।

क्या आप जानते हैं

1. बच्चों का उचित पालन-पोषण तथा माता-पिता की वृद्धावस्था में उचित देखभाल को 1977 में सोवियत संविधान की मूल कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया था।
2. बच्चों को शिक्षित करने, सार्वजनिक कल्याण में दखल न देने, कर अदा करने तथा काम का अधिकारों जैसे कर्तव्य जापान के संविधान में जोड़े गये हैं।

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों पर कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय प्रलेख तैयार किया और पारित किया?
2. ऐसे चार मूल अधिकारों की सूची बनाएं जो मानव अधिकार भी हैं।
3. निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिये और प्रत्येक चित्र से जुड़े हुए संबंधित एक मूल कर्तव्य को और उस की सूची बनाइये।



चित्र में सम्मिलित हैं: (अ) पत्ते रहित पेड़, गिरे हुए पेड़, मृत पशु आदि। (ब) कुछ जर्जर स्मारक (स) इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिन्दुस्तान अमर रहे जैसे इशतहारों के साथ जुलूस में कूच करते लोग। (द) सीमा की चौकसी अथवा गश्त करता हुआ सैनिक (य) विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल।

4. यदि आप स्वतंत्रता दिवस पर चार मूल कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो आप के अनुसार वे चार कौन से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं और क्यों?

आपने क्या सीखा

- अधिकार व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे दावे हैं जो उसके स्वयं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा राज्य या समाज द्वारा मान्यताप्राप्त है। कर्तव्य व्यक्ति से नैतिक और कानूनी दायित्वों सहित, किन्हीं कारणों के कुछ करने की अपेक्षा करते हैं। अधिकार तथा कर्तव्य अन्योन्याश्रित हैं।
- जहां समाज द्वारा सभी अधिकारों को मान्यता दी जाती है, राज्य द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकृति दी जाती है जिनका संविधान में उल्लेख किया जाता है, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं।
- संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को निम्न छः मौलिक अधिकार प्रत्याभूत किये गये हैं:

(i) समता का अधिकार (ii) स्वतंत्रता का अधिकार (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (v) सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार तथा (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल अधिकार यद्यपि सार्वभौमिक हैं परंतु संविधान में इनके कुछ अपवाद तथा प्रतिबंध दिये गये हैं।

- संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया गया तथा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषण पत्र सुनिश्चित किया गया। इनमें से अनेक

मानवाधिकारों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारी में स्थान दिया गया है ताकि इनका कार्यान्वयन सरकार का कानूनी कर्तव्य बन सके। ऐसे मानवाधिकारों, जिनका समावेश मूलाधिकारों में नहीं हो सका, उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाविष्ट किया गया है।

- 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 51 अ में दस मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों के विपरीत, जो कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। इसका अर्थ है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर अर्थात् ठीक से पालन नहीं किये जाने पर नागरिकों को दण्डित नहीं किया जायेगा।

हमारे दैनिक जीवन में मूलाधिकारों के महत्व की व्याख्या कीजिए। किस मूल अधिकार को आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं तथा क्यों?

2. संविधान द्वारा हमें प्रत्याभूत छः मूल अधिकारों को लिखिए।

3. शिक्षा का अधिकार भारत में निरक्षरता को दूर करने में कहां तक सक्षम होगा? व्याख्या कीजिए।

4. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

5. स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाये गये किन्हीं तीन प्रतिबंधों पर प्रकाश डालिये। आप के मत में क्या प्रतिबंध न्यायसंगत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

6. क्या आप सहमत हैं कि भारत के संविधान में मूलाधिकारों में मानवाधिकार परिलक्षित होते हैं?
7. संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य क्या हैं? आपके मत में इनमें से कौन से अधिक महत्वपूर्ण हैं और क्यों?
8. निम्नलिखित कथनों को पढ़िये : इनमें से सही कथनों की पहचान कीजिये तथा जो कथन ठीक नहीं है उनमें आवश्यक परिवर्तन कर पुनः लिखिए ।
- सरकार की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है ।
 - प्रत्येक सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय धार्मिक शिक्षा दे सकता है ।
 - किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान के छात्र धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किये जा सकते ।
 - बहु-धार्मिक राज्य के रूप में भारत किसी धर्म के पक्ष में विशेषाधिकार अथवा पक्षपात कर सकता है ।
 - महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा कर-अधिभार लगाया जा सकता है ।
 - उपासना के स्थलों का निर्माण कहीं भी किया जा सकता है चाहे उनसे राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं प्रभावित ही क्यों न होती हैं ।
9. कॉलम 'अ' में दिये हुए अधिकारों के साथ कॉलम 'ब' में दिये गये संबंधित कर्तव्यों का मेल कीजिए ।

‘अ’

‘ब’

(अ) संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है ।

(क) यह हमारा कर्तव्य है कि अन्य लोगों को उनके प्रयोग के लिए मना न करें ।

(ब) यदि हमें अपनी पसंद के धर्म को मानने का अधिकार है तो;

(ख) यह हमारा कर्तव्य है कि हम नियमों का पालन करें तथा अनुशासन बनायें रखें ।

(स) यदि हमें सार्वजनिक उद्यान, कुआं अथवा तालाब का प्रयोग करने का अधिकार है तो

(ग) यह दूसरों का कर्तव्य है कि वे हमें न मारें तथा कोई हानि न पहुंचाये ।

(द) यदि हमें जीवन का अधिकार है तो;

(घ) यह हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी उनके धर्म को मानने के लिए अनुमति दें ।

(च) यदि हमें शिक्षा का अधिकार है

(ङ) हमें यह याद रखना चाहिए

तो

तथा दूसरों की भावनाओं को ठेस न
पहुँचाएं ।

परियोजना

अपने पड़ोस तथा आसपास के स्थानों का सर्वेक्षण करें तथा भिक्षावृत्ति या कचरा उठाने जैसे छोटे-मोटे कार्य करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के 3-5 बच्चों की पहचान कीजिये । उन कारणों की पहचान

कीजिए जिनकी वजह से आज वे इन हालात में है। अपने निरीक्षण के आधार पर तथा अपने से बड़ों के साथ अथवा कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ की गयी चर्चा के आधार पर निम्न तालिका को भरें।

बच्चे क्र.स. का नाम	कठिन परिस्थितियों में जिसके माध्यम से मैं/ आप उनकी डालने वाले कारक सहायता कर सकते हैं।

1.

2.

3.

4.

5.

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

1. अधिकार व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे दावे हैं जो उसके स्वयं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कर्तव्य व्यक्ति से कुछ किये जाने की आशा रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य अन्योन्याश्रित हैं। यदि अधिकारों एवं कर्तव्यों का ठीक से पालन किया जाये तो जीवन आसान बन जाता है तथा ये एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अधिकार वे हैं जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किये जाने की आशा करते हैं जबकि कर्तव्य वे कार्य हैं जो हम दूसरों के प्रति करते हैं। इस तरह अधिकार, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्वों के साथ मिलते हैं। वे दायित्व जो अधिकारों के साथ जुड़े हैं कर्तव्यों के रूप में होते हैं।

2. (i) क्योंकि आरक्षण का उपबंध भेदभाव का कारण नहीं है

(ii) क्योंकि कानून के समक्ष सभी समान हैं तथा व्यक्ति की स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

(iii) समानता के अधिकार के अनुरूप है।

(iv) क्योंकि किसी भी दशा में धर्म को रोजगार का आधार नहीं माना जाता है।

(v) क्योंकि भारत के संविधान में सभी पदवियों को समाप्त कर दिया गया है। श्रीमान सोहन सिंह राय बहादुर की पदवी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

3. (iii) दलित वर्ग के लोग अन्य व्यक्तियों के साथ गांव के हैंडपंप का प्रयोग कर सकते हैं।

16.2

1. (क) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता

(ग) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता

(छ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता

(ड) भारत के किसी राज्यक्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता

(घ) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

2 (i) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता

(ii) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता

(iii) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता

(iv) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

(v) शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता

3. अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 22 ।

16.3

1. पारंपरिक रूप से भारतीय समाज श्रेणियों में विभाजित रहा है जिसने अनेक रूपों में शोषण को बढ़ावा दिया । यहाँ कारण है कि संविधान में शोषण के विरोध में प्रावधान किये गये हैं ।

2. (अ) बेगार

(ब) मानव-व्यापार

3. अपने अनुभवों के आधार पर जीवन की परिस्थितियों का उल्लेख करें जैसे चाय की दुकान पर काम करता हुआ 10 साल का बालक ।

16.4

1. संविधान में अनुच्छेद 29-30 में ही प्रमुख उपबंध किये गये हैं: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण तथा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ।

2. कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, को इसे संरक्षित करने का अधिकार है ।

3. (द) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों में बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्रवेश देना चाहिए।

4. मूल अधिकारों का अतिक्रमण और उल्लंघन हमारे दैनिक जीवन का एक विचारणीय विषय बन गया है। यही कारण है कि हमारा संविधान विधायिका तथा कार्यपालिका को इन अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देता है। यह अधिकार हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपचार प्रदान करता है। इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है।

16.5

1. संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1948 ई. में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया तथा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र सुनिश्चित किया है।

2. समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तथा संस्कृति वे शिक्षा संबंधी शिक्षा अधिकार।

3. (अ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ब) हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें।

(स) संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

(द) देश की रक्षा करें तथा आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

(य) भारत के सभी लोगों में समरूपता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।

4. (अ) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

(ब) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।

(स) भारत के सभी लोगों में समरूपता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।

(ड) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।

ये मौलिक कर्तव्य संविधान की मूल भावना तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्राप्य लक्ष्यों पर केन्द्रित हैं।

रामकृष्णन तथा उसका दोस्त अब्दुल चेन्नई से आ रहे थे। दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे। जब वे किराए पर टैक्सी लेने के लिए सड़क पार कर रहे थे रामकृष्णन को साइकिल रिक्सा ने टक्कर मार दी। उसे इलाज के लिए तुरन्त ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहाँ डॉ. निर्मला इनके मामले को देख रही थी। चिन्तित अब्दुल ने रामकृष्णन के चाचा को फोन कर दिया तथा उसने अपने परिवार को भी सूचित कर दिया। लगभग 1 घण्टे के बाद डॉ. निर्मला ने अब्दुल से कहा कि चिन्ता की कोई बात नहीं है क्योंकि रामकृष्णन कोई गम्भीर चोट नहीं आई है। तब तक रामकृष्णन के चाचा भी पहुँच चुके थे तथा रामकृष्णन को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। अब्दुल ने गौर किया कि डॉक्टर ने अपनी चिकित्सकीय जाँच के लिए कुछ नहीं लिया तथा दवाइयों के लिए भी नाममात्र का शुल्क लिया गया। उसने रामकृष्णन के चाचा से इसके बारे में पूछा कि यह कैसे सम्भव है? रामकृष्णन के चाचा जो कि एक अध्यापक है, ने कहा कि भारत जैसे कल्याणकारी राज्यों में यह सब करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब अब्दुल के सामने बुनियादी प्रश्न खड़ा हुआ, कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ होता है? आपने भी इसके बारे में समाचार-पत्र अथवा पत्रिका में पढ़ा है या दूरदर्शन पर चर्चा सुनी होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है, तो राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का सन्दर्भ दिया जाता है। क्यों? अब्दुल की तरह, आपके मन में भी अनेक प्रश्न उठते होंगे। इस पाठ में हम भारत के कल्याणकारी राज्य के अनेक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे तथा समझेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- कल्याणकारी राज्य के अर्थ का विश्लेषण कर सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि कैसे भारत एक कल्याणकारी राज्य है;
- भारत के संविधान में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के समावेश के कारकों की पहचान कर पाएँगे;

- भारत के कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को उपलब्ध कराने में नीति-निदेशक तत्वों के महत्व की समीक्षा कर सकेंगे;
- विभिन्न नीति-निदेशक तत्वों की पहचान कर सकेंगे तथा उन्हें वर्गीकृत कर पाएंगे;
- राज्य के नीति-निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के बीच अन्तर कर पाएंगे; और
- कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को साकार करने के लिए नीति-निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण कर सकेंगे ।

17.1 कल्याणकारी राज्य क्या है?

बुनियादी प्रश्न का उत्तर पाना आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य क्या है? जैसाकि हमने देखा, भारत को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। विश्व में और भी राष्ट्र हैं, जिन्हें कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। उन्हें ऐसा माना जाता है जबकि अन्यो को नहीं माना जाता। कल्याणकारी राज्य का अर्थ है? यह एक सरकार की ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा धन के उचित वितरण के सिद्धान्तों पर आधारित होता है। यह ऐसे लोगों के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व पर केन्द्रित रहता है, जिन्हें अच्छा जीवन जीने के न्यूनतम साधन भी उपलब्ध नहीं। इस व्यवस्था में नागरिकों का कल्याण की जिम्मेदारी राज्य की होती है। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत एक कल्याणकारी राज्य नहीं था। ब्रिटिश शासन की रुचि लोगों के कल्याण की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने में नहीं थी। उसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता था, वह भारत के लोगों के हित में नहीं, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता था।

“भारतीय संविधान के तीसरे भाग में सम्मिलित किए गए मूल अधिकार यह गारंटी प्रदान करते हैं कि सभी भारतीय नागरिक उन नागरिक स्वतन्त्रताओं तथा मूलभूत अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो इनके सामने असंख्य समस्याएँ तथा चुनौतियाँ थीं। सामाजिक तथा आर्थिक सर्वव्यापी थी। आर्थिक रूप से भारत की हालत अत्यन्त दयनीय थी। सामाजिक दृष्टि से भी भारत में अनेक समस्याएँ थीं। व्यापक सामाजिक असमानता थी तथा समाज के कमजोर वर्ग जैसे महिलाएँ, दलित, बच्चे जीवन यापन के बुनियादी साधनों से भी वंचित थे। संविधान निर्माता इन समस्याओं से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को

एक “सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य” वर्णित किया गया है। तदनुसार, संविधान में भारत के लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस सम्बन्ध में दो विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, एक मूल अधिकार के रूप में तथा दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। ये नागरिक स्वतन्त्रताएँ देश के किसी अन्य कानूनों से श्रेष्ठ हैं। ये सामान्यतः उदार लोकतान्त्रिक देशों के संविधानों में सम्मिलित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं : कानून के समक्ष समानता, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सम्मेलन करने और संघ बनाने की स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

परन्तु यह सब पर्याप्त नहीं थे । भारत के नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसरों की भी जरूरत थी । यही कारण है कि भारत के संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समावेश किया गया ।

1. कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं?
2. संविधान निर्माताओं ने भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्णय क्यों लिया?
3. भारतीय समाज के कम-से-कम दो वर्गों का नाम लिखिए जो प्रचलित सामाजिक आसमानताओं के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित थे।

जैसा कि हमने “मूलाधिकार तथा मौलिक कर्तव्य” पाठ में देखा, भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक अधिकार मुख्यतः राजनीतिक अधिकार हैं। संविधान निर्माता इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यदि सभी अधिकार को सही मायने में लागू कर दिया जाए तब भी भारत के लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के दिए बिना भारतीय लोकतन्त्र के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन वे उस समय भारत राज्य की कमजोरियों को भी जानते थे। उन्हें पता था कि भारत को सदियों के विदेशी शासन के बाद आजादी मिली थी। भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर बड़ा ही निम्न था। उस स्थिति में यदि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया जाता तो भारत राज्य अपनी कुछ सीमाओं के कारण इनको लागू करने में सफल नहीं हो पाता। परन्तु इन अधिकारों को विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता भी थी। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के नाम से एक अलग अध्याय भाग-चार जोड़कर उस आवश्यकता की पूर्ति की गई।

17.2.1 विशेषताएँ

राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश हैं। कानूनों और नीतियों के निर्माण के समय सरकारों द्वारा इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सही है कि भारतीय संविधान के ये प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि ये किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। परन्तु ये सिद्धान्त देश की सरकारों के लिए मूलभूत माने गए हैं। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि देश में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए बनाए जाने वाले कानूनों के निर्माण में इन सिद्धान्तों को लागू करे। ये सिद्धान्त आयरलैण्ड के संविधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धान्तों तथा गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं।

इन सिद्धान्तों का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है जिनके अन्तर्गत सभी नागरिक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। दूसरे शब्दों में, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है। ये सिद्धान्त आम लोगों के हाथों में

एक मानदण्ड की तरह है, जिनके द्वारा लोग इन उद्देश्यों में सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को माप सकें। कार्यकारी एजेंसियाँ इन सिद्धान्तों से निर्देशित होती हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी विभिन्न मामलों पर निर्णय करते समय इनको ध्यान में रखना होता है।

क्या आप जानते हैं

1. राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक सूचीबद्ध किए गए हैं।
2. एक नया निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार और देश के वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा के विषय में राज्य के कर्तव्य का उल्लेख करता है।

1. खाली स्थान भरिए :

(क) राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का उद्देश्य भारत को एक — राज्य बनाना है ।

(ब) ये सिद्धान्त भारत की — के लिए दिशा-निर्देश हैं, जिनको उन्हें कानून तथा नीतियों के निर्माण के समय ध्यान में रखना है ।

(स) निदेशक सिद्धान्तों का विचार — के संविधान से लिया गया है ।

(द) नीति निदेशक तत्वों का सम्बन्ध — से है ।

2. क्या आप यह मानते हैं कि यदि भारतीय संविधान राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को सम्मिलित नहीं करता तो यह लोकतन्त्र के बुनियादी सिद्धान्तों को प्रतिबिम्बित करने में असफल रहता । कारण बताएँ ।

17.2.2 निदेशक तत्वों के प्रकार

यदि आप संविधान में दिए गए निदेशक सिद्धान्तों को पढ़ेंगे तो पाएँगे कि ये विभिन्न प्रकार के हैं । कुछ सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित हैं तो कुछ गांधीवादी विचारों से तथा कुछ विदेश नीति से सम्बन्धित हैं । संविधान द्वारा इनको विभिन्न श्रेणियाँ में नहीं बाँटा गया है, परन्तु बेहतर समझ के लिए हम उन्हें निम्नलिखित श्रेणियाँ में वर्गीकृत कर सकते हैं:

1. सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त;

2. गांधीवाद विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त;

3. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धित सिद्धान्त; और विविध सिद्धान्त ।

सामाजिक तथा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र के लक्ष्यों को साकार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ।

भारत में बहुत से लोग सदियों से सामाजिक तथा आर्थिक असमानता से पीड़ित रहे हैं। विशेषतः निम्नलिखित सिद्धान्तों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना है:



चित्र 17.1 सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ

चित्र 17.1 सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ

1. राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
2. राज्य द्वारा देश के भौतिक संसाधनों का सामान्य हित में न्यायसंगत वितरण किया जाना चाहिए।
3. राज्य द्वारा सम्पदा का वितरण इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे सम्पदा का केन्द्रीयकरण कुछ हाथों में न हो।
4. पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए।
5. राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए।
6. राज्य को उद्योगों के प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।
7. बच्चों और नवयुवकों की शोषण से रक्षा की जानी चाहिए। पुरुष, स्त्री तथा बच्चे आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसी नौकरियों एवं ऐसे रोजगार में न पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।
8. राज्य को लोगों के लिए (अ) काम का अधिकार (ब) शिक्षा का अधिकार (स) बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता जैसे मामले में राज्य सहायता प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए।
9. राज्य को कामगारों के लिए काम की मानवीय दशाएँ तथा महिलाओं के लिए प्रसूति राहत को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना चाहिए।

नीचे दी गई स्थिति का अध्ययन कीजिए तथा उसके अनुसार दिए गए क्रिया-कलापों को कीजिए ।
एक फैक्टरी है जिसमें स्त्री तथा पुरुष साथ-साथ काम कर रहे हैं तथा एक ही काम को समान
समयावधि में कर रहे हैं । परन्तु मालिक स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक वेतन देता है ।

उपरोक्त मामले में जिस निदेशक तत्वों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, उसको लिखिए ।

एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र के सम्पादक को एक पत्र लिखिए कि यह घटना किस तरह से कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तों के विरुद्ध है ।

(ब) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

गांधीवादी विचार अहिंसक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं । स्वराज (स्व-शासन), सर्वोदय (सभी का कल्याण) स्वावलम्बन (आत्मनिर्भरता) आदि गांधीवादी विचारधारा के मूल सिद्धान्त हैं । हम सब यह जानते हैं कि महात्मा गांधी स्वतन्त्रता आन्दोलन में अग्रणी थे । उनका दर्शन तथा उनके कार्यों ने केवल स्वतन्त्रता आन्दोलन का ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण का भी मार्गदर्शन किया । निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी विचारधारा प्रतिबिम्बित होती हैं

1. राज्य समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा ।
2. राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा । इन पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दिया जाना चाहिए, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों ।
3. राज्य मादक पदार्थों तथा अन्य हानिकारक औषधियों आदि के सेवन को रोकने का प्रयास करेगा ।
4. राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा ।
5. राज्य पशुधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाएगा तथा गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाएगा ।

1. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। कम-से-कम किसी एक ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय शहरी निकाय

के कार्यकाल में जाएँ और पता लगाएँ कि क्या ये प्रावधान पूरे हो रहे हैं। नीचे दी गई तालिका में अपनी टिप्पणी लिखिए :

पंचायत नगर विकास कार्यालय में महिला प्रतिनिधियों की प्रतिनिधियों की कुल संख्या कुल संख्या

2. किन्ही दो महिला प्रतिनिधियों से बात कीजिए तथा नीचे दी गई तालिका को भरिए।

	निर्वाचित प्रतिनिधि 1	निर्वाचित प्रतिनिधि 2

उनके द्वारा अपने क्षेत्र में लाए गए 3 सकारात्मक परिवर्तन	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.

कार्य के दौरान उनके द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.

(स) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त

संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ ऐसे सिद्धान्तों का समावेश भी किया गया है जो हमारी विदेश नीति सम्बन्धी मामलों में हमें दिशा-निर्देश देते हैं। ये हैं :

1. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
2. राज्य अन्य राष्ट्रों के न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का प्रयास करेगा।
3. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों के प्रति आदर भाव विकसित करेगा।
4. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा अर्थात् पारस्परिक समझौतों द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा।

(द) विविध सिद्धान्त

इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निदेशक तत्व ऐसे हैं जो उपरोक्त श्रेणियाँ में से किसी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ये हैं :

1. राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा।

2. राज्य राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं के रखरखाव और संरक्षण के लिए कदम उठाएगा ।
3. राज्य पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।
4. राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए कदम उठाएगा ।

1. राज्य नीति निदेशक तत्त्वों की प्रमुख श्रेणियों उल्लेख कीजिए ।
2. निम्नांकित तालिका में दिए गए नीति निदेशक सिद्धान्तों को उनकी उचित श्रेणी के साथ मिलाइए ।

क्र.सं.निदेशक सिद्धान्त

श्रेणी

अ.	राज्य अपने लोगों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करेगा ।
ब.	राज्य न्याय पालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा ।
स.	राज्य अन्य राष्ट्रों के साथ न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने के प्रयास करेगा ।
द.	राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा ।
य.	पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए ।
र.	राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा ।

17.3 राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार

जैसाकि आप जानते हैं, नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मूलाधिकारों का भी यही उद्देश्य है, परन्तु दोनों में कुछ मूलभूत अन्तर हैं।

प्रथम, नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय लागू नहीं करा सकते। इनके कार्यान्वयन के लिए सरकार पर कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं है। मूल अधिकार के पीछे न्यायालय की शक्ति है। नागरिकों को मूल अधिकारों के लिए मना नहीं किया जा सकता। ये उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायलयों द्वारा संरक्षित हैं।

द्वितीय, ये सिद्धान्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य को केवल निर्देश मात्र देते हैं। इस तरह नीतियाँ लोककल्याणकारी राज्य को केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं। इस

तरह की नीतियाँ लोककल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में हैं। मूल अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं तथा राज्य नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बाध्य है।

तीसरा, संविधान में निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों के बाद स्थान दिया गया है। इसका अर्थ है कि मूल अधिकारों का महत्व निदेशक सिद्धान्तों से अधिक है।

लेकिन तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के पीछे वैसा संवैधानिक समर्थन नहीं है, जैसा मूल अधिकारों के पीछे है, फिर भी निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं की जा सकती। निदेशक सिद्धान्तों के क्रियान्वयन से सरकार की विश्वसनीयता तथा लोकप्रियता बढ़ती है। ऐसा होने से को पुनः सत्ता पाने में मदद होती है। साथ ही, मूल अधिकार तथा निदेशक सिद्धान्तों के उद्देश्य एक समान ही हैं। ये एक नहीं बल्कि पूरक हैं। मौलिक अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतन्त्र को मूर्तरूप देते हैं वहीं निदेशक सिद्धान्त सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करते हैं। निदेशक सिद्धान्तों की ताकत सतर्क जनमत से उत्पन्न होती है। अधिकांश नागरिकों द्वारा समर्थित नीतियाँ सामान्यतः बड़े ही उत्साह के साथ कार्यान्वित की जाती हैं। कोई भी सरकार जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती है। हममें से प्रत्येक जनमत के वाहक हैं। अच्छा होगा यदि आप ऐसे निदेशक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं।

क्या आप जनते हैं

शहजाद खान तथा सीमा धानू राजस्थान में जयपुर के निकट एक गाँव में बाल पंचायत के नाम से जाने जाने वाले युवा लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हैं। इस समूह ने सामाजिक विकास के लिए उत्प्रेरक होने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। युवा लोगों का यह समूह विविध मुद्दों पर कार्य करता है जैसे सफाई, शिक्षा का अधिकार, उनके गाँव तथा पड़ोसी गाँव की लड़कियों के अधिकार आदि। वे बालश्रम को रोकने लिए कटिबद्ध हैं। इसके लिए उन्होंने परिवारों, पंचायतों तथा प्रखण्ड प्रशासन के साथ मिलकर नौकरी कर रहे बच्चों को वापस स्कूल भेजने में सहायता कर रहे हैं। हाल ही में, गाँव के बच्चों के जीवन के सम्बन्ध में शहजाद राजस्थान के मुख्यमन्त्री से भी मिला था।

इस उदाहरण से संकेत मिलता है कि हममें से प्रत्येक कोई आवाज उठा सकता है और समाज की बेहतरी के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने के लिए बाध्य कर सकता है।

17.4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन

आपकी यह जानने में रूचि होगी कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इन तत्वों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं क्या आपने भारत के सभी राज्यों में सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एक विशाल कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान के विषय में सुना होगा। आपने भारतीय संसद द्वारा पारित अधिकार अधिनियम-2009 के विषय भी सुना होगा। ये सब निदेशक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम हैं। कुछ राज्यों जैसे बिहार, मध्य

प्रदेश आदि ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित कर दी है। ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि यद्यपि निदेशक सिद्धान्तों के पीछे कानूनी बल नहीं है और राज्य के ऊपर इनके कार्यान्वयन के लिए कोई बन्धन नहीं है, तब भी सरकार द्वारा इन सिद्धान्तों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यान्वित किए गए कुछ सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:

- रोजगार के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय की जा चुकी है।
- स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सम्बन्धी अधिनियम बनाया जा चुका है।
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम (मा.गां.रा.ग्रा.का) तथा स्वर्ण जयन्ति ग्राम रोजगार योजना इसके उदाहरण हैं।
- पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है तथा ये ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
- बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 86वाँ संविधान संशोधन किया गया तथा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कर इसे मूल अधिकार बनाया गया।
- बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है।
- गरीब, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं। संसद तथा विधान सभाओं में उनके लिए सीटें भी आरक्षित की गई हैं।
- महिलाओं को शोषण से मुक्त करने हेतु अनेक कानून बने हैं तथा कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- ब्यालिसवें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया। यह नीति निदेशक तत्व पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा के लिए निर्देश देता है। इससे संबंधित अनेकों कार्यक्रम जैसे टाइगर बचाओ प्रोजेक्ट, राइनों, हाथी आदि से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन किया जा रहा है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है।
- लघु उद्योग की स्थापना की जा रही है तथा कर में छूट देकर उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है।
- हमारी विदेश नीति का अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के सिद्धान्तों के साथ सामंजस्य है तथा राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाए जा रहे हैं।
- भारतीय सरकार विश्व शान्ति का समर्थन करती है तथा इसके लिए प्रतिबद्ध है।

यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर इन निदेशक सिद्धान्तों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस दिशा में बहुत कार्य किया जा चुका है। परन्तु अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की समस्या तथा निरक्षरता आदि जैसी समस्याएँ बरकरार हैं। निदेशक सिद्धान्तों की मूल भावना लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम भी आ रहे हैं। ऐसी कई चुनौतियाँ हैं, जिन्हें सुलझाना आवश्यक है।

अपने राज्य में केन्द्रीय राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे चार कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्र कीजिए। इस विषय में आप स्थानीय समाचार-पत्र, इन्टरनेट, अध्यापकों और वयस्क लोगों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.सं.	योजना नाम	का लागू तारीख	होने की राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित

1.

2.

3.

4.

1. उन संविधान संशोधनों का उल्लेख करें जिनसे (अ) 6 से 14 वर्षों की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई (ब) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा सुनिश्चित किया गया।
2. नीचे दी गई घटनाओं के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों के लिए राज्य की नीति के कौन से निदेशक सिद्धान्त सरकार को मार्गदर्शित करेंगे:

घटनाएँ

निदेशक
सिद्धान्त

- (अ) बहुत ही कम वेतन पर एक 10 साल का लड़का एक होटल में बर्तन धोता है।
- (ब) एक आठ साल की लड़की को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है
- (स) मादक द्रव्यों तथा हानिकारक औषधियों के बेचने को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- (द) ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

आपने क्या सीखा

- कल्याणकारी राज्य में शासन व्यवस्था नागरिकों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा सम्पत्ति के न्यायसंगत वितरण के सिद्धान्तों पर आधारित होता है। यह वैसे लोगों के प्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करता है, जो स्वयं अच्छे जीवन यापन के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यवस्था नहीं कर सकते।
- भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लोगों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए शामिल किया गया है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।
- परन्तु ये सिद्धान्त देश के शासन के लिए मूलभूत माने गए हैं। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे देश में एक न्यायसंगत समाज की स्थापना के लिए कानूनों का निर्माण करते समय इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखें।
- राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (क) सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त, (ख) गांधीवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धान्त, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त और (घ) विविध सिद्धान्त।
- निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं, परन्तु दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।
- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इन निदेशक सिद्धान्तों को लागू किया जा रहा है, परन्तु कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

पाठांत प्रश्न

1. कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय क्यों किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा?
2. राज्य के नीति निदेशक तत्वों के क्या उद्देश्य हैं?
3. राज्य के नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न हैं? व्याख्या कीजिए।
4. कौन-से नीति निदेशक तत्व हैं जो गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिम्बित करते हैं?
5. सामाजिक-आर्थिक विकास तथा समानता को बढ़ावा देने में निदेशक सिद्धान्त किस तरह सहायक हैं?

6. हाल ही में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शान्ति प्रक्रिया के एक अंग के रूप में परमाणुरहित और आण्विक विश्वास बहाली के लिए सचिव स्तरीयवार्ता हुई। यह वार्ता कौन-से निदेशक सिद्धान्त से सम्बन्धित है तथा कैसे?

7. ऐसे तीन राज्य के नीति निदेशक तत्वों के नाम लिखिए जिनका कार्यान्वयन किया जा चुका है।

नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोलू की उम्र 10 वर्ष की है।

वह शहर आया है। उसकी देखभाल करना वाला यहाँ कोई नहीं है अतः वह कचरा इकट्ठा करने के काम में लग गया। वह स्थानीय अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर सोता है। वह किसी स्कूल में नहीं जाता तथा पेट भरने के लिए प्लास्टिक, विषाक्त अपशिष्ट तथा अस्पताल के कचरे आदि को उठाता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है तथा जीवन के लिए भी खतरनाक है। वह प्रतिदिन के 20 रूपए कमाता है। उसके पास किसी अन्य के बच्चे अस्वास्थ्यकर भोजन को खाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

(अ) भोलू की दशा के कौन-से सम्भव कारण हो सकते हैं? किन्हीं दो कारणों को लिखिए।

(ब) भोलू जैसे बच्चों द्वारा सामना की जा रही परिस्थितियों से सम्बन्धित किन्हीं दो निदेशक सिद्धान्तों की सूची बनाइए।

(स) भोलू की परिस्थितियों के बारे में अपने दोस्ती तथा परिवारजनों से चर्चा कीजिए तथा भोलू की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कोई दो तरीके सुझाइए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

17.1

1. कल्याणकारी राज्य शासन व्यवस्था की एक ऐसी संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा तथा सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा सम्पत्ति के उचित वितरण के सिद्धान्तों पर आधारित होता है।

2. जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो इसके सामने असंख्य समस्याएँ तथा चुनौतियाँ थीं। आर्थिक रूप से भारत की हालत अत्यन्त दयनीय थी। सामाजिक रूप से भारत में अनेकों समस्याएँ थीं। व्यापक सामाजिक असमानता थी तथा समाज के कमजोर वर्ग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे। संविधान निर्माता इन समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा।

3. महिलाएँ तथा दलित वर्ग।

17.2

1. (अ) कल्याणकारी

(ब) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें

(स) आयरलैण्ड

(द) सामाजिक और आर्थिक अधिकार

2. हाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है जिनके अन्तर्गत सभी नागरिक गुणवत्ता युक्त जीवन बीता सकें।

17.3

1. हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं:

(अ) सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त

(ब) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

(स) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त

(द) विविध सिद्धान्त

2. (अ) सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त

(ब) विविध सिद्धान्त

(स) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त

(द) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

(य) सामाजिक और आर्थिक समानता बढ़ाने वाले सिद्धान्त

(र) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

17.4

1. (अ) 86वाँ संविधान संशोधन

(ब) 42वाँ संविधान संशोधन

2. (अ) बच्चों एवं नवयुवकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

(ब) राज्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए कदम उठाएगा।

(स) राज्य मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों की खपत को रोकने के प्रयास करेगा।

(द) राज्य ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा।

18. स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन

रामफल रोजी-रोटी की तलाश में अपना गाँव छोड़कर शहर आ गया था। जब शहर में उसे रोजगार मिल गया तो उसका परिवार भी उसके साथ शहर आ गया। 8 वर्षों के बाद रामफल और उसका बेटा विजय अपने पैतृक गाँव गए। दोनों ही गाँव में बनी नई प्राथमिक स्कूल इमारत और उसके चारों ओर बनी दीवार, वॉलीबॉल का मैदान, नलकूप के साथ बने पार्क को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। विकास के ये सभी कार्य उनके गाँव छोड़ने के बाद हुए। विजय को यह देखकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसका चचेरा भाई गाँव के उच्च और विशेषाधिकार वर्ग के बच्चों के साथ खेल रहा है। वह इस बदलाव के कारण जानने के लिए उत्सुक था। जब विजय अपने स्कूल के अध्यापक से मिला तो उसने उनसे गाँव में हुए इस बड़े बदलाव का कारण पूछा। अध्यापक ने बताया कि इस विकास और बदलाव के पीछे गाँव के नवनिर्वाचित पंचायत के सरपंच और पंचों के प्रयास तथा स्थानीय प्रशासन का सहयोग है। विजय को यह जानकर और प्रसन्नता हुई कि उसकी चाची एक पंच के रूप में निर्वाचित हुई है। अब वह स्थानीय शासन/सरकार के विषय में और अधिक जानना चाहता था। इस अध्याय में जो जानकारी अध्यापक द्वारा विजय को दी गई उसकी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है।

उद्देश्य

इस अध्याय का पूरा अध्ययन करने के पश्चात् आप सक्षम होंगे :

- गाँवों और शहरों में स्थानीय शासन की स्थापना की आवश्यकता की पहचान करने में;
- लोगों द्वारा स्थानीय शासन के माध्यम से लोकतन्त्र को मजबूत करने के प्रयासों को समझने में;
- ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्थानीय शासन की संरचना और कार्यों का विश्लेषण करने में;
- 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए बदलाव का विश्लेषण करने में और महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करने में;

- स्थानीय शासन के सफलतापूर्वक कार्य करने में तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभिन्न स्तर पर स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों के सहयोग करने की आवश्यकता और महत्व की समझने में ।
- अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में स्थानीय शासन की भूमिका को सराहने में ।

विजय ने अध्यापक से पूछा कि ग्राम पंचायत को स्थानीय शासन की संस्था क्यों कहा जाता है। पिछले अध्यायों के अध्ययन के पश्चात् अब तक आपको पता चल चुका होगा कि भारत में संघीय व्यवस्था होने के कारण केन्द्र और राज्य दो स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। उन दो सरकारों के अतिरिक्त संविधान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शासन के लिए जो संस्थाएँ स्थापित की हैं उन्हें सामान्य रूप से स्थानीय शासन/सरकार के नाम से जाना जाता है। यह शासन का तीसरा स्तर है जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास और सामाजिक न्याय प्रदान करना तथा सत्ता/शक्ति के विकेन्द्रीकरण के उपक्रम के रूप में कार्य करना है। स्थानीय शासन को सबसे अच्छा शासन माना जाता है, क्योंकि सरकार/शासन के इस स्तर का जनता से मोटे तौर पर सीधा सम्पर्क रहता है। यह स्थानीय लोगों को, अपनी समस्याओं को व्यक्त करने, उनपर चर्चा करने तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं उनका समाधान ढूँढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। स्थानीय शासन वास्तव में, स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के लिए शासन है। लोगों के बीच या उनके करीब होने के कारण स्थानीय शासन की संस्थाओं पर लगातार आम लोगों या स्थानीय समाज की नजर रहती है। इससे स्थानीय सरकार/शासन को उत्तरदायी बनाने में मदद मिलती है। स्थानीय शासन द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली व्यापक और महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण वास्तव में यह कहा जाता है कि स्थानीय शासन लोगों को पलने/जन्म से लेकर कब्र/मृत्यु तक सेवाएँ प्रदान करता है।

अध्यापक ने विजय से पूछा कि क्या वह जानता था कि भारत में प्राचीन काल से ही देश के विभिन्न भागों में समुदाय आधारित स्थानीय संस्थाओं का अस्तित्व रहा है। उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता था जैसे पंचायत, बिरादरी और अन्य। गाँव का वयोवृद्ध या सर्वमान्य व्यक्ति इनका नेतृत्व कर लोगों की समस्याओं का समाधान करता था। आपने कई फिल्मों और टी.वी. धारावाहिकों में देखा होगा कि किस प्रकार लोग पंचायत के समक्ष अपनी समस्याएँ रखते हैं तथा पंचायत उन पर अपना निर्णय या समाधान देती है। हिन्दी के महान् साहित्यकार प्रेमचन्द ने 'पंचपरमेश्वर' नामक कहानी में पंचायत की महत्ता का वर्णन किया है। प्राचीन काल से चली आ रही यह पंचायत की व्यवस्था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विद्यमान और कार्यरत है। ग्रामीण स्थानीय शासन की इस परम्परागत संस्था के महत्व, स्वीकार्यता और उपयोगिता के कारण भारत सरकार ने इसे लोगों के कल्याण के लिए बनाए रखने का निर्णय किया।

18.1.1 ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन

अध्यापक ने आगे बताया कि स्थानीय शासन की संस्थाएँ केवल गाँवों में ही नहीं बल्कि वे शहरों में भी लोगों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इन दोनों के बीच केवल एक भिन्नता है, ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का क्षेत्र और जनसंख्या शहरी स्थानीय संस्थाओं की तुलना में कम होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं के दो प्रकार होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा दूसरा शहरी क्षेत्रों के। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है तथा शहरों में शहरी स्थानीय शासन। शहरी स्थानीय शासन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत आदि। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन संस्थाओं के संगठन और कार्यप्रणाली को अत्यधिक प्रभावित किया है।

जैसाकि हम पहले देख चुके हैं कि पंचायत भारत के इतिहास में न्याय की गद्दी रही है स्थानीय झगड़े, विवाद और समस्याएँ पंचायत के समक्ष रखे जाते थे और पंचायत इन पर जो निर्णय देती थी वह सभी को मान्य होती था हमारे राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर महात्मा गांधी की पंचायत व्यवस्था में गहरी आस्था थी संविधान निर्माताओं ने भी इस व्यवस्था के महत्व को समझते हुए, राज्य की नीति-निदेशक सिद्धान्तों में इस सम्बन्ध में विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की। संविधान कहती है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तशासी शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।



चित्र 18.1

चित्र 18.1 पंचायत भवन

इस दिशा में, वर्तमान में पंचायत व्यवस्था की शुरूआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। इन संस्थाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की तथा सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढाँचा स्थापित किया जाए जिसके अन्तर्गत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक/प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् की व्यवस्था हो। 1958 में राष्ट्रीय

विकास परिषद् ने भी इसी तरह के पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया जिसमें गाँव/ग्राम सबसे निम्न तथा जिला शीर्ष की इकाई होनी थी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान ढाँचा 73वें संविधान संशोधन, 1992 से निर्धारित हुआ। भारत के ज्यादातर राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढाँचा, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठित किया गया है। लेकिन कुछ छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर पंचायती राज के दो ही स्तर लिए जाते हैं।



चित्र 18.2 पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढाँचा

18.2.1 73वाँ संविधान संशोधन 1992

सन 1992 में पारित 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम से देश की लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत होती है, इससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- (i) त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना; ग्राम पंचायत (ग्राम/गाँव स्तर) पंचायत समिति (मध्यवर्ती अर्थात् ब्लॉक/प्रखण्ड स्तर) और जिला परिषद् (जिला स्तर)।
- (ii) हर पाँच वर्ष में नियमित चुनाव।
- (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण।
- (iv) पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर कम से कम एक तिहाई (1/3) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।
- (v) राज्य वित्त आयोग की स्थापना जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव देता है।
- (vi) राज्य चुनाव आयोग की स्थापना जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराता है।
- (vii) जिले के विकास हेतु योजना बनाने के लिए जिला नियोजन समिति की स्थापना।
- (viii) ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों से सम्बन्धित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए बनाना तथा उनका कार्यान्वयन।
- (ix) ग्राम सभा (Gram Sabha) की स्थापना तथा गाँव के स्तर पर इसका निर्णय लेने वाली

संस्था के रूप में सशक्तिकरण ।

(x) अनुसूचित जातियों और महिला आरक्षित सीटों का चक्रीकरण (रोटेशन) अर्थात् अदला-बदली

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को इतनी शक्ति और अधिकार दिए गए कि वे, ग्राम स्तर पर स्वशासी संस्था के रूप में कार्य कर सकें। इस संशोधन के द्वारा शक्ति तथा कार्यों का निचले स्तर पर हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। जिनका संबंध (क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने तथा (ख) उन आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन से है।

क्या आप जानते हैं

73वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप लगभग सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों ने अपना अधिनियम पारित किया गया है। लगभग सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तराखंड के अलावा, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करा लिए हैं। परिणामस्वरूप देश में 2,32,78 पंचायतों, 60 पंचायत समितियों और 535 जिला परिषदों का गठन किया जा चुका है। पंचायत राज्य के सभी स्तरों पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। यह विश्व में अपने तरह की सबसे विशाल जन प्रतिनिधिक व्यवस्था है।

1. स्थानीय शासन को परिभाषित कीजिए। दो उदाहरण देकर स्थानीय शासन की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए।
2. प्राचीन काल से वर्तमान समय तक पंचायती राज व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए।
3. जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ कार्यरत हैं उनकी पहचान कीजिए और उनका नाम बताइए।
4. स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं का हमारे जीवन की गुणवत्ता पर किस हद तक प्रभाव पड़ता है।
5. 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावित किया है।

अपने अध्यापक, परिवार में बुजुर्ग लोगों, पड़ोसी अथवा सहपाठियों के सहयोग से निम्न का पता लगाइए :

1. जहाँ आप रहते हैं वहाँ के स्थानीय शासन की संस्था का नाम बताइए । ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्राम स्तर की संस्था; शहरों में रहने वाले शहरी स्थानीय संस्था ।
2. उस स्थानीय संस्था के पदाधिकारियों की संख्या और पदनाम लिखिए ।

18.2.2 ग्राम पंचायत का संगठन, कार्य और आय के स्रोत

(अ) संगठन

गाँव की पंचायत या ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत संस्था है । गाँव की स्तर पर एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती है । जिसका एक अध्यक्ष होता है । जिसे ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच आदि कई पदनामों से जाना जाता है । इसके अलावा ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष और कुछ पंच भी होते हैं । वास्तव में ग्राम पंचायतों का संगठन और कार्यप्रणाली अलग-अलग राज्यों द्वारा पारित कानूनों से तय होती है; यही कारण है कि आपको उनके संगठन और कार्यों में विविधता नजर आती है । लेकिन ज्यादातर पंचायती राज संस्थाओं का संगठन और कार्य निम्न प्रकार से है:

(क) ग्राम सभा का गठन : ग्राम पंचायत का गठन गांव के सभी प्रौढ़ (18 या उससे अधिक आयु) स्त्री-पुरुषों से मिलकर होता है जिनका नाम वहाँ की मतदाता सूची में शामिल है । ग्राम सभा को अब कानूनी दर्जा प्राप्त है । ग्राम स्तर पर यह विधायी संस्था के रूप में



चित्र 18.3 ग्राम सभा की मीटिंग

कार्य करती है । एक वर्ष में ग्राम सभा की कम-से-कम दो बैठकें होती हैं । अपनी पहली बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है । अपनी दूसरी बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करती है । ग्राम सभा का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत के वार्षिक खातों की जाँच, लेखा परीक्षण और प्रशासनिक रिपोर्ट और पंचायत के कर प्रस्तावों पर बहस; सामुदायिक सेवा, पंचायत के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं योजनाओं जैसे विषयों पर विचार करना है । ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है । प्रत्येक राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है । उनके यहाँ सभी ग्राम सभाएँ कार्यरत हैं ।

ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी अंग होती है। यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जैसाकि हम जानते हैं। कि ग्राम सभा के सभी सदस्य मतदाता होते हैं। जो गुप्त मतदान के माध्यम से ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ज्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायत के 5 से 9 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है (कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है)।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। ग्राम प्रधान या सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। सरपंच/प्रधान के कुछ पद अब महिलाओं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी आरक्षित हैं। सरपंच/प्रधान पंचायत की मीटिंग बुलाता है तथा इस मीटिंग की अध्यक्षता करता है। उसे पंचायत की एक मीटिंग/बैठक

प्रति महीने बुलानी होती है। पंच उससे विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध भी कर सकते हैं, उसे ऐसी विशेष बैठकों अनुरोध करने के तीन दिन के भीतर बुलानी होती है। सरपंच/प्रधान पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड रखता है। पंचायत सरपंच/प्रधान को कोई विशेष कार्य सौंप सकती है। पंचायत के सदस्य एक उपप्रधान/उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

(ख) ग्राम पंचायत के कार्य : विजय पंचायत व्यवस्था में अत्यधिक रुचि लेने लगा, उसने अध्यापक से पंचायत के कार्य और उसके आय स्रोतों के विषय में पूछा। अध्यापक ने उसे विस्तारपूर्वक बताया। ग्राम पंचायत के सभी प्रमुख कार्य गाँव के विकास और कल्याण से सम्बन्धित हैं। ग्रामवासियों की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं जैसे सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, गलियों का निर्माण, नालियों की व्यवस्था, गाँव की सफाई, सड़कों की लाइट की देखभाल, स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था आदि। इन कार्यों को ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य कहा जाता है। ग्राम पंचायत को कुछ ऐच्छिक कार्य भी करने होते हैं, यदि पंचायत के पास जरूरी संसाधन और धन उपलब्ध हो। ये कार्य हैं वृक्षारोपण, पशु नस्ल सुधार केन्द्रों की स्थापना, क्रीड़ा स्थलों का निर्माण, पुस्तकालयों की व्यवस्था। समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को कुछ और कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। पंचायत के इन कार्यों के पूरक के रूप में ग्रामवासियों का भी कुछ कर्तव्य है कि वे अपने आस-पास साफ-सफाई रखें, पेय जल को बर्बाद न करें तथा अधिक-से-अधिक पेड़ लगाएँ।

(ग) ग्राम पंचायत के आय के स्त्रोत : पंचायत के कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं, चाहे ये उसके आवश्यक कार्य हो या ऐच्छिक कार्य, सभी के लिए धन जरूरी है। यदि ग्राम पंचायत के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन हो तो वह बेहतर ढंग से कार्य कर सकती है। सरकारी अनुदान के अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने पंचायत को कर लगाने और उसकी उगाही करने की शक्ति प्रदान की है। ग्राम पंचायत के आय के स्त्रोत निम्न प्रकार से हैं :

1. सम्पत्ति, जमीन, वस्तुओं और पशुओं पर कर।
2. बारात घर और पंचायत की अन्य सम्पत्तियों से किराया।
3. दोषियों से एकत्रित दण्ड राशि।
4. केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान।
5. राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है।
6. किसी विशिष्ट सर्वमान्य कार्य के लिए गाँव वालों द्वारा दी गई दान राशि।

क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे युवा व्यक्ति समाज पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं? नीचे दिया गया एक युवा व्यक्ति का अनुभव पढ़िए :

सुन्दरगाँव में विमला देवी नाम की 43 वर्षीय महिला सरपंच है। उसने केवल छठी कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की है। उसने सरपंच बनने के पश्चात् कई विकास के कार्य किए जैसे : सड़कों, पार्क और नालियों का निर्माण तथा कृषि और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाना। उसने घरेलू हिंसा के भी कई मामलों को सुलझाया। वह कहती है कि उसने अपने पुरुष प्रधान गाँव में कभी सरपंच बनने का सपना भी नहीं देखा था, पर अब वह गाँव में कई सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आश्वस्त है।

उपरोक्त अनुभव के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- विमला देवी ने जो किया है वह किस संविधान संशोधन द्वारा सम्भव हो पाया है?
- इस संशोधन से आपकी नजर में महिला सशक्तीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है?
- अपने समाज के कोई दो मुद्दे/समस्याएँ लिखिए जो आपको चिन्तित करती हैं या आपके लिए चिन्ता का विषय हैं।
- अपने मित्र से बातचीत कर कुछ ऐसे कार्यों और कार्यवाहियों की सूची बनाइए जो आप अपने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करना चाहते हैं।

18.2.3 पंचायत समिति का संगठन और कार्य

(क) पंचायत समिति की रचना

पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर है। अलग-अलग राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इस संस्था के संगठन और कार्यों में भी भिन्नता पाई जाती है क्योंकि, विभिन्न राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ की गई हैं। पंचायत समिति ब्लॉक/प्रखण्ड स्तर पर पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है। पंचायत समिति की रचना निम्न सदस्यों से मिलकर होती है :

- ब्लॉक/प्रखण्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्राम/सरपंच
- उस ब्लॉक के सांसद, विधान सभा विधायक और विधान परिषद् के सदस्य,
- कुछ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य,
- ब्लॉक से चुने गए जिला परिषद् सदस्य,
- उस ब्लॉक के कुछ अधिकारी।

क्या आप जानते हैं

पंचायत समिति ब्लॉक/प्रखण्ड स्तर पर बनाई जाती है। प्रत्येक ब्लॉक के अन्तर्गत कई पंचायत क्षेत्र आते हैं। पंचायत समिति को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे आन्ध्र प्रदेश में मण्डल प्रजा परिषद्, असम में आंचलिक पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत, कर्नाटक में मण्डल पंचायत, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, तमिलनाडु में पंचायत यूनियन काउन्सिल, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति यद्यपि इसका सबसे लोकप्रिय नाम पंचायत समिति ही है।

सभी राज्यों में पंचायत समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। अपनी पहली बैठक में पंचायत समिति के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्षों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह अध्यक्ष के कुछ पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल पंचायत समिति के समान ही पाँच वर्ष का होता है। पंचायत समिति के सदस्य दो तिहाई मतों से प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष को पद से हटा भी सकते हैं। पंचायत समिति सामान्यतः वर्ष में छः बैठक करती है। इसकी दो बैठकों के बीच दो महीने से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए। पंचायत समिति की बैठक सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार की होती है। बैठक की तिथि अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तय की जाती है। ब्लॉक स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकार ब्लॉक विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) होता है।

(ख) पंचायत समिति के कार्य

पंचायत समिति कई कार्य करती है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं; कृषि, भूमि को बेहतर बनाना, जल आच्छादित क्षेत्र का विकास, सामाजिक और फार्म वनीकरण, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अलावा पंचायत समिति ऐसे कार्यक्रमों और योजनाओं को भी क्रियान्वित

करती है जिसके लिए इसे केन्द्र या राज्य सरकार से धन प्राप्त होता है। यह अपने क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को देने के साथ उनके बीच समन्वय भी स्थापित करती है। इसके कुछ अन्य उत्तरदायित्व भी हैं जैसे :

- (i) गाँवों में पेयजल की व्यवस्था करना।
 - (ii) गाँव की सड़कों का विकास और मरम्मत।
 - (iii) बाजारों के लिए नियम व नियन्त्रण की व्यवस्था।
 - (iv) उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों की व्यवस्था करना।
 - (v) हस्तशिल्प, हैंडलूम और पारम्परिक कला के माध्यम से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना।
 - (vi) अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के कार्य करना।
 - (vii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं का बढ़ावा देना।
- (ग) आय के स्रोत

पंचायत समिति की आय का मुख्य स्रोत राज्य सरकारों द्वारा जाने वाला अनुदान है इसके अलावा यह कुछ कर भी लगा सकती है तथा भू राजस्व का भी एक निश्चित प्रतिशत पंचायत समिति को प्राप्त होता है।

18.2.4. जिला परिषद् : संगठन और कार्य

(क) रचना

जिला परिषद् त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष की संस्था है। यह जिला स्तर पर स्थित है। इसका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत समिति के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। जिले के सांसद और विधायक भी जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। जिला परिषद् का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। जिला परिषद् में भी कम-से-कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं।



चित्र 18.4 जिला परिषद्, लातूर (महाराष्ट्र)

(ब) जिला परिषद् के कार्य

जिला परिषद् के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं, हालाँकि आप अलग-अलग राज्यों में इनमें थोड़ी-बहुत विभिन्नता देख सकते हैं :

1. ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करना, जिले के विकास कार्यक्रमों के लिए योजना बनाना तथा उन्हें लागू करना ।
2. किसानों को उन्नत बीजों की आपूर्ति, उन्हें खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्तःस्रवण पोखरों का निर्माण करना तथा चराई एवं चराई भूमि का रखरखाव करना ।
3. गाँवों में विद्यालय खोलना तथा उन्हें चलाना, प्रौढ़ साक्षरता हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना ।
4. गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों की स्थापना करना, छोटी बस्तियों के चल अस्पतालों का प्रबन्धन करना, महामारियों के लिए टीकाकरण शुरू करना तथा परिवार कल्याण अभियानों को चलाना ।
5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास योजनाओं को क्रियान्वित करना, आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम चलाना तथा अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त होस्टल की स्थापना करना ।
6. कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों, प्रसंस्करण मिलों, डेयरी फार्म आदि जैसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण रोजगार योजनाओं को लागू करना तथा
7. सड़कों तथा स्कूलों का निर्माण करना तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों की देखभाल करना ।

(स) जिला परिषद् की आय के स्रोत

जैसाकि आपने देखा, जिला परिषद् बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करती है । इन कार्यों को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है । यह इस धन की व्यवस्था अपनी आय के स्त्रोतों से करती है जो निम्नलिखित हैं :

1. जिला परिषद् द्वारा लगाए गए करों, लाइसेंस फीस तथा बाजार शुल्क ।
2. उगाहे गए भू-राजस्व में जिला परिषद् का हिस्सा ।
3. जिला परिषद् की विभिन्न सम्पत्तियों से प्राप्त आय ।
4. राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान ।
5. विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज्य द्वारा आबंटित की गई धनराशि ।

पाठगत प्रश्न 18.2

1. ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है? इसमें ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है? लिखिए ।

2. ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाइए। इनमें से कौन-से कार्य महत्त्वपूर्ण हैं? इनमें से कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपके मत में स्थानीय सरकार को करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा है तो क्यों?

3. ग्राम पंचायत की आय के विभिन्न स्त्रोतों का उल्लेख कीजिए।

4. पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के कार्यों के आधार पर, एक वर्ष की एक कार्य योजना बनाइए जिसे इन संस्थाओं द्वारा जिले में लागू किया जा सके।

5. पंचायती राज पर प्रकाशित किसी आलेख अथवा इन्टरनेट अथवा अपने शिक्षकों या अपने से बड़े लोगों अथवा दोस्तों/सहपाठियों से पंचायतों में महिला आरक्षण के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित कीजिए तथा ऐसे राज्यों की सूची तैयार कीजिए जहाँ पंचायतों में महिला आरक्षण एक तिहाई से अधिक है।

जब विजय पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की सराहना करने की कोशिश कर रहा था, तब अध्यापक ने उसे पूछा कि क्या उसने शहरी क्षेत्रों में कार्यरत स्थानीय शासन की संस्थाओं के बारे में सुना है जहाँ पर वह तथा उसका परिवार गाँव से स्थानान्तरित होकर गया है। विजय भी यह जानना चाहता था कि क्या ऐसी संस्थाएँ शहरी क्षेत्रों में भी हैं। अध्यापक ने कहा, “हाँ ये शहरी क्षेत्रों में भी हैं। जिस तरह पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसी तरह स्थानीय शासन की शहरी संस्थाएँ भी हैं। शहरी स्थानीय निकाय तीन प्रकार की होती हैं :

(अ) बड़े शहरों के लिए नगर निगम

(ब) छोटी आबादी वाले शहरों के लिए नगर परिषद् तथा

(स) संक्रमणकालीन क्षेत्रों (अर्ध शहरी क्षेत्र) के लिए नगर पंचायत। परन्तु पंचायती राज संस्थाएँ तथा शहरी स्थानीय निकायों में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जहाँ पंचायती राज संरचनाएँ एक-दूसरे से बारीकी से जुड़ी हुई हैं वही शहरी स्थानीय निकाय एक-दूसरे से स्वतन्त्र हैं। एक राज्य में तीनों शहरी स्थानीय निकाय हो सकते हैं, एक बड़े शहर में नगर निगम, एक छोटे शहर में नगर परिषद् तथा एक छोटे कस्बे में नगर पंचायत। परन्तु यह एक-दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1688 ई. में प्रथम बार शहरी स्थानीय निकाय अस्तित्व में आया जब मद्रास (अब चेन्नई) में नगर निगम की स्थापना की गई। बाद में इसी तरह के निकायों की स्थापना कलकत्ता तथा बम्बई (मुम्बई) में भी की गई। उस समय इन संस्थाओं का कार्य स्वच्छता के मामलों में सहायता करना तथा महामारियों की रोकथाम के लिए कार्य करना था। इन स्थानीय निकायों के जलापूर्ति तथा जलनिकासी के पुरबन्ध जैसे कुछ कार्य भी थे। परन्तु इन संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय तथा अधिकारिता शक्तियाँ नहीं दी गई। शुरुआत में इनके अधिकांश सदस्य मनोनित किए जाते थे। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी स्थानीय प्रशासन में इनके महत्व तथा आवश्यकता को महसूस किया तथा इन्हें देश के नियोजित विकास से जोड़ा। परन्तु धन के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था जो इन संस्थाओं के पास नहीं था। परन्तु फिर भी यह व्यवस्था प्रशासन का प्रभावी उपकरण साबित हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान इन शहरी

स्थानीय संस्थाओं में बहुत से परिवर्तन किए गए। धीरे-धीरे कुछ संरचनात्मक सुधार किए गए, स्थानीय निकायों की शक्तियों को बढ़ाया गया तथा इन्हें कुछ धन भी उपलब्ध करवाया गया। स्वतन्त्रता के बाद से चार प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय कार्य कर रहे थे-(i) नगर निगम, (ii) नगर पालिका, (iii) टाउन एरिया समितियाँ, (iv) अभिसूचित क्षेत्र समितियाँ। 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन से शहरी स्थानीय व्यवस्था में बड़े परिवर्तन आए। वर्तमान में तीन तरह के शहरी स्थानीय निकाय कार्य कर रहे हैं :

- (अ) बड़े शहरों के लिए नगर निगम,
- (ब) छोटे शहरों के लिए नगर परिषद् तथा
- (स) ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के रूप में संक्रमणशील हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत।

18.3.1 74वाँ संविधान संशोधन, 1992

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन से शहरी स्थानीय निकायों की संरचना तथा कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं :

- भारत के प्रत्येक राज्य में शहरी स्थानीय निकायों का गठन (नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत)।
- नागरिक मामलों में जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित व निष्पक्ष चुनाव।
- अधिक से अधिक छः माह के लिए नगरपालिका सरकारों के अतिक्रमण का प्रावधान।
- आरक्षण के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों (अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग) एवं महिलाओं के लिए नगरपालिका सरकारों में उचित प्रतिनिधित्व
- राज्य विधायिका द्वारा कानून बनाकर नगरपालिकाओं और वार्ड समितियों को शक्तियाँ (वित्तीय शक्तियों सहित) और कार्यात्मक उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।
- प्रत्येक 5 साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन, जो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारे जाने की आवश्यकता के लिए सिफारिश देता है तथा;
- विकास योजनाओं की तैयारी तथा समेकन के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति तथा महानगरीय क्षेत्रों में महानगरीय योजना समिति का गठन।

18.3.2 नगर निगम

अ. रचना

राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार बनाए गए प्रावधानों के तहत, बड़े शहरों में नगर निगमों की स्थापना की गई है। नगर निगमों के पार्षद 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चुने हुए पार्षदों में से ही प्रति वर्ष किसी एक को मेयर चुना जाता है। मेयर शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए कम-से-कम 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों

के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों में उन समुदाय की महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित हैं। नगर निगम के विघटन होने पर छः माह के अन्तर्गत चुनाव कराए जाते हैं। नगर निगम आयुक्त का पद भी सृजित किया गया है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। केन्द्र शासित क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली आदि में नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।



चित्र 18.5 नगर निगम

ब. नगर निगम के कार्य

नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

1. स्वास्थ्य तथा स्वच्छता : शहर की सफाई, कूड़ा-करकट का निपटान, अस्पतालों तथा औषधालयों का रखरखाव, टीकाकरण को बढ़ावा देना तथा संचालन, मिलावटी वस्तुओं की जाँच आदि कार्यों का उत्तरदायित्व।
2. बिजली और जलापूर्ति : सड़कों-गलियों में रोशनी की व्यवस्था और रखरखाव, विद्युतापूर्ति, सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति, आधारभूत संरचना का निर्माण तथा जलापूर्ति की सुविधा, पानी के टैंकों का रखरखाव आदि।
3. शिक्षा : प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, मध्याह्न भोजन योजना का प्रबन्ध तथा बच्चों के लिए अन्य सुविधाएँ आदि।
4. सार्वजनिक कार्य : सड़कों का निर्माणकार्य, रखरखाव तथा नामकरण, घरों, बाजारों, रेस्तराँ तथा होटल आदि के निर्माण के नियम बनाना; अतिक्रमण हटाना तथा खतरनाक भवनों को तोड़फोड़ कर हटाना।
5. विविध कार्य : जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, शमशान भूमि/कब्रिस्तान, रैन बसेरा के लिए प्रावधान तथा रखरखाव; स्कूटर एवं टैक्सी स्टैंड तथा सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

6. विवेकाधीन कार्य :

(अ) मनोरंजन : पार्को, सभागारों आदि का ।

(ब) सांस्कृतिक : संगीत, नाटक, चित्रकला तथा अन्य कलाओं का आयोजन और पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों जैसी गतिविधियों को देखना ।

(स) खेलों सम्बन्धी गतिविधियाँ : विभिन्न खेलों के लिए मैदानों का प्रावधान तथा खेल प्रतियोगिताओं तथा टूर्नामेण्ट आदि की व्यवस्था करना ।

(द) कल्याणकारी सेवाएँ : सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा रखरखाव, सार्वजनिक वितरण परणाली लागू करना, परिवार कल्याण योजनाएँ तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं को लागू करना ।

स. मेयर के प्रमुख कार्य

मेयर नगर निगम के प्रमुख के रूप में चुना जाता है जिसके निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं :

- निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा बैठक में शिष्टता तथा अनुशासन बनाए रखना;
- पार्षद तथा राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करना ।
- शहर में आए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की अगुवाई करना ।

द. नगर निगम के आय के स्त्रोत

पंचायती राज की तरह, अपने क्षेत्र की कल्याणकारी गतिविधियों तथा विकास के लिए नगर निगम व्यवस्था को भी धन की आवश्यकता होती ही है । नगर निगम अधिनियम में आय के स्त्रोतों का प्रावधान किया गया है । आय के कुछ स्त्रोत निम्नलिखित हैं :

- करो से प्राप्त आय : नगर निगम विभिन्न मदों पर कर लगाता है जैसे- हाउस टैक्स, मनोरंजन कर, होर्डिंग और विज्ञापनों पर कर, पंजीकरण शुल्क, इमारतों की निर्माण योजनाओं पर कर आदि ।
- अन्य शुल्क तथा अधिभार : इसके अन्तर्गत जलापूर्ति शुल्क बिजली शुल्क, सीवर शुल्क, दुकानदारों से लाइसेन्स फीस तथा टोल टैक्स और चुंगी शुल्क आदि ।
- अनुदान : राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विकास से सम्बन्धित अनेक योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।
- किराए से प्राप्त आय : नगर निगम अपनी सम्पत्तियों जैसे- दुकानें, खोखे, समुदायिक केन्द्र, बरात घर तथा मेलों, शादियों व अन्य प्रदर्शनियों के लिए विभिन्न स्थल आदि को किराए पर दे देता है और उनसे किराया प्राप्त करता है ।

18.3.3 नगर परिषद

अ. रचना

कम जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद होते हैं जो स्थानीय शहर, उसकी समस्याएँ तथा विकासात्मक कार्यों को देखती हैं । 74वें संविधान संशोधन के उपरान्त, प्रत्येक शहर के लिए नगर

पालिकाओं की रचना करना आवश्यक है। प्रत्येक नगर परिषद् का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा पाँच वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाने वाले व्यक्ति ही पार्षद के रूप में चुन जा सकते हैं। यदि किसी कारण से नगर परिषद् का अपनी पाँच वर्ष की अवधि पूरा करने से पहले ही विघटन हो जाता है तो उस तारीख से छः माह के अन्तर्गत पुनः चुनाव कराए जाते हैं। चुन हुए सदस्य अपने में से ही किसी एक को नगर परिषद् का अध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक चुने हुए सदस्यों के बहुमत का विश्वास मत उसे प्राप्त है। प्रत्येक नगर परिषद् में एक कार्यकारी अधिकारी होता है। स्वास्थ्य अधिकारी, कर अधीक्षक, सिविल इंजीनियर आदि अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होती हैं।

ब. नगर परिषद् के कार्य

नगर परिषद् के निम्नलिखित कार्य हैं :

1. स्वास्थ्य तथा स्वच्छता : शहर की सफाई का प्रबन्धन, कूड़े-करकट का निपटान, अस्वास्थ्यकर तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक तथा औषधालयों एवं अस्पतालों का रखरखाव करना;
2. बिजली तथा जलापूर्ति : बिजली तथा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा तालाब एवं पानी के टैंकों का रखरखाव करना;
3. शिक्षा : प्राथमिक स्कूलों तथा शिक्षण केन्द्रों का संचालन तथा रखरखाव करना;
4. जन्म और मृत्यु का : शहर, कस्बों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण का रिकॉर्ड रखना तथा इनके लिए प्रमाण-पत्र जारी करना।
5. सार्वजनिक कार्य : गालियों को पक्का बनाना नगरपालिका सड़कों की मरम्मत तथा रखरखाव करना, बारात घर, सामुदायिक भवनों, बाजारों, सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों आदि का निर्माण तथा रखरखाव।

स. आय के स्त्रोत

धन के बिना कोई भी कार्य नहीं जा सकता। नगर परिषदों के पास आय के भिन्न-भिन्न स्त्रोत हैं। इन स्त्रोतों को श्रेणियों में विभाजित किया है :

- कर : सम्पत्ति, वाहन, मनोरंजन तथा विज्ञापन आदि कर से प्राप्त आय।
- किराया तथा शुल्क/अधिभार : जलापूर्ति शुल्क, सीवर व्यवस्था शुल्क, लाइसेन्स फीस, सामुदायिक भवनों, बारात घरों तथा दुकानों आदि का किराया।
- अनुदान : राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।
- जुर्माने : कर न देने वालों, कानून तोड़ने वालों तथा कानून का अतिक्रमण करने वालों पर किए गए जुर्मानों से प्राप्त आय।

18.3.4 नगर पंचायतें

तीस हजार से अधिक तथा एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी केन्द्रों में नगर पंचायत होती है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। पूर्व टाउन एरिया समितियाँ (5000 से 20,000 तक की

कुल जनसंख्या वाले शहरी केन्द्र) नगर पंचायतों के रूप में नामित की गई है। इसमें एक अध्यक्ष तथा वार्ड सदस्य होते हैं। इसमें कम-से-कम 10 चुने हुए वार्ड के सदस्य तथा तीन नामित सदस्य होते हैं। अन्य नगर निकायों की तरह, नगर पंचायत भी निम्न के लिए उत्तरदायी होती है : (क) सफाई तथा कूड़ा-करकट का निपटान, (ख) पेय जल की आपूर्ति, (ग) सार्वजनिक सुविधाओं जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्किंग की तथा जन सुविधाएँ आदि का रखरखाव करना, (घ) अग्निशमन सेवाओं की रखरखाव, (ङ) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आदि। इसके आय के स्त्रोत निम्न हैं : गृह कर, जल कर, टोल कर, लाइसेन्स फी तथा इमारत निर्माण योजनाओं पर फीस; बरात घर तथा अन्य सम्पत्तियों से प्राप्त किराया; तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।

1. 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन से पूर्व कितने शहरी स्थानीय निकाय कार्य कर रहे थे? इस संशोधन से क्या परिवर्तन किए गए?
2. नगर निगम के क्या कार्य हैं? ये कार्य क्यों महत्वपूर्ण हैं?
3. नगर निगम की आय के स्त्रोत क्या हैं?
4. सम्बन्धित क्षेत्र को सेवाएँ प्रदान करने का उत्तरदायित्व शहरी स्थानीय निकायों का है। क्या आप मानते हैं कि नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं? ये कौन-सी जिम्मेदारियाँ हैं?

नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत के महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों की सूची बनाइए। यदि आप कभी उनसे मिले हैं तो उस पदाधिकारी का नाम बताइए तथा यह भी बताइए कि आपका उनसे मिलने का उद्देश्य क्या था।

चूँकि विजय के एक स्कूल में नौवीं कक्षा का विद्यार्थी था, अध्यापक ने उससे जिला प्रशासन की भूमिका के विषय में बताने की कोशिश की। उसने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि यह जानना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के अलावा प्रत्येक जिला में एक प्रशासनिक व्यवस्था भी है। यह प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप स्थानीय निकायों के कार्यों में योगदान ही नहीं करता बल्कि यह प्रशासनिक तथा विकासात्मक कार्य भी करता है।

प्रत्येक जिले में अनुमंडल तथा ब्लॉक अथवा तालुका होते हैं और जिला प्रशासन की सहायता के लिए वहाँ पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उन्होंने विजय से पूछा कि क्या वह अपने जिले में नियुक्त प्रमुख पदाधिकारियों को जानता है। उसे उलझन में देख, अध्यापक ने जिला प्रशासन के विभिन्न पक्षों को विस्तार से समझाया। जिला स्तर पर निम्न प्रमुख पदाधिकारी होते हैं : जिलाधीश,

पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी आदि। ये सभी अधिकारी जिले में अपने विभाग के प्रमुख होते हैं।

18.4.1 जिलाधीश

जिला प्रशासन का प्रभार जिलाधीश के हाथों में होता है। वह पद समाहर्ता, डिप्टी कमिश्नर या उपायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अन्तर्गत आता है। जिला प्रशासन, राज्य और केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद विशेष रूप से जिला प्रशासन न केवल राजस्व या करों के संग्रह और कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए बल्कि जिले के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के लिए भी जिम्मेदार है।

जिला लम्बे समय से प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई रही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, यह मुख्य रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार था। लेकिन वर्तमान में, राज्य प्रशासन को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और जिला प्रशासन बहु-आयामी भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार जिलाधीश को राज्य सरकार की ओर से बहुत सारी शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं। जिलाधीश का प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है –

1. जिले में कानून व्यवस्था तथा शान्ति बनाए रखना।
2. राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना।
3. राज्य सरकार और जिला स्तरीय संस्थाएँ और कार्यालयों के बीच मुख्य कड़ी की भूमिका निभाना।
4. विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय करना जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, भूमि व्यवस्था, पुलिस, जेल और संस्कृति।
5. आपातकाल और आपदाओं के दौरान पर्याप्त और उपयुक्त कदम उठाना तथा राहत कार्य करना।
6. विभिन्न प्रतिनिधिक निकायों के लिए स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव कराना जैसाकि लोकसभा, विधान सभा, ब्लॉक समिति, जिला परिषद्, नगर निगम इत्यादि।
7. भू-राजस्व तथा अन्य करों को एकत्रित करने की व्यवस्था करना।
8. न्यायिक कार्यों का सम्पादन करना और विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा करना तथा विभिन्न प्रकार का जुर्माना और दण्ड लगाना।
9. जन शिकायतों की सुनवाई और उनका समाधान करना।

18.4.2 अनुमंडल अधिकारी

बेहतर प्रशासन के लिए प्रत्येक जिले को छोटी इकाइयों, जिसे अनुमंडल कहते हैं, में विभाजित किया गया है। हालाँकि जिले के अनुमंडल जिला मजिस्ट्रेट के तहत हैं परन्तु एक अधिकारी जिसे अनुमंडल पदाधिकारी (S.D.O.) कहा जाता है, इस इकाई का प्रभारी होता है। अनुमंडल अधिकारी वहाँ प्रशासन के क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। अनुमंडल अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) के अन्तर्गत आता है।

या राज्य सिविल सेवा संवर्ग के अन्तर्गत। वह भूमि रिकार्ड रखता है और भू-राजस्व एकत्र करता है। वह बन्दूक और पिस्तौल जैसे हथियारों के लिए लाइसेन्स जारी करने की शक्ति रखता है और ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने के लिए भी अधिकृत है। साथ ही वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र तथा अधिवास प्रमाण पत्र जारी करता है।

18.4.3 ब्लॉक/खण्ड विकास अधिकारी

ब्लॉक सबसे निचले स्तर पर प्रशासन की इकाई है। ब्लॉक का प्रभारी प्रखण्ड विकास अधिकारी (B.D.O.) कहा जाता है। वह राज्य सिविल सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आता है और ब्लॉक की विभिन्न गतिविधियों की देखभाल करता है।

प्रखण्ड विकास अधिकारी पंचायती राज के मध्य टियर के साथ जुड़ा हुआ है। वह पंचायत समिति के पदेन सचिव के रूप में बैठकों का रिकार्ड रखता है बजट तैयार करता है और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का समन्वय करता है।

आपके जिले का जिलाधीश निम्न तालिका में वर्णित गतिविधियों पर कारवाई करना चाहता है। इन गतिविधियों की अपने अनुसार प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाएँ

क्रम गतिविधि

1. जिले में एक नये सिनेमा हॉल का निर्माण।
2. सड़कों को बेहतर बनाना।
3. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
4. अनुसूचित जाति और जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के विकास के लिए नई योजनाएँ।
5. नगरपालिका कार्यालय का नवीकरण।
6. स्थानीय नगर निगम के अस्पतालों के लिए अधिक डॉक्टरों की भर्ती।
7. मतदाता सूची में संशोधन।
8. जल निकासी व्यवस्था में सुधार।
9. नगर निगम के स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती।
10. आगजनी, सूखा आदि जैसी आपदाओं के लिए एक आपात योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति

नोट : प्राथमिकता प्रदान करते समय गतिविधि को निर्दिष्ट संख्या दिए जाने का औचित्य दें।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में क्या आपको नहीं लगता है कि ग्राम और शहरी स्थानीय निकाय हर भारतीय नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ये नागरिकों को राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेहतरीन संस्थाएं हैं तथा नेतृत्व के गुणों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। भागीदारी के द्वारा नागरिक विभिन्न मुद्दों एवं विषयों का विश्लेषण करना सीखते हैं और स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों के हित की पैरवी करते हैं। चूंकि ये स्थानीय सरकारी निकाय उनके करीब हैं अतः वे नागरिक की पहुँच में हैं तथा नागरिक व्यक्तिगत पहल और हस्तक्षेप के माध्यम से समाधान ढूँढ़ सकते हैं। विशेष तौर महिलाओं को पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। इन निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के परिणामस्वरूप, अधिक-से-अधिक संख्या में महिलाएं इन संस्थानों को चलाने में हिस्सा लेती हैं। यह महिलाओं के सशक्तिकरण का बेहतरीन तरीका है तथा उन्हें अपनी क्षमता को साबित करने का अवसर प्रदान करता है।

दूसरी तरफ, स्थानीय सरकारी निकायों के समक्ष कई चुनौतियों भी हैं। लोगों के करीब होने के कारण, इन संस्थाओं ने लोगों के आकांक्षाओं और उम्मीदों को बढ़ाया है जिन्हें पूरा करने में, विभिन्न बाधाओं के कारण, वे स्वयं सक्षम नहीं हैं। इन संस्थाओं का कार्य चुनौतीपूर्ण है जबकि संसाधन सीमित हैं। यह परिस्थिति अक्सर विवाद और द्वेष को जन्म देती है। राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने तथा सुनिश्चित करने में गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता तथा राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृत्ति जैसे कारक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जातिवाद और सम्प्रदायवाद के तत्व भी समस्या खड़ी करते हैं। भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की बढ़ती प्रवृत्ति भी स्थानीय निकायों के प्रभावी कार्यशील के लिए बड़ी चुनौतियां हैं।

1. जिला प्रशासन के महत्वों का मूल्यांकन करे।
2. जिलाधीश के प्रमुख कार्य क्या हैं?
3. स्थानीय निकाय नागरिकों को कौन-कौन से अवसर प्रदान करते हैं? इन निकायों की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

आपने क्या सीखा

- स्थानीय स्वशासन सरकार का तृतीय स्तर है। पहला और दूसरा स्तर केन्द्रीय और राज्य सरकार है। दो तरह के स्थानीय स्वशासन निकाय होते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है और नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पंचायत शहरों में होते हैं।

- हालांकि गांव पंचायत की व्यवस्था राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों के द्वारा हुई थी, लेकिन स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा 1992 में संसद द्वारा पारित 73वाँ एवं 74वाँ संवैधानिक संशोधन द्वारा मिला।
- इन संशोधनों ने हर राज्य सरकार के लिए स्थानीय निकायों को बनाए रखना तथा उनको जारी रखना अनिवार्य कर दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े बढ़ावा देने के लिए उनके भी सीटें आरक्षित करते हैं।
- पंचायती राज व्यवस्था एक तीन स्तरीय प्रणाली है जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। यह संस्थाएँ अपने क्षेत्र के लोगों के हित और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करती हैं। ये बुनियादी सुविधाएँ जैसे साफ पीने का पानी, स्वच्छता औषधालय, गलियाँ, सड़क बनाना, प्राथमिक स्कूल, वृद्धाश्रम तथा क्षेत्र के अन्य आवश्यक काम करती हैं।
- शहरी स्थानीय निकाय जैसे बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे शहरों में नगर परिषद और परिवर्ती क्षेत्रों में नगर पंचायत को संवैधानिक संशोधन 1992 ने मजबूत बनाया है। पंचायती राज संस्थानों की तरह इनमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्ग तथा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।
- ये स्थानीय निकाय लोगों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करते हैं, आधारभूत संरचना का विकास एवं रखरखाव, विकासात्मक किर्या-कलाप और अपने-अपने क्षेत्र के जनहित के लिए काम करते हैं।
- दोनों शहरी और ग्रामीण निकाय लोगों के निकटतम हैं और सही मायनों में तृणमूलीय लोकतान्त्रिक संस्थाओं के हौसियार से कार्य करते हैं। वे लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं। पर इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे जातिवाद, भ्रष्टाचार, वित्तीय संसाधन की कमी तथा लोगों की उदासीनता आदि।
- जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला प्रशासन न सिर्फ अपने परम्परागत कार्य जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा राजस्व वसूली का काम करता है बल्कि महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य का भी जिम्मेदारी उठाता है यह केन्द्रीय और राज्य सरकार के विकासात्मक और कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के वास्तविक कार्यान्वयन उपकरण है।

पाठान्त प्रश्न

1. स्थानीय निकाय जरूरी क्यों हैं? अपना विचार व्यक्त करें।
2. पंचायती राज संस्थानों की रचना और कार्यों की विवेचना करें तथा उनकी भूमिकाओं का परीक्षण करें।

3. शहरी स्थानीय निकाय की रचना व कार्य की संक्षिप्त व्याख्या करें।

4. पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों की बनावट व भूमिकाओं में 73 एवं 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या प्रमुख बदलाव लाया गया?

5. क्या आप समझते हैं कि 73वाँ एवं 74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने सच्चे अर्थों में महिलाओं को सशक्त किया है। पुष्टि कीजिए।

6. एक विधवा दो बच्चों के साथ एक गाँव में घरेलू कार्य/सहायता करती है। वह अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहती है लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है। ऐसा तरीका सुझाएँ जिससे गाँव पंचायत का प्रधान सुनिश्चित करे कि उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

18.1

1. स्थानीय सरकार, स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा और स्थानीय लोगों की सरकार है। स्थानीय सरकारी संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर आम लोगों के भाग लेने और विकास और सामाजिक न्याय के लिए योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

यह स्थानीय स्थितियों के अनुरूप स्थानीय समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और उचित समाधान के लिए एक मंच प्रदान करती है। स्थानीय सरकार वास्तव में एक ऐसी सरकार है जो जमीनी स्तर पर कार्य करती है।

2. पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में प्राचीन समय से कार्यात्मक थी। वे आमतौर पर गांव के बुजुर्ग की अध्यक्षता में विभिन्न नामों जैसे पंचायत, बिरादरी या कुछ अन्य नाम से, जानी जाती थी। 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला।

3. अपने क्षेत्र में स्थानीय सरकारी संस्थानों का पता लगाएँ और उनके नाम लिखें।

4. स्थानीय सरकार पानी के रखरखाव, जल निकासी व्यवस्था, पेय जल आदि की व्यवस्था करती है। इस प्रकार कई मायनों में हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

5. (क) त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की।

(ख) जिलों के विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जिला योजना समिति की स्थापना

(ग) ग्राम सभा की स्थापना और ग्राम स्तर पर निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में इनका सशक्तिकरण

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करके अधिनियम ने उन्हें स्थानीय सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर दिया और इस तरह उनका सशक्तीकरण किया।

(ङ) राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की।

18.2

1. ग्राम पंचायत या गाँव पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की तृणमूल संस्था है। पंचायतों में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटें आरक्षित होती हैं। पंचायत में एक प्रधान होता है जो गाँव के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायत में कुछ पंच भी होते हैं और एक उप सभापति भी होता है जिसे पंचायत के सदस्य चुनते हैं।

2. ग्राम पंचायत के तीन कार्य मुख्य हैं :

(i) शुद्ध पेय जल का प्रावधान

(ii) पक्की सड़क

(iii) अच्छी जल निकासी व्यवस्था का निर्माण और रखरखाव

विवेकाधीन कार्य : कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें पंचायत के लिए करना अनिवार्य नहीं है। इन कार्यों को निष्पादित तभी किया जा सकता है जब पंचायत के पास संसाधन और धन हो। इनमें वृक्षारोपण, पशुओं के गर्भाधान केन्द्र की स्थापना और रखरखाव, खेल के मैदान का विकास व रखरखाव और पुस्तकालय की स्थापना और चलाना शामिल हैं।

3. पंचायत के आय के कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं :

(i) सम्पत्ति, भूमि, वस्तुओं और मवेशियों पर कर;

(ii) बारात घर जैसी सुविधाओं के लिए या अन्य पंचायत की सम्पत्ति से किरया

(iii) अपराधियों से एकत्रित विभिन्न प्रकार का जुर्माना

(iv) राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू-राजस्व का एक भाग जो पंचायत को दिया जाता है

(v) कुछ सामान्य कार्यों के लिए ग्रामवासियों से एकत्रित चन्दा

(vi) राज्य व संघ सरकार से अनुदान।

4. इस उत्तर को लिखने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करें।

5. इस प्रश्न के उत्तर के लिए जानकारी स्वयं एकत्र करें।

18.3

1. आजादी के बाद चार प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत थे : (i) नगर निगम (ii) नगर पालिकाएँ, (iii) शहरी क्षेत्र समितियाँ और (iv) अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ। लेकिन 74वाँ संवैधानिक संशोधन 1992 शहरी स्थानीय सरकार प्रणाली में प्रमुख बदलाव लाया। अब तीन प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें कार्यरत हैं: जैसे (a) बड़े शहरों के लिए नगरनिगम, (b) छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, (c) नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण कर रहे हैं।

2. नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति या बिजली हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। साफ-सुथरा शहर, अस्पताल की व्यवस्था और सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करके, नगर निगम नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।

3. (i) करों से आय - आवास कर, मनोरंजन कर, होर्डिंग पर कर आदि।

(ii) राज्य और संघ सरकार से अनुदान।

(iii) किराए से आय - नगर निगम दुकानें, खोखे, सामुदायिक हॉल आदि किराये पर देता है।

(iv) अन्य शुल्क जैसे टोल टैक्स, सीवर शुल्क, पानी और बिजली आदि पर शुल्क।

4. अपनी समझ के आधार पर जवाब लिखें, शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका और वे जिम्मेदारियाँ जो नागरिक स्थानीय सरकार का समर्थन करने के लिए ले सकते हैं।

18.4

जिला प्रशासन का मुखिया जिलाधीश होता है। जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों में पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी आदि शामिल हैं।

अनुमंडल अधिकारी

अनुमंडल अधिकारी प्रशासन के क्षेत्र में जिलाधीश की सहायता करता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। वह भूमि रिकॉर्ड रखता है और भू-राजस्व एकत्र करता है और वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति रखता है।

प्रखण्ड विकास अधिकारी

1. प्रखण्ड विकास अधिकारी पंचायती राज के मध्य टीयर के साथ जुड़ा हुआ है। वह पंचायत समिति का पदेन सचिव है और बैठकों का रिकॉर्ड रखता है, बजट तैयार करता है और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का समन्वय करता है।

2. जिलाधीश के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :

- (i) जिले में कानून व्यवस्था और शान्ति बनाए रखना
- (ii) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना,
- (iii) राज्य सरकार और जिला स्तरीय संस्थानों और कार्यालयों के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करना,
- (iv) विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय कायम करना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, भूमि प्रबन्धन, पुलिस, जेल और संस्कृति,
- (iv) लोक सभा, विधान सभा, ब्लॉक समितियाँ, जिला परिषद्, नगर पालिकाओं आदि अनेक प्रतिनिधियात्मक निकायों के लिए स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनावों का संचालन सुनिश्चित करना ।

3. स्थानीय निकाय नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं और उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करने सहायक होते हैं । भागीदारी के द्वारा नागरिक विभिन्न मुद्दों और विषयों का विश्लेषण करना सीखते हैं और स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों के हित की पैरवी करते हैं । चूँकि ये स्थानीय सरकारी निकाय उनके नजदीक हैं अतएव नागरिक की पहुँच में हैं तथा नागरिक व्यक्तिगत पहल और हस्तक्षेप के माध्यम से समाधान ढूँढ सकते हैं । महिलाओं को भी स्थानीय निकायों के सदस्यों के रूप भागीदारी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं ।

लोगों के करीब होने के कारण, इन संस्थाओं ने लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और उम्मीदों को बढ़ाया है जिन्हें पूरा करने में, विभिन्न बाधाओं के कारण, वे स्वयं हमेशा सक्षम नहीं हैं । ये बाधाएँ हैं : गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता और राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृत्ति । जातिवाद, साम्प्रदायिकता और भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की बढ़ती प्रवृत्ति, स्थानीय निकायों के प्रभावी कार्यशीलन के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं ।

19. राज्य स्तर पर शासन

जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, भारत एक संघ है जहां दो स्तरों राज्य स्तर तथा संघ या केन्द्रीय स्तर पर सरकारें कार्य करती हैं। दोनों ही स्तरों पर प्रत्येक नागरिक सरकारों के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है और उनसे प्रभावित होता है। हम राज्य तथा संघीय विधायिकाओं द्वारा बनाये गये कानूनों से निर्देशित होते हैं, दोनों स्तरों की सरकारों द्वारा शासित होते हैं तथा दोनों स्तरों पर स्थापित न्यायालयों द्वारा न्याय प्राप्त करते हैं। दोनों ही स्तरों पर शासन की तीनों शाखाएं-कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका कार्यरत हैं। शासन व्यवस्था की व्यापक समझ के लिए, इस पाठ में राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा शासन प्रक्रियाओं पर चर्चा की जा रही है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ लेने के पश्चात आप :

- राज्यपाल की नियुक्ति - प्रक्रिया, शक्तियां तथा पदस्थिति की व्याख्या कर सकेंगे।
- राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच संबंधों, राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की शक्तियों तथा भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे;
- राज्य मंत्रिपरिषद की रचना तथा उसकी शक्तियों की व्याख्या कर सकेंगे;
- राज्य विधायिका की रचना, शक्तियों तथा कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- उच्च न्यायालय का संगठन तथा उसके अधिकार क्षेत्र एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यान्वयन को समझ सकेंगे; तथा
- राज्य स्तर पर सरकार की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे तथा नागरिकों एवं उनके दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे।

19.1 राज्यपाल

आप “सांविधानिक मूल्य तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था” नामक अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भारत में शासन का संसदीय रूप है। राज्य तथा संघीय दोनों ही स्तरों पर अन्य संसदीय व्यवस्थाओं

की तरह की संस्थाएँ तथा प्रक्रियाएँ हैं। राज्य स्तर पर एक राज्यपाल होता है जिसमें संविधान द्वारा राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित की गयी हैं। परंतु राज्यपाल नाममात्र का प्रमुख होती है। तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद करती है।



चित्र 19.1 राजभवन, गुजरात

19.1.1 नियुक्ति

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए। वहः

- (अ) भारत का नागरिक हो,
- (ब) उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, और
- (स) वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।

यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य विधायिका का अथवा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किसी मंत्रिपरिषद का सदस्य है और वह राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो वह अपने उस पद से त्यागपत्र देता है। राज्यपाल पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु सामान्यतया वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता है। कि राज्यपाल अपनी पदावधि के पूर्ण होने के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वह अपनी पदावधि से पूर्व त्यागपत्र दे सकता है। यद्यपि, वास्तविक रूप में उच्च राज्यपाल नियुक्त करने तथा उसे पद से हटाये जाने का निर्णय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार लेता है।

क्रियाकलाप 19.1

यद्यपि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु दो या अधिक राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकता है। कभी-कभी जब किसी राज्य का राज्यपाल त्यागपत्र दे देता है तो पड़ोसी राज्य

के राज्यपाल को उस प्रशासन की देख-रेख का भी उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। आज भी इस तरह के कुछ मामले देखे जा सकते हैं। अपने अध्यापकों अथवा दोस्तों अथवा समाचारपत्रों/इंटरनेट से कम एक ऐसे मामले की खोज करें जहां एक ही एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है।

19.1.2 राज्यपाल

प्रत्येक पद के साथ कुछ शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। राज्य के प्रमुख के रूप में प्रभावी तरीके से अपना कार्य करने के लिए संविधान द्वारा राज्यपाल को शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

राज्यपाल की शक्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(अ) कार्यकारी शक्तियाँ

(ब) विधायी शक्तियाँ

(स) वित्तीय शक्तियाँ

(द) न्यायायिक शक्तियाँ

(इ) विवेकाधीन शक्तियाँ

(अ) कार्यकारी शक्तियाँ : भारतीय संविधान द्वारा राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित की गयी हैं जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार करता है। वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह अन्य महत्वपूर्ण पदों जैसे राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों, एडवोकेट जनरल तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जब राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल की सलाह ली जाती है। परंतु वास्तव में राज्यपाल की शक्तियाँ मात्र औपाचारिक हैं। वह मुख्यमंत्री के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा में बहुमत का नेता है। वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से ही कर सकता है। उसके द्वारा अन्य सभी नियुक्तियाँ तथा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही की जाती है।

(ब) विधायी शक्तियाँ : राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है और उसे कुछ निश्चित विधायी शक्तियाँ दी गयी हैं। उसे राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने तथा उसका अवसान करने का अधिकार है। वह राज्य विधान सभा को भंग भी कर सकता है।

वह राज्य विधानसभा अथवा विधायिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में अभिभाषण देता है। यदि एंग्लो-इंडियन समुदाय का विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को नामांकित करता है। यदि राज्य में द्विसदनीय विधायिका है तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आपको पुनः स्मरण करा दें कि वास्तविकता में राज्यपाल ये सभी कार्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर ही करता है। राज्य विधायिका द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून या अधिनियम का रूप लेता है जब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है।

(स) वित्तीय शक्तियाँ : आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा बजट विधायिका के पटल पर उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में, राज्य का बजट या 'वार्षिक वित्तीय विवरण' राज्यपाल की तरफ से राज्य के वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त

कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की संस्तुति के बिना राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल का राज्य आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है।

(द) न्यायिक शक्तियाँ : राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। वह किसी भी दंड को कर सकता है या कम कर सकता है। परन्तु सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के सम्बंध में राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार नहीं है।

(ड) विवेकाधीन शक्तियाँ: जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता में राज्यपाल की कोई शक्तियाँ के बिना भी कार्य कर सकता है। ऐसी शक्तियाँ जिनका प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर करता है, विवेकाधीन शक्तियाँ कहलाती हैं। प्रथमतः यदि विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दलों के गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने हेतु नियंत्रण दे सकता है। दूसरे, राज्यपाल केन्द्र तथा राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वह भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। तृतीय, यदि राज्यपाल यह मानता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वह राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे सकता है। वैसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, राज्य मंत्रिपरिषद् हटा दी जाती है और राज्य विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है। ऐसी आपातकाल स्थिति के दौरान, राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य में शासन करता है।

19.1.3 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच संबंध

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् से मिलकर बनती है। सामान्यतः, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही करता है। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते समय राज्यपाल अपने औपचारिक कर्तव्यों का पालन करता है। वह मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही आमंत्रित करता है। मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की संस्तुति के अनुसार ही करता है। विधानसभा में बहुमत एक दल अथवा दल समूह

अथवा निर्दलीय समूहों से मिलकर बनता है। लेकिन जब सदन में एक नेता के चुनाव हेतु स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह, सैद्धांतिक रूप से सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पदों पर बने रहते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् के सदस्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहने तक अपने पदों पर बने रहते हैं। राज्यपाल उन्हें तभी बर्खास्त कर सकता है जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है।

मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को भेजनी होती है। राज्यपाल राज्य प्रशासन से संबंधित किसी आवश्यक सूचना की मांग भी कर सकता है।

यदि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय लेता है तो राज्यपाल ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद् के समक्ष उसके विचार के लिए रखने हेतु मुख्यमंत्री से कह सकता है। यह सच है कि राज्यपाल नाममात्र का

प्रमुख होता है तथा वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् द्वारा ही प्रयोग की जाती हैं। परंतु यह कहना उचित नहीं है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है। वह कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी शक्तियों का बड़े प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है। वह विशेषतौर पर ऐसा तब कर सकता है जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता है। चूंकि वह केन्द्र तथा राज्य के बीच की कड़ी है, अतः वह उस समय बहुत प्रभावी हो जाता है, जब केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश भेजती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियाँ भी राज्यपाल को वास्तविक कार्यकारी के रूप में कार्य करने का अवसर देता हैं।

1. नीचे दिये गये प्रत्येक वाक्य में दिए गए चार में से केवल एक विकल्प ही सही है। सही विकल्प को चिन्हित (सही) कीजिए।

(i) राज्यपाल

(अ) निर्वाचित होता है।

(ब) नियुक्त होता है।

(स) मनोनित होता है।

(द) चयनित होता है।

(ii) राज्यपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की आयु

(अ) 18 वर्ष

(ब) 23 वर्ष

(स) 30 वर्ष

(द) 35 वर्ष होनी चाहिए।

(iii) राज्यपाल की पदावधि

(अ) दो साल

(ब) 5 वर्ष

(स) 6 वर्ष

(द) जीवनभर की होती है।

2. नीचे कुछ कथन दिये गये हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत? निशान लगाएँ।

(i) राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है। सही/गलत

(ii) राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। सही/गलत

(iii) राज्यपाल राज्यविधायिका का अभिन्न अंग होता है। सही/गलत

(iv) यदि राज्य विधान सभा द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उस पर राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। सही/गलत

(v) राज्यपाल की संस्तुति के बिना वित्त विधेयक विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। सही/गलत

3. किसी राज्य में, मुख्यमंत्री तथा कुछ मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गयी, उस परिस्थिति में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी गयी, जिसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति

शासन लगाए जाने की संस्तुति की गयी थी। उस संदर्भ में राज्यपाल ने कौन-सी शक्तियों का प्रयोग किया था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि राज्यपाल को इस तरह की शक्तियाँ दी गयी हैं?

19.2 मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद्

19.2.1 नियुक्ति

जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् ही वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। आप यह भी जानते हैं कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यद्यपि उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, परंतु वे विधानसभा में बहुमत के समर्थन रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री अथवा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे नियुक्ति की तारीख से छः माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का आबंटन किया जाता है।

19.2.2 मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् के कार्य

आपने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया होगा कि राज्य में जहाँ जो कुछ भी घटित होता है सबके लिए मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार माना जाता है। यदि अच्छे कार्य होते हैं तो उनके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है लेकिन यदि गलत कार्य होते हैं तो उनके लिये वह आलोचना का पात्र बनता है। ऐसा क्यों है? वास्तव में, राज्य में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह :

- मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति तथा मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के बीच मंत्रालयों के आबंटन के लिए राज्यपाल को सलाह देता है।
- राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा साथ ही विभिन्न मंत्रियों के कामकाज में समन्वय स्थापित करता है।
- राज्य के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण का मार्गदर्शन करता है तथा राज्य विधायिका में मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों का अनुमोदन करता है।
- मंत्रिपरिषद् तथा राज्यपाल के बीच वह एकमात्र कड़ी है। वह मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रशासन से संबंधित लिये गये सभी निर्णयों तथा विधायन के लिए प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराता है।
- राज्यपाल की इच्छानुसार वह ऐसा कोई भी मामला जिसपर किसी मंत्री द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया है अथवा मंत्रिपरिषद् के विचाराधीन है, तो उसे पूरे मंत्रिपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

19.2.3 मुख्यमंत्री की स्थिति

मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री ही नीतियों का निर्माण करता है तथा उन्हें लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद् का मार्गदर्शन करता है। मुख्यमंत्री सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, विशेषकर उस समय जब एक राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो।

परंतु यदि वह गठबंधन सरकार का प्रमुख होता है। तो उसकी भूमिका के अन्य भागीदारों के खींचतान तथा दबाव के कारण प्रतिबंधित हो जाती है। यदि सदन में बहुमत बहुत कम हो तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ निर्दलीय विधान सभा सदस्यों के द्वारा भी मुख्यमंत्री दबाव महसूस करता है।

राज्य विधान सभा चुनावों में जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो सदन में बहुमत प्राप्त करने हेतु एक से अधिक राजनीतिक दल और यहाँ तक की निर्दलीय विधानसभा सदस्य भी मिलकर बहुमत बना लेते हैं। इस तरह की सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। कभी-कभी, राजनीतिक दल चुनावों से पूर्व गठबंधन बना लेते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यदि उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उनके द्वारा बनायी गयी सरकार भी गठबंधन सरकार के नाम से जानी जाती है।

उपर्युक्त संदर्भ को समझते हुए निम्नांकित कीजिए:

1. ऐसे दो राज्यों का नाम बताइये जहाँ वर्तमान में गठबंधन सरकारें कार्य कर रही हैं तथा उस गठबंधन में भागीदार प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम भी लिखिए।
2. ऐसे राज्यों की पहचान कीजिए जहाँ चुनाव पूर्व राजनीतिक दलों में गठबंधन बना हो और उन्होंने साथ में चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया।

1. नीचे दिये गए कथनों में सही तथा गलत की पहचान कीजिये:

- (i) मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता राज्यपाल करता है। सही/गलत
- (ii) मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की एकमात्र कड़ी है। सही/गलत
- (iii) राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी भी मामले की मंत्रिपरिषद को समक्ष रखने के लिए कह सकता है। सही/गलत
- (iv) राज्य में राज्यपाल सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। सही/गलत
- (v) राज्यपाल मुख्यमंत्री को ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है जिस पर एक मंत्री ने निर्णय लिया हो। सही/गलत

2. निम्नलिखित मामले पर विचार करें।

एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। मीडिया ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ ठोस सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए।

- (i) क्या राष्ट्रपति शासन की संस्तुति के साथ राज्यपाल को राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए?
- (ii) क्या लोगों को भ्रष्ट निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए?
- (iii) क्या लोकतंत्र के हित में सरकार को बने रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई है तथा राज्य में शासन करने के लिए पिछले चुनावों में जनादेश प्राप्त कर चुकी है?

19.3 राज्य विधायिका

प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होती है। नीचे चित्र में आप कर्नाटक राज्य की विधानसभा का भवन देख रहे हैं। आइये हम समझें कि राज्य विधायिका का गठन कैसे किया जाता है। कुछ राज्यों में विधायिका द्विसदनीय है अर्थात् विधायिका में दो सदन हैं। अधिकांश राज्यों में विधायिका एक सदनीय है अर्थात् वहाँ एक ही सदन है। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। एक सदनीय विधायिका में विधानसभा होती है तथा द्विसदनीय विधायिका में एक विधानसभा होती है जिसे निम्न सदन तथा दूसरी विधान परिषद होती है जिसे उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं उत्तरप्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल हैं और बाकी सभी राज्यों के एकसदनीय विधायिका हैं।



चित्र 19.2 विधान सौधा (विधान सभा) बंगलुरु

19.3.1 विधानसभा का गठन

विधानसभा उन राज्यों में भी वास्तविक विधायिका होती है, जहां द्विसदनीय विधायिकाएँ हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य विधान सभा में 500 सदस्यों से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। लेकिन गोवा, सिक्किम तथा मिजोरम जैसे बहुत छोटे राज्यों की विधायिकाओं की सदस्य

संख्या 60 से कम है। विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गयी हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा महसूस हो कि राज्य विधान सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को सदन के लिए मनोनीत कर सकता है। विधानसभा एक निर्वाचित सदन है। इसके सदस्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नागरिकों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। राज्य विधानसभा का सदस्य जाने के लिए संविधान में कुछ निश्चित योग्यताओं का उल्लेख किया गया है :

- वह भारत का नागरिक हो;
- वह 25 की आयु पूरी कर चुका हो;
- उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो;
- वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो; और
- वह सरकारी कर्मचारी नहीं हो।

क्या आप जानते हैं

सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है? ऐसे सभी वयस्क पुरुष/स्त्री जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, मूलवंश, जाति, धर्म, जन्मस्थान तथा लिंग के भेदभाव के बिना, मत देने तथा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार रखते हैं।

विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होती है। लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को कार्यकाल के पूर्व भी भंग कर सकता है। इसी तरह, राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान भी विधानसभा या भंग की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय संसद राज्य विधान सभाओं की अवधि बढ़ा सकती है; किन्तु एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती।

19.3.2 विधानपरिषद का गठन

राज्य विधायिका के दूसरे अर्थात् उच्च सदन को विधानपरिषद कहते हैं। इसकी सदस्य संख्या राज्य विधान की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक तथा 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकती। जम्मू तथा कश्मीर का विधान परिषद में 36 सदस्य हैं यह एक अपवाद है। विधानपरिषद के सदस्य अंशतः निर्वाचित तथा अंशतः मनोनीत होते हैं

विधानपरिषद का संरचना निम्न रूप में होती है :

- इसके 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं;
- इसके 1/3 सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं;
- इसके 1/12 ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जो राज्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष के स्नातक हैं;

- इसके 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जो राज्य भीतर माध्यमिक पाठशालाओं में, शिक्षण के काम में कम से कम तीन वर्ष से संलग्न हो; और
- शेष 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसलिए यह भंग नहीं होती है। इसके सदस्य छः वर्ष के लिए निर्वाचित/नामांकित किये जाते हैं। प्रत्येक दो वर्ष में इसके 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त सदस्य पुनः चुने जाने के लिए योग्य होते हैं। राज्य विधानपरिषद का सदस्य बनने की योग्यताएं राज्य विधानसभा के सदस्यों के समान ही हैं। किन्तु विधान सभा के मामले में निम्नतम उम्र सीमा 25 वर्ष है जबकि विधानपरिषद के लिए 30 वर्ष है।

राज्यविधायिका की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार होती हैं। परंतु दो सत्रों के बीच की अवधि छः माह से अधिक की नहीं सकती। राज्य विधानसभा तथा विधानपरिषद अपने पदाधिकारियों जैसे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष विधान परिषद उपाध्यक्ष आदि का चुनाव करती है।

दोनों सदनों का कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाता है, जो कि सदन में अनुशासन तथा व्यवस्था भी बनाये रखते हैं।

19.3.3 राज्य विधायिका के कार्य

राज्य विधायिका निम्न तरह के कार्य करती है:

(अ) विधायी कार्य : विधानसभा को विधि निर्माण का अधिकार है। सभी कानून इसके द्वारा पारित किये जा सकते हैं। जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है वहाँ सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कोई विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है उसे विधानपरिषद के पास भेजा जाता है। विधानपरिषद या तो उसे पारित कर देती है या अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को वापस लौटाती है यदि विधेयक विधानसभा द्वारा की सिफारिशों सहित या उनके बिना पुनः पारित कर दिया

जाता है तो यह दोनों द्वारा पारित समझा जाता है। वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विधानसभा द्वारा वित्त विधेयक को पारित दिये जाने पर यह विधानपरिषद पास भेजा जाता है। विधानपरिषद को इसे पारित करके या फिर अपनी सिफारिशों साथ इसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर वापस विधानसभा को लौटाना होता है। यदि विधानसभा विधानपरिषद द्वारा की गई सिफारिशों को नहीं मानती है तब वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती। धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों को राज्यपाल स्वीकृत कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर सकता है।

(ब) कार्यपालिका पर नियंत्रण : राज्य विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। वह तभी बनी रहती है जब

तक विधानसभा का विश्वास उसे प्राप्त रहता है। यदि विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् हटा दी जाती है। इसके अलावा, विधायिका प्रश्नों और पूरक प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यानाकर्षण सूचनाओं द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है।

(स) निर्वाचन कार्य : विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बने निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं। विधानसभा संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन होती है।

(द) संविधान संशोधनों से सम्बन्धित कार्य : संविधान संशोधनों से संबंधित कार्य राज्य विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ संविधान संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में सदन के विशेष बहुमत के साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

क्या आपने कभी महसूस किया है कि राज्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर राज्य विधायिकाओं में होने वाली बहस तरह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है? सभी राज्यों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं तथा परियोजनाएं हमें प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः प्रभावित करती हैं। इनमें से प्रमुख भाग राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी परियोजनाओं का है। कई बार राज्य सरकारों द्वारा संघ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अपनाकर उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

उदाहरणार्थ आंध्रप्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए 'रेजिडेन्शियल ब्रीज कोर्सेज' के द्वारा अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसे बच्चों में मानसिक रूप से कमजोर, श्रवण/दृष्टि बाधित तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। इस तरह के प्रयास इन बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों से जुड़ने के योग्य बनाते हैं। केन्द्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के रूप में, उत्तरप्रदेश में 95,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से भी अधिक में बच्चों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना को स्कूलों में कार्यान्वित करने के लिए ग्राम का निर्वाचित प्रधान जिम्मेदार होता है। राज्य मध्याह्न भोजन गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, सोयाबीन और दालों को शामिल करता है। इन बच्चों के लिए जिन अभिनव प्रयासों अपनाया जाता है, उनमें खेल कम्प्यूटर द्वारा सीखने की प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं। महाराष्ट्र राज्य में विद्यालय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा परिवर्तन लाने में बच्चे नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। बच्चे जिन्हें 'स्वच्छता दूत' कहा जाता है, स्कूलों, परिवारों और समुदायों में सफाई और स्वच्छता के संबन्ध में जागरूकता ला रहे हैं। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा संघ सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंग के रूप में चलाया जा रहा है। नागालैण्ड की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली जैसे सामाजिक क्षेत्रों में एक नई शुरुआत की है। इन क्षेत्रों के प्रबंधन एवं नियंत्रण में समुदाय तथा सरकारी संस्थाओं की भागीदारी की ओर वह कदम बढ़ा रही है।

क्या आप जानते हैं

नागालैण्ड में 15 अप्रैल, 2002 को “नागालैण्ड सोक संस्थाओं तथा सेवाओं का सामुदायीकरण अधिनियम सं. 2, 2002 (नागालैण्ड प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं तथा सेवाओं के सामुदायीकरण नियम, 2002) पारित हुआ। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा के सामुदायीकरण की दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया।

‘सामुदायीकरण’ शब्द का प्रयोग नागालैण्ड सरकार के प्रमुख सचिव ने पहली बार 2001 में किया था। उन्होंने इसके माध्यम से सरकारी संस्थाओं के प्रबन्धन एवं नियन्त्रण में समुदाय की भागीदारी की अवधारणा की व्याख्या की थी।

प्राथमिक शिक्षा का सामुदायीकरण कई प्रकार से नागा समुदाय की परम्परा एवं चेतना के अनुरूप है। नागा समुदाय के लिए शिक्षा हमेशा से प्राथमिकता रही है। परम्परागत तौर पर “मॉरोंग” या गाँव का सभा-भवन शिक्षा का स्थान रहा है, तथा इसमें समुदाय ने अभिरूचि ली है।

राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के सामुदायीकरण की प्रक्रिया आरम्भ 2002 में की।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) ऐसे तीन राज्य कौन से हैं, जिनमें द्विसदनीय विधायिका है?
- (ii) यदि विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक विधानपरिषद द्वारा 14 दिन का अवधि में वापस नहीं लौटाया जाता तो क्या होता है?
- (iv) कौन-से दो तरीके हैं जिनके माध्यम से विधायिका मंत्रिपरिषद पर अपना नियंत्रण रखती है?
- (v) राज्य विधानसभा के कौन-से दो चुनावी कार्य हैं?

19.5 उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय

आपके अपने राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में सुना होगा। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हो सकते हैं। इस तरह का एक उदाहरण गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जिसके अधिकार क्षेत्र में आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य हैं। प्रायः संघ-शासित क्षेत्रों पर उनके पड़ोसी राज्यों के उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होता है।



चित्र 19.3 उच्च न्यायालय, गुवाहाटी

चित्र 19.3 उच्च न्यायालय, गुवाहाटी

19.5.1 उच्च न्यायालय का गठन

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या एक जैसी नहीं होती। मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की भी सलाह ली जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरित कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए संबंधित व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं:

- वह भारत का नागरिक हो;
- वह भारत के किसी क्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर आसीन रहा हो; या
- वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्षों तक लगातार, बिना किसी विराम के अधिवक्ता रहा हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन कोई मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश इसके पहले भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। यदि किसी न्यायाधीश को उनके पद से हटाए जाने के लिए साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समावेदन पारित कर दिया जाय तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों को वेतन एवं संसद द्वारा निर्धारित विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में या उस उच्च न्यायालय को छोड़कर जहाँ वे न्यायाधीश थे, अन्य उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता का कार्य कर सकते हैं।

19.5.2 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य/राज्यों या संघ-शासित क्षेत्रों की राजक्षेत्रीय सीमा तक रहता है। उच्च न्यायालय के दो प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं - प्राथमिक अधिकार क्षेत्र तथा अपीलीय अधिकार क्षेत्र। प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में सीधे लाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करना उच्च न्यायालय के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। ऐसे रिट विधायिका, कार्यपालिका या अन्य किसी अधिकारी द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। उच्च न्यायालय अपने प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य विधायिका के किसी सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका की सुनवाई करता है।

क्या आप जानते हैं

रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्च द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किए गए निर्देश या आदेश हैं। इस तरह न्यायालय इन अधिकारों को गारंटी प्रदान करते हैं।

अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत उच्च न्यायालय जिला स्तर के अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करते हैं। दीवानी मामले के संबंध में जिला न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता है। फौजदारी मामलों में सत्र-न्यायालय के वैसे फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता है, जहाँ सात वर्षों

से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कराना आवश्यक होता है। उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियन्त्रण तथा अधीक्षण के अधिकारों का प्रयोग करता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अतः सभी अधीनस्थ न्यायालय इसके फैसलों का अनुसरण करते हैं। उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दण्ड भी दे सकता है।

19.5.3 अधीनस्थ या अवर न्यायालय

जिला तथा अनुमण्डल स्तरों पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं। उसके अधीन न्यायिक पदाधिकारियों का एक पदानुक्रम होता है। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना एवं उनकी कार्यप्रणाली पूरे देश में एक जैसी होती है।

अधीनस्थ न्यायालय

दीवानी न्यायालय

फौजदारी न्यायालय

राजस्व न्यायालय

जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है ये अधीनस्थ न्यायालय दीवानी फौजदारी तथा राजस्व के मामलों की सुनवाई करते हैं।

दीवानी मामले : दीवानी न्यायालयों में दायर किए गए मामले दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सम्पत्ति अनुबन्ध या संविदा, तलाक या मकानमालिक किराएदार विवाद से संबंधित होते हैं। ऐसे दीवानी मामलों में दण्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि इनमें कानून का उल्लंघन नहीं होता।

फौजदारी मामले : ऐसे मामलों का संबंध चोरी, डकैती, पाकेटमारी, हत्या आदि से होता है। ये मामले राज्य की तरफ से पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध फौजदारी न्यायालयों में दायर किए जाते हैं। इन मामलों में यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी पाता है तो उसे सजा दी जाती है।

राजस्व न्यायालय : राज्य में एक राजस्व बोर्ड होता है। इसके मातहत आयुक्त, कलेक्टर, तहसीलदार तथा सह-तहसीलदार के होते हैं। राजस्व बोर्ड अपने अधीनस्थ सभी राजस्व न्यायालयों के विरुद्ध अन्तिम अपील की सुनवाई करता है। किन्तु सभी राज्यों में राजस्व बोर्ड नहीं होता। आन्ध्र प्रदेश गुजरात तथा महाराष्ट्र में राजस्व न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में वित्त आयुक्त होते हैं।

1. खाली स्थानों को भरिए:

(अ) गुवाहटी उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर भारत के ——— राज्यों के उच्च न्यायालय का कार्य करता है ।

(ब) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ——— द्वारा ——— की सलाह से होती है ।

(स) उच्च न्यायालय को ——— अधिकारक्षेत्र तथा ——— अधिकार क्षेत्र हैं ।

(द) अधीनस्थ न्यायालय तीन के हैं (i) ——— (ii) ——— (iii) ———

2. अपने राज्य या किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के नामों को एकत्रित करिए । यह पता कीजिए कि उनमें से कितनी महिला न्यायाधीश हैं । आप पाएंगे कि महिला न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, या शायद नहीं है । ऐसी स्थिति के कारणों पर प्रकाश डालिए ।

आपने क्या सीखा

- भारत में एक संघीय व्यवस्था है । इसीलिए यहाँ केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें हैं । दोनों स्तरों की सरकारों का गठन तथा उनके कार्य संसदीय पद्धति के सिद्धान्तों पर आधारित हैं ।

- राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संविधान के अनुसार उसे व्यापक कार्यकारी, विधायी, वित्तीय एवं विवेकाधीन अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु वास्तव में विवेकाधीन अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका है। यह ठीक कहा गया है कि मुख्यमंत्री ही राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख है।
- भारत के अधिकतम राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। कुछ राज्यों की विधायिका द्विसदनीय है। राज्य विधायिका के दो सदन हैं : विधानसभा तथा विधानपरिषद। एक सदनीय विधायिका वाले राज्यों में केवल विधानसभा होती है। राज्य विधायिका का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद को भी नियंत्रित करती है।
- उच्च न्यायालय राज्य स्तर की न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है। उच्च न्यायालय को प्राथमिक एवं अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व के मामलों की सुनवाई करते हैं।

पाठान्त प्रश्न

1. राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल के कौन-कौन से अधिकार एवं कार्य हैं?
2. राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है?
3. राज्य विधायिका के संगठन, अधिकार एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए।
4. उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों की विवेचना कीजिए।
5. अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा किन प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

19.1

1. (i) ब
(ii) द
(iii) ब
2. (i) गलत
(ii) सही
(iii) सही
(iv) गलत
(v) सही
3. अपनी समझ के आधार पर उत्तर लीखिए। आप 19.1.2 (इ) देख सकते हैं।

19.2

1. (i) गलत
(ii) सही
(iii) गलत
(iv) गलत
(v) सही
2. भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका की अपनी समझ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लीखिए। अपने बुजुर्गों तथा शिक्षकों से इस तरह के अन्य मामलों का पता लगाइए।

19.3

- (i) बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र (कोई तीन)
- (ii) ऐसा समझा जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित गया;
- (iii) प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पृष्ठकर, स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण नोटिस लाकर; (कोई तीन)
- (iv) राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा अपने-अपने राज्य से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

19.4

1. (अ) सात
(ब) भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

(स) प्रारम्भिक, अपीलीय

(द) (i) दीवानी न्यायालय (ii) फौजदारी न्यायालय (iii) राजस्व न्यायालय

2. आवश्यक सूचना इकट्ठा कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

हम प्रायः भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रियों, अफसरों, राजनीतिक लोगों के विषय में चर्चा करते हैं। ऐसी चर्चाएँ हमारे घरों, दफ्तरों, चाय की दुकानों, कैन्टीनों तथा गली के नुक्कड़ तक पर होती रहती हैं। क्या कभी आपने सोचा और आश्चर्य किया कि हम इन लोगों के बारे में चर्चा क्यों करते हैं? इसका कारण है कि वे सरकार के मुख्य कार्य अधिकारी हैं और उनके विचार तथा कार्य किसी-न-किसी रूप में हमें प्रभावित करते हैं। किसी भी देश में लोगों के विकास तथा गुणवत्ता को रूप देने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कारण से हम उनके बारे में अधिक-से-अधिक जानना चाहते हैं।

हमारे देश में संघीय व्यवस्था है इसलिए हमारे देश में गाँवों, कस्बों और शहरों में मूल स्तर पर स्थानीय सरकारों के अतिरिक्त संघीय तथा राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं। संघीय तथा राज्य सरकारें संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर गठित होती हैं तथा अपना कार्य करती हैं। इस प्रणाली के अनुसार भारतीय संविधान में सरकार की तीनों

शाखाओं; कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना तथा कार्य करने के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। संघीय सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् तथा इसके मुखिया प्रधानमन्त्री सम्मिलित होते हैं। संसद विधायी शाखा है तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक शाखा है। इस पाठ में हम सरकार की इन तीनों शाखाओं की संरचना तथा कार्यप्रणाली के विषय में चर्चा करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, कार्यकाल तथा शक्तियों एवं उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे;
- प्रधानमन्त्री की नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् के गठन, शक्तियों और कार्यों का विश्लेषण कर पाएँगे;
- प्रधानमन्त्री की शक्तियाँ तथा स्थिति एवं मन्त्रिपरिषद् के साथ उसके सम्बन्धों का परीक्षण कर सकेंगे;

- संसद् का गठन, उसकी शक्तियाँ तथा कार्य स्पष्ट कर सकेंगे तथा राज्य सभा और लोक सभा की स्थिति की तुलना कर सकेंगे;
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं न्यायिक क्षेत्राधिकार, इसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की व्याख्या तथा जनहित याचिका एवं न्यायिक सक्रियता के हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव को भली प्रकार से महसूस कर सकेंगे ।

20.1 राष्ट्रपति

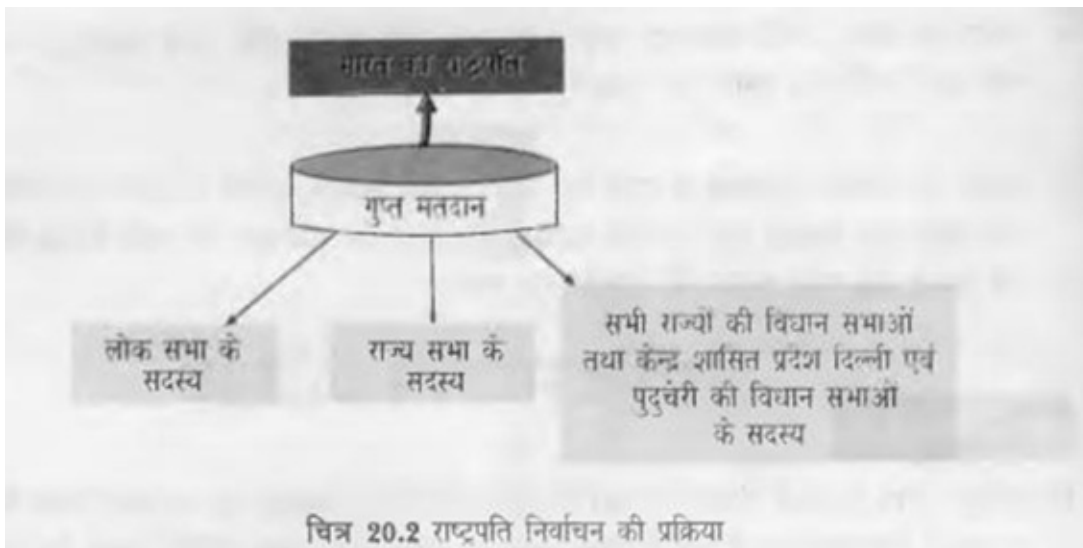
निम्नलिखित चित्र गणतन्त्र दिवस परेड का है। हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस मनाते हैं। भारत को एक गणतन्त्र के रूप में जाना जाता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है अपितु वहाँ का राज्य प्रमुख राजा अथवा महारानी होती है। वहाँ यह पद वंशानुगत है।



चित्र 20.1 गणतन्त्र दिवस परेड

चित्र 20.1 गणतन्त्र दिवस परेड

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है। जिसमें संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद तथा सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुच्चेरी (पूर्व में पाण्डिचेरी) की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।



चित्र 20.2 राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया

राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ

राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए :

- (i) वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
- (ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
- (iii) वह लोक सभा का निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यता रखता हो और
- (iv) वह भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण में किसी लाभकारी पद आसीन पर नहीं होना चाहिए ।

कार्यकाल

राष्ट्रपति पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, परन्तु वह अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी तब तक पद बने रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पर आसीन नहीं हो जाता है । राष्ट्रपति पद पर आसीन अथवा आसीन रह चुके व्यक्ति द्वारा पुनः चुनाव लड़ने का प्रावधान है । राष्ट्रपति पद निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण रिक्त हो सकता है ।

- (i) उसकी मृत्यु हो जाने के कारण
- (ii) त्याग-पत्र देने कारण,
- (iii) महाभियोग द्वारा पद से दिये जाने के कारण । महाभियोग (राष्ट्रपति को उसके असंवैधानिक कृत्यों के कारण हटाने का प्रस्ताव) को संसद् के दोनों के विशेष बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है ।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना कार्यभार न सम्भाल ले । उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता । राष्ट्रपति के लिए वेतन, भत्ते तथा सुविधाएँ संसद् द्वारा पारित कानून द्वारा निर्धारित होते हैं । संविधान के

अनुसार राष्ट्रपति को 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था जिसे 1998 में बढ़ा कर 50 हजार रुपये कर दिया गया था तथा फिर से 2008 में बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कई भत्ते तथा सुविधाएँ भी मिलती हैं और वह नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में निवास करता है।



चित्र 20.3 राष्ट्रपति भवन

चित्र 20.3 राष्ट्रपति भवन

- (i) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया और वे लगातार दो बार इस पद पर आसीन रहे।
- (ii) श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। वह भारत की बारहवीं राष्ट्रपति थीं।
- (iii) आज तक केवल दो राष्ट्रपति, डॉ. जाकिर हुसैन एवं श्री फखरुद्दीन अहमद की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है।

20.1.2 राष्ट्रपति की शक्तियाँ

जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं कि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। यह हमारे देश का सर्वोच्च पद है। भारत सरकार के सभी कार्य उसके नाम पर होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियाँ हैं।

(अ) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ

भारत का संविधान संघ की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान करता है। वह प्रधानमन्त्री को नियुक्त करता है जो लोक सभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का अथवा पार्टियों के ऐसे समूह का नेता होता है जिसे लोक सभा में बहुमत प्राप्त हो। वह प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करता है। प्रशासन का औपचारिक मुखिया होने के कारण संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों में राज्यों के राज्यपालों, महान्यायाधीश, महालेखापरीक्षक, राजदूतों एवं उच्चायुक्तों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों को नियुक्त करने की शक्ति भी शामिल है। वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है तथा सेना के तीनों अंगों-थल सेना, वायु सेना और जल सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है।

(ब) विधायी शक्तियाँ

राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है और अपनी इस हैसियत के आधार पर उसे कई विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष आहूत होने वाले संसद के प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक चुनाव के बाद आहूत लोक सभा को सम्बोधित करता है। वह संसद के सदनों के अधिवेशन बुला अथवा स्थगित कर सकता है। और मन्त्रिपरिषद् की सिफारिश पर लोक सभा को भंग कर सकता है। उसकी सहमति और स्वीकृति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। यदि राज्य सभा और लोक सभा के बीच किसी बिल को पारित करने में सहमति नहीं बनती है तो वह मुद्दे का हल निकालने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकती है। जिसे कानून की शक्ति प्राप्त होती है।

(स) वित्तीय शक्तियाँ

उपरोक्त कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियों के साथ राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। लोक सभा में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में लोक सभा में प्रस्तुत सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति और सहमति प्राप्त होती है। आपने बजट के बारे में अवश्य सुना होगा। यह भारत सरकार की वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में इसको लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर चर्चा करते समय प्रयुक्त शब्दों अधिवेशन बुलाना, करना, 'भंग करना' तथा 'अध्यादेश' के क्या अर्थ हैं?

संसद का अधिवेशन बुलाना : राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को एक औपचारिक सूचना भेजता है कि लोक और राज्य सभा का अधिवेशन एक निश्चित तिथि को शुरू एक निश्चित तिथि तक जारी रहेगा।

संसद अधिवेशन स्थगित करना : राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को एक औपचारिक सूचना जारी करता है कि लोक सभा/राज्य सभा का अधिवेशन एक निश्चित तिथि के बाद नहीं होगा।

लोक सभा को भंग करना : जब राष्ट्रपति लोक सभा को भंग करता है तो इसका अर्थ होता है कि सदन अगला चुनाव होने तथा पुनर्गठित होने तक वर्तमान सदन का अस्तित्व नहीं रहेगा।

अध्यादेश : यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरन्त आवश्यकता हो तो इसको एक अध्यादेश जारी करके लागू किया जा सकता है। अध्यादेश, प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाती है। यह कानून की भाँति ही प्रभावी होता है। लेकिन जैसे ही संसद का अधिवेशन शुरू होता है। तो इसको 6 सप्ताह में स्वीकार नहीं करती तो अध्यादेश निरस्त हो जाता है।

न्यायिक शक्तियाँ : राज्य के प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति के पास कुछ निश्चित न्यायिक शक्तियाँ होती हैं कि अपराध में दण्डित किसी व्यक्ति को क्षमा करने अथवा उसके दण्ड कम करने की उसको शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण के वह किसी अदालत अथवा सैन्य न्यायालय द्वारा दण्डित किसी अपराधी की सजा को स्थगित, माफ अथवा कम कर सकता है।

1. भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है?

2. रिक्त स्थान भरिए :

(i) राष्ट्रपति ——— का मुखिया होता है ।

(ii) भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु योग्य होने के लिए, उस व्यक्ति को (अ) ——— (ब) ———
(स) ——— योग्यताएँ होनी चाहिए ।

(iii) राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में ———- भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा ।

(iv) राष्ट्रपति की शक्तियों को चार मुख्य भागों - (अ) ———- (ब) ———-
(स) ———- (द) ———- में वर्गीकृत किया गया है ।

3. भारत का राष्ट्रपति एक वर्ष में कितनी बार संसद का अधिवेशन बुलाता है? उन अधिवेशनों के क्या नाम हैं?

(यह सूचना भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तकों, इन्टरनेट, अथवा अपने अध्यापकों, सहपाठियों और मित्रों के माध्यम से एकत्रित कीजिए।

20.1.3 राष्ट्रपति और आपात उपबंध

अब तक हमने भारत के राष्ट्रपति की उन शक्तियों की चर्चा की है जिसका प्रयोग वे सामान्य समय में करते हैं। इन शक्तियों से अलग उसके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग वह असामान्य स्थिति में करता है। इन्हें आपातकालीन शक्तियाँ कहा जाता है। संविधान में तीन विशेष परिस्थितियों अथवा असामान्य स्थितियों से निपटने के लिए इन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। ये स्थितियाँ (अ) युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह (ब) किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता और (स) वित्तीय संकट हो सकती हैं।

(i) युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह : यदि राष्ट्रपति इस बात से सन्तुष्ट हो कि भारत की सुरक्षा अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी अथवा सशस्त्र विद्रोह से खतरा है तो वह 'आपातकाल की घोषणा' कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा केवल तब करता है जब उसे मन्त्रीमण्डल का निर्णय (प्रधानमन्त्री तथा कैबिनेट मन्त्रियों का निर्णय) लिखित में भेजा जाता है। प्रत्येक घोषणा को संसद के सदनों के समक्ष रखा जाता है तथा यदि इसको एक मास के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो यह स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संघीय सरकार राज्य सरकारों को उनकी कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों के प्रति निर्देश दे सकती है और संसद राज्य विधान सभा के विधायी कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है।

सन् 1975 ई. में जब इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री थीं, तब राष्ट्रपति ने आन्तरिक सुरक्षा के खतरे के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। यह घोषणा निरन्तर विवादास्पद रही और अनेक लोग अभी भी लोकतान्त्रिक भारत के इतिहास का काला समय कहते हैं। इस आपातकाल की घोषणा के पीछे के कारणों के बारे में पुस्तकों, इन्टरनेट, अपने अध्यापकों अथवा बुजुर्गों से जानकारी एकत्रित कीजिए।

(अ) एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर क्या आप इस घोषणा को न्यायोचित मानते हैं? कृपया कम-से-कम दो कारण लिखिए।

(ब) अपने किसी बुजुर्ग (जो आपातकालीन के दौरान रह चुका हो) के साथ हुई बातचीत के आधार पर ऐसे दो प्रभावों को लिखिए जिन्होंने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया।

(ii) दूसरे प्रकार का आपातकाल राज्य की स्थिति से संबंधित है। इसकी घोषणा उस समय की जा सकती है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र विफल हो गया हो। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के पर सन्तुष्ट हो अथवा सन्तुष्ट हो कि राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ऐसी को दो मास के भीतर संसद् के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यदि संसद् का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता तो यह घोषणा दो मास का अवधि के बाद निष्प्रभावी हो जाती है। संसद् के अनुमोदन के बाद यह एक बार में यह एक बार में छः महीने से अधिक जारी नहीं रह सकती और किसी भी स्थिति में तीन वर्ष से अधिक जारी नहीं रह सकती। इस काल के दौरान राज्य की विधान सभा को या तो भंग कर दिया जाता है अथवा स्थगित रखा जाता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर सभी कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग करता है। संसद् उस राज्य विशेष की विधायी शक्तियों को ग्रहण कर लेती है।

आप किसी एक ऐसे समय के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए जब आपके ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो। यदि आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन कभी लागू नहीं किया गया हो तो किसी अन्य राज्य के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। जानकारी एकत्र करने के लिए अपने अध्यापक, पुस्तकों अथवा इन्टरनेट का प्रयोग कीजिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने के दो-तीन कारण लिखिए। क्या हटाई गई सरकार चुनावों के बाद फिर सत्ता में लौटकर आई?

(iii) तीसरे प्रकार के आपातकाल को वित्तीय संकट कहते हैं और इसकी घोषणा तब की जाती है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख को खतरा हो। अन्य दो आपातकालीन स्थितियों की ही तरह इस घोषणा को भी दो मास के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार संसद की स्वीकृति मिलने पर यह निरन्तर तब तक जारी रह सकती है जब तक कि इसको वापस नहीं ले लिया जाए। इस स्थिति में राष्ट्रपति, सभी सरकारी कर्मचारियों तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन कम कर सकता है। भारत में अब तक वित्तीय संकट की घोषणा नहीं की गई है।

क्या आप जानते हैं

(i) पहले प्रकार के आपातकाल का घोषणा पहली बार 1962 में भारत और चीन के बीच संघर्ष और युद्ध के समय की गई थी; दूसरी बार यह घोषणा 1965 में भारत-पाक युद्ध के समय की गई थी। तीसरी बार यह घोषणा 1971 में की गई जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग स्वतन्त्र राज्य बांग्लादेश बनने में सहायता की थी और चौथी बार यह घोषणा 1975 में की गई जब प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में मन्त्रीमण्डल ने आन्तरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजी थी।

(ii) दूसरे प्रकार के आपातकाल के लागू होने से संघीय सरकार को अति विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार का आपातकाल 1951 में पंजाब राज्य में घोषित किया गया था और फिर 1959 में केरल में घोषित किया गया था। समय के साथ इस शक्ति का प्रयोग कई बार किया गया। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग उन राज्यों की सरकारों को हटाने के लिए किया जाता है जिन राज्यों में केन्द्र में सत्ता प्राप्त पार्टी से अलग पार्टी का शासन होता है। इस प्रकार का आपातकाल अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आता है जिसमें भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना सम्मिलित है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो निर्वाचित सरकार को स्थगित कर दिया जाता है तथा राज्य का प्रशासन सीधा राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। अनुच्छेद 356 विवादास्पद है क्योंकि कुछ लोग इसको अलोकतान्त्रिक मानते हैं क्योंकि इसमें केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। 1994 में एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को कम कर दिया है क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन लागू करने लिए सख्त दिशा निर्देशों स्थापित कर दिए गए हैं।

20.1.4 राष्ट्रपति की स्थिति

क्या आपने देखा है कि जब संघीय सरकार की कार्य-प्रणाली की चर्चा संसद् अथवा समाचार-पत्रों अथवा टेलीविजन पर की जाती है तो प्रायः प्रधानमन्त्री और मन्त्रियों की भूमिका की चर्चा होती है। लेकिन हमने पहले देखा है कि संविधान कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान करता है। उसके पास आपातकाल सम्बन्धी शक्तियाँ भी व्यापक हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति सर्व शक्ति सम्पन्न है? नहीं। वास्तव में राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी अथवा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। निःसन्देह सरकार उसके नाम से चलती है लेकिन भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल

की सलाह और सहायता से करना होता है। यह केवल साधारण परामर्श नहीं है अपितु बाध्यकारी है। इससे संकेत मिलता है कि प्रधानमन्त्री और मन्त्रीमण्डल ही सरकार में वास्तविक शासक हैं। सभी निर्णय प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति को इन निर्णयों की सूचना पाने का अधिकार है। इसी प्रकार आपातकालीन प्रावधान भी राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्तियाँ प्रदान नहीं करते।

भारत के संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को वही स्थान प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में राजा/रानी को प्राप्त है। वह राज्य का अध्यक्ष है परन्तु कार्यपालिका नहीं है। वह देश का प्रतिनिधित्व करता है परन्तु शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान केवल एक औपचारिक अध्यक्ष का है जिसकी मुहर से देश के निर्णय जाने जाते हैं।

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर (संविधान सभा में बोलते हुए)



चित्र : भीमराव अम्बेडकर

उपरोक्त कथन के आलोक में कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है। कि राष्ट्रपति की तुलना एक खड़ स्टैम्प से की जा सकती है। लेकिन यह निष्कर्ष भी सत्य नहीं है। राष्ट्रपति को संविधान को बनाए रखने, रक्षा करने और बचाए रखने का कार्य सौंपा गया है। वह संविधान में दर्ज लोकतान्त्रिक प्रणाली का संरक्षक है। अनिश्चित राजनीतिक स्थिति में वह सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति को दिखाया है। फिर भी व्यवहार में राष्ट्रपति नाममात्र अथवा संवैधानिक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक ही कहा गया है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को सर्वोच्च सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा तो प्राप्त है परन्तु वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं है।

क्या आप जानते हैं

उपराष्ट्रपति के विषय में कुछ तथ्य

जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के त्याग-पत्र देने, राष्ट्रपति को हटाने अथवा राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण रिक्त हुए पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भाँति कार्य करता है। संविधान के उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होने का अर्थ है कि वह उपराष्ट्रपति होने के कारण सभापति होता है। वह एक निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएँ वही हैं जो पद के लिए हैं। उसका मुख्य कार्य राज्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है जैसा कि लोक सभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

- (i) दूसरे प्रकार के आपातकाल की घोषणा कैसे की जाती है? राज्य पर इसका क्या प्रभाव होता है?
- (ii) आपातकाल की घोषणा करने में प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल की क्या भूमिका होती है?
- (iii) क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मिली-जुली सरकारों के समय में राष्ट्रपति की स्थिति बहुत प्रभावशाली होती है? कारण लिखिए।
- (iv) निम्नलिखित में से कौन-से कथन 'सत्य' और कौन-से असत्य हैं?
 - (अ) राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक अध्यक्ष है।
 - (ब) राष्ट्रपति केवल एक खड़े स्टैम्प है।
 - (स) राष्ट्रपति न शासन करता है और न ही हुक्मत।
 - (द) राष्ट्रपति संविधान को बनाए रखता है रक्षा करता है और बचाता।

क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला प्रधानमन्त्री कौन था? हाँ, वह चाचा नेहरू ही थे अर्थात् जवाहर लाल नेहरू। आप सोचिये कि जब उन्होंने यह महत्वपूर्ण पद लिया होगा तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? याद कीजिए कि उस समय भारत को अंग्रेजों के शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई ही थी। उनके सामने कौन-सी चुनौतियाँ थीं? आइए हम उनके ही शब्दों से जानें (उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इण्डिया में लिखित : “भारत एक गरीब देश नहीं है। उसके पास वह सब कुछ है जिससे एक देश अमीर बनता है और फिर भी यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं-भारत के पास संसाधन हैं तथा तेजी से आगे बढ़ने के लिए बुद्धिमत्ता, कौशल और क्षमता है।” उसने आगे लिखा, “हमारा लक्ष्य समानता होना चाहिए सबको केवल समान अवसर प्रदान करना ही नहीं अपितु शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए विशेष अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वह अपने से आगे वालों तक पहुँचने के योग्य हो सकें। भारत में अवसरों के द्वार सबके लिए खोलने के किसी भी प्रयास से इस देश को विस्मयकारी दर से बदलने की अपार ऊर्जा और योग्यता प्राप्त होगी।” नेहरू ने देश को आगे ले जाने के महान दायित्व का अनुभव किया क्योंकि प्रधानमन्त्री के रूप में उसको एक प्रमुख भूमिका निभानी थी।

यदि आप टेलीविजन अथवा रेडियो पर समाचार सुनें तो पाएँगे कि आज भी हम संघीय सरकार के किसी अन्य पद से कहीं अधिक प्रधानमन्त्री के विषय में सुनते हैं। वास्तव में प्रधानमन्त्री केन्द्र में अति महत्वपूर्ण पद है। यदि आप संविधान पढ़ें तो आपको एक अलग छवि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सभी शाक्तियों को राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताया गया है लेकिन केवल एक प्रावधान सारी स्थिति को पलट देता है। संविधान में दर्ज है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिमण्डल होगा और राष्ट्रपति इस परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। वास्तव में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रिमण्डल की सलाह (परामर्श) पर कार्य करने के लिए बाध्य है। प्रधानमन्त्री ही संघीय कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष (मुखिया) है।

प्रधानमन्त्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन राष्ट्रपति को केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमन्त्री पद के लिए आमन्त्रित करना होता है जो लोक सभा में बहुमत का नेता हो। पूर्व में आमन्त्रित किया जाने वाला व्यक्ति किसी एक राजनीतिक पार्टी का नेता होता था। जिसको लोक सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता था। लेकिन मिली-जुली और गठबन्धन की सरकारों का दौर शुरू होने के साथ वह एक से अधिक पार्टियों के समूह का नेता हो सकता है। परिवर्तित स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को आमन्त्रित करता है जो लोक सभा में सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी का नेता होता है तथा जिसे आवश्यक बहुमत जुटाने के लिए अन्य पार्टियों से समर्थन प्राप्त होता है। प्रधानमन्त्री बनने के लिए बहुमत का नेता होने के साथ-साथ उसे संसद का सदस्य होना भी अनिवार्य है। यदि वह अपनी नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है तो उसे अपने प्रधानमन्त्री नियुक्त होने की तिथि से छः मास के अन्तर्गत सदस्यता प्राप्त करनी होती है।

क्या आप जानते हैं

ऐसी सरकार जिसको विधायिका के एक से अधिक पार्टियों के सदस्य मिलकर बनाते हैं, उसे गठबन्धन की सरकारों कहते हैं। भारत में गठबन्धन की सरकारों का दौर 1967 के आम चुनावों के बाद शुरू हुआ जब पहली बार कांग्रेस विरोधी राजनीतिक पार्टियों की कई राज्यों में सरकारें गठित हुईं। केन्द्र में यह दौर 1977 में चुनावों के बाद जनता पार्टी की सरकार के साथ शुरू हुआ और निम्नलिखित गठबन्धन की सरकारों का गठन हुआ।

(यहाँ प्रधानमन्त्री के नाम से पहचान निश्चित की गई है।)

पहली - मोरार जी देसाई 1977-79

दूसरी - चौ. चरण सिंह 1979-80

तीसरी - वी.पी. सिंह 1989-90

चौथी - चन्द्रशेखर 1990-91

पाँचवीं - अटल बिहारी वाजपेयी 1996-1996

छठी - एच.डी. देवगौड़ा 1996-1997

सातवीं - आई.के. गुजराल 1997-98

आठवीं - अटल बिहारी वाजपेयी 1998-99

नौवीं - अटल बिहारी वाजपेयी 1999-2004

दसवीं - मनमोहन सिंह 2004-2009

ग्यारहवीं - मनमोहन सिंह 2009

(राजग और संप्रग दो मुख्य गठबन्धन हैं जिनका नेतृत्व क्रमशः भाजपा और कांग्रेस कर रही है।)

20.2.1 प्रधानमन्त्री के कार्य

क्या यह रोचक नहीं है कि भारत का संविधान प्रधानमन्त्री की शक्तियों के विषय में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं करता जबकि यह संघीय सरकार का सबसे अधिक शक्तिशाली पद है। संविधान में केवल इतना प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रीमण्डल की सहायता और सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। परन्तु व्यावहार में प्रधानमन्त्री ही मन्त्रीमण्डल को बनाता और तोड़ता है। केवल प्रधानमन्त्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मन्त्रीमण्डल के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उनमें विभाग बाँटता है। वह मन्त्रीमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसके निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत

कराता है। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति और मन्त्रीमण्डल के बीच एक कड़ी का काम करता है। यदि किसी कारणवश वह अपने पद से त्याग-पत्र देता/देती है तो पूरा मन्त्रीमण्डल भंग हो जाता है। जब कभी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो वह राष्ट्रपति को लोक सभा भंग करने और फिर से चुनाव करवाने की सिफारिश कर सकता है। वास्तव में प्रधानमन्त्री केवल बहुमत वाली पार्टी अथवा संसद का नेता ही नहीं होता अपितु वह राष्ट्र का भी नेता होता है। उसका पद शक्ति का पद है जबकि राष्ट्रपति का पद सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का पद है। प्रधानमन्त्री योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता है। वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सरकार के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्र का नेतृत्व करता है।



चित्र 20.4 संघीय मन्त्रीपरिषद् के सदस्य शपथ ग्रहण के बाद (2009)

चित्र 20.4 संघीय मन्त्रीपरिषद् के सदस्य शपथ ग्रहण के बाद (2009)

जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि भारत का संविधान कहता है कि “राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रीपरिषद् होगी जिसके परामर्श अनुसार राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति, मन्त्रीपरिषद् द्वारा दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए मन्त्रीपरिषद् को कह सकता है परन्तु राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद भेजे गए परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा।”

मन्त्रीपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मन्त्रीपरिषद् में मन्त्रियों के तीन वर्ग हैं - कैबिनेट मन्त्री, राज्यमन्त्री और उपमन्त्री। ये मन्त्री प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में एक टीम की तरह काम करते हैं।

मन्त्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन उन्हें तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक उन्हें प्रधानमन्त्री का विश्वास प्राप्त है। वास्तव में संविधान के अनुसार मन्त्री सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यदि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो प्रधानमन्त्री सहित पूरी मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है। मन्त्रीपरिषद् में अविश्वास दर्शाने के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा लाए गए विधायी प्रस्ताव को ‘अविश्वास प्रस्ताव’ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मन्त्री साथ तैरते और साथ डूबते हैं।

कैबिनेट (मन्त्रीमण्डल) अथवा मन्त्रीपरिषद् की कार्यवाही को गुप्त रखा जाता है। मन्त्रीपरिषद् मन्त्रियों की एक बड़ी इकाई है। गत वर्षों में हमने देखा है कि कैबिनेट स्तर के 20 से 25 मन्त्री होते हैं जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। इसके बाद राज्य मन्त्री होते हैं जिनमें से कुछ के पास महत्वपूर्ण मन्त्रालय होते हैं और अन्य कुछ कैबिनेट मन्त्रियों अथवा के साथ सम्बद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त मन्त्रियों का एक वर्ग ‘उपमन्त्री’ के रूप में होता है जो कैबिनेट मन्त्रियों अथवा राज्य मन्त्रियों के साथ सम्बद्ध होते हैं। कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट मन्त्री ही उपस्थित होते हैं। परन्तु यदि जरूरत हो तो राज्य मन्त्रियों को भी ऐसी बैठक में शामिल होने के लिए

आमन्त्रित किया जा सकता है।

20.2.3 प्रधानमन्त्री की स्थिति

उपरोक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट है कि संघीय सरकार में प्रधानमन्त्री की स्थिति अति महत्वपूर्ण है। वह संसद् में सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता और रक्षक होता है। मन्त्रीपरिषद् उसकी टीम की तरह कार्य करती है। पूरा राष्ट्र आवश्यक नीतियों, कार्यक्रमों और कार्रवाइयों के लिए उसकी ओर देखता है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और दूसरे देशों के साथ सन्धियाँ प्रधानमन्त्री की सहमति से होती हैं। सरकार और संसद् में उसकी विशेष हैसियत होती है। प्रधानमन्त्री अपनी टीम का चयन बहुत ध्यान से करता है और उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त करता है। यह भी सत्य है कि गठबन्धन की सरकारों में प्रधानमन्त्री को समान विचार वाली राजनीतिक पार्टियों से भी सहायता लेनी पड़ती है। पिछले दस-बारह वर्षों का अनुभव बताता है कि ऐसे परिदृश्य में प्रधानमन्त्री को बहुत सर्तक तथा कूटनीतिक रहना पड़ता है। उसको देश की रक्षा और सुरक्षा के सम्बन्ध में बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। उसको न केवल बेहतर जीवन स्थितियाँ प्रदान करने के लिए ही नीतियाँ बनानी होती हैं अपितु शान्ति बनाए रखने तथा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए भी नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। उपरोक्त तथ्यों के कारण ही प्रधानमन्त्री कैबिनेट की नींव का पत्थर होता है।

पिछले एक-दो सप्ताह के समाचार-पत्रों को पढ़िए अथवा देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर टेलीविजन पर हुई किसी चर्चा को याद कीजिए। उनके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

- (i) समाचार-पत्रों अथवा टेलीविजन पर किन दो मुख्य समस्याओं के विषय में चर्चा हुई?
- (ii) क्या आप इन समस्याओं के प्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्रियों अथवा सरकार के प्रवक्ता की ओर से व्यक्त विचारों से सन्तुष्ट हैं? कारण लिखिए।
- (iii) आपके अनुसार इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रधानमन्त्री को क्या करना चाहिए।

1. रिक्त स्थान भरिए ।

(अ) प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रियों की परिषद् को ——— कहते हैं ।

(ब) राष्ट्रपति को ——— के रूप में निर्वाचित व्यक्ति को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्ति के लिए आमन्त्रित करना चाहिए ।

(स) प्रधानमन्त्री ——— का अध्यक्ष होता है ।

(द) राष्ट्रपति ——— की सिफारिश पर मन्त्रियों की नियुक्ति करता है ।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

- (अ) प्रधानमन्त्री और मन्त्रीपरिषद् को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे हटाया जा सकता है?
- (ब) राष्ट्रपति और मन्त्रीपरिषद् के बीच कड़ी का काम कौन करता है ।
- (स) मन्त्रीपरिषद् में मन्त्रियों के तीन वर्ग कौन से हैं?
- (द) कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

किसी देश के प्रधानमन्त्री में नेतृत्व के कई गुण होने चाहिए। आपके विचार में एक अच्छे नेता के क्या गुण हैं? जाँच कीजिए कि क्या वर्तमान प्रधानमन्त्री में ये गुण हैं। यह भी देखिए कि आप में नेतृत्व वाले कौन-से गुण हैं?

एक अच्छे वर्तमान प्रधानमन्त्री में स्वयं आप में पाए जाने वाले नेता के उपलब्ध गुणों को (सही) गुणों को (सही) चिह्नित गुण चिह्नित कीजिए कीजिए।

20.3 भारतीय संसद

क्या आप नीचे दिए गए चित्र की संस्था को पहचानते हैं? हाँ, यह संसद् भवन ही है । संघीय सरकार की विधायी शाखा को संसद् कहते हैं जिसमें राष्ट्रपति और संसद् के दोनों सदन; लोक सभा और राज्य सभा शामिल होते हैं । यहाँ यह समझना आवश्यक है कि राष्ट्रपति को संसद् का एक अंग बनाना संसदीय प्रणाली की सरकारों के सिद्धान्तों और परम्पराओं के अनुरूप है । अब हम संसद् के दोनों सदनों के संगठन, शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे ।



चित्र 20.5 भारत का संसद् भवन

20.3.1 लोक सभा

लोक सभा को संसद् का निम्न सदन कहते हैं। यह लोगों के प्रतिनिधियों की संस्था है। लोक सभा के सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकती। इनमें से 530 को सीधे भारत के विभिन्न राज्यों के लोग चुनते हैं और शेष 20 सदस्य केन्द्र शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ऐसे सभी नागरिक जो 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं, को मत देने का अधिकार है और वे लोक सभा के सदस्यों को चुनते हैं। भारत के संविधान के अनुसार यदि लोक सभा में एंग्लो इण्डियन समुदाय का कोई सदस्य न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के दो सदस्यों को नामांकित कर सकता है। जब चुनावों की घोषणा की जाती है तो प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। इन्हें संसदीय क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है।

लोक सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष है। लेकिन इसको राष्ट्रपति भी पहले भी भंग कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान इसके कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोक सभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति (i) भारत का नागरिक होना चाहिए, (ii) उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, (iii) उसके पास केन्द्रीय, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों में लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए। उसके पास वह सब योग्यताएँ होनी चाहिए जो समय-समय पर संसद् द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निश्चित की गई हों।

20.3.2 राज्य सभा

राज्य सभा संसद् का उच्च सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इनमें से 238 राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से होते हैं तथा शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से प्रतिष्ठित लोग होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य से सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती। राज्य सभा को कभी

भंग नहीं किया जा सकता। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। लेकिन एक व्यवस्था के अन्तर्गत कुल सदस्यों का एक तिहाई प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है और नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता के लिए एक व्यक्ति को- (अ) भारत का नागरिक होना चाहिए, (ब) उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, (स) अन्य योग्यताएँ वही हैं जो लोक सभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक हैं। संसद् के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। दो अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास अधिवेशन स्थगित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास लोक सभा भंग करने का अधिकार तो है, परन्तु राज्य सभा भंग करने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह एक स्थायी सदन है।

20.3.3 पीठासीन पदाधिकारी

लोक सभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है और वह लोक सभा की अध्यक्षता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं; वह निचले सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है तथा कार्यवाही का निरीक्षण करता है। वह यह निर्णय करता है कि कौन-सा सदस्य कितने समय के लिए बोलेगा। आमतौर पर वह मतदान में भाग नहीं लेता परन्तु निर्णय न होने की स्थिति में अपना मत डाल सकता है। अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कौन-सा विधेयक साधारण अथवा धन विधेयक है और उसका निर्णय अन्तिम होता है। वह सदस्यों के अधिकारों तथा सुविधाओं का संरक्षक होता है। लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक के मामले में लोक सभा का अध्यक्ष ही बैठक की अध्यक्षता करता है।



चित्र 20.6 लोक सभा अधिवेशन

चित्र 20.6 लोक सभा अधिवेशन

राज्य सभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि पदेन सभापति होता है। यह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है। उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोक सभा अध्यक्ष की भाँति राज्य सभा का अध्यक्ष भी प्रायः मतदान नहीं करता, परन्तु मत बराबर होने की स्थिति में मतदान कर सकता है।

20.3.4 संसद् के कार्य

संसद् विधायी कार्यों की सर्वोच्च संस्था है। इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है।

(i) विधायी कार्य : संसद कानून बनाने वाली संस्था है। यह संविधान में उल्लिखित संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। यदि संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समवर्ती विषय को लेकर कोई विवाद अथवा टकराव हो जाए तो संघीय सरकार का कानून माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई विषय किसी भी सूची में दर्ज नहीं है तो उस अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद् के पास है। साधारण विधेयक को संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई विधेयक लोक सभा में पारित हो जाए तो उसे राज्य सभा में भेजा जाता है जो इसको पारित कर सकती है अथवा कुछ संशोधन का सुझाव दे सकती है। यदि दोनों सदनों में असहमति बनी रहती है तो इसको दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सुलझाया जाता है। संयुक्त बैठक में लोक सभा का पलड़ा भारी होता है क्योंकि राज्य सभा के 250 सदस्यों की तुलना में लोक सभा के 550 सदस्य होते हैं। आज तक केवल तीन बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें हुई हैं। यदि दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं तो विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और उनकी स्वीकृत मिलते ही यह विधेयक कानून बन जाता है।

(ii) कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य : संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच निकट का सम्बन्ध होता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रीपरिषद् है, जो सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मन्त्रीपरिषद् को अपपदस्थ कर सकती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार गई और उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ा।

संसद के दोनों सदन मन्त्रीपरिषद् पर अन्य कई तरीकों से अपना नियन्त्रण बनाए रखते हैं; जैसे कि

(अ) प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ कर : संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का पहला घण्टा प्रश्न काल का होता है जिसमें मन्त्रियों को सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।

(ब) विधेयकों पर चर्चा और पारित करने द्वारा : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव अथवा निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत करके सरकार की नीतियों पर बहस की जा सकती है और उनकी आलोचना की जा सकती है।

(स) अविश्वास प्रकट करके : लोक सभा बजट अथवा धन विधेयक अथवा साधारण विधेयक को अस्वीकार कर कार्यपालिका के प्रति अविश्वास प्रकट कर सकती है।

(iii) वित्तीय कार्य : भारत की संसद को महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। यह सरकारी धन की संरक्षक है। यह संघीय सरकार के पूरे कोष पर नियन्त्रण रखती है। प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक प्रशासन चलाने के लिए यह समय-समय पर सरकार के लिए धनराशि स्वीकृत करती है। संसद सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की माँगों को पारित, कम अथवा अस्वीकार कर सकती है। संसद की स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई खर्च किया जा सकता है। यद्यपि राज्य सभा की कुछ सीमाएँ हैं। (अ) कोई भी धन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके पास धन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। यह धन विधेयक पर केवल सिफारिशें कर सकती है। यदि राज्य सभा किसी धन विधेयक को 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ नहीं लौटाती तो इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। वार्षिक बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्य सभा इस पर केवल चर्चा कर सकती है और इसको कानून बनने से नहीं रोक सकती।

(iv) न्यायिक कार्य : संसद कानून बना कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति रखती है। यह दो अथवा अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित करने का अधिकार रखती है और किसी केन्द्र शासित क्षेत्र के लिए भी उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पद से हटा सकता है।

(v) विविध कार्य : संसद एक विशेष बहुमत से राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकने की शक्ति रखती है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। इसके पास संविधान संशोधन की शक्ति है। संविधान के कुछ भागों को केवल साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। संविधान के कुछ अन्य भागों के संशोधन हेतु दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के कुछ अन्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे राज्यों की विधान सभाओं की स्वीकृति से ही संशोधित किया जा सकता है।

20.3.5 संसद के दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति

किसी संसदीय प्रणाली में निचला सदन सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तदनुसार हमारे देश में भी लोक सभा अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है। दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति को समझने के लिए निम्नलिखित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं।

(i) लोक सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है तथा यह भारत के लोगों की सच्ची प्रतिनिधि सभा है। दूसरी ओर राज्य सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जबकि लोक सभा का निर्वाचन एक निश्चित अवधि अर्थात् पाँच वर्ष के लिए होता है। इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है।

(ii) साधारण विधेयक के सम्बन्ध में दोनों के पास बराबर शक्ति है। लेकिन यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें लोक सभा का पलड़ा भारी रहता है क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या राज्य सभा के सदस्यों के दुगुने से भी अधिक है।

(iii) मन्त्रीपरिषद् पर नियन्त्रण रखने के मामले में भी लोक सभा अधिक शक्तिशाली है। राज्य सभा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करके अथवा सरकार की आलोचना से ही कुछ नियन्त्रण रखती है परन्तु लोकसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने की शक्ति है जिसके पारित होने पर मन्त्रीपरिषद् को त्याग-पत्र देना पड़ता है।

(iv) संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने अथवा हटाने के मामले में लोक सभा तथा राज्य सभा को एक से ही अधिकार प्राप्त हैं।

(v) वित्तीय मामलों में जहां लोक सभा का पलड़ा भारी है वहीं केवल राज्य सभा ही नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और राज्य सूची में दर्ज किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है।

उपरोक्त तुलना के दृष्टिगत निश्चित रूप से लोक सभा राज्य सभा से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि राज्य सभा न केवल दूसरा सदन है अपितु इसका स्थान भी दूसरा है। हमने पढ़ा है कि राज्य सभा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कुछ कार्य तो केवल राज्य सभा ही कर सकती है।

20.3.6 संघीय सरकार का नागरिकों तथा उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव

संघीय सरकार राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम और योजनाएँ बनाती है तथा लागू करती है जिनका हमारे जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इन कार्यक्रमों में शिक्षा और बच्चों की देखभाल के कई कार्यक्रम जैसे एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.), बच्चों के पोषण और देख-भाल के लिए आँगनबाड़ियाँ उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इत्यादि शामिल हैं। संघीय सरकार के कुछ अन्य कार्यक्रम हैं - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, इन्दिरा आवास योजना इत्यादि।

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?
- (ii) राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?

(iii) संसद् का कौन-सा सदन स्थायी है?

(iv) राज्य सभा का सभापति कौन होता है?

(v) लोक सभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं?

(vi) लोक सभा के चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार की क्या योग्यताएँ होनी चाहिए।

2. रिक्त स्थान भरिए :

(i) एक साधारण बिल ——— में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) यदि दोनों सदनों में मतभेद बना रहे तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का — बुलाता है।

(iii) धन विधेयक केवल — में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) मन्त्रीपरिषद् पर नियन्त्रण रखने के लिए दोनों सदनों के सदस्य ——— सकते हैं तथा ——— प्रस्ताव रख सकते हैं।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य और कौन-सा असत्य है?

(i) साधारण विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

(ii) धन विधेयक को केवल लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता।

(iv) किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन में लोक सभा का पलड़ा राज्य सभा से भारी होता है।

4. संसद् के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने वाले मन्त्रियों और सदस्यों में आप कौन-से गुण देखना चाहते हैं?

पिछले कुछ समाचार-पत्र और पत्रिकाएं पढ़िए। लोक सभा/राज्य सभा की कार्यवाही दिखाने वाले चैनलों को देखिए तथा उनके अवलोकनों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) किसी एक सांसद की पहचान कीजिए जिसकी प्रतिभागिता आपको बहुत पसन्द आई हो। पसन्द आने के दो कारण लिखिए।

(ii) क्या आपने संसद में किसी सांसद का अभद्र व्यवहार देखा है? ऐसे दो अवलोकनों की पहचान कीजिए। यह संसद की कार्यवाही को कैसे प्रभावित करते हैं।

20.4 सर्वोच्च न्यायालय

हमने इस पाठ के प्रारम्भ में उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली अन्य दोनों शाखाओं

से बिल्कुल अलग है। क्या आपको न्यायिक कार्रवाइयों का कुछ अनुमान है? आपने कभी सुना होगा कि निचली अदालत में शुरू हुआ कोई वाद बाद में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्त में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा। ऐसा इसलिए होता है कि भारत में एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली है। इसका अर्थ है कि यहाँ न्यायालयों की एक शृंखला है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर और इससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं।



चित्र 20.7 भारत का सर्वोच्च न्यायालय

चित्र 20.7 भारत का सर्वोच्च न्यायालय

संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या समय-समय पर संसद् द्वारा निर्धारित की जाती है। 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश थे। आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं।

मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते समय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श किया जा सकता है। प्रायः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। प्रायः मुख्य न्यायाधीश स्वयं चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करता है और उन सबको किसी एक नाम पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु सहमत होना पड़ता है।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो - (i) भारत का नागरिक हो।

(ii) किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे दो या उनसे अधिक उच्च न्यायालयों में कम-से-कम पाँच वर्ष तक निरन्तर न्यायाधीश रहा हो।

(iii) किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे दो या उससे अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

(iv) राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् हो।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। परन्तु उनको कदाचार और असमर्थता के आरोप सिद्ध होने पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। आज तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवा कर चुके न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।

20.4.1 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं - मूल, अपील सम्बन्धी तथा मन्त्रणा सम्बन्धी।

(अ) मूल क्षेत्राधिकार : कुछ मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय केवल सीधे ही सुनने का अधिकार रखता है, ये हैं -

(अ) संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद के मामले।

(ब) दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद।

(स) एक तरफ संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

(ii) अपीलीय क्षेत्राधिकार : किसी भी निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों की अपील सुनने वाला न्यायालय है। यह उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। इसके पास अपने ही निर्णय पर पुनरावलोकन करने का अधिकार है। यह अपनी स्वच्छा से किसी भी न्यायालय अथवा भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर किसी ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है।

किसी भी फौजदारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है। अपील की विशेष शक्ति न्यायालय के हाथ में एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे वह चुनाव तथा श्रम एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है।

(iii) मन्त्रणा सम्बन्धी क्षेत्राधिकार : सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों पर परामर्श देने की विशेष अधिकारिता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय ऐसा लगे कि कानून अथवा तथ्य सम्बन्धी प्रश्न उठ खड़ा हुआ है या उठेगा जो जन साधारण के लिए महत्वपूर्ण है तथा उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्यक

है तो वह उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय (परामर्श) ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में यथा आवश्यक सुनवाई कर अपने विचार राष्ट्रपति को भेजता है। यह रिपोर्ट अथवा विचार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होते। ठीक इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी परामर्श देना अनिवार्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों को संविधान अथवा कानून की व्याख्या के रूप में जब निचली अदालतों में प्रस्तुत किया जाता है; तो उसे स्वीकार करना पड़ता है। उपरोक्त अधिकार क्षेत्रों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के कुछ और विशेष कार्य हैं। ये हैं –

(i) संविधान का संरक्षण : संविधान के व्याख्याता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की रक्षा और बचाव करने की शक्ति है। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई कानून अथवा कार्यपालिका का आदेश संविधान के विरुद्ध है तो उसको असंवैधानिक अथवा अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा रक्षक की भूमिका भी निभाता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता/सकती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने की शक्ति देता है।

(ii) न्यायायिक पुनरावलोकन : भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है तथा इसी के माध्यम से इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति ग्रहण की है।

क्या आप जानते हैं

न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय किसी विधायी कार्य अथवा कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता का परीक्षण करता है। यदि परीक्षण करने पर न्यायालय को लगता है कि कहीं पर संविधान का उल्लंघन हुआ है तब न्यायालय उसको अवैध, अमान्य और असंवैधानिक घोषित कर देता है।

20.4.2 न्यायिक सक्रियता

न्यायिक सक्रियता को न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रायः न्यायपालिका द्वारा विधायी शक्तियों को हथियाने की कोशिश के रूप में इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन भारत में इसको लोगों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि यह वंचित लोगों तक न्याय को पहुँचा देने पर केन्द्रित रहा है। यह जनहित याचिका का प्रयोग करता है। न केवल समस्या से प्रभावित व्यक्ति ही बल्कि, जनहित में कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष किसी भी समस्या के बारे में याचिका दाखिल कर सकता है। जनहित याचिका का प्रयोग प्रायः गरीब और वंचित लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास न्यायालय तक पहुँचने के साधन नहीं हैं।

न्यायिक सक्रियता और जन हित याचिका के माध्यम से न्यायालयों ने प्रदूषण, समान नागरिक आचार संहिता, अनाधिकृत भवनों को खाली करवाने, खतरनाक व्यावसायों में बाल श्रम को रोकने तथा अन्य मुद्दों पर निर्णय दिए गये हैं ।

1. रिक्त स्थान भरिए :

- (i) भरित में ———- न्यायपालिका है ।
- (ii) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति ———करता है ।
- (iii) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ——— के माध्यमसे हटाया जा सकता है ।
- (iv) संविधान की व्याख्या का अन्तिम अधिकार ——— के पास है ।

2. निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं और कौन-से असत्य?

- (i) सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है ।
- (ii) सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं ।
- (iii) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं ।
- (iv) न्यायिक सक्रियता न्याय को वंचितों तक पहुँचाने पर केन्द्रित रही है ।
- (v) राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले पर परामर्श देने के लिए के भेजे गए मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को अवश्य मानना चाहिए ।

आपने क्या सीखा

- संघीय सरकार का ढाँचा और कार्यप्रणाली संसदीय प्रकार की सरकार के सिद्धान्तों और परम्पराओं पर आधारित है । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रीपरिषद् कार्यपालिका है; संसद् के दोनों सदन विधायिका हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च न्यायपालिका है ।
- संविधान कार्यपालिका सम्बन्धी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को देता हैं जो राज्य का अध्यक्ष होता है । उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है जिसमें संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं । उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है परन्तु उसको महाभियोग द्वारा इससे पूर्व भी हटाया जा सकता

है। उसके पास कार्यपालिका सम्बन्धी, विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं।

- संघीय सरकार की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया प्रधानमन्त्री होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो मन्त्रिपरिषद् के अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमन्त्री की सलाह से करता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रिपरिषद् की सहायता और सलाह से करता है तथा उनकी सलाह बाध्यकारी होती है। मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि वे लोक सभा का विश्वास खो बैठते हैं तो प्रधानमन्त्री के त्याग-पत्र के साथ मन्त्रिपरिषद् अपदस्थ हो जाती है।
- संसद, जिसमें लोक सभा और राज्य सभा होती है, विधायिका होती है। लोकसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नागरिकों द्वारा किया जाता है जबकि राज्य सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है जबकि राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसका भंग नहीं किया जाता। कानून और वार्षिक बजट पारित करने के साथ संसद सरकार की दैनिक कार्यप्रणाली को नियन्त्रित करती है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है।
- सर्वोच्च न्यायालय भारत की एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अधिकार क्षेत्र में मूल, अपील सम्बन्धी तथा मन्त्रणा सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र आते हैं। यह एक अभिलेख न्यायालय है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इसकी न्यायिक सक्रियता, विशेष रूप से जनहित याचिकाओं के माध्यम से, का प्रयोग उन गरीब और वंचित लोगों की ओर से किया गया जिनके पास न्यायपालिका तक पहुँचने के लिए साधन नहीं थे।

पाठान्त प्रश्न

1. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उसको किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है?
2. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं? संविधान द्वारा इतनी अधिक शक्तियाँ देने के बावजूद, यह क्यों कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन नहीं करता अपितु राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है।
3. भारत के प्रधानमन्त्री की भूमिका का परीक्षण तथा मूल्यांकन कीजिए।
4. क्या यह कहना उचित है कि “राज्य सभा न केवल दूसरा सदन है बल्कि इसकी स्थिति भी दूसरे दर्जे की है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
5. सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है? इसका न्यायिक अधिकार क्षेत्र क्या है?

1. राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र शासित क्षेत्रों दिल्ली और पुदुच्चेरी की विधान सभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। मतदान गुप्त होता है। उसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

2. (i) राज्य का

(ii) (अ) भारत का नागरिक होना चाहिए,

(ब) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,

(स) लोक सभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए,

(द) लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए।

(iii) भारत का उपराष्ट्रपति

(iv) (अ) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ

(ब) विधायी शक्तियाँ

(स) वित्तीय शक्तियाँ

(द) न्यायिक शक्तियाँ

3. इस जानकारी को भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तकों अथवा इन्टरनेट अथवा अपने कक्षा अध्यापक, सहपाठियों और मित्रों से सलाह करके एकत्रित करें।

20.2

1. दूसरे प्रकार के आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र टूट जाता है और राज्यपाल के प्रतिवेदन अथवा अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति सन्तुष्ट हों कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता। इस काल में सम्बन्धित राज्य की विधान सभा को या तो भंग कर दिया जाता है अथवा स्थगित रखा जाता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर कार्यपालिका के सभी कार्य करता है।

2. प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रिपरिषद् आपातकाल घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति ऐसी घोषणा केवल तब ही कर सकता है जब प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद् इस आशय का निर्णय लिखित में उस तक पहुँचाता है।

4. अपनी समझ के अनुसार उत्तर लिखिए।

5. (अ) असत्य, (ब) सत्य, (स) सत्य, (द) सत्य

20.3

(अ) वास्तविक कार्यपालिका

(ब) लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता

(स) सरकार का वास्तविक

(द) प्रधानमन्त्री

2. (अ) यदि लोक सभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है ।

(ब) प्रधानमन्त्री

(स) कैबिनेट मन्त्री, राज्य मन्त्री, उपमन्त्री

(द) प्रधानमन्त्री

20.4

(i) 550

(ii) 6 वर्ष

(iii) राज्य सभा

(iv) उपराष्ट्रपति

(v) अधिवेशनों की अध्यक्षता करना, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, धन विधेयक पर निर्णय लेना तथा संसद् के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना ।

(vi) (i) भारत का नागरिक

(ii) कम-से-कम 25 वर्ष की आयु

(iii) लाभ को कोई पद नहीं होना चाहिए

2. (i) संसद के किसी भी सदन में

(ii) संयुक्त अधिवेशन

(iii) लोक सभा

(iv) प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

3. (i) असत्य

(ii) सत्य

(iii) सत्य

(iv) सत्य

4. अपनी समझ के अनुसार अच्छे गुण लिखिए ।

1. (i) एकीकृत

(ii) राष्ट्रपति

(iii) महाभियोग

(iv) सर्वोच्च न्यायालय

2. (i) असत्य

(ii) सत्य

(iii) सत्य

(iv) सत्य

(v) सत्य

21. राजनीतिक दल तथा दबाव समूह

लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिये शासन है। जैसा कि आपको ज्ञात है, लोकतांत्रिक सरकार 'जनता की सरकार' होती है जिसका संचालन जनता द्वारा किया जाता है। प्राचीन काल में ऐसा प्रशासन ग्रीस के नगर राज्यों में कार्यरत था। दूसरे शब्दों में, जनता की सरकार हमारी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। परंतु प्रश्न यह है कि सरकार में प्रतिनिधि आपने आप को किस प्रकार निर्वाचित कराते हैं? इसका सरल सा उत्तर यह है कि वे यह कार्य सरकार की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर तथा उसका हिस्सा बन कर करते हैं। जनता की सहभागिता का सबसे महत्वपूर्ण तरीका चुनावों में भाग लेना है। जनता (मतदाता) चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशियों को मत देती है। ऐसे प्रत्याशियों में से अधिकांश को राजनीतिक संगठनों द्वारा जिन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है, नामांकित किया जाता है। यद्यपि इनमें से कुछ स्वतंत्र प्रत्याशियों के रूप में चुनाव लड़ते हैं। आप ने ऐसा अनुभव किया होगा कि अनेक राजनीतिक दल चुनावों में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं। यह कहना उचित होगा कि जनता की सहभागिता चुनावों के साथ प्रारंभ तथा समाप्त नहीं हो जाती। चुनावों के अतिरिक्त, मतदाताओं तथा नागरिकों के समूह जिन्हें सामान्यतः दबाव समूह तथा हित समूह कहा जाता है अनेक क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस पाठ में हम अपने देश के राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों से संबंधित जानकारी का वर्णन करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप :

- राजनीतिक दल का अर्थ तथा उनके योगदान की व्याख्या कर सकेंगे;
- राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कर सकेंगे;
- भारत जैसी लोकतंत्रीय सरकार के कार्यों तथा भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।
- भारत में राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे;
- भारत के राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे;

- संक्षेप में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की प्रमुख नीतियों को उजागर कर सकेंगे;
- राजनीतिक दलों तथा दबाव/हित समूहों में अंतर कर सकेंगे;
- दबाव/हित समूहों की भूमिका का आकलन कर सकेंगे; तथा
- राजनीतिक दलों का हमारे जीवन पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे ।

21.1 राजनीतिक दलों का अर्थ तथा विशेषताएं

21.1.1 हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है?

क्या हम राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में लोकतांत्रिक सरकार की कल्पना कर सकते हैं? इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा। आप में से कुछ कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार हो सकती है। कुछ देशों जैसे लीबिया, ओमान, कतार तथा संयुक्त अरब अमीरात में सरकारें तो हैं परंतु राजनीतिक दलों को अवैध घोषित कर दिया गया है। हम उपरोक्त वर्णित में सरकारों को लोकतंत्रीय सरकारों की श्रेणी में नहीं रख सकते। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोकतंत्रीय गतिविधियाँ केवल वहीं संभव है जहां प्रतियोगी दलीय व्यवस्था हों। राजनीतिक दल सरकार की संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं को सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे वास्तव में लोकतंत्रीय स्वरूप धारणा करें। वे मतदाताओं तथा नागरिकों को चुनावों में भाग लेने के योग्य बनाते और शासन में भाग लेने, शिक्षित करने तथा नीति निर्धारण आदि में सहभागी बनते हैं। यदि राजनीतिक दल प्रतिनिध्यात्मक सरकारों की कार्य पद्धति को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो आप यह अवश्य जानना चाहेंगे कि राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है? इसकी कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं?

22.1.2 राजनीतिक दलों का अर्थ

राजनीतिक दल औपचारिक सदस्यता वाले लोगों का एक संगठित समूह होता है। इसके सदस्यों में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यक्रमों में सामान्य सहमति होना आवश्यक है। यही नहीं, राजनीतिक दल संवैधानिक तरीके से राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। यह संस्था समान विचाराधारा की समर्थक ही नहीं, अपितु जन समस्याओं संबंधी विषयों की एकरूपता पर बल देती है। विभिन्न राजनीति विचारकों द्वारा इस की अलग-अलग परिभाषाएँ दी गई हैं। एक विचारक के मत में यह नागरिकों का संगठित समूह है जो राजनीतिक विचारों पर एक जैसी धारणा रखते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। एक अन्य विचारक के अनुसार “राजनीतिक दल, नागरिकों का एक समूह है जो कमोवेश संगठित हो, जो एक राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करते हैं और अपनी मतदान की शक्ति से सरकार को नियंत्रित करके रखते हैं तथा अपनी सामान्य नीतियों को कार्यरूप देते हैं।

21.1.3 विशेषताएँ

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक दल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित तथा व्यापक समूह है;
- यह संगठित समूह समान नियमों तथा समान लक्ष्यों पर बल देता है;
- जन समस्याओं पर इस समूह के सदस्य सामान्यतः एक जैसी धारणा रखते हैं;
- जन समुदाय के सामूहिक प्रयासों से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं;
- सरकार को नियंत्रित रखने के लिए संवैधानिक साधनों तथा चुनावों का प्रयोग किया जाता है।
- इसके उद्देश्य के अंतर्गत घोषित नीतियों तथा सरकारी गतिविधियों पर बल दिया जाना चाहिए।

1. नीचे दिये गये चार विकल्पों में से सही उत्तर लिखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

(क) निम्नलिखित में से कौन-सी राजनीतिक दल की विशेषता है?

- (i) एक हॉल में एकत्र जनता का समूह
- (ii) जनता का समूह जो एक जैसे धार्मिक विचार रखता है ।
- (iii) जनता का समूह जो जन समस्याओं पर एक जैसे विचार रखता है ।
- (iv) जन समूह जो मंत्रियों द्वारा पद की शपथ देखने को आतुर है ।

(ख) लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं?

- (i) कानून बनाने में विधानपालिका की सहायता करने के लिए
- (ii) देश के प्रशासन के लिए कार्यपालिका की सहायता करने के लिए
- (iii) न्याय हेतु न्यायपालिका की सहायता करने के लिए
- (iv) सरकार चलाने हेतु प्रतिनिधियों के चुनाव में सहायता देने के लिए

(ग) निम्नलिखित में कौन-सा देश लोकतांत्रिक है?

- (i) लीबिया
- (ii) कतर
- (iii) भारत
- (iv) साउदी अरब

2. निम्न स्थिति पर टिप्पणी कीजिए कि, क्या इस सरकार को लोकतांत्रिक श्रेणी में रखा जा सकता है?

“एक राजनीतिक दल विधान पालिका में पूर्ण बहुमत प्राप्त करता है क्योंकि उसने अपनी नीतियों और घोषित कार्यक्रम को चुनावों के दौरान उजागर किया । परंतु चुनाव के पश्चात जो सरकार बनी उसने न तो नीतियों और न ही घोषित कार्यक्रम पर कोई व्यावहारिक कदम उठाए । इसके बजाए सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक व गैर संवैधानिक कार्य किये ।”

21.2 राजनीति दल : कार्य एवं भूमिका

कभी-कभी प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की उचित कार्यवाही में राजनीतिक दल आवश्यक हैं। बुराई के रूप में देखे जाने के बावजूद, क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो राजनीतिक दलों को बुरा भला कहते हैं क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक जीवन को नष्ट कर दिया है; और फिर भी आप मानते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के उचित ढंग से कार्य करने के आवश्यक हैं। जब देश में चुनाव होता है क्या आप को पता है कि मतदाताओं के समक्ष प्रत्याशियों को कौन खड़ा करता है? क्या आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान अपने पक्ष में अभियान कौन करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार कैसे बनती है? तथा कौन प्रधानमंत्री या मुख्य मंत्री के लिए नियुक्त होता है? ये सारे प्रश्न राजनीतिक दलों के कार्यों से संबंधित हैं और इनकी लोकतंत्रीय राजव्यवस्था के साथ क्या भूमिका हैं? यहाँ हम, अपने देश के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों के कुछ कार्यों का वर्णन करेंगे। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- चुनावों के दौरान राजनीतिक दल प्रत्याशियों का नामांकन करते हैं;
- चुनावों के समय ये अपने प्रत्याशी के समर्थन में अभियान या प्रचार करते हैं;
- वे मतदाताओं के समक्ष नीतियाँ और कार्यक्रम रखते हैं ताकि मतदाता उनके दल के प्रत्याशी का समर्थन करें।
- वे सरकार बनाने में भूमिका निभाते हैं विशेषतया यदि उन्हें चुनाव में बहुमत मिल जाता है। वे नीतियों तथा कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं जिस पर मतदाताओं ने जनादेश दिया था।
- यदि किसी दल को बहुमत नहीं मिलता, वह दल विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है। ऐसे अवसर पर वह सरकार पर दबाव डालता है कि वे उचित ढंग से शासन करें।
- राजनीतिक दल विधि निर्माण में समुचित सहायता देता है। ऐसे अवसर पर बहुमत व विपक्षी दल के सदस्य वाद-विवाद तथा समितियों की बैठकों में भरपूर मदद करते हैं।
- वे जनता को राजनीतिक शिक्षा ही प्रदान नहीं करते अपितु जनमत निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं।
- वे जनता की मांगों को एकत्र करके उन्हें मुखरित करते हैं तथा सरकार का ध्यान इनकी ओर आकर्षित करते हैं।
- वे प्रत्येक सरकारी संस्थाओं विशेषकर विधान मण्डल, कार्यपालिका तथा नौकरशाही की कमियों को उजागर करते हैं।
- चुनावों के दौरान अथवा चुनावों के बाद सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पर उचित कदम उठाते हैं।

उपरोक्त व्यक्त किए गए कार्यों को भारत के राजनीतिक दल प्रभावी ढंग से समय-समय पर करते हैं। पिछले 60 वर्षों में राजनीतिक दलों ने प्रतिनिध्यात्मक सरकार को संभव ही नहीं अपितु सफलतापूर्वक अपनाया है। राजनीतिक दलों ने नागरिकों तथा सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य किया है। इसी प्रकार जनता के प्रतिनिधियों तथा मतदाताओं के बीच भी उचित संबंध बनाए रखा है। नीचे दिए गए कार्टून को देखकर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों

ने जनता की मांगों की पूर्ति का प्रयास किया है, जनता को दिए गए वायदों को मुखरित किया है, राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाया है। यह सत्य है कि राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में चुनाव नहीं हो पाएंगे और चुनावों के बिना प्रतिनिध्यात्मक सरकार असंभव है। वास्तव में भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने तथा संभालने के लिये राजनीतिक दलों की आवश्यकता है ताकि नागरिकों का प्रतिनिधित्व हो सके। यह सब मिलकर देश को सुचारू मार्ग की ओर ले जाएंगे।



चित्र 21.1 पार्टियाँ स्थिरता के मुद्दे को उजागर करती हुई।

चित्र 21.1 पार्टियाँ स्थिरता के मुद्दे को उजागर करती हुई।

क्रियाकलाप 21.1

अखबार, मैगजीन और अन्य स्रोतों अथवा अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके अपने राज्य के विषय में निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्रित कीजिए:

- कौन से राजनीतिक दल/दल समूह ने आपके राज्य में वर्तमान सरकार का गठन किया है?
- विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन-सी पार्टी/दल से संबंध रखता है?
- उन पाँच दलों के नाम लिखिये जिन्होंने पिछले चुनाव में आपके राज्य में उम्मीदवार उतारे।

21.3 भारत में राजनीतिक दलों का विकास

भारत में राजनीतिक दलों का विकास 1885 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना से शुरू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा मंच था। इसने एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया। 1967 तक यह प्रभुत्वशाली दल बना रहा। केरला को छोड़कर यह पार्टी 1952, 1957, 1962 के चुनावों में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन करती रही। 1967 से भारत में दलीय प्रणाली में अस्थिरता बनी हुई है। यद्यपि 1971 में काँग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन 1967 से ही और 1971 के पश्चात भी भारत के कई राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने गठबंधन सरकारें बनाई। इसके बाद 1977 के चुनाव आये जिनके पश्चात यह लगने लगा था कि भारत में मुख्य रूप से द्वि-दलीय प्रणाली का दौर शुरू हो जायेगा - भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और जनता पार्टी, लेकिन यह स्थिति बहुत थोड़े समय तक रही। जनता पार्टी

कई टुकड़ों में बँट गयी और 1980 में एक बार पुनः काँग्रेस पार्टी केन्द्र में सत्ता में आ गयी और 1989 तक वह सत्ता में बनी रही, हालांकि काँग्रेस अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति को पुनः प्राप्त न कर सकी। 1999 के पश्चात भारत में मुख्य रूप से दो गठबंधन अस्तित्व में आये- भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा दूसरा, काँग्रेस का नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प छाँटकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(क) निम्न में से राजनीतिक दल की एक भूमिका/कार्य की पहचान कीजिए, जो एक बुराई है :

- (i) राजनीतिक दल लोगों को शिक्षित करते हैं ।
- (ii) वे झूठे प्रचार में लिप्त रहते हैं ।
- (iii) वे लोगों की भागीदारी के लिये अवसर पैदा करते हैं ।
- (iv) वे अपने समर्थकों के बीच मतभेद का सामना करते हैं ।

(ख) लोकतांत्रिक प्रणाली में निम्न में से एक कार्य जो राजनीतिक दल का नहीं है :

- (i) राजनीतिक दल अपने सदस्यों के बीच लाभ बाँटते हैं ।
- (ii) वे जनमत तैयार करने में सहायता करते हैं ।
- (iii) विधायिका में बहुमत न होने पर वे सरकार का गठन करते हैं ।
- (iv) विधायिका में बहुमत होने पर वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं ।

(ग) लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये निम्न में से कौन-सी दलीय प्रणाली आवश्यक है?

- (i) एक दलीय प्रणाली
- (ii) प्रतियोगी दलीय प्रणाली
- (iii) प्रतियोगीताविहीन दलीय प्रणाली
- (iv) दल विहीन व्यवस्था

(घ) भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कब से गठबंधन सरकारें बनीं?

- (i) 1952
- (ii) 1967
- (iii) 1977
- (iv) 1999

21.4 भारत में दलीय प्रणाली: प्रकृति और नीतियां

यदि आप देश में मौजूद कई राजनीतिक दलों पर नजर डालें तो आपकी उनकी अद्वितीय का पता चलेगा। आप यह स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि भारत की दलीय प्रणाली, एकदलीय या एक दल के प्रभुत्व वाली, द्विदलीय या बहुदलीय है।

उपरोक्त किसी भी दलीय प्रणाली में पाई जाने वाली विशेषताएं, भारत की दलीय प्रणाली में भी पायी जा सकती है। पिछले कई वर्षों से दलीय व्यवस्था अब एक दलीय प्रणाली नहीं रही है। अब यह एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रणाली भी नहीं रही क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की वह स्थिति नहीं है, जो इसे 1967 से पूर्व प्राप्त थी। भारतीय दल प्रणाली द्विदलीय प्रणाली भी नहीं है, जो 1977 से 1980 के बीच में थोड़े समय के लिए बनी रहीं। इसे बहुदलीय प्रणाली भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्रीय दलों को मुख्यतया क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना पड़ता है।

21.4.1 भारत की दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं

ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार, भारत की दलीय प्रणाली की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:

- दलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल हैं जो केन्द्र तथा राज्यों में सत्ता प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास करते रहते हैं।
- राजनीतिक दल अपना प्रभुत्व जमाने वाले नहीं अपितु प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। यद्यपि यह प्रायः देखने को मिलता है कि कोई दल विशेष, पहले तो किसी राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन करता है और फिर आम चुनाव से पूर्व किसी दूसरे दल से मिल जाता है।
- केन्द्र में सरकार का गठन करते समय क्षेत्रीय दलों की एक प्रमुख भूमिका होती है। अब तो उन का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होता है। संबंधित राज्य में सत्ता प्राप्त करने के बदले में, ये क्षेत्रीय दल, केन्द्र में किसी एक अथवा दूसरे राष्ट्रीय दल को समर्थन देते हैं।
- गठबंधन की राजनीति, हमारी दलीय प्रणाली की एक विशेषता बन गई है। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां कुछ राज्यों के अतिरिक्त कहीं भी एक दलीय सरकार नहीं है। जैसा कि आप अपने चारों ओर देखते हो, अब न तो कोई स्थायी सत्ताधारी दल रहे हैं और न ही स्थायी विरोधी दल।
- गठबंधन की राजनीति के परिणामस्वरूप, राजनीतिक दलों की विचारधाराएं गौण बन गई हैं। एक सांझे न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर प्रशासन चलाया जाता है जो यह दर्शाता है कि यथार्थवाद अथवा व्यवहारिकता ही शासन का मूलमंत्र बन गया है। हमने यह राजनीतिक स्थिति देखी है जब भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने वर्ष 2004 में यू.पी.ए. की सरकार को समर्थन तो दिया, परंतु सरकार में शामिल नहीं हुआ।

क्या आप जानते हैं

साँझा न्यूनतम कार्यक्रम क्या है?

जब कुछ राजनीतिक दल, सरकार बनाने तथा शासन चलाने के लिए, अपने दल की नीतियों को एक तरफ रख कर, एक साँझा कार्यक्रम विकसित करते हैं, तो उसे न्यूनतम साँझा कार्यक्रम कहते हैं। इसे वर्ष 1998-99 में एन.डी.ए. सरकार द्वारा तथा बाद में यू.पी.ए. सरकार द्वारा केन्द्र में लागू किया गया।

क्रियाकलाप 21.2

कार्टून में दिखाए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। इस कार्टून से आप क्या अर्थ लगाते हैं? आप के विचार में कार्टून बनाने वाला गठबंधन की राजनीति के बारे में क्या कहने का प्रयास कर रहा है? क्या हुआ यदि हम राज्य में शत्रु हैं- हम केन्द्र में तो सहयोगी हैं।



चित्र 21.2

चित्र 21.2 कार्टून का गठबंधन

मुख्यतः, भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं: राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल, परंतु विशेष बात यह है कि राष्ट्रीय दलों का कार्यक्रम क्षेत्रीय है और क्षेत्रीय दलों का कार्यक्रम राष्ट्रीय है।

(अ) राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का प्रभावक्षेत्र सारे देश में फैला हुआ होता है। राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल यह दर्जा तब प्राप्त करता है जब उसे कम से कम चार राज्यों में 4 प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं। अक्टूबर 2004 में, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई.एन.सी.), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) भारतीय जनता पार्टी (बी.जे.पी.), भारतीय साम्यवादी दल (सी.पी.आई.), भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (सी.पी.आई.-(एम)) तथा बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.)।

(ब) क्षेत्रीय राजनीतिक दल: निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वे राजनीतिक दल हैं, जिन्हें किसी राज्य में एक निश्चित संख्या में मत अथवा सीटें प्राप्त होती हैं। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों तथा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। हमारे देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संख्या काफी अधिक है। भारत के कुछ क्षेत्रीय दल हैं: फोरवर्ड ब्लाक (पश्चिम बंगाल), आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (तमिलनाडु), द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (तमिलनाडु तथा पांडिचेरी), नेशनल कांफ्रेंस (जम्मू तथा कश्मीर), राष्ट्रीय जनता दल (बिहार), समाजवादी पार्टी (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड), शिरोमणी अकाली दल (पंजाब), शिव सेना (महाराष्ट्र), तेलुगु देशम (आंध्र प्रदेश)। क्या आप अपने राज्य के क्षेत्रीय दल की पहचान कर सकते हैं?

उन राज्यों के नाम बताइए जिन से निम्नलिखित क्षेत्रीय दलों का संबंध है :

- तृणमूल कांग्रेस
- पैथर पार्टी
- शिव सेना
- पत्ताली मक्कल कातची (पी.एम.के.)

21.5 भारत के राजनीतिक दलों की नीतियां

जैसा कि हमें विदित है भारत में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अनेक राजनीतिक दल हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल मतदाताओं से प्रतिबद्धता के रूप में अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों की घोषणा करता है जिनका समावेश एक प्रपत्र में किया जाता है जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे की चुनाव घोषणा पत्र का प्रकाशन राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान किया जाता है। हम निम्नलिखित राजनीतिक दलों की प्रमुख नीतियों की चर्चा करेंगे :



चित्र 21.3 राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : 1885 में बंबई (मुंबई) में स्थापित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस एक राजनीतिक दल बन गई और केन्द्र तथा लगभग सभी राज्यों में 1967 तक शासन किया। धीरे-धीरे कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने लगा। अब यह केन्द्र में सत्ता में आने के लिए, अन्य राजनीतिक दलों के गठबंधन पर निर्भर है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद के प्रति कटिबद्ध है। एक प्रकार से, यह मध्यमार्गी (सैंटरिस्ट) दल है जहां एक ओर इसे निजीकरण, उदारीकरण

तथा वैश्वीकरण जैसे उपाय स्वीकार्य हैं, वहीं दूसरी ओर यह समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए भी कार्य करती है। यह कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था तथा औद्योगीकरण दोनों का समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन की संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए और अंतराष्ट्रीय संस्थाओं में, विशेषतया संयुक्त राष्ट्र में, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाए।

2. भारतीय जनता पार्टी: तत्कालीन जनता पार्टी से अलग होकर, 1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी, केन्द्र तथा कुछ राज्यों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों की पक्षधर है, वे हैं: (अ) राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय एकता (ब) लोकतंत्र (स) सकारात्मक पंथनिरपेक्षता (द) गांधीवादी समाजवाद तथा (घ) मूल्य-परक राजनीति। प्रारंभिक चरणों में दक्षिण-पंथी झुकाव के होते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही मध्यमार्गी है जितनी वर्तमान कांग्रेस पार्टी। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ता जा रहा है। यह दल ग्रामीण भारत में भी अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

3. साम्यवादी दल: भारत के प्रमुख साम्यवादी दल है: भारतीय साम्यवादी दल (सी.पी.आई.) जिसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) जिसका जन्म 1964 में, भारतीय साम्यवादी दल के विभाजन के पश्चात हुआ। इन वर्षों में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), भारतीय साम्यवादी दल की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन गया है। सी.पी.आई. (एम) तथा सी.पी.आई. पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में कई बार सत्ता में रहे हैं। साम्यवादी दल श्रमिकों तथा किसानों के दल रहे हैं। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद की विचारधाराओं पर आधारित ये पार्टियाँ, समाजवाद, उद्योगों के समाजवादी स्वामित्व, कृषि संबंधी सुधार, ग्रामीण उद्धार तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की पक्षधर रही है। ये पूँजीवाद, साम्राज्यवाद तथा वैश्वीकरण के विरोधी हैं।

4. बहुजन समाज पार्टी: 1984 में स्थापित, बहुजन समाज पार्टी का यह दावा है कि वह भारतीय समाज के अभावग्रस्त वर्गों, विशेषतया निर्धनों, भूमिहीन, बेरोजगारों तथा दलितों की पार्टी है जो भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। यह दल साहू महाराज, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर तथा बी.आर. अंबेडकर की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है। बी.एस. पी. को आरंभिक नेतृत्व कांशी राम से प्राप्त हुआ। इस समय पार्टी का नेतृत्व सुश्री मायावती कर रही है। बी.एस.पी. की कार्य शैली का मुख्य सिद्धांत है: सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय!" (सभी का हित हो, सभी सुखी रहें।)

5. क्षेत्रीय राजनीतिक दल: क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ था। तथापि, उनमें से कुछ ने, समय के साथ-साथ स्वायत्तता का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में इतने लोकप्रिय हो गए कि अब राज्य की नीतियों में तथा राज्यों में सत्ता प्राप्त करने में उनका प्रभुत्व दिखाई देने लगा। उन के बढ़ते राजनीतिक दबदबे ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को केन्द्र में गठबंधन सरकारें स्थापित करने में कई बार सहायता प्रदान की है। यह क्षेत्रीय दलों के कारण ही हुआ है कि हमारी राजनीतिक दलीय प्रणाली संघात्मक रूप धारण कर चुकी है। अब क्षेत्रीय दल शायद ही कभी राष्ट्रीय एकता को चुनौती देते हों अथवा अपने राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग करते हों। केन्द्र ने भी उनकी समस्याओं को समझने तथा उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना शुरू कर दिया है। हमारी दलीय प्रणाली की विवेकशील प्रकृति ने, हमारी संघात्मक व्यवस्था के सहकारितावादी रुझान को सुदृढ़ बनाया है।

1. भारत की दलीय प्रणाली की कोई दो विशेषताएं लिखिए ।
2. निम्नलिखित में से किन्हीं दो राजनीतिक दलों के तीन-तीन मुख्य सिद्धांत लिखिए :
 - (i) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
 - (ii) भारतीय जनता पार्टी
 - (iii) भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)
 - (iv) बहुजन समाज पार्टी
3. निम्नलिखित में से कौन-सा जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्रीय दल है?
 - (i) इंडियन नेशनल लोक दल
 - (ii) नेशनल कांग्रेस
 - (iii) फोरवर्ड ब्लाक
 - (iv) राष्ट्रीय जनता दल
4. शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है?
 - (i) महाराष्ट्र
 - (ii) तमिलनाडु
 - (iii) बिहार
 - (iv) उत्तराखंड

अपने राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक दलों की जानकारी प्राप्त कीजिए। उनकी तीन मुख्य नीतियां क्या हैं? विभिन्न दलों के पक्ष में मतदान के लिए लोगों को कौनसी बातें प्रेरित करती हैं?

राजनीतिक दल का नाम मुख्य नीतियां मतदान की प्रेरणा

21.6 राजनीतिक दल तथा दबाव/हित समूह

क्या आप कभी किसी छात्र संगठन अथवा किसी युवा संघ के सदस्य रहे हैं? क्या आपने कभी ट्रेड यूनियन अथवा किसान समूह, अध्यापक संघ तथा व्यवसायी संगठन अथवा महिला संघ की कार्यप्रणाली का अनुभव प्राप्त किया है। आप सहमत होंगे कि ये समूह अथवा संगठन राजनीतिक

दल नहीं हैं। तो फिर क्या हैं ये संगठन? जैसा कि आप जानते हैं किसी देश में, विशेषतया लोकतांत्रिक देश में, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे संगठित समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राजनीति तथा सरकार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के संगठित समूहों के सदस्य अपने किसी न किसी विशिष्ट हित के कारण संगठित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री के कर्मचारी, एक मजदूर यूनियन के रूप में, अपने हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। इसी प्रकार, ऐसे और भी अनेक संगठित समूह हैं जिन्हें दबाव समूह अथवा हित समूह कहते हैं। ये दबाव समूह या हित समूह क्या होते हैं? ये आपस में एक-दूसरे से कैसे भिन्न हैं? हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में इनकी क्या भूमिका है?

21.6.1 दबाव समूह तथा हित समूह

आप नीचे एक चित्र देख रहे हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) द्वारा एक रैली निकाली जा रही है। यह एक ऐसा संगठन है जिसे दबाव समूह कहा जाता है और हित समूह भी। आइए, हम इन समूहों के बारे में चर्चा करें।

हित समूह लोगों द्वारा संगठित वे समूह होते हैं, जिन्हें अपने हितों की पूर्ति करनी होती है। उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि : (क) वे सुसंगठित होते हैं (ख) उन के कुछ समान हित होते हैं। (ग) सदस्यों को जोड़ने वाले हित विशिष्ट तथा खास होते हैं। (घ) ऐसे संगठित समूहों के सदस्य अपने हितों की पूर्ति, रक्षा तथा बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं जिनके लिए वे इकट्ठे हुए हैं। साधारणतया, हित समूहों तथा दबाव समूहों को समानार्थक समझा जाता है, परंतु ऐसा है नहीं। सभी दबाव समूह हित समूह तो होते हैं परंतु सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते। वह दबाव समूह ही हित समूह होता है जो सरकार पर अथवा निर्णय लेने वालों पर, अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाए रखता है। हित समूह और दबाव समूह में अंतर स्पष्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हित समूह तो सरकार पर अथवा निर्णयकर्त्ताओं पर दबाव बनाए बिना भी अस्तित्व में हो सकता है, परंतु वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिकारियों पर दबाव या प्रभाव डाले बिना, दबाव समूह का होना संभव नहीं है। दोनों समूहों में नीचे दिखाया गया अंतर बहुत महत्वपूर्ण है।



चित्र 21.4 : भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एक रैली

चित्र 21.4 भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एक रैली

हित समूह

दबाव समूह

औपचारिक रूप से संगठित

कठोर संगठन

हितों पर आधारित

दबाव पर अधिक ध्यान

सरकार की नीतियों को प्रभावित करें
अथवा न करें।

सरकार की नीतियां को अवश्य
प्रभावित करें

लचीला दृष्टिकोण

कठोर दृष्टिकोण

कम अथवा अधिक सुरक्षात्मक

सुरक्षात्मक तथा प्रोत्साहक

21.6.2 राजनीतिक दल तथा दबाव समूह

यद्यपि दबाव समूहों तथा राजनीतिक दलों में अंतर करना बड़ा महत्वपूर्ण है, फिर भी उनके संबंध पूर्णरूप से निकट तथा स्पष्ट हैं। एक ओर तो मजदूर संगठन राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ता भेज कर सहायता करते हैं, तो दूसरी ओर, राजनीतिक दल भी उनके कार्यकर्ताओं के हित में कानून बनवाने के लिए प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया कांग्रेस पार्टी को भावी नेतृत्व प्रदान करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करती है। जहां कई दबाव समूह विशिष्ट दलों से जुड़े होते हैं, वही अनेक दबाव समूह ऐसे भी हैं जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होता। परंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि दबाव समूह, राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं। दोनों में अंतर को नीचे दर्शाया गया है।

- दबाव समूह मूलतः राजनीतिक प्रकृति के नहीं होते। उदाहरण के लिए, यद्यपि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, किन्तु यह मुख्यतः एक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक दल बुनियादी रूप से राजनीतिक होते हैं।
- प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करना दबाव समूह का उद्देश्य नहीं होता। ये केवल प्रभावित करते हैं जो सत्ता में हैं अथवा निर्णयकर्ता हैं ताकि उन के बारे में या उनके हित में निर्णय ले।
- राजनीतिक दल सरकार बना कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं।
- दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते; वे केवल अपनी पसंद की पार्टी का समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल प्रत्याशियों का नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं तथा चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं।
- यह आवश्यक नहीं है कि दबाव समूहों की कोई अपनी राजनीतिक विचारधारा हो। राजनीतिक दल हमेशा अपनी विचारधारा से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए, कांग्रेस पार्टी समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है तो साम्यवादी दल कर्मचारियों, किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिये कटिबद्ध है।
- दबाव समूहों का हित प्रायः विशिष्ट तथा खास होता है जबकि राजनीतिक दल

राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय हितों से जुड़े होते हैं ।

21.6.3 दबाव समूह : भूमिका और तकनीक

दबाव गुट लोकतांत्रिक राजनीति की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सार्वजनिक विषयों/मुद्दों पर चर्चा, वादविवाद कर जनमत तैयार करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया में वे लोगों को शिक्षा प्रदान कर उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं तथा लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। दबाव समूह लोकनीति में बदलाव कर शक्ति के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। वे कुछ विशिष्ट कार्यों में भी सहायता करते हैं। दबाव गुट अपनी मांगों को मनवाने के लिये जो तरीके/तकनीक अपनाते हैं वह इस प्रकार हैं: अपील, याचिका, प्रदर्शन, घेराव, राजनीतिक व्यक्तियों व अधिकारियों को अपने पक्ष में करना (लाबिंग) तथा जुलूस निकालना। वे मीडिया के माध्यम से, पर्चे बांटकर, प्रेस वक्तव्य देकर, चर्चा, परिचर्चा, पोस्टर तथा नारों के द्वारा अपनी बात को रखते हैं। वे सत्याग्रह कर सकते हैं जो कि एक अहिंसक रास्ता है, लेकिन कई बार दबाव समूह हड़ताल कर निर्णय लेने वालों पर दबाव बनाने की कोशिश भी करते हैं। वे बहिष्कार भी करते हैं जैसा आपने सुना होगा कि वकीलों ने अपनी बात मनवाने के लिये कोर्ट, न्यायालयों का या अध्यापकों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। दबाव गुट इन गतिविधियों से सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

क्या आप जानते हैं

लाबिंग क्या है?

लाबिंग का अर्थ है सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और उनको लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावित करना।

21.6.4 भारत में दबाव समूह

भारत में भी अन्य देशों की तरह कई हित और दबाव समूह हैं। यहां पारम्परिक सामाजिक संरचना पर आधारित पारंपरिक दबाव समूह हैं, जैसे आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म सभा, पारसी अंजुमन, एंग्लो इंडियन इसाई संगठन आदि। फिर कुछ जाति आधारित समूह हैं जैसे, ब्राह्मण सभा और नायर समाज, भाषा आधारित जैसे तमिल संघ, अंजुमन-ए-तारीख उर्दू आदि। अन्य प्रकार के दबाव समूह हैं जैसे भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) अथवा मजदूर और किसानों से संबंधित संगठन, अखिल भारतीय मजदूर संघ, किसान सभा आदि। संस्थागत समूह जैसे सिविल सेवा संगठन तथा गैर राजपत्रित अधिकारी यूनियन, कई बार आपको ऐसे समूह भी मिलेंगे जैसे अखिल असम छात्र यूनियन, या अन्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में कालेज या अन्य संस्थाओं को स्थापित करने की मांग कर रहे हों।

भारत में कई नागरिक समाज संगठन हैं, जिनका निर्माण देश के नागरिकों द्वारा अपने कुछ हितों की रक्षा के लिये किया जाता है। इनमें से कई सरकार पर इनके कार्यक्षेत्र से संबंधित नीतियों को लागू करने के लिये दबाव डालते हैं। ऐसे संगठन साधारण लोगों द्वारा बनाये और चलाये जाते हैं जो किसी समस्या या मुद्दे के प्रति समर्पित होते हैं। कई साधारण, लोग साथ आकर विभिन्न मुद्दों और सामाजिक अन्याय पर अपने विचार रखते हैं। दबाव समूह तब अत्यधिक

शक्तिशाली बन जाते हैं जब वे किसी विषय पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में सफल हो जाते हैं। लोग लैंगिक भेदभाव, बाल मजदूरी, आश्रयहीन बच्चों आदि विषयों पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से कार्यवाही करते हैं।

इन विषयों से जुड़े हुये संगठन जनमत तैयार करने में सफल रहते हैं क्योंकि ये समस्याएं बहुत से लोगों को प्रभावित करती हैं। ऐसे संगठन हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन (एस के एस एस राजस्थान), पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी यू सी एल), नेशनल आलयन्स फॉर पीपल्स मूवमेंट (एन ए पी एम), नेशनल आलयन्स ऑफ बुमेनस ऑर्गनाइजेशन (एन ए डब्ल्यू ओ), मेडिको फ्रेंड्स सरकल (एम एफ सी) और कई अन्य इसी तरह के संगठन। ये संगठन सरकार पर भ्रष्टाचार, मानव अधिकार, लोगों की आजीविका, पर्यावरण, महिला शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अपनी नीति बदलने और बेहतरी के लिये कार्यवाही करने के लिए दबाव डालते हैं।

दबाव गुट लोगों तक अपनी पहुँच बनाते हैं तथा वे लोगों को अपनी समस्याएं व्यक्त करने के लिये माध्यम व विकल्प प्रदान करते हैं। वे सरकार के ऐसे कदमों और कार्यवाहियों को चिन्हित करते हैं जब वह अपने वायदों को पूरा नहीं कर रही हो। वे आदर्शवादी और समर्पित युवाओं को आकर्षित करते हैं तथा उन्हें अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं। नागरिक समाज समूह (सिविल सोसाइटी ग्रुप) जागरूक नागरिक तैयार करते हैं, जो दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपना आराम, समय और ऊर्जा का बलिदान करते हैं। दबाव गुटों के नेतृत्व करने वाले कुछ व्यक्ति जो हाल के दिनों में सक्रिय नजर आये, वे हैं, अरूणा राय (मजदूर किसान शक्ति संगठन), इला भट्ट (सेल्फ इम्प्लाइड बुमेन्स एसोसिएशन), अन्ना हजारे (इंडिया अगेस्ट करप्शन) और मेधा पाटकर (नर्मदा बचाओ आंदोलन)। ये सभी दबाव गुट राज्य की नीतियों में बदलाव लाने के लिये बड़ी संख्या में लोगों को भागीदार बनाते हैं। ज्यादातर दबाव गुट अहिंसक तरीकों में विश्वास रखते हैं।

भारत कई अहिंसक आंदोलन की जन्म स्थली रहा है। गांधी जी को पूरी दुनिया में, सत्याग्रह, नागरिक अवज्ञा और असहयोग आंदोलन के तरीकों का विकास करने के लिये जाना जाता है। यद्यपि गांधी जी ने ये तरीके विदेशी शासन के विरुद्ध प्रयोग किये लेकिन गांधी जी के आंदोलन के सिद्धांत आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये दुनियाभर में, इन तरीकों का सफलतापूर्वक प्रयोग होता रहा है। उदाहरणार्थ सेल्फ इम्प्लाइड बुमेन्स एसोसिएशन ने सरकार पर कामकाजी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिये नीति बनाने के लिये दबाव डाला, मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा सूचना का अधिकार लाने के लिये एक जन आंदोलन चलाया गया तथा सरकार को इस पर कानून बनाने के लिए मजबूर किया। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में जस्ट पीस, अपुनबा लप (छात्र संगठन), मीरा पैबिस (महिला समूह), सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वे लोगों की न्यायोचित समस्याओं को सुनें तथा उनका समाधान करें। ये सभी संगठन इरोम शर्मिला से संबंधित हैं जो अपनी माँगों के लिये भूख हड़ताल पर बैठी हैं। वह सरकार से माँग कर रही हैं कि उसके राज्य में हिंसा समाप्त कर लोगों के लोकतांत्रिक जीवन के अधिकारों का सम्मान किया जाय। उसे देश के सभी भागों से लोगों का समर्थन मिल रहा है। उसने ग्यारह वर्षों से अन्त त्याग कर रखा है तथा वह जीवित इसलिये हैं कि उसे विवश कर ट्यूब से खाना दिया जाता है।



चित्र 21.5 मीरा पैबिस (महिला कार्यकर्ता) मणिपुर में विरोध जताते हुये।

चित्र 21.5 मीरा पैबिस (महिला कार्यकर्ता) मणिपुर में विरोध जताते हुये।



चित्र 21.6 केरल में महिलायें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मीरा पैबिल और इरोम शर्मिला की माँगों के समर्थन में पोस्टकार्ड भेजती हुई।

चित्र 21.6 केरल में महिलायें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मीरा पैबिल और इरोम शर्मिला की माँगों के समर्थन में पोस्टकार्ड भेजती हुई।



चित्र 21.7 इरोम शर्मिला

चित्र 21.7 इरोम शर्मिला

इस मामले में हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग किसी मुद्दे पर समर्थन देने के लिये तैयार हो जाते हैं चाहे वह उनसे कितना ही दूर क्यों न हों। मणिपुर से दूर, केरल में 'हिन्द स्वराज पीस मार्च' इरोम शर्मिला के संघर्ष और मणिपुर के मुद्दे पर जागरूकता फैला रहा है। वे जनमत तैयार कर रहे हैं, जैसा कि आपने चित्र में देखा है, साधारण/आम महिलायें इरोम शर्मिला के समर्थन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेज रहे हैं। चित्र में दिया गया इरोम शर्मिला का पोस्टर लोगों को इस समस्या में साथ देने के लिये प्रेरित करता है। इससे हमें पता चलता है कि भारत के लोग जागरूक हैं तथा वे हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोकतांत्रिक बनाने में सहायता कर रहे हैं।

1. दबाव समूह क्या हैं? वे हित समूहों से किस प्रकार भिन्न होते हैं?
2. दबाव गुट और राजनीतिक दलों के बीच दो अंतर लिखिये ।
3. दबाव गुटों द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिये अपनाये जाने वाले कम से कम तीन तरीकों की चर्चा कीजिए । उपयुक्त उदाहरण दें ।

1. नीचे बॉक्स में दी गई खबर को पढ़ें। यह एनडीटीवी की वेबसाइट में प्रकाशित हुई। आप अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले समूह, इंडिया अगेस्ट करप्शन के विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह समूह किसी राजनीतिक दल से संलग्न हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह एक दबाव गुट है? अपने उत्तर की पुष्टि करें।

अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन ने जनमानस को झकझोर दिया।

एन डी टी वी संवाददाता, अपडेटिड अप्रैल 06, 2011, 07 : 39 IST



चित्र : अन्ना हजारे

नई दिल्ली- मंगलवार को भारत के दो सौ शहरों के कालेजों में पढ़ने वाले छात्र, युवा एकजीक्यूटिव, इस अभियान प्रचार में जुट गये कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिये नया कानून लाए। इस आंदोलन के केन्द्र में आदरणीय अन्ना हजारे हैं जिसने घोषणा की है कि वह तब तक अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे जब तक सरकार जन लोकपाल विधेयक (नागरिकों का लोकपाल) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध नहीं करती। अन्ना हजारे का मानना है कि जब तक कानून के निर्माण में नागरिक समाज सक्रिय भूमिका नहीं निभाता, तब तक कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं आयेगा।

2. निम्न में से किन्हीं दो के विषय में इंटरनेट, अखबार, अध्यापक और समाज के सक्रिय सदस्यों से और अधिक जानकारी एकत्रित करें: (क) नेशनल अलायन्स आफ पीपल्स मूवमेंट (ख) मजदूर किसान शक्ति संगठन और सूचना अधिकार अधिनियम (ग) नर्मदा बचाओ आंदोलन (घ) पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये समूह किन हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि वे सरकार को प्रभावित करने में सफल रहे हैं।

आपने क्या सीखा

- राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की निश्चित भूमिका होती है। वास्तव में राजनीतिक दल लोकतंत्र को संभव बनाते हैं। वे सत्ता के हस्तांतरण में सहायक होते हैं तथा लोगों को शिक्षित और सरकार को उत्तरदायी बनाने में योगदान देते हैं।
- भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल पाये जाते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिनका प्रभाव क्षेत्र देश के बड़े हिस्से में होता है तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो किसी क्षेत्र या राज्य तक सीमित होते हैं।
- राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं : भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साम्यवादी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी आदि, क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल हैं; अकाली दल :

(पंजाब) डी.एम.के. और ए आई ए डी एम के (तमिलनाडु), तेलगू देशम पार्टी (आंध्र प्रदेश), नेशनल कान्फ्रेंस (जम्मू और कश्मीर) आदि ।

- अपने राष्ट्रीय एजेंडे के साथ क्षेत्रीय दल केन्द्र में तथा क्षेत्रीय/प्रांतीय एजेंडे के साथ राष्ट्रीय दल राज्यों में निश्चित तौर पर सकारात्मक भूमिका निभाते हैं ।
- भारत में गठबंधन सरकार का दौर चल रहा है ।
- दबाव गुटों का अस्तित्व राजनीति दलों से भिन्न है वे सरकार की नीति और निर्णयों को प्रभावित कर अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करते हैं । आधुनिक लोकतंत्र में उनकी भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण है ।

पाठान्त प्रश्न

1. हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है?
2. राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं?
3. राजनीतिक दलों की चार विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए ।

4. राजनीतिक दलों के किन्हीं चार कार्यों का वर्णन कीजिए ।
5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए ।
6. भारत में दलीय प्रणाली की तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।
7. दबाव समूह क्या हैं?
8. राजनीतिक दल और दबाव समूह में दो बिंदुओं पर अंतर स्पष्ट कीजिए ।
9. भारत में दबाव समूहों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए ।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

21.1

1. क (iii)

ख (iv)

ग (iii)

2. लोकतंत्र को किस तरह कार्य करना चाहिए, की अपनी समझ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

21.2

क (ii)

ख (i)

ग (ii)

घ (iv)

21.3

1. (i) प्रतियोगी,

(ii) गठबंधनकारी,

(iii) बहुदलीय (कोई दो)

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

(i) लोकतंत्र

(ii) पंथनिरपेक्षता

(iii) समाजवाद

भारतीय जनता पार्टी : (क) राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता

(ख) गाँधीवादी समाजवाद

(ग) लोकतंत्र

3. (ii)

4. (i)

21.4

1. दबाव समूह एक हित समूह होता है जो अपने हितों की पूर्ति के लिये सरकार और निर्णय लेने वालों पर दबाव डालता है। दबाव समूह हित समूह से इस आधार पर ही भिन्न है कि हित समूह

सरकार और निर्णय लेने वालों पर बिना दबाव डाले भी अस्तित्व में रह सकते हैं लेकिन यदि दबाव गुट अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तथा हितों की रक्षा के लिये दबाव नहीं डालता तो उसे दबाव गुट नहीं कहा जा सकता ।

2. (a) दबाव गुटों की प्रकृति मूलतः राजनीतिक नहीं होती । उदाहरण के लिये यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है लेकिन वह एक सांस्कृतिक संगठन है । राजनीतिक दल वास्तव में राजनीतिक होता है ।

(b) दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, वे केवल अपने पसंद के दल का समर्थन करते हैं । राजनीतिक दल उम्मीदवारों को नामजद करते हैं तथा चुनाव प्रक्रिया व चुनाव प्रचार में खुलकर भाग लेते हैं ।

3. लोकतांत्रिक राजनीति की कार्यप्रणाली में दबाव गुट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । वे लोगों से जुड़े सार्वजनिक विषयों पर चर्चा, परिचर्चा, वादविवाद तथा जनमत को बढ़ावा देते हैं । दबाव गुटों द्वारा अपनाये जाने वाले तीन तरीके हैं अपील, याचिका और प्रदर्शन । उदाहरण के लिये सेल्फ एम्पलाइड बुमेन्स एसोसिएशन ने कामकाजी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये सरकार को प्रभावित किया । मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व वाले जन आंदोलन ने सरकार से सूचना का अधिकार पाने में सफलता प्राप्त की ।

22. जनता की सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया

विजया एक समाचार पत्र का सम्पादकीय पढ़कर चौंकी और उसने कहा “मैं भारत जैसे सफल लोकतंत्र में रह कर प्रसन्न हूँ।” उसका पिता रामपाल कहता है कि हो सकता है कि मैं ज्यादा शिक्षित नहीं हूँ लेकिन मुझे संदेह है कि हम वास्तव में एक सफल लोकतंत्र हैं। मैं अभी भी कई लोगों को सड़कों पर भीख मांगते और कुपोषित देखता हूँ। “विजया यह कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है कि यह सच है, पर कम से कम हम मतदान के द्वारा दूसरी सरकार को ला तो सकते हैं। दुनिया में कई देश लोकप्रिय सरकार लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोकतंत्र, भारत में अपनी जड़े मजबूत कर चुका है।”

भारतीय पिछले छः दशकों से नियमित रूप से चुनावों में सहभागी बनते रहे हैं, तथा राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों का निर्वाचन करते रहे हैं। चुनाव में मतदान राजनीतिक सहभागिता का एक औपचारिक और साधारण तरीका है। जन सहभागिता तभी प्रभावशाली बनती है जब व्यवस्था जनमत का आदर करती है। एक देश के अन्दर लोगों और विभिन्न समूहों के भिन्न मत हो सकते हैं, कुछ लोग सरकार की कुछ नीतियों और कार्यक्रमों से असहमत हो सकते हैं; इसलिये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिये वाद-विवाद और चर्चा की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहे वह सरकार की आलोचना के रूप में ही क्यों न हो, लोकतंत्र का आधारभूत तत्व है। वास्तव में सरकार की नीतियों के अलग अलग विचारों और रचनात्मक राय से प्रभावित होने से लोकतंत्र समृद्ध होता है। लोकतान्त्रिक सरकार ऐसी सरकार होती है जो चुनाव के माध्यम से व्यक्त जनमत से अपने आपको जीवित रखती है। इस अध्याय में आप लोकतंत्र में जनमत के अलावा चुनाव व्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि के विषय में अध्ययन करेंगे।

उद्देश्य

इस अध्याय को पूरा करने के पश्चात आप सक्षम होंगे :

- लोकतंत्र प्रक्रिया में जन सहभागिता को समझने में;
- जनमत का अर्थ और उसकी व्याख्या करने में;

- जनमत के निर्माण करने वाली एजेंसियों को सूचीबद्ध करने में;
- भारत में कार्यरत निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन करने में;
- चुनाव का अर्थ और उसके प्रकार की चर्चा करने में;
- विभिन्न चुनाव सुधारों की पहचान करने में; और
- सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अर्थ और उसके भाव की व्याख्या करने में ।

आपने लोगों को चुनाव में मतदान करते देखा होगा। क्या आपने किसी चुनाव में मतदान किया? हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिये मतदान करते हैं। ये प्रतिनिधि आगे चलकर सरकार का निर्माण कर शासन चलाते हैं। सरकार बनाकर ये जन प्रतिनिधि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी से ही हमारा लोकतंत्र एक प्रतिनिध्यात्मक और सहभागी लोकतंत्र बनता है, लेकिन जन सहभागिता का आरम्भ और अंत केवल चुनाव में मतदान करने से नहीं होता। जन सहभागिता अन्य अनेक तरीकों जैसे सार्वजनिक बहस, समाचार पत्रों के सम्पादकीय, विरोध प्रदर्शन तथा सरकार के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी आदि द्वारा भी व्यक्त होती है। चुनाव प्रक्रिया में भी सहभागिता, राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक दलों के लिये कार्य करना, चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने जैसे कई तरीकों से देखने से मिलती है।



चित्र 22.1 एक चुनाव रैली में जन सहभागिता

चित्र 22.3 एक चुनाव रैली में जन सहभागिता

लोगों का वह व्यवहार जिसके द्वारा वे प्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हैं, जन सहभागिता कहलाता है। यह संकल्पता पर्याप्त रूप से बृहत है जिसके अन्तर्गत चुनावी और गैर चुनावी, दोनों ही प्रकार की भागीदारी आ जाती है। वास्तव में सहभागिता नागरिकों की वे सब कार्यवाहियां हैं जिसके द्वारा वे सरकार की नीतियों को प्रभावित व समर्थन करते हैं अथवा उनकी आलोचना करते हैं। वे ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिये करते हैं ताकि उनके प्रतिनिधि उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेह हो।

नीचे दिये गये प्रश्न 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से पूछिये तथा उनके द्वारा दिये गये उत्तरों को निम्न तालिका में लिखिए।

पहला दूसरा तीसरा
व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति

क्या आपने पिछले चुनाव में मतदान किया? क्यों
और क्यों नहीं किया?

क्या आपने किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार
का प्रचार कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया?

यदि निर्वाचित व्यक्ति द्वारा किये गये वायदे पूरे
नहीं किये गये तो क्या आपने सार्वजनिक
प्रतिक्रिया व्यक्त की? उदाहरणार्थ सरकार को
लिखकर या विरोध रैली में भाग लेकर

जन सहभागिता पर चर्चा से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी के कई तरीके से होती है। इनमें से जनमत सबसे प्रभावशाली तरीका है। आपने जरूर देखा होगा कि लोग अक्सर राजनीतिक दलों, नेताओं और उम्मीदवारों पर चर्चा में शामिल होकर विभिन्न विषयों व मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। वे ऐसा रेल या बस में यात्रा करते हुये या अन्य सार्वजनिक सवालों में करते हैं। वे सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों पर भी चर्चा करते हैं। हम में से कई लोग समाचार पत्रों के सम्पादकों के नाम पत्र लिखकर, विभिन्न मुद्दों पर विरोध रैलियों में भाग लेकर अथवा रेडियो, टीवी पर चर्चा में भाग लेकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इन सभी माध्यमों से व्यक्त किये गये विचार जनमत का रूप धारण कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों या आयामों को प्रभावित करते हैं। जैसे मत व्यवहार, सरकार और प्रशासन की कार्य प्रणाली।

22.2.1 जनमत का अर्थ

क्या “लोगों की आवाज” और जनमत का अर्थ समान होता है? जब आप इन दोनों के विषय में आगे अध्ययन करेंगे तो आप यह समझने में सक्षम होंगे कि वे दोनों समान नहीं होते।

वास्तव में जनमत को अनेक तरीके से परिभाषित किया जाता है। इसके कारण इसकी परिभाषा अत्यधिक जटिल हो जाती है। इस पाठ में हम जनमत को सरल तरीके से समझने और परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। जनमत न तो लोगों की आम सहमति है और न यह बहुसंख्यक की राय है। जनमत, सार्वजनिक विषयों या मुद्दों पर लोगों की सहमति और सुविचारित राय को कहा

जाता है। जनमत विभिन्न लोगों की जटिल राय का संग्रह है और सभी विचारों के योगफल के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। काफी हद तक जनमत की विभिन्न परिभाषाओं में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं

(क) जनमत विचारों का समूह या समुच्चय है।

(ख) ये विचार तर्क पर आधारित होते हैं।

(ग) ये विचार सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं।

(घ) जनमत सरकारी निर्णयों, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली तथा प्रशासनिक संचालन को प्रभावित करता है।

क्या आप जानते हैं

एक अवधारणा में जनमत का उदय अठारहवीं शताब्दी में हुआ। शहरीकरण व अन्य राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के कारण यह अवधारणा अस्तित्व में आयी। ब्रिटिश दार्शनिक जेरेमी बॉथम के द्वारा पहली बार जनमत के सिद्धान्तों का विकास किया गया। उसने कहा कि, जनमत में यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि शासक अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिये कार्य करेंगे।

22.2.2 जनमत : लोकतंत्र में इसका महत्व

लोकतंत्र में जनमत की भूमिका को किसी भी कीमत पर नजरंदाज नहीं किया जा सकता। आप यह पहले ही जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की सत्ता के स्त्रोत लोग होते हैं और यह शासकों की सहमति के द्वारा वैधता का दावा करती है। लोगों या जनता के समर्थन के बिना कोई सरकार कार्य नहीं कर सकती। जनमत निर्माण की प्रक्रिया सार्वजनिक विषयों पर जागरूकता को प्रोत्साहन और लोगों की राय आमंत्रित करती है। क्या आपको अनुभव है कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण, इसको जीवित रखना और नियंत्रण जनमत के द्वारा तय किया जाता है। जनमत की निम्नलिखित भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है

1. एक जागरूक और स्वतंत्र जनमत असीमित शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है।
2. यह एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करता है कि जिसमें सरकार का एक अंग, दूसरे अंग के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता।
3. यह जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।
4. यह सरकार को जनहित में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
5. यह लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रतिमानों को शक्ति प्रदान करती है।
6. जनमत, अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिये ठीक ही कहा जाता है कि निरंतर सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है। उदाहरण के लिये लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये प्रत्येक के सतत जागरूक व सावधान रहने की आवश्यकता है।

22.2.3 जनमत: इसका निर्माण करने वाली एजेंसियाँ/अभिकरण

जैसा कि हम उपर देख चुके हैं, जनमत व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों द्वारा व्यक्त विचारों या राय का साधारण योग मात्र नहीं है। वास्तव में, जनमत इन विचारों और राय के आधार पर निर्मित

होता है; लेकिन आप दिये गये चित्र में पायेंगे कि जनमत के निर्माण में कई एजेंसियों, अभिकरणों का योगदान होता है। निम्न कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं जो जनमत के निर्माण में सहायता करती हैं।



चित्र 22.2 जनमत के स्रोत

चित्र 22.2 जनमत का स्त्रोत

1. **प्रिंट मीडिया/मुद्रण/प्रिंट माध्यम** : अखबार व पत्र-पत्रिका लम्बे समय से जनमत के निर्माण में योगदान देती रही हैं। आप इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि प्रिंट मीडिया/मुद्रण माध्यम में प्रकाशित, लेख, खबरों की कहानियां सम्पादक के नाम पत्र तथा महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर प्रकाशित अन्य विषय या समाचार, व्यक्ति के विचारों व राय को समयानुसार आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न विचारों को समाहित व ठोस रूप प्रदान कर जनमत का विकास करते हैं। ये उपकरण जनमत को सभी सम्बन्धित लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं।
2. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया** : सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन व इंटरनेट भी जनमत के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। इनके दृश्य व श्रव्य मॉडल देश के दूरस्थ हिस्सों में व्यक्त विचारों को भी सम्मिलित करते हैं। वे विचारों को अत्यधिक प्रतिनिध्यात्मक जनमत में बदलने तथा इसे सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं।
3. **राजनीतिक दल** : राजनीतिक दल जनमत निर्माण के अभिकरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जैसा कि हो सकता है आपने भी अनुभव किया हो प्रायः प्रतिदिन, राजनीतिक दल और नेता जनता के समक्ष कुछ तथ्य और विचार पेश करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों ने सम्बंध चलाये जाने वाली जन जागृति, गतिविधियों के विषय में आप सुनते व देखते रहते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
4. **विधानपालिकायें** : हमारे देश में संसद और राज्य विधानमण्डल जनमत के निर्धारण में योगदान देने वाली प्रभावशाली संस्थाएँ हैं। जनमत निर्माण में उनका प्रभाव और योगदान, विधानमंडल

की चर्चाओं के सीधा प्रसारण के बाद अत्यधिक बढ़ गया है। ये वे स्थान हैं जहां सार्वजनिक नीति और कल्याण सम्बन्धी नाजुक विषयों पर चर्चा एवं बहस होती है। इन्हें देश की बहुत बड़ी जनसंख्या द्वारा देखा और सुना जाता है। विधानपालिका वह संस्था है जो प्रभावपूर्ण विचार प्रदान करती है।

5. शिक्षण संस्थाएँ: विभिन्न शिक्षण संस्थाएँ भी जनमत निर्माण में सहायता करती हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं का हमारे मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव होता है। ये औपचारिक शिक्षण संस्थाएँ हमें राजनीतिक शिक्षा प्रदान कर जनमत निर्माण में योगदान देती हैं।

हो सकता है आप रंग दे बसन्ती नामक फिल्म देख चुके हों। यह पांच दोस्तों की कहानी है जिनका दोस्त एक लड़ाकू विमान दुर्घटना में मारा जाता है, सरकारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार इस दुर्घटना का मूल कारण नजर आता है। यह घटना उन्हें बेपरवाह और उमंग व उत्साह से जीवन जीने वाले व्यक्तियों से भिन्न हिंसात्मक माध्यम से अपने दोस्त की मौत का बदला लेने वाले कृतसंकल्पी युवाओं में बदल देती है।

एक अन्य फिल्म “लगे रहो मुन्ना भाई” में मुम्बई के एक भूमिगत मुखिया ‘अंडरवर्ल्ड डॉन’ मुन्नाभाई को महात्मा गांधी की आत्मा नजर आने लगती है।

महात्मा गांधी के प्रतिबिंब से बातचीत के द्वारा वह गांधी जी के जीवन और विचारों अर्थात् सत्याग्रह, अहिंसा और सच्चाई को व्यवहार में लाकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करने लगता है, इन दोनों ही फिल्मों में मुख्य किरदार किसी नेक काम के लिये अलग-अलग तरीका अपनाते हैं। आपको दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आता है। कारण दीजिए।

नोट : यदि विद्यार्थियों ने ये फिल्में न भी देखी हो तब भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

1. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता से आप क्या समझते हैं?
2. क्या “जनमत” और लोगों की आवाज दोनों समान है? अपने उत्तर का कारण बताइये ।
3. लोकतंत्र में जनमत के महत्व की व्याख्या कीजिए ।
4. ऐसी दो एजेंसियो/अधिकरणों को सूचीबद्ध कीजिए जो जनमत के निर्माण में सहायता करते हैं ।
आपके अनुसार कौन सी एजेंसी/अधिकरण जनमत पर प्रभावशाली असर डालती है ।

22.3 भारत में चुनाव

आपने, मतदान केन्द्र में मतदान करने के लिये कतार में खड़े नागरिक देखे होंगे। हमारे देश में लोकसभा, विधान सभाओं, पंचायतों तथा नगर निकायों के लिये प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए चुनाव होते हैं। हो सकता है आपने भी ऐसे चुनावों में भाग लिया हो। क्या आप चुनाव को परिभाषित कर सकते हैं? चुनाव उम्मीदवारों के बीच होने वाली एक प्रतियोगिता है जिसके द्वारा वे निकायों या प्रतिनिधिक संस्थाओं में सार्वजनिक पद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। विधानमंडल और स्थानीय शासन की निकायों के चुनाव समय-समय पर निश्चित अवधि के बाद

पूरे देश, राज्य या स्थानीय निकाय को कई चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में जो उम्मीदवार अन्य की तुलना में अधिक मत प्राप्त करता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।



चित्र 22.3 एक मतदान केन्द्र पर कतार में खड़े मतदाता

चित्र 22.3 एक मतदान केन्द्र पर कतार में खड़े मतदाता

क्या आप जानते हैं

निर्वाचन क्षेत्र एक प्रादेशिक क्षेत्र होता है जिसका संसद, राज्य विधान सभा अथवा स्थानीय निकायों के लिये भारत में अलग-अलग ढंग से परिसीमन होता है। प्रत्येक निर्वाचन/चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है।

उम्मीदवार एक संभावित व्यक्ति है जो चुनाव के माध्यम से कोई पद प्राप्त करना चाहता है। वह एक पदस्थ पदधारी भी हो सकता है जो पुनः निर्वाचित होने के लिये प्रयास कर रहा हो या एक चुनौती देने वाला जो पदस्थ व्यक्ति को पद से हटाकर स्वयं उस पद पर आसीन होना चाहता है या वह एक खुली सीट पर चुने जाने का आकांक्षी भी हो सकता है।

चुनाव घोषणापत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रदान करता है।

22.3.1 चुनावों का महत्व

आपने अनुभव किया होगा कि चुनाव लोगों को लोकतांत्रिक सरकार की कार्यप्रणाली में सक्रिय रूप से सहभागी होने का अवसर प्रदान करते हैं। चुनाव, जनमत को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण

माध्यम है क्योंकि इसके द्वारा लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। वास्तव में चुनाव लोगों की राजनीतिक जागरूकता के दायरे का विस्तार करते हैं। वे उन्हें सार्वजनिक विषयों के विकास की जानकारी देकर शिक्षित करते हैं। चुनाव एक राजनीतिक दल या दल समूह से दूसरे को सत्ता का शान्तिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करते हैं, सरकार के कार्यों को वैधता तथा प्रतिनिधियों की लोगों का नेतृत्व करने की सत्ता को न्ययोचित सिद्ध करते हैं।

मुकुन्ददास नामक राजनेता प्रतापपुर से दूसरी बार विधायक हैं। वह उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं हैं। विधानसभा की बैठकों में उसकी शत प्रतिशत उपस्थिति है। हालांकि जहां तक असेम्बली में उसकी सक्रिय भागीदारी का सम्बन्ध है तो उसने सदन में न तो कभी कोई प्रश्न उठाया है और न किसी मुद्दे पर बहस में भाग लिया है। उसने अपने विधायक विकास निधि के 6 करोड़ में से थोड़ी सी राशि ही अपने क्षेत्र की सड़कों और नालों के विकास पर खर्च की है।

देविका सेन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। वह एक निर्दलीय विधायक हैं अर्थात् वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं हैं। उसके परिवार की उस क्षेत्र में एक कपड़े की मिल है। सदन में उसकी शत प्रतिशत उपस्थिति है, उसने प्रायः सदन में महिलाओं के अधिकार और मजदूर यूनियनों/संघों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये। उसने विधायक विकास निधि में मिले निर्धारित 6 करोड़ की राशि में से 4 करोड़ अपने क्षेत्र के स्कूलों के सुधार पर खर्च किये और बाकी का दो करोड़ रुपया मिलों के आसपास सड़कों, सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण पर खर्च किये।

1. ऊपर दी गयी जानकारी के आधार पर नीचे दी गयी तालिका में लिखे आप इन दोनों में से किसे अपना वोट देंगे। अपने निर्णय के समर्थन में कारण दीजिए तथा ऐसे कोई दो तरीके सुझाइये जिससे ये दोनों प्रतिनिधि के अनुसार कार्य कर सकते हैं।

उम्मीदवार प्रतिनिधि मेरा वोट इस कारण जायेगा सुधार के लिए सुझाव

मुकुन्द दास

देविका सेन

दोनों में से कोई नहीं

22.3.2 चुनाव के प्रकार

हमने देखा है कि हमारे देश में चुनाव अक्सर होते रहते हैं। लेकिन सभी चुनाव एक समान नहीं होता, भारत में होने वाले चुनावों को दो प्रकार से समझा जा सकता है, प्रथम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में लोग सीधे तौर पर अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को विधायिका निकायों (लोकसभा और राज्य विधान सभाओं और स्थानीय शासन की संस्थाओं) के लिए निर्वाचित करते हैं। हमारे देश में अप्रत्यक्ष चुनाव भी होते हैं। लेकिन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे कुछ विशेष स्थानों/पदों के लिये व्यक्तियों का निर्वाचन करते हैं। भारत का राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्य सभा के सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते

हैं। इसके अतिरिक्त राज्य विधान परिषद् (जो कि कुछ ही राज्यों में पायी जाती है) के भी कुछ प्रतिशत सदस्य (1/6वां हिस्सा) संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

इसको भिन्न-भिन्न तरीके से देखें तो हमारे देश में चुनाव की तीन प्रकार की श्रेणियां पायी जाती हैं। वे हैं (क) आम चुनाव (ख) मध्यावधि चुनाव (ग) उप चुनाव। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो चुनाव कराये जाते हैं उन्हें आम चुनाव कहा जाता है। 2009 में हुये लोकसभा आम चुनाव कहा जा सकता है। यदि विधायिका (लोकसभा और राज्य विधान सभाओं) के चुनाव उनके समय से पहले भंग किये जाने के कारण कराये तो उन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। उदाहरण के लिये लोकसभा के 1991, 1998, 1999 के चुनाव मध्यावधि चुनाव थे। किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि द्वारा दिये गये त्यागपत्र या उसकी मृत्यु के कारण रिक्त हुई सीट या न्यायालय द्वारा किसी प्रतिनिधि की सदस्यता रद्द किये जाने की स्थिति में जो चुनाव ऐसी सीटों को भरने के लिये कराये जाते हैं उन्हें उपचुनाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि को विधायिका की बाकी बची अवधि तक के लिये ही निर्वाचित किया जाता है। पी.वी. नरसिम्हा को नवम्बर 1991 में आन्ध्र प्रदेश के एक उपचुनाव में निर्वाचित किया गया था।

क्या आप जानते हैं

1. भारत में पहला संसदीय आम चुनाव 1952 में हुआ था तब से लेकर 2009 तक 15 बार लोकसभा के चुनाव (आम और मध्यावधि दोनों तरीके) हो चुके हैं।
2. 1980, 1991, 1998, 1999 के लोक सभा चुनाव मध्यावधि चुनाव थे।
3. भारत में चुनावों के इतिहास में केवल 1979 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव लगभग दो वर्षों के लिये टाले गये।

1. भारत में चुनावों के महत्व का परीक्षण कीजिए ।
2. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनावों से आप समझते हैं?
3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
 1. विधायिका की पूरी अवधि के पश्चात जो चुनाव कराये जाते हैं उन्हें ——— कह ा जात ा है ।
 2. विधायिका के भंग होने के परिणामस्वरूप उसकी सामान्य अवधि से पूर्व जो चुनाव कराये जाते हैं उन्हें ——— कह ा जात ा है ।
 3. किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में वहां के प्रतिनिधि के द्वार त्यागपत्र देने अथव ा मृत्यु या न्यायालय द्वार रद्द किये गये चुनाव के कारण रिक्त हुये पद को भरने के लिये जो चुनाव कराये जाते हैं; उसे ——— कह ा जात ा है ।

22.4 भारत में चुनाव प्रणाली

कई चुनाव सफलतापूर्वक कराने के कारण भारत प्रशंसा का पात्र रहा है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ है? क्या आपने कभी विचार किया कि भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कैसे कराये जाते हैं? चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण कौन करता है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? चुनाव अधिसूचना, नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक का कार्य कौन करता है? विभिन्न पोलिंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफीसर कौन से कर्मचारी होते हैं? वास्तव में भारत में एक विशाल निर्वाचन प्रणाली चुनावों के प्रबंधन में कार्यरत है। आइये इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करें।

22.4.1 भारत का निर्वाचन आयोग

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य एक निष्पक्ष संवैधानिक सत्ता को दिया गया है जिसे निर्वाचन/चुनाव आयोग कहा जाता है। निर्वाचन आयोग एक कानूनी नहीं बल्कि एक संवैधानिक संस्था है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनायी गयी संस्था को कानूनी संस्था कहा जाता है जबकि एक संवैधानिक संस्था को शक्ति स्वयं संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। हमारा संविधान चुनाव/निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। चुनाव आयोग का गठन एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर होता है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।



चित्र 22.4 भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय

चित्र 22.4 भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए होता है। उनका पद और सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से केवल महाभियोग की प्रक्रिया जैसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिये अपनायी जाती है, के द्वारा हटाया जा सकता है।

भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं ।

1. देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना ।
2. चुनाव मशीनरी का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना तथा मतदाता सूचियां तैयार करना ।
3. राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय/क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में पंजीकृत करना ।
4. चुनाव लड़ने के लिये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना ।
5. राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव कर्मियों के लिये दिशानिर्देश और आचार संहिता लागू करना ।
6. राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम लोगों से प्राप्त चुनाव सम्बन्धी शिकायतों का निवारण करना ।
7. चुनाव कर्मियों की नियुक्ति करना ।
8. चुनाव के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सलाह व सुझाव देना ।

निर्वाचन आयोग अपना कार्य कुछ चुनाव कर्मियों की सहायता से सम्पन्न करता है, इस प्रक्रिया पर निम्न प्रकार से चर्चा की गयी है ।

1. चुनाव कर्मी

चुनाव सम्पन्न करने में निर्वाचन आयोग को कई कर्मचारियों द्वारा सहयोग दिया जाता है । निर्वाचन आयोग के अधीन राज्यस्तर पर चुनावों का मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ नौकरशाहों में से निर्वाचन आयोग राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है । वह ज्यादातर राज्यों में पूर्णकालिक अधिकारी होता है तथा उसे कुछ सहायक स्टाफ प्रदान किया जाता है । निर्वाचन आयोग चुनाव का कार्य सम्पन्न करने के लिए राज्य के सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करता है । जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव पंजीकरण अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी आदि ये कर्मचारी अपने रोजाना के सरकारी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के अलावा चुनाव का कार्य भी सम्पन्न करते हैं । चुनाव के दौरान

वे चुनाव आयोग को लगभग पूरे समय उपलब्ध रहते हैं । इन सबके अलावा तीन प्रमुख चुनाव अधिकारी होते हैं, जिनकी भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण होती है । ये अधिकारी हैं । रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी तथा चुनाव अधिकारी ।

रिटर्निंग अधिकारी : सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श पर चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है । यह वह अधिकारी होता है जो (क) चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को प्राप्त कर उनकी जांच करता है । (ख) निर्वाचन आयोग के नाम पर चुनाव चिन्ह प्रदान करता है (ग) निर्वाचन क्षेत्र में अबाध चुनाव कराता है । (घ) मतों की गिनती को सुनिश्चित करता है । (ङ) चुनाव परिणामों की घोषणा करता है ।

पीठासीन अधिकारी: हर निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्र होते हैं। 800 से 1000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र होता है जिसका प्रबन्ध एक अधिकारी करता है। वह मतदान केन्द्र पर पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करता/करती है और यह सुनिश्चित करता/करती है कि प्रत्येक मतदाता को स्वेच्छा से मतदान करने का अवसर मिले तथा किसी तरह का प्रतिरूपण न हो। मतदान समाप्त हो जाने के बाद वह सभी मतपेटियों पर सील लगाकर उन्हें निर्वाचन अधिकारी को सौंप देता/देती है।

मतदान अधिकारी: प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को मदद करने के लिए तीन या चार अधिकारी होते हैं। जिन्हें मतदान अधिकारी कहते हैं। ये अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि मतदान केन्द्र पर चुनाव सुचारू रूप से हों। वे मतदाता सूची में मतदाता के नाम की जांच करते हैं, मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही लगाते हैं, मतपत्र जारी करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता गुप्तरूप से मतदान करे।

क्या आप जानते हैं

1. **प्रतिरूपण :** बोगस मतदान कहते हैं। जब कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान गलत पहचान द्वारा वास्तविक व्यक्ति के जगह पर मतदान करता है तो इस गैरकानूनी कार्य को प्रतिरूपण कहते हैं। मतदाता पहचान पत्र द्वारा अनिवार्य पहचान की मदद से प्रतिरूपण को कम किया जा सकता है।
2. **अमिट स्याही:** इस स्याही को आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। इसे मतदाता के दाहिने हाथ के तर्जनी पर लगाया जाता है ताकि वह दुबारा मतदान न कर सके। यह प्रतिरूपण रोकने के लिए किया जाता है।

2. भारत में चुनाव प्रणाली

चुनाव प्रणाली कई चरणों में होने वाली एक लम्बी प्रक्रिया है। आपके लिए चुनाव प्रणाली के विभिन्न चरणों की जानकारी आवश्यक है; जो निम्न है :

1. चुनाव क्षेत्र का परिसीमन पहला कदम है जो आयोग द्वारा किया जाता है।
2. मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन दूसरा कदम है जो समय-समय पर निर्वाचन आयोग की देखदेख में होता है।
3. राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद देश में चुनाव कराने का दायित्व आयोग के ऊपर आ जाता है।
4. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है जिसमें नामांकन पत्र भरने की तारीख, उसकी जांच व वापसी, चुनाव संचालन, मतों की गिनती तथा चुनाव परिणाम की घोषणा शामिल है।
5. प्रत्याशी तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आबंटन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।
6. प्रत्याशी और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार का समय आयोग द्वारा दिया जाता है।

7. यदि आवश्यक हो तो किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग में पुनर्मतदान चुनाव आयोग के आदेश पर कराया जाता है।

8. यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नामित प्रत्याशी की नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद तथा मतदान से पहले मौत हो जाती है तो चुनाव रद्द कर दिया है। चुनाव रद्द करने का आदेश (प्रत्यादेश) निर्वाचन आयोग जारी करता है।

9. किसी प्रत्याशी का अनुचित रूप से नामांकन खारिज करना, चुनाव के दौरान अनुचित या भ्रष्ट साधनों का उपयोग दिखाई देना और मतदाताओं को डराना धमकाना सरकारी तंत्र का उपयोग जैसे चुनाव विवाद की जांच न्यायपालिका अर्थात् उच्च न्यायालय करता है जिसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

22.4.2 मतदान के उपरांत

आपने गौर किया होगा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर चुनाव के दिन गतिविधियां होती हैं। चुनाव के दिन अपने अपने मतदान केन्द्र पर जाते हैं तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा में एक कतार में खड़े होते हैं। मतदान केन्द्र में प्रवेश के बाद मतदाता अपना पहचान पत्र पहले और दूसरे मतदान अधिकारी दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ तथा महिला मतदाता के दाहिने हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही लगाता है। ऐसा बोगस मतदान या प्रतिरूपण रोकने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा कि प्रतिरूपण एक अपराध है जो कानून द्वारा दण्डनीय है। अधिकारियों द्वारा मतदाता की पहचान हो जाने के बाद उसे एक मतपत्र दिया जाता है जिसमें चुनाव चिन्ह के साथ साथ सभी प्रत्याशियों का नाम शामिल होता है।



चित्र 22.5 एक मतदान केन्द्र में चुनाव का चित्र

चित्र 22.5 एक मतदान केन्द्र में चुनाव का चित्र



22.6 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन

चित्र 22.6 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन

मतदाता चुनाव केन्द्र के एक बंद कक्ष में अपने पसंद के चुनाव चिन्ह पर या उसके निकट खर लगाकर अपना मत देता/देती है। उसके बाद मतदाता मत पत्र को मोड़कर पीठासीन अधिकारी

तथा प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के समक्ष रखी मत पेटी में डाल देता/देती है।

लेकिन यदि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग हो रहा हो तो मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशी का संकेत करती हुई मशीन का उपयोग करता है। गोपनीयता रखी जाती है ताकि किसी का यह न पता चल सके कि मतदाता ने किसके पक्ष में मतदान किया है। मतदान के बाद मतपेटी या वोटिंग मशीन को सील कर दिया जाता है और उसे गिनती केन्द्रों पर भेज दिया जाता है। मतों की गिनती की जाती है तथा जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। जिस प्रत्याशी को चुनाव क्षेत्र के कुल मतों का भाग भी नहीं मिल पाता वह अपनी जमानत राशि खो देता/देती है। यदि किसी प्रत्याशी को यह संदेह हो कि किसी अन्य प्रत्याशी ने भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग किया है तो वह उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर सकता/सकती है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग हुआ है तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

क्या आप जानते हैं

मतपत्र कागज का एक टुकड़ा है जिसपर उनके चुनाव चिन्ह के प्रत्याशियों का नाम लिखा होता है। इसका उपयोग मतदाता अपनी पसंद जाहिर करने के लिए करता/करती है।

गुप्त मतदान एक चुनावी तरीका है जिसके द्वारा चुनाव या जनमत संग्रह में मतदाताओं की पसंद गोपनीय रखी जाती है। यह तरीका गोपनीयता का उद्देश्य प्राप्त करने का एक साधन है।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन एक सरल इलेक्ट्रानिक युक्ति है जिसका प्रयोग मतपत्र और मत पेटियों के स्थान पर किया जाता है जिनका प्रयोग पहले पारम्परिक चुनाव प्रणाली में किया जाता था। पहली बार इसका प्रयोग सन् 1982 में केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सीमित मतदान केन्द्रों (50) में हुआ था। भारत के 2004 के आम चुनाव के दौरान कुल 10.75 लाख इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव कराया गया था।

पाठगत प्रश्न 22.3

1. निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है?
2. आप के अनुसार आयोग के दो महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं?
3. राज्य स्तर से लेकर चुनाव केन्द्र तक मुख्य चुनाव अधिकारी कौन हैं?

4. यदि आपको चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो आप कौन से मुख्य कार्य करेंगे तथा किस प्रकार आप चुनाव क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करेंगे?
5. भारत में चुनाव प्रक्रिया के पांच महत्वपूर्ण चरण क्या हैं?

22.5 चुनाव और चुनाव सुधारों में जन सहभागिता

अब तक की चर्चा से हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए चुनावों के महत्व को समझने में सक्षम हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह पाया गया है कि भारत को एक सजग भागीदारी लोकतंत्र बनाने के लिए चुनाव प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता है। अब हम सबसे उल्लेखनीय कारक की चर्चा करेंगे जो चुनावों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायक हुआ है। ऐसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो भारतीय चुनावों के लिए चिंता का विषय है। साथ ही चुनाव सुधारों पर भी चर्चा होगी।

22.5.1 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया। यह बड़ी ही रोचक बात है कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के लगभग 300 वर्षों के बाद सन् 1928 में ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ। लोकतंत्र का घर माने जाने वाले स्वीटजरलैंड में यह सन् 1972 में प्रदान किया गया। हालांकि भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना के प्रारंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है?

इस संदर्भ में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सार्वभौमिक का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों पर सार्वधारणतया लागू होना। वयस्क का अर्थ है बालिग, बच्चा नहीं। मताधिकार का अर्थ है व्यक्ति का मत डालने का अधिकार। इस तरह वयस्क मताधिकार का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी बालिग लोग, स्त्री और पुरुष बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान का अधिकार रखते हैं। लेकिन सभी वयस्कों में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाता जिन्हें कानूनी रूप से मतदान से वंचित किया गया है।

क्या आप जानते हैं

1. विश्व में न्यूजीलैंड पहला देश था जहां 1893 में सार्वजनिक मताधिकार दिया गया। 1905 में फिनलैंड ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश था।
2. सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जर्मनी में 1919 में स्वीडेन में 1920 में तथा फ्रांस में 1945 में लागू किया गया।

सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा एक व्यक्ति एक वोट के राजनीतिक समानता के सिद्धान्त पर आधारित है। किसी के पास एक से ज्यादा वोट नहीं होता। यह लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में तथा अधिकारों की रक्षा में सहायक होता है।

मताधिकार का सम्बन्ध व्यक्ति की उम्र से है। मतदान के लिए न्यूनतम उम्र अब विभिन्न देशों में अलग अलग है। इस युग के अधिकांश देशों में जैसे भारत, चीन, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस में यह 18 साल है। जबकि ब्राजील, क्यूबा, निकारागुआ में यह 16 साल तथा इंडोनेशिया, उत्तरी कोरिया तथा सुडान में यह 17 साल है। जापान और ट्युनिशिया में यह 20 साल तथा दक्षिणी कोरिया में 19 साल है। कुवैत, लेबनान, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर में मतदान की आयु 21 वर्ष किन्तु उजबेकिस्तान में यह 25 वर्ष रखी गई है।

22.5.2 चुनाव सुधार

जैसा कि हमने देखा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित भारत की चुनाव प्रणाली में न केवल हमारे मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया है बल्कि एक राजनीतिक दल या दलों के समूह को दूसरे दल या समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके सरलता एवं शांतिपूर्ण ढंग से सरकारें बदलने में भी सहायक हुआ है। हमने यह भी देखा है कि मोटे तौर पर हमारे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। लोगोंने सक्रिय रूप से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। इस तरह चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं तथा इसकी अनेक समस्याएं हैं जो न केवल हमारे चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करती हैं। ये निश्चित रूप से चुनाव सुधारों की मांग करती हैं।

वास्तव में लंबी अवधि से चुनाव सुधारों ने संसद, सरकार, आयोग, पैसे तथा लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अतीत में कानून की स्पष्ट खामियों को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। निकट अतीत के अनुभवों के आधार पर कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए शीघ्रता से कुछ कदम उठाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है जैसे (क) चुनावों में हेराफेरी, नकली और फर्जी मतदान, प्रतिरूपण (ख) चुनाव के दौरान हिंसा (ग) धन और बाहुबल की प्रतिकूल भूमिका (घ) मतदाताओं, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को डराना, धमकाना (ङ) सरकारी तंत्र का दुरुपयोग (च) मतदान केन्द्र पर कब्जा तथा चुनाव व राजनीति का अपराधीकरण।



चित्र 22.7 राजनीति का अपराधीकरण

चित्र 22.7 राजनीति का अपराधीकरण

इन नकारात्मक गतिविधियों की विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई है और चुनाव सुधारों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वास्तव में, कई चुनाव सुधार लागू किए जा चुके हैं। लेकिन चुनाव की कोई भी व्यवस्था कभी पूर्ण दोषरहित नहीं हो सकती। वास्तविक व्यवहार में चुनाव प्रथाओं में हमेशा खामियां और सीमाएं होंगी। चुनावों को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए हमें कुछ तौर तरीके ढूंढने होंगे। चुनाव सुधार के लिए कई सुझाव विद्वानों, राजनीतिक दलों, सरकार प्रायोजित समितियों तथा विभिन्न स्वतंत्र स्त्रोतों से आते रहे हैं।

सुझाए गए चुनाव सुधारों की प्रारंभिक सूची निम्न हैं:

1. बदलते परिप्रेक्ष्य से मेल खाते हुए समय समय पर चुनाव प्रणाली का लोकतंत्रीकरण
2. वोट, सीट असंतुलन को कम करने के लिए प्रचलित बहुलवादी व्यवस्था के स्थान पर किसी एक से आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को लागू करना।
3. “राजनीतिक दल पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करें” यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियमित करना
4. सजा का प्रावधान करते हुए चुनावी कानून को सख्त बनाना
5. चुनावी खर्चे को कम करने के लिए सरकार द्वारा चुनावी व्यय को वहन करना
6. संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का विशेष प्रावधान।
7. चुनाव के दौरान धन और बाहुबल की भूमिका कम करना
8. चुनावों में राजनीति के अपराधीकरण को रोकना
9. चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर अपील करने पर पूर्ण रोक लगाना।

क्या आप जानते हैं

1. बहुलवादी व्यवस्था में अधिकतम मत पाने वाले प्रत्याश्री को चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। एक सदस्यीय तथा बहु सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में यह मत प्रणाली वर्तमान समय में विधायिका के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए प्रयोग की जाती है।

2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक ऐसी चुनाव विधि है जिसके द्वारा जनसंख्या में अनुपात के आधार पर विभिन्न वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। इस व्यवस्था में कोई भी गुट यदि वह राजनीतिक दल हो या हित समूह लोकप्रिय वोट से प्राप्त अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है।

निकट अतीत में निर्वाचन आयोग ने कई नई पहल की है। जिसकी ओर पहले इशारा किया जा चुका है। इनमें प्रमुख हैं (क) राजनीतिक दलों द्वारा राज्य स्वामित्व वाले इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार की योजना (ख) मत सर्वेक्षण और एक्जिट पोल पर पाबंदी (ग) राजनीति के अपराधीकरण पर रोक (घ) मतदाता सूची का कम्प्यूटरीकरण करना (ङ) मतदाता पहचानपत्र

(च) चुनावी खर्चे के रखरखाव तथा प्रत्याशी द्वारा उस फाइल करने की प्रक्रिया का सरलीकरण
(छ) चुनाव के दौरान प्रतियोगियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए अनेक कदम उठाना । चूंकि हमारी चुनाव प्रणाली ने विपरीत परिस्थितियों में भी सुचारू रूप से काम किया है इसलिए उम्मीद बंध गई है कि हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहेगा और उसमें बेहतरी होगी । हमारे लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध हैं और सम्भावना है कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी ।

नीचे दी गई प्रश्नावली के आधार पर अपने परिवार के बुजुर्ग या पड़ोसी से साक्षात्कार करके उनसे जानकारी प्राप्त करें कि वे चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं।

1. नाम उम्र
2. पहली बार आपने कब मतदान किया
3. आपने जिस प्रत्याशी को मतदान किया वह आपने कैसे तय किया?
4. आपने कभी किसी राजनीतिक दल का चुनाव घोषणापत्र देखा है। क्या इसने आपको निर्णय लेने में मदद की?

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक का मत समान रूप से मूल्यवान है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इससे वर्ग, जाति, लिंग तथा धर्म से संबंधित असमानता में कमी आई है?
2. किन्हीं तीन समस्याओं की चर्चा कर जिनसे भारत की चुनाव प्रणाली ग्रसित है।
3. किन्हीं दो चुनाव सुधारों का उल्लेख करें जो आपके अनुसार चुनाव प्रणाली में सुधार लाने के लिए आवश्यक हैं।

आपने क्या सीखा

- हमारे जैसे बड़े देश के लिए प्रतिनिधिक लोकतंत्र वांछनीय है। प्रतिनिधिक सरकार प्रतिनिधित्व के माध्यम से तथा प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिए से कार्य करती है। इसलिए चुनाव लोकतंत्र का आधार है।

- चुनावों को मतदाता और मतदान प्रक्रिया की जरूरत है। मतदान का अर्थ है मताधिकार का प्रयोग। आधुनिक लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है) आवश्यक है।
- विधानसभाओं के लिए भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जबकि कुछ पदों, जैसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई है।
- चुनाव प्रक्रिया के कई चरण होते हैं :
- प्रत्याशी द्वारा चुनाव के लिए नामांकन का भरना, नामांकन पत्र की जांच, चुनाव से नाम वापस लेना, चुनाव प्रचार, चुनाव परिणाम इत्यादि।
- मतदान में चुनाव संचालन और निरीक्षण के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान है।
- प्रचलित चुनाव प्रक्रिया में कई खामियों के संदर्भ में चुनाव सुधार की आवश्यकता है।

पाठ्य प्रश्न

1. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता से आप क्या समझते हैं?
2. जनमत की परिभाषा कीजिए तथा लोकतंत्र में इसके महत्व की विवेचना कीजिए।
3. जनमत निर्माण में मदद करने वाले किन्हीं चार एजेंसियों का नाम बताएं। आपके अनुसार जनमत पर किस एजेंसी का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है?
4. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों की भूमिका की जांच करें। देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के चुनावों की विवेचना करें।
5. भारत में निर्वाचन आयोग के प्रमुख काम क्या हैं? चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या हैं?
6. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? इसके महत्व की व्याख्या कीजिए।
7. भारत में जहां हम वर्ग, जाति, लिंग, धर्म पर आधारित अनेक तरह की असमानताएं देखते हैं वहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपके अनुसार कितना सफल है?
8. भारत में निर्वाचन प्रणाली के समक्ष मौजूद चार प्रमुख समस्याओं की विवेचना करें।
9. क्या भारत में चुनाव सुधारों की तत्काल आवश्यकता है? चुनाव सुधार लाने के प्रमुख सुझाव क्या हैं?
10. निर्वाचन आयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करें जिसमें चुनाव प्रचार प्रक्रिया में सुधारों का समावेश हो। योजना आम जनता राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों में असरदार सूचना प्रसार को बढ़ावा दें।

22.1

1. जन सहभागिता में चुनाव में मतदान करना शामिल है। पर जन सहभागिता आम बहस, समाचार पत्रों के सम्पादकीय, विरोध प्रदर्शन तथा सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में भी इसमें, प्रचार में भागीदारी, राजनीतिक बहस, राजनीतिक दलों के लिए काम करना तथा प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना, शामिल है।
2. जनता की आवाज और जनमत का समान अर्थ नहीं हैं। जनमत न तो लोगों की आम सहमति है न ही यह बहुमत की राय है। जनमत जनता से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर संगठित और सोच विचार कर ली गई जनता के राय है। जनमत को विभिन्न लोगों के विचारों का जटिल संग्रह तथा उनकी राय के संकलन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।
3. जनमत लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक लोकतांत्रिक सरकार अपनी सत्ता लोगों से प्राप्त करती है तथा अपना औचित्य शासितों की सहमति से हासिल करती है। आम लोगों के समर्थन के बिना कोई सरकार काम नहीं कर सकती। जनमत के निर्माण की प्रक्रिया सोच को जन्म देती है, जागरूकता को बढ़ावा देती है तथा आम मुद्दे पर जनता के विचार आमंत्रित करती है। एक सतर्क और स्वतंत्र जनमत निरंकुश सत्ता पर नियंत्रण रखता है और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। यह लोगों के हित में कानून बनाने के लिए सरकार को भी प्रभावित करता है।
4. जनमत निर्माण में सहायक दो एजेंसी हैं : प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया।

22.2

1. चुनाव, लोकतांत्रिक सरकार की कारवाइयों में जनता को सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। वे जनमत की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। क्योंकि ये लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अवसर देते हैं। चुनाव लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं तथा जन हित के मुद्दों से अवगत कराकर उन्हें शिक्षित करते हैं। वे एक राजनीतिक दल या दलों के समूह से दूसरे राजनीतिक दल या समूहों को सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को सुगम बनाते हैं। और जन प्रतिनिधियों की सत्ता को न्यायोचित ठहराकर सरकार को औचित्य प्रदान करते हैं।
2. प्रत्यक्ष चुनाव में लोग अपने मतपत्रों द्वारा विधायी निकायों, लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि कुछ विशेष पदों के लिए मत डालकर लोगों का निर्वाचन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के भी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
3. (क) आम चुनाव (ख) मध्यावधि चुनाव (ग) उपचुनाव

22.3

1. निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ चुनाव आयुक्त होते हैं। जिनकी संख्या राष्ट्रपति कानून के अनुसार तय करते हैं। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त हैं।

2. निर्वाचन आयोग के दो प्रमुख कार्य हैं :

(क) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव निश्चित करना

(ख) संपूर्ण चुनाव तंत्र का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण

3. चुनाव संचालन के लिए निर्वाचन आयोग को मदद करने के लिए कई अधिकारी होते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी हैं: राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी; जिला चुनाव अधिकारी; मतदाता पंजीकरण अधिकारी; सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी।

4. निर्वाचन अधिकारी के मुख्य कार्य निम्न हैं:

(क) चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नामांकन प्राप्त करना और उनकी जांच करना (ख) निर्वाचन आयोग की ओर से चिन्ह आबंटित करना (ग) चुनाव क्षेत्र में सुचारू रूप से चुनाव का संचालन (घ) मतों की गिनती सुनिश्चित करना (ङ) तथा चुनाव परिणामों की घोषणा।

5. भारत में चुनाव प्रक्रिया के पांच मुख्य चरण हैं:

1. पहला कदम है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन जो परिसीमन आयोग करता है।

2. समय समय पर निर्वाचन आयोग की देख रेख में मतदाता सूची की तैयारी और उसका संशोधन दूसरा कदम है।

3. राष्ट्रपति और राज्यपाल की अधिसूचना के बाद निर्वाचन आयोग देश में चुनाव संचालन का कार्य करता है।

4. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है जिसके अंतर्गत नामांकन पत्र भरने की तिथि, उनकी जांच, वापसी, मतों की गिनती तथा चुनाव परिणामों की घोषणा शामिल होती है।

5. प्रत्याशियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आबंटन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।

22.4

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी बालिग स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान का अधिकार होता है। विभिन्न तरीके से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने लोगों को वर्ग, जाति, लिंग तथा धर्म के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करके इसने हमारे लोकतंत्र का संवर्धन किया है। आज सभी जाति और धर्म के लोगों को मताधिकार का अवसर प्राप्त है। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे समाज में विषमता

पूरी तरह समाप्त हो गयी है। क्योंकि विभिन्न जाति वर्ग तथा लिंग के लोगों के साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है। वास्तविक समानता अभी लायी जा सकती है जब आम नागरिकों के रवैये और व्यवहार में बदलाव आयेगा और वे अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक स्तर पर भेदभाव मिटा दें।

2. भारत में चुनावी प्रणाली के समक्ष तीन समस्याएँ हैं :

(क) चुनाव में हेराफेरी, नकली और फर्जी मतदान, प्रतिरूपण

(ख) चुनाव के दौरान हिंसा और

(ग) धन और बाहुबल की प्रतिकूल भूमिका

3. (i) राजनीतिक दल पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से काम करें, यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी कार्य प्रणाली को नियमित करना। चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा किए गए खर्च का लेखा परीक्षण करने की आवश्यकता है।

(ii) चुनाव संबंधित कानूनों को अधिक सख्त बनाना तथा कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना।

मॉड्यूल IV समसामयिक भारत : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

23. भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियाँ
24. राष्ट्रीय एकीकरण तथा पंथ निरपेक्षता
25. सामाजिक आर्थिक विकास तथा अभावग्रस्त समूहों का सशक्तीकरण
26. पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबन्धन
27. शान्ति और सुरक्षा

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। आप तो इस कथन से परिचित होंगे। क्या आप याद कर सकते हैं कि हाल ही में आपने इसे कहीं पढ़ा या सुना है? विश्व के कई देशों में लोकतान्त्रिक प्रणाली है। क्या आपको लगता है कि भारत को एक लोकतन्त्र के रूप में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ नियमित अन्तराल पर चुनाव होते हैं? पिछले छः दशकों से भी अधिक समय से हमने विभिन्न स्तरों पर देश में चुनावों को आयोजित होते हुए देखा है। नगर निगम और पंचायतों के लिए भी चुनाव होते रहते हैं। लेकिन क्या नियमित रूप से चुनाव के आयोजन किए जाने के आधार पर ही एक देश को लोकतन्त्र कहा जा सकता है? इसके बारे में विचार कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ चुनाव होते रहे हैं, लेकिन सही अर्थों में वहाँ लोकतन्त्र नहीं है। तो फिर प्रश्न यह है कि वास्तव में लोकतन्त्र का क्या मतलब है? ऐसे कौन से कारक हैं जो एक देश को लोकतान्त्रिक बनाते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र के रूप में इसकी वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं। हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई ऐसी महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं जिनको हल करना है, ताकि भारत एक प्रगतिशील लोकतान्त्रिक देश के रूप में आगे बढ़ सके। वर्तमान पाठ में इन सभी मुद्दों पर तथा विशेष रूप से देश के सामने की चुनौतियों पर चर्चा होगी।

उद्देश्य

इस पाठ को पूरा करने के बाद, आप :

- विभिन्न सन्दर्भों (राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत या स्वयं) में लोकतन्त्र के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे और लोकतन्त्र की आवश्यक शर्तों को बतला पाएँगे;
- भारतीय लोकतन्त्र के लिए प्रमुख चुनौतियों की पहचान और लोकतन्त्र को सफल बनाने के अवसरों के रूप में इनकी समीक्षा कर सकेंगे;
- भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए सुधारात्मक उपायों की पहचान कर पाएँगे और प्रयासों का आकलन कर सकेंगे; और
- जीवन के अनुभवों पर आधारित लोकतन्त्र में नागरिकों की भूमिका की पहचान कर सकेंगे ।

23.1 लोकतन्त्र की समझ

हम इस पाठ का प्रारम्भ लोकतन्त्र का अर्थ समझने तथा लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तों के विश्लेषण से करते हैं। ऐसा करने से भारतीय लोकतन्त्र की चुनौतियों की समीक्षा में हमें मदद मिलेगी।



चित्र 23.1 : भारत में लोकतन्त्र क्या है?

23.1.1 लोकतन्त्र का अर्थ

जब हमें लोकतन्त्र को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है तो हम आम तौर पर एक बहुत ही लोकप्रिय परिभाषा को उद्धृत करते हैं : “लोकतन्त्र जनता की, जनता के लिए जनता के द्वारा, सरकार है।”

क्या आप जानते हैं कि किसने ऐसा कहा था? यह कथन केवल राजनीतिक सन्दर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए? क्या इस अवधारणा का सामाजिक सन्दर्भ में या हमारे दैनिक जीवन में स्वयं के सम्बन्ध में प्रासंगिकता नहीं है?

लोकतन्त्र को कई तरह से परिभाषित किया गया है। ब्राइस का मानना है कि “लोकतन्त्र का अर्थ वास्तव में सभी लोगों का शासन है, जो अपनी सार्वभौम इच्छा को अपने मतों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं।

मेकाइवर के अनुसार, “लोकतन्त्र शासन का एक तरीका नहीं है, चाहे वह बहुमत के द्वारा शासन हो या अन्यथा, बल्कि यह निर्धारित करने का तरीका है कि कौन शासन करेगा तथा व्यापक तौर पर किन उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए करेगा।”

इन परिभाषाओं में लोकतन्त्र का कौन-सा पहलू प्रतिबिम्बित होता है-राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत

जब भी हम लोकतन्त्र को परिभाषित करते हैं तो हम प्राचीन यूनान में प्रचलित शब्दों को उद्धृत करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। हम यह कहते हैं कि लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) शब्द यूनानी भाषा के ‘डेमोक्रेसिया’ शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ‘लोगों का शासन’। यह दो शब्दों से मिलकर बना है- ‘डिमोस’ जिसका अर्थ है ‘लोग’ तथा ‘क्रेटोस’ जिसका अर्थ है ‘सत्ता’। इसका अर्थ यह है कि लोकतन्त्र में सत्ता लोगों के हाथों में होती है। लोकतन्त्र का यह अर्थ यूनान के कुछ नगर-राज्यों, प्रमुख रूप से एथेंस, के शासन के अनुभवों पर आधारित है। आज भी लोकतन्त्र को शासन के एक प्रकार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथों में होती है, जिसका प्रयोग उनके द्वारा समय-समय पर होने वाले चुनावों की व्यवस्था के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जब आप लोकतन्त्र की उपर्युक्त परिभाषाओं का परीक्षण करते हैं तो आप पाते हैं कि उनमें से अधिकतर लोकतन्त्र को एक ऐसी शासन प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होती है। कुछ ऐसे लोकतन्त्र हैं जिन्हें प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कहा जाता है क्योंकि वहाँ जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ऐसे लोकतन्त्र प्राचीन यूनान के कुछ नगर-राज्यों में थे तथा आज भी स्विटजरलैण्ड में एवं कुछ अन्य स्थानों पर हैं।

लेकिन आज अधिकतम लोकतन्त्र प्रतिनिधिक लोकतन्त्र हैं। यद्यपि वे सभी एक जैसे नहीं हैं, उन सब में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा गठित विधायिकाएँ हैं। केवल यूनाइटेड किंगडम में लार्ड-सभा एक अपवाद है, क्योंकि इसके सदस्य वंश के आधार पर या अन्य आधारों पर मनोनीत होते हैं। कार्यपालिका के पदों पर भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कार्य करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् या मन्त्रिमण्डल के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ आज भी संवैधानिक राजतन्त्र हैं। उदाहरणार्थ, यूनाइटेड किंगडम का राज्याध्यक्ष राजा या रानी होते हैं और वे इस पद या वंशानुगत आधार पर आसीन होते हैं। भारत एक प्रतिनिधिक लोकतन्त्र है। जैसाकि आपने पहले के पाठों में पढ़ा है, भारत में केन्द्र तथा राज्यों में कार्यपालिका

एवं विधायिका जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित होती हैं।

हालाँकि आज के सन्दर्भ में आप लोकतन्त्र का व्यापक अर्थ समझना चाहें, तो इसका अर्थ मात्र शासन का एक रूप नहीं है। व्यापक रूप में लोकतन्त्र का अर्थ (i) शासन के रूप की तरह, (ii) राज्य के एक प्रकार की तरह, (iii) सामाजिक व्यवस्था के एक ढाँचे की तरह, (iv) आर्थिक व्यवस्था की एक रूपरेखा की तरह तथा (v) संस्कृति या जीवनयापन के एक तरीके की तरह समझा जाना चाहिए। अतः जब हम यह कहते हैं कि भारत एक लोकतन्त्र है तो हमें इसका अर्थ केवल यही नहीं समझना चाहिए कि यहाँ की राजनीतिक संस्थाएँ तथा प्रक्रियाएँ लोकतान्त्रिक हैं, बल्कि भारतीय समाज तथा प्रत्येक भारतीय नागरिक लोकतान्त्रिक है। यहाँ के सामाजिक माहौल तथा व्यक्तियों के चिन्तन एवं व्यवहार में समानता, स्वतन्त्रता, भाईचारा, पंथ निरपेक्षता और न्याय जैसे लोकतान्त्रिक मूल्य प्रतिबिम्बित होते हैं।

सुनील, जिसने एम.ए. किया है, एक संयुक्त परिवार में रहता है। उसके दादा जी ने उसकी 15 वर्ष की आयु की बहन की शादी तय कर दी है। दुल्हा 19 वर्ष का है तथा बारहवीं कक्षा में

पढ़ रहा है। न तो सुनील न ही उसके माता-पिता, जो राज्य सरकार में पदाधिकारी के पदों पर कार्यरत हैं, इस निर्णय पक्ष में हैं। लेकिन इनमें से कोई बलपूर्वक अपने विचार को नहीं रख पाता है और न ही दादा जी इनकी राय ले रहे हैं। क्या आपके अनुसार सुनील के परिवार में लोकतन्त्र है। निम्नलिखित कथनों में से आपके अनुसार कौन-सा कथन उचित है और कौन-सा उचित नहीं है तथा क्यों?

1. उसकी बहन की 15 वर्ष की आयु में शादी कराने का निर्णय आवांछनीय, गैर-कानूनी तथा अनैतिक है।
2. शादी का निर्णय परिवार के मुखिया द्वारा अकेले लिया गया है। न तो शादी से प्रभावित होने वाली लड़की और न ही परिवार के अन्य सदस्यों की राय ली गई है। जैसाकि सदियों से परम्परागत रूप में होता आया है, यह निर्णय भी लिया गया है। यह इस तथ्य का परिचायक है कि आज भी सामाजिक स्थिति आलोकतान्त्रिक है।
3. परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार आलोकतान्त्रिक है, क्योंकि यद्यपि वे इस निर्णय का समर्थन नहीं करते, फिर भी अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं।

23.1.2 लोकतन्त्र की आवश्यक शर्तें

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यवस्था को वास्तविक तथा व्यापक लोकतन्त्र तभी कहा जा सकता है, जबकि वह व्यवस्था कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करती हो। हम लोग उन शर्तों की पहचान करेंगे। ये शर्तें दो प्रकार की हैं : (अ) राजनीतिक शर्तें तथा (ब) सामाजिक एवं आर्थिक शर्तें।

(अ) राजनीतिक शर्तें

राजनीतिक शर्तें सबसे महत्वपूर्ण हैं। लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए यह अनिवार्य है कि वहाँ एक संविधान को अंगीकृत किया गया हो, जो सर्वोच्च शक्ति में निहित करे। समानता, चिन्तन, अभिव्यक्ति, एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने, संचार तथा संघ बनाने की स्वतन्त्रता जैसे मानवीय अधिकारों एवं मूल अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में शासन के विभिन्न स्तरों पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनने की व्यवस्था हो। साथ ही सभी नागरिकों को केवल नियमित अन्तराल पर चुनावों में ही नहीं बल्कि राजनीति प्रक्रिया के अन्य पहलुओं में भी राजनीतिक भागीदारी करने के अवसर उपलब्ध हो। एक ऐसी उत्तरदायी सरकार का भी होना आवश्यक है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के

प्रति तथा विधायिका लोगों के प्रति उत्तरदायी हो एवं न्यायपालिका स्वतन्त्र हो। लोगों की जरूरतों, माँगों और शिकायतों को अभिव्यक्त करने के राजनीतिक दल, हित एवं दबाव समूह (संघ और विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाएँ) जैसी राजनीतिक संस्थाएँ क्रियाशील हो। एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था और भी अधिक मजबूत होती है, यदि वहाँ प्रबुद्ध जनमत का समाचार-पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा सम्पोषण होता रहे। क्या आप पहले के पाठों में चर्चित विचारों के आधार पर लोकतन्त्र की कुछ अन्य आवश्यक शर्तों के बारे में सोच सकते हैं तथा बता सकते हैं?

(ब) सामाजिक एवं आर्थिक शर्तें

आप लोकतन्त्र की सामाजिक एवं आर्थिक शर्तों को भी जानना चाहते होंगे। एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सामाजिक विकास लोकतान्त्रिक मूल्यों के अनुरूप

हो। सामाजिक विकास में सामाजिक स्थिति को समानता, विकास के समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक जैसे मूल्य प्रतिबिम्बित होने चाहिए।

सभी नागरिकों को सार्वभौम तथा अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। उनमें आर्थिक विकास के साधनों के उपयोग की क्षमता विकसित होनी चाहिए। आर्थिक विकास के परिणामों का लाभ सभी को, विशेष रूप से समाज के गरीब तथा वंचित वर्गों को अवश्य मिलना चाहिए।

भारतीय लोकतन्त्र की स्थिति पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गई तालिका में ऐसी दो राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक शर्तों को बताइए जो भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में विद्यमान हों तथा ऐसी दो शर्तें बताइए, जो यहाँ विद्यमान नहीं हो आपके लिए एक शर्त को तालिका में उदाहरण के तौर पर बताया गया है।

शर्त	श्रेणी	विद्यमान/ नहीं	मौजूद
समान कार्य के लिए समान सामाजिक- वेतन	सामाजिक- आर्थिक	मौजूद नहीं	

1. आप राजनीतिक सन्दर्भ में लोकतन्त्र का क्या अर्थ समझते हैं?
2. क्या आप यह सोचते हैं कि जब तक लोकतन्त्र को सामाजिक तथा व्यक्तिगत सन्दर्भों में परिभाषित नहीं किया जाए, इसकी परिभाषा अपूर्ण रहती है? अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए।
3. लोकतन्त्र के लिए अनिवार्य कम-से-कम दो राजनीतिक एवं सामाजिक-आर्थिक शर्तों को लिखिए।

23.2 भारतीय लोकतन्त्र की चुनौतियाँ

यदि आप उपर्युक्त विवरण को आधार बनाकर भारतीय व्यवस्था का परीक्षण करेंगे तो आप पाएँगे कि इसमें लोकतान्त्रिक व्यवस्था की कई आवश्यक विशेषताएँ विद्यमान हैं। इसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह संविधानप्रभावी ढंग से क्रियाशील रहा है तथा बदलती अवस्थाओं में इसने अपने को अनुकूल बनाया है। पिछले छः दशकों से यहाँ नियमित अन्तराल पर स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते रहे हैं तथा सभी विधायी और कार्यकारी पदों पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता रहा है। दि इकॉनामिस्ट ने विश्व के लोकतन्त्रों की चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता

तथा खुलेपन के आधार पर क्रमबद्ध सूची बनाते हुए भारत को 2008 के लोकतन्त्र की सूची में दूसरा सर्वोच्च क्रम प्रदान किया था। यहाँ केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के एक गठबन्धन से दूसरे को राजनीतिक सत्ता का हस्तान्तरण बहुत ही सहज ढंग से होता रहा है। आपने यह पाया है कि पाकिस्तान म्यानमार और यहाँ तक कि बांग्लादेश में सत्ता का हस्तान्तरण सेना द्वारा सत्तापलट के माध्यम से हुआ है।

इसके अतिरिक्त, भारत में कार्यकारिणी तथा विधायिका लोकतान्त्रिक ढंग से अपने कार्यों का सम्पादन करती रही हैं तथा कुछ नकारात्मक अनुभवों के बावजूद यहाँ की न्यायपालिका स्वतन्त्र रही है। संसद या राज्य की विधायिका का कार्यकारिणी पर नियन्त्रण बरकरार रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि 2005 में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम ने आम जनता को इस प्रकार की शक्ति दी है कि वह सरकारों को अपने प्रति उत्तरदायी बना सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित समाचार-पत्रों ने अपनी स्वायत्तता कायम रखी है तथा जनमत को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। राष्ट्र आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है तथा महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन एवं विकास हो रहे हैं।

लेकिन आपने भी अनुभव किया होगा कि देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इनमें कुछ समस्याओं को चुनौतियाँ समझा जाता है, क्योंकि वे अधिक कठिन एवं गम्भीर हैं। उदाहरणार्थ आर्थिक मंदी का दौर या पर्यावरण के क्षरण की समस्याएं या शान्ति को खतरे की समस्याएं ऐसी चुनौतियाँ हैं। वैसे तो ये सभी पूरे विश्व के लिए भी चुनौतियाँ हैं, किन्तु विशिष्ट रूप से भारतीय लोकतन्त्र के लिए भी कई चुनौतियाँ हैं। स्वतन्त्रता के बाद भारत ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई, जो विकसित लोकतान्त्रिक पद्धतियों के सिद्धान्तों को प्रतिबिम्बित करती थी। लेकिन इसकी सामाजिक व्यवस्था पारम्परिक तथा लगभग अलोकतान्त्रिक बनी रही। आर्थिक विकास का स्तर भी निम्नतम था। इस दशक को प्रायः राजनीतिक लोकतन्त्र तथा सामाजिक-आर्थिक लोकतन्त्र के बीच की बेमेल स्थिति कहते हैं, जिसने भारतीय लोकतन्त्र के लिए कई चुनौतियाँ पैदा की हैं। इनमें से कई चुनौतियाँ भारतीय लोकतन्त्र के लिए खतरा प्रतीत होती हैं। हम लोग नीचे

कुछ ऐसी ही प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करेंगे तथा लोकतन्त्र को बेहतर बनाने के अवसरों के रूप में उनकी समीक्षा करेंगे।

23.3.1 निरक्षरता

स्वतन्त्रता-प्राप्त करने के अवसर पर जनता के बीच व्याप्त निरक्षरता लोकतन्त्र के क्रियान्वयन के लिए एक गम्भीर चिन्ता का विषय थी और आज भी यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। किसी भी देश के लिए उसके नागरिकों की शिक्षा का स्तर लोकतन्त्र के सफल संचालन तथा सामाजिक आर्थिक विकास के एक प्रमुख कारक है। यह मानव सम्मान के लिए एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो इसकी जनता की साक्षरता की स्थिति बड़ी ही निराशाजनक थी। 1951 में यहाँ साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी तथा महिला साक्षरता दर मात्र 8.9 प्रतिशत थी। इसीलिए अनेक लोगों ने यह आशंका जताई थी कि भारत के नागरिक एक प्रभावी भूमिका नहीं निभा तथा अपने मताधिकार का सार्थक प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय मतदाताओं ने पिछले वर्षों में कुछ लोगों की इस आशंका को गलत साबित किया है। यद्यपि अधिकतम मतदाता निरक्षर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मतों का प्रयोग करने में परिपक्वता दिखाई है तथा कई अवसरों पर उनके प्रौढ़ निर्णय के कारण महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव आए हैं एवं राजनीतिक सत्ता का शान्तिपूर्ण ढंग से हस्तान्तरण हुआ 1970

के दशक में इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही लोकप्रिय और शाक्तिशाली थी। लेकिन 1977 के चुनावों में उस दल के द्वारा 1975-1977 की संकटकालीन स्थिति के दौरान सत्ता का दुरुपयोग करने के कारण भारत के मतदाताओं ने उन्हें स्पष्टतया अस्वीकृत कर दिया तथा केन्द्र में जनता दल को सरकार गठित करने का अवसर दिया। पुनः राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 में भारी बहुमत प्राप्त कर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 1989 के चुनावों में लोगो ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। ऐसा ही राज्यों में भी हुआ है।



चित्र 23.2 काश, यदि मैं भी पढ़ सकता!

साक्षरता का उद्देश्य नागरिकों को केवल चुनावों में भागीदारी करने तथा अपने मतों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने योग्य बनाना ही नहीं है। जनता की साक्षरता का बड़ा महत्व है। यह इसलिए आवश्यक है ताकि लोग देश के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मुद्दों, समस्याओं, माँगों तथा हितों के प्रति जागरूक बने रहें, सब के लिए आवश्यक स्वतन्त्रता एवं समानता के सिद्धान्तों के प्रति चैतन्य बने रहें और इस बात को सुनिश्चित करते रहें कि उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि समाज के सभी वर्गों के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व करें। अतः सभी नागरिकों की साक्षरता भारतीय लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए अनिवार्य है। यद्यपि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता

दर बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई है, लेकिन महिला साक्षरता दर अभी भी 65.46 प्रतिशत ही है। अर्थात् देश की लगभग एक-चौथाई जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। महिलाओं के सम्बन्ध में तो आज भी प्रत्येक 3 महिलाओं में से एक निरक्षर है।

282.2 गरीबी

क्या आप यह नहीं सोचते कि गरीबी लोकतन्त्र के लिए शायद सबसे बड़ा अभिशाप है? आप इस बात से सहमत होंगे कि यह सभी प्रकार की असमानताओं तथा अधिकारों से वंचित रखने का मूल कारण है। यह लोगों को स्वस्थ एवं पूर्ण जीवन जीने के अवसर से वंचित रखने की स्थिति है। भारत को गरीबी शोषण करने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से विरासत के रूप में मिली थी, लेकिन यह आज भी सबसे अधिक समस्या बनी हुई है। अभी भी भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी रेखा का अर्थ आमदनी का वह स्तर है, जिसके नीचे मनुष्य अपने भोजन, कपड़ा और झोपड़ी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता। गरीबी रेखा की सरकारी परिभाषा उस आमदनी पर आधारित है जिससे एक व्यक्ति एक निर्धारित कैलोरी के पोषक तत्व युक्त न्यूनतम भोजन का सामान खरीद पाए। भारतीय अवस्था



चित्र 23.3 समृद्धि के पड़ोस में गरीबी

के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है।

चित्र 23.3 समृद्धि के पड़ोस में गरीबी

क्या आप जानते हैं

वर्तमान मापदण्ड के आधार पर योजना आयोग ने 2004-05 में यह अनुमान लगाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी का अनुपात 28.3 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत तथा पूरे देश के लिए 27.5 प्रतिशत था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 में विश्व के 182 देशों में भारत को विकास स्तर के आधार पर 134वाँ स्थान प्रदान किया गया था।

भारत में लगातार अवस्थित गरीबी के अनेक कारण हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कारण व्यापक बेरोजगारी तथा अवरोजगारी (अण्डर एम्प्लॉयमेंट) है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नियमित रूप से पर्याप्त काम नहीं मिलता। शहरी क्षेत्रों में भी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। यद्यपि जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है, परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या को भी गरीबी का एक कारण माना जाता है। वास्तव में, आर्थिक विकास की प्रक्रिया सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में असफल रही है तथा गरीब एवं अमीर के बीच की खाई को पाटा नहीं जा सका है। इन सभी कारणों से गरीबी भारतीय लोकतन्त्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

23.2.3 लैंगिक भेदभाव

हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं तथा लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव का अवलोकन करते हैं। आपको भी अपने समाज तथा राज्य में लैंगिक भेदभाव का अनुभव होता होगा। हम यह जानते हैं कि लैंगिक समानता लोकतन्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। भारतीय संविधान राज्य को इस बात के लिए उत्तरदायी बनाता है कि पुरुष और स्त्री के बीच समानता हो तथा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव न हो। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की इस इच्छा को बहुत स्पष्ट करते हैं।



चित्र 23.4 लड़की घरेलू कार्य करते हुए तथा लड़का स्कूल जाते हुए

चित्र 23.4 लड़की घरेलू कार्य करते हुए तथा लड़का स्कूल जाते हुए

किन्तु, आज भी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव जीवन का एक सच बना हुआ है। यह स्थिति देश की जनसंख्या के लिंग-अनुपात, शिशु लिंग अनुपात और जच्चा मृत्यु दर में स्पष्टतया प्रतिबिम्बित है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1901 से ही घटती जा रही है। भारतीय जनसंख्या में लिंग-अनुपात 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 स्त्रियों का था। यह अनुपात 1991 में घटकर प्रति 1000 पुरुषों पर 927 स्त्रियों तक आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का है। अभी भी यह अनुपात स्त्रियों के विरुद्ध है। कुछ राज्यों में तो 2011 की जनगणना ने चिन्ताजनक लिंग-अनुपात बताया है। यह अनुपात हरियाणा में प्रति 100 पुरुषों पर 877 स्त्रियों का है। सबसे कम अनुपात 618 स्त्रियों का दमन एवं दीव में और 866 स्त्रियों का दिल्ली में है।

शिशु लिंग अनुपात तो और भी अधिक गम्भीर चिन्ता का विषय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंग अनुपात (छः वर्ष तक के शिशुओं के सन्दर्भ में) प्रति 1000 लड़कों पर मात्र 914 लड़कियों का है यह अनुपात 2001 की जनगणना से भी कम है, जबकि शिशु लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियों का था। शिशु लिंग अनुपात में गिरावट के अनेक कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं। समाज में प्रचलित लड़कों के लिए प्राथमिकता, जन्म से ही लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा लड़कियों की हत्या एवं कन्या भ्रूणहत्या की बढ़ती घटनाएँ। आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर लोग माताओं को गर्भपात कराने पर मजबूर कर देते हैं, यदि भ्रूण मादा शिशु का हो। लड़कियों का शिशु मृत्यु दर लड़कों की अपेक्षा अधिक है। 2004-06 के सैम्पल रेजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार जच्चा मृत्यु दर प्रत्येक एक लाख जन्म पर 254 था, जो काफी अधिक है।

सोना खातून आसाम की रहने वाली हैं वह उन दुल्हनों में से एक है जिनकी शादी हरियाणा में हो रही है। ऐसी दुल्हनों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरियाणा में लड़कों के प्रति प्रचलित प्राथमिकता के कारण लिंग अनुपात लगातार स्त्रियों के विरुद्ध होता गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इण्डिया, जिसने पूरे देश में मादा शिशुओं की हत्या तथा मादा भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान चला रखा

है, ने अपने रिपोर्ट में यह कहा है कि हरियाणा के 21 जिलों में से एक जिला भिवानी में 100 दुल्हनों को शादी के लिए लाया गया है।

दि इकॉनोमिस्ट, 4 मार्च, 2010 (प्रिण्ट एडिशन) से रूपान्तरित
उपर्युक्त केस स्टडी को पढ़ें तथा निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें-

1. आसाम की रहने वाले सोना खातून की शादी हरियाणा में क्यों हुई?
2. ऐसे कम-से-कम 3 राज्यों की पहचान कीजिए, जहाँ लिंग-अनुपात बहुत ही कम है।

इन जनसांख्यिकीय सूचकों के अतिरिक्त, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के सन्दर्भ में भी लैंगिक भेदभाव काफी स्पष्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों का साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है। रोजगार एवं सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में भी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं तथा नगर-निगमों में महिलाओं के लिए एक तिहाई कल के आरक्षण से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। किन्तु समाज के उनका परम्परागत गौण स्थान प्रत्येक क्षेत्र में उनका समान भागीदारी को सीमित कर देता है। यह स्थिति कमोवेश प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय के महिलाओं की रही है। अभी तक संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो सका है, यद्यपि संसद के दोनों सदनों में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है।

क्या आप जानते हैं

बिहार पंचायत संशोधन विधेयक 2006 को पारित कर राज्य के तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके बाद होने वाले चुनावों में 54 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं की जीत हुई। राज्य में 2 लाख महिलाएँ पंचायत का सदस्य हैं।

23.2.4 जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा धार्मिक कट्टरवाद

जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा धार्मिक कट्टरवाद भारतीय राजनीतिक पद्धति के लिए गम्भीर खतरा हैं। ये लोकतान्त्रिक व्यवस्था के किर्यान्वयन को कमकर बनाते हैं तथा अस्थिरता उत्पन्न करते हैं।

(अ) जातिवाद : ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जाति व्यवस्था का अभ्युदय प्राचीन समाज में श्रम विभाजन के सन्दर्भ में हुआ था। किन्तु धीरे-धीरे यह जन्म पर आधारित कठोर समूह वर्गीकरण में परिवर्तित हो गई। क्या आपने समाज में तथा अपने व्यक्तिगत जीवन में जातिवाद का भूमिका का अनुभव नहीं किया है? आप इस बात से सहमत होंगे कि छुआछूत जातिवाद का सर्वाधिक हानिकारक एवं अमानवीय पहलू है। छुआछूत पर संवैधानिक

प्रतिबन्ध लग जाने के बावजूद यह प्रथा हमारे समाज में जारी है। इसके फलस्वरूप तथाकथित निम्न जातियों या 'दलितों' का अलगाव हुआ है तथा उन्हें शिक्षा एवं अन्य सामाजिक लाभों से वंचित रखा गया है। दलित जातियों के सदस्यों को समाज में सबसे कठिन शारीरिक काम करना पड़ता है। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी जातिवाद की नकारात्मक भूमिका रही है। जातिवाद का उपयोग संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत चेतना से अनुचित लाभ उठाने की रणनीति के रूप में हुआ है। वस्तुतः जातिवाद लोकतन्त्र के मौलिक तत्वों का विरोधी है। लोकतन्त्र से उपलब्ध समानता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा संघ बनाने की स्वतन्त्रता जैसे मूल अधिकारों, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर, स्वतन्त्र मीडिया तथा प्रेस एवं विधायी मंच का दुरुपयोग प्रायः जातिगत पहचान को बढ़ावा देने तथा उससे गलत लाभ उठाने के लिए किया जाता है।

जातिवाद, समाज एवं आर्थिक असमानता को कायम रखने के लिए भी उत्तरदायी है। यह सच है कि अनादि काल से भारत एक असमान समाज रहा है। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा पिछड़ी जातियाँ वर्षों से सामाजिक-आर्थिक लाभ से वंचित रही हैं। हमारे समाज की जाति पर आधारित असमानता आज भी भारतीय लोकतन्त्र के लिए एक गम्भीर चुनौती बनी हुई है।

(ब) साम्प्रदायिकता एवं धार्मिक कट्टरवाद : भारत में साम्प्रदायिकता तथा धार्मिक कट्टरवाद ने एक खतरनाक एवं भयावह रूप ले लिया है। ये हमारे बहु-धर्मीय समाज में सह-अस्तित्व के ढाँचे को तोड़ रहे हैं। सम्प्रदायवाद भारत की राष्ट्रीय एकता का निरादर करता है तथा एक पंथ निरपेक्ष संस्कृति के विकास के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। यह हमारी मानवीय एवं मिश्रित संस्कृति की यशस्वी परम्परा की बरबाद कर रहा है तथा लोकतान्त्रिक पद्धति के स्थायित्व के लिए खतरा बन गया है। सम्प्रदायवाद को प्रायः धर्म या रूढ़िवादिता का पर्यायवाची समझा जाता है। लेकिन अपने धर्म के प्रति निष्ठा या धार्मिक समुदाय से लगाव सम्प्रदायवाद नहीं है।



चित्र 23.5 मेरा धर्म सबसे महान् है।

यद्यपि रूढ़िवादिता सामाजिक पिछड़ापन दर्शाती है, लेकिन यह भी साम्प्रदायिकता नहीं है। वस्तुतः साम्प्रदायिकता एक धार्मिक समुदाय से कट्टरपंथी आधार पर जुड़े रहने की राजनीतिक विचारधारा

है। यह एक समुदाय का उपयोग दूसरे समुदाय के विरोध में करती है तथा दूसरे समुदायों को अपना दुश्मन समझती है। यह पंथ निरपेक्षता तथा यहाँ तक कि मानवतावाद की भी विरोधी है। धार्मिक कट्टरवाद धर्म तथा राजनीति दोनों से अनुचित लाभ उठाकर साम्प्रदायिकता को प्रबल बनाता है। हाल के वर्षों में भी कई अवसरों पर साम्प्रदायिकता हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए गम्भीर खतरा प्रमाणित हुई है। क्या आप हाल के वर्षों में हुए साम्प्रदायिक घटनाओं को याद कर सकते हैं।

23.2.5 क्षेत्रवाद

भारतीय लोकतन्त्र क्षेत्रवाद से भी संघर्ष कर रहा है। क्षेत्रवाद विकास में क्षेत्रीय विषमता तथा असन्तुलन का प्रतिफल है। हम सभी जानते हैं कि भारत बहुलवादी देश है, जहाँ धार्मिक, भाषागत, सामुदायिक, जनजातिगत तथा सांस्कृतिक विविधताएँ सदियों विद्यमान हैं। बहुत से सांस्कृतिक एवं भाषागत समुदाय कुछ खास क्षेत्रों में रहते हैं। यद्यपि विकास का उद्देश्य सम्पूर्ण देश का विकास रहा है, लेकिन प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की आधारभूत संरचना एवं सेवा, जनसंख्या स्थिति तथा औद्योगिक एवं कृषि विकास से सम्बन्धित क्षेत्रीय विषमताएँ और असन्तुलन विद्यमान हैं। राज्यों के बीच तथा एक ही राज्य के विभिन्न इलाकों के बीच असमान विकास उपेक्षा एवं भेदभाव की भावना पैदा करता है। इस तरह की स्थिति से ही क्षेत्रवाद पनपा है जिसकी अभिव्यक्ति नए राज्यों के निर्माण, स्वायत्तता, राज्यों को अधिक को अधिकार दिए जाने की माँगों रूप में होती रही है।

यह सच है कि भारत जैसे विशाल एवं बहुलवादी देश में क्षेत्रवाद या अनुक्षेत्रवाद (एक राज्य के अन्दर क्षेत्रवाद) का होना अस्वाभाविक नहीं। किन्तु क्षेत्रीय अथवा अनुक्षेत्रीय हितों को समर्थन देने या उनका पक्षपोषण करने के परत्येक प्रयास विभाजित करने वाली प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब इन हितों का राजनीतिकरण कर दिया जाता है तथा क्षेत्रीय आन्दोलनों को गलत राजनीतिक प्रयोजनों से बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह का क्षेत्रीय तथा अनुक्षेत्रीय लगाव भारतीय लोकतन्त्र के लिए घातक है। हमारे देश कुछ भागों में लगातार बने हुए क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण उग्रवादी आन्दोलन प्रारम्भ हो गए हैं। जम्मू तथा कश्मीर या आसाम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के द्वारा अलगाववादी माँगे देश के लिए चिन्ता का विषय हैं।

23.2.6 भ्रष्टाचार

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार भारतीय लोकतन्त्र के लिए चिन्ता का विषय है। 2010 में ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को भ्रष्टाचार के आधार पर 178 देशों की सूची में 87वाँ स्थान प्राप्त था। वास्तविकता तो यही है कि भारत में भ्रष्टाचार जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है, वह चाहे जमीन और सम्पत्ति या स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, यातायात, पुलिस सैन्यबल या धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र हो। भारत की न्यायिक प्रणाली में भी भ्रष्टाचार विद्यमान है। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल के अनुसार न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण- (i) मामलों को निपटाने में देरी, (ii) न्यायाधीशों की संख्या में कमी तथा (iii) जटिल न्यायिक प्रक्रिया हैं।



चित्र 23.6 कार्यालय में भ्रष्टाचार

चित्र 23.6 कार्यालय में भ्रष्टाचार

इनसे भी अधिक चिन्ता का विषय निर्वाचन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार तथा मतदान करने वाले मतदाताओं को घूस देकर मतदान कराना है। अब ऐसे प्रायः देखने में आता है। क्या पिछले कुछ समय में आपने या आपके मित्र ने ऐसा होते हुए देखा है? हाल के कुछ वर्षों में तो एक के बाद एक कई बड़े-बड़े घोटाले देश का सामने आए हैं। यह भारतीय लोकतन्त्र के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। वस्तुतः भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरता एवं संस्थागत हास का चिन्ह है, जो शासन के औचित्य को ही चुनौती देता है।

23.2.7 राजनीति का अपराधीकरण

राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतन्त्र के लिए एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। अपराधी पृष्ठभूमि के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, यद्यपि सभी प्रमुख दलों का नेतृत्व यह मानता है कि अपराध से जुड़े व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से बाधित कर देना चाहिए। 2004 की संसद में प्रत्येक पाँच सदस्यों में से एक अपराधी पृष्ठभूमि का था। कुछ संसद सदस्यों पर तो हत्या, डकैती, अपहरण, मानव व्यापार, गबन और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने का आरोप था। यह भी प्रायः कहा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपराधियों की सहायता लेते हैं।

भारतीय राजनीति में बाहुबल का प्रभाव लम्बे अरसे से एक सच्चाई बना हुआ है। पिछली शताब्दी के छठे दशक तक अपराधी राजनीतिज्ञों को चुनाव जीतने में मदद करते थे, ताकि निर्वाचित हो जाने के बाद राजनीतिज्ञ उन्हें संरक्षण प्रदान करते रहें। लेकिन अब भूमिकाएँ बदल गई हैं। अब राजनीतिज्ञ ही अपराधियों से संरक्षण प्राप्त करते हैं। अपराधी अपने हाथ में राजनीतिक सत्ता लेने का प्रयास करते हैं तथा इस क्रम में वे स्वयं विधायक तथा मन्त्री बन जाते हैं। अब तो नौकरशाही तथा पुलिस के अपराधीकरण का एक नया आयाम जुड़ गया है। अपराधीकृत प्रशासन देश की सुरक्षा के लिए भी कितना बड़ा खतरा हो सकता है?

23.2.8 राजनीतिक हिंसा

हिंसा हमलोगों के जीवन का अवांछित अंग रहा है, किन्तु राजनीतिक उद्देश्य से हिंसा का प्रयोग किसी भी व्यवस्था के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत में कई प्रकार की हिंसाएँ देखी जाती हैं विशेष रूप से साम्प्रदायिक हिंसा, जातिवादी हिंसा तथा राजनीतिक हिंसा ने गम्भीर रूप ले लिया है। साम्प्रदायिक हिंसा को राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक कारणों से निहित स्वार्थ से प्रेरित लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।

विभिन्न रूपों में जातिवादी हिंसा भी बढ़ती रही है। कृषि के क्षेत्र में विकास, जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन तथा हरित क्रान्ति एवं श्वेत क्रान्ति के बावजूद समाज में सामन्तवादी तत्वों का बोलावाला बना हुआ है। उच्चतर तथा मध्य जातियों के बीच हितों का टकराव शुरू हो गया है। फलस्वरूप, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए आक्रामक प्रतिद्वन्द्विता होने लगी है, जो प्रायः हिंसा को जन्म देती है।



चित्र 23.7 हिंसक विरोध

चित्र 23.7 हिंसक विरोध

दलित एवं निम्न जातियों, विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा प्रभावशाली ढंग से उन अधिकारों के लिए दावा करने की प्रवृत्ति की उच्चतर जातियों द्वारा की जानेवाली तीखी प्रतिक्रिया के कारण भी जातिवादी हिंसा बढ़ी है। चुनावों के दौरान या तो मतदाताओं को मत देने के लिए बढ़ावा देने अथवा उन्हें मत नहीं देने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है। अलग राज्य बनाने, राज्यों का पुनर्गठन करने या राज्य की सीमा में बदलाव लाने की माँगों के लिए भी हिंसा का सहारा लिया जाता है। हिंसा का उपयोग औद्योगिक हड़ताल, किसानों के आन्दोलन तथा छात्रों के आन्दोलन के दौरान भी बार-बार होता है।

1. किस प्रकार निरक्षरता, असमानता तथा गरीबी भारतीय लोकतन्त्र के क्रियाशीलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं?
2. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लोकप्रिय मनोरंजन के चैनलों या फिल्मों, जिन्हें आपने हाल में देखा है, के द्वारा प्रस्तुत महिलाओं की स्थिति लैंगिक भेदभाव को चित्रित करती है। अपने विचार औचित्य सहित प्रस्तुत करें।

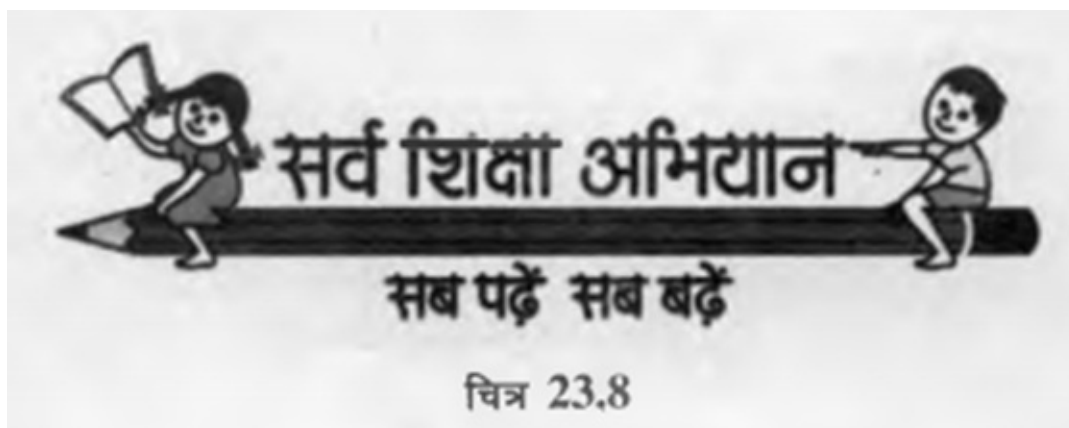
3. जातिवाद या साम्प्रदायिकता हमारे दैनिक जीवन तथा भारतीय लोकतन्त्र पर कैसा प्रभाव डालते हैं इससे सम्बन्धित को उदाहरणों को वर्णित करें।
4. यदि क्षेत्रीयवाद या अनुक्षेत्रीयवाद भारतीय लोकतन्त्र के अभिन्न अंग है, तो इन्हें चुनौतियाँ क्यों माना जाता है?
5. भारत में राजनीति के अपराधीकरण के कौन-कौन-से कारण हैं?
6. भारत में राजनीतिक हिंसा में वृद्धि के कौन-कौन से कारण हैं?

23.3 सुधारक उपाय

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय लोकतन्त्र तथा समाज गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन नकारात्मक विकासों के प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए कुछ सुधारक उपाय करना आवश्यक है। यह बात नहीं है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करते समय हमलोग इन समस्याओं से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व तथा विशेष रूप से संविधान निर्माता इन मुद्दों के प्रति चिन्तित थे। उन्होंने इनसे सम्बन्धित बहुत से प्रावधान संविधान में शामिल किए थे। सरकारों ने भी इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार, राजनीतिक दलों, अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों और नागरिकों को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभानी हैं। विभिन्न प्रकार के सुधारक उपाय करना आवश्यक है, जिनमें से निम्नलिखित उपाय महत्वपूर्ण हैं।

23.3.1 सार्वभौम साक्षरता (सब के लिए शिक्षा)

संविधान के निर्माताओं द्वारा लोकतन्त्र के कार्यशीलन के लिए शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व को ठीक से समझा गया। यही कारण है कि 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर विभिन्न सरकारें इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करती रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अनुसरण करते हुए निरक्षरता को समाप्त करने के लिए 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। लेकिन अभी भी सार्वभौम साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। वर्तमान में साक्षर भारत नामक कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूरे देश में हो रहा है। इसका लक्ष्य 15 वर्षों से ऊपर की आयु वाले सभी वयस्कों में प्रयोजनात्मक साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान विकसित करना है, ताकि वे अपनी सीखने की प्रक्रिया को मूलभूत साक्षरता से आगे जारी रखें। इसी प्रकार, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय संसद ने 2009



में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इसके द्वारा 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है।

चित्र 23.8 सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब पढ़े

23.3.2 गरीबी उन्मूलन

गरीबी दूर करने के लिए 1970 से ही अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता रहा है। इन कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है-(i) इस तरह के कार्यक्रम के तहत गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए साधन या कुशलता या दोनों प्रदान किए जाते हैं ताकि वे इनका उपयोग कर अधिक आमदनी अर्जित करने में सक्षम हो सकें, (ii) ऐसे भी कार्यक्रम हैं जिनके अन्तर्गत गरीबों तथा समूहों को अस्थायी तौर पर सवैतनिक नौकरी दी जाती है।

उदाहरण स्वरूप जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ग्रामीण आर्थिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए क्रियान्वित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। साथ-ही-साथ इसके अन्तर्गत रोजगार पैदा करने का भी प्रयास किया जाता है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा होता है। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 27 करोड़ श्रम-दान पैदा किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त रोजगार आश्वासन परियोजना (ई ए एस) 1778 सूखा प्रवृत्ति वाले, रेगिस्तान, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों वाले प्रखण्डों में कार्यान्वित होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) का भी क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आजीविका सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के वेतन सहित रोजगार की गारण्टी दी जाती है, जिस परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं।

23.3 लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन

अब इस तथ्य को स्वीकार किया जाने लगा है कि लोकतन्त्र के मौलिक लक्ष्य को तब तक नहीं पाया जा सकता जबतक महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की प्रक्रियाओं में सभी प्रकार से शामिल नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होने तक लोकतन्त्र सही अर्थों में “जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा” शासन हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त महिलाओं के विकास के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, नीतियाँ बनाई गई हैं तथा उनको कार्यान्वित किया जा रहा है तथा बुनियादी ढाँचागत सुधार भी किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों में एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति को केन्द्रीय सरकार ने 2001 में अपनाया। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं को प्रगति के मार्ग पर अग्रसरित करना, उन्हें विकसित करना तथा उनका सशक्तिकरण करना है। अभी भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

23.3.4 क्षेत्रीय असन्तुलन को हटाना

भारत की योजना बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना रहा है। राज्य के अन्दर भी विभिन्न इलाकों के बीच विकास सम्बन्धी असन्तुलन का हटाने के प्रयत्न होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त पिछले दो-तीन दशकों से केन्द्र-समर्थित कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के पिछड़ेपन के विशेष पहलुओं की समस्या का समाधान

करना है। क्या आप अपने क्षेत्र में किर्यान्वित किए जा रहे किसी केन्द्र-समर्थित कार्यक्रम के बारे में जानते हैं? ऐसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं-(i) जनजाति विकास कार्यक्रम, (ii) पहाड़ी-क्षेत्र विकास कार्यक्रम, (iii) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा (iv) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों के विकास के लिए, प्रत्येक विकास परियोजना के बजट में उत्तर-पूर्व के लिए बजट के कुछ प्रतिशत अंश को निर्धारित कर दिया जाता है और उसका उपयोग सम्बन्धित क्षेत्र में ही किया जाता है।

यद्यपि अविकसित क्षेत्रों का विकास राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है, किन्तु समस्या के समाधान में स्थानीय नेतृत्व की अहम भूमिका है। जब तक स्थानीय राजनीतिक, नौकरशाही तथा बुद्धिजीवी नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्र के विकास में वांछित योगदान नहीं करेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। संसाधनों की कमी बाधक नहीं है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

23.3.5 प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार

उपर्युक्त सभी सुधारक उपायों की सफलता प्रशासन द्वारा कुशलता से कार्य सम्पादन तथा न्यायिक के स्वतन्त्र एवं न्यायसंगत कार्य करने पर निर्भर करती है। लेकिन दोनों के सम्बन्ध में उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। भारतीय प्रशासन भ्रष्टाचार, अदक्षतापूर्ण कार्यशैली, अपव्यय तथा नागरिकों की जरूरतों के प्रति उदासीनता जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। भारतीय न्यायपालिका ने कई अवसरों पर स्वतन्त्र ढंग से कार्य करने का परिचय दिया है, लेकिन यह भी कई समस्याओं का सामना कर रही है। इनमें से सर्वाधिक चिन्ताजनक समस्याएँ हैं- (i) मामलों के निबटारे में काफी धीमापन एवं देरी तथा ऐसे मामलों की बहुत बड़ी संख्या, जिनपर सुनवाई होना बाकी है तथा (ii) फौजदारी मामलों में अभियोजन की बहुत ही कम दर।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से ही प्रशासनिक सुधार के लिए कई आयोग एवं समीतियाँ गठित किए गए। लेकिन उनके सुझावों के आधार पर सुधार नहीं हो पाए हैं तथा इसके लिए नौकरशाही में परिवर्तन के प्रति अनिच्छा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं-(i) प्रशासन को उत्तरदायी तथा नागरिकों के अनुकूल बनाया जाना; (ii) गुणवत्तापूर्ण शासन संचालन की क्षमता विकसित करना; (iii) शासन में लोगों की भागीदारी तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के प्रति प्रशासन को उन्मुख बनाना; (iv) प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना; (v) लोक सेवकों में कार्य निष्पादन तथा ईमानदारी को बनाना; तथा (vi) प्रशासन में आचार-संहिता को प्रबलित करना।

न्यायपालिका में सुधार लाना एक महत्वपूर्ण चिन्ता का विषय बना रहा है। कई अवसर पर इसके लिए संस्तुतियाँ भी की गई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ निम्नांकित हैं- (i) नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना; (ii) पुराने कानूनों को निरस्त करना; (iii) न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात में वृद्धि करना; (iv) न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण में पारदर्शिता लाना; (v) न्यायिक उत्तरदायित्व कायम रखना तथा (vi) न्यायालयों की कार्यवाही को पारदर्शी बनाए रखना।

23.3.6 दीर्घकालीन विकास (आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय)

यदि भारत दीर्घकालीन विकास के मार्ग पर चलाते रहे तो यहाँ का लोकतन्त्र सभी चुनौतियों का पर्याप्त उत्तर दे सकता है। करोड़ों लोगों की वर्तमान तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखें बिना विकास का कोई भी प्रतिमान लोकतन्त्र के बने रहने में सहायक नहीं हो सकता। विकास को हमेशा मानव-केन्द्रित होना चाहिए तथा सभी लोगों की जीवन का गुणवत्ता के बेहतर बनाने की ओर निर्देशित होना चाहिए। इसको गरीबी, अज्ञानता, भेदभाव, रोग तथा बेरोजगारी को हटाने के प्रयत्नों पर केन्द्रित रहना चाहिए। विकास प्रक्रिया का उद्देश्य दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास होना चाहिए।

क्या आप जानते हैं

दीर्घकालीन विकास संसाधनों के उपयोग की ऐसी प्रकृति है जिसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करते हुए मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने हैं। यह आवश्यक है कि केवल आज की जरूरतों को ही नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा किया जाए। इस पद को प्रयोग ब्रुन्टलैंड आयोग के द्वारा 1987 में किया गया इसी ने ऐसी परिभाषा दी, जिसे बार-बार उद्धृत किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार, “दीर्घकालीन विकास एक ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के साथ समझौता किए बिना आज की पीढ़ी की जरूरतों का पूरा करता है।”

1. भारत में सार्वभौमिक साक्षरता, गरीबी उन्मूलन तथा लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाते हैं?
2. भारत में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या के समाधान के लिए उठाए जानेवाले आवश्यक कदमों की चर्चा करें।
3. भारत में किस प्रकार प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार लाए जा सकते हैं?
4. दीर्घकालीन विकास क्या है? यह किस प्रकार भारतीय लोकतन्त्र को शक्ति प्रदान कर सकता है?

23.4 लोकतन्त्र में नागरिकों की भूमिका

भारत के नागरिक के रूप में क्या हम लोकतन्त्र में नागरिकों की भूमिका को सही ढंग से समझते हैं? क्या हम यह समझते हैं कि नागरिकों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? साधारणतया यही समझा जाता है कि सरकार लोगों पर शासन करती है और लोगों को उसका सत्ता का आदर करना चाहिए तथा उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लोग शासित होने के लिए ही हैं। भारत जैसे लोकतान्त्रिक देशों के नागरिकों को अपने को शासित मात्र नहीं समझना चाहिए। वास्तव में, लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता

है जब वहाँ के नागरिकों के चिन्तन एवं व्यवहार में आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य प्रतिबिम्बित हों। उनके द्वारा समानता, स्वतन्त्रता, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उत्तरदायित्व तथा सब के प्रति आदर जैसे मूल्यों को आत्मसात किया जाना आवश्यक है। लोकतन्त्र के लक्ष्यों को मूर्तरूप देने के लिए नागरिकों को अपनी वांछित भूमिका के निर्वाह करने के अवसरों को ठीक से समझना चाहिए तथा आगे बढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

23.4.1 नागरिकों की भूमिका के अवसरों की समीक्षा

लोकतान्त्रिक नागरिक की तरह अपनी भूमिका का निर्वहन करने के अवसर सभी लोकतन्त्रों में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएँ एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। आधुनिक अर्थ में भारत में लोकतन्त्र का प्रारम्भ एक लम्बे उपनिवेशी शासन के बाद हुआ। यद्यपि 1947 में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ ही लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्रारम्भ हो गया, किन्तु भारत का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश लोकतान्त्रिक संस्कृति के अनुकूल नहीं था। भारत एक विशाल बहु-सांस्कृतिक, बहु भाषा-भाषी तथा सही अर्थों में बहुलवादी समाज है तथा कई अर्थों में परम्परावाद की विशिष्टताओं को कायम रखे हैं। इसके साथ ही यह आधुनिक लोकतन्त्र के मूल्यों को भी आत्मसात कर रहा है। आज भी बहुत से भारतीय यह मानते हैं कि सरकार को शासन करना है अर्थात् सबकुछ करना है। यदि कुछ काम अपेक्षित ढंग से नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए सरकार ही दोषी है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकतान्त्रिक सरकार चलाई जाती है। इस अर्थ में, भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर कार्यरत सरकारों के काम करने के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए भारतीय लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसे अपनी भूमिका के प्रत्येक अवसर का उपयोग करना चाहिए। क्या भारतीय नागरिक अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं? नागरिकों को भूमिका-निर्वाह के निम्नलिखित अवसर उपलब्ध रहते हैं।

(अ) भागीदारी

सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करना नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह की भागीदारी करने के अवसर चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सभी नागरिकों को मिलते हैं। बुद्धिमानी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक विभिन्न उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों के विचारों सुने तथा जाने। उसके आधार पर नागरिक यह निर्णय लें कि उसका मत किसको मिलेगा। लेकिन जैसाकि चुनाव आयोग के द्वारा बताया जाता है, औसतन लगभग 50 प्रतिशत नागरिक मतदान ही नहीं करते। निश्चित रूप से बहुत कम नागरिक किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं तथा और भी कम संख्या में लोग सार्वजनिक मुद्दों पर वाद-विवाद करते हैं।

किन्तु लोकतन्त्र में नागरिकों की भागीदारी मात्र चुनावों में मतदान करने या चुनाव की अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेने तक सीमित नहीं होती। राजनीतिक दलों या स्वतन्त्र गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य के रूप में काम करना भी भागीदारी है। गैर-सरकारी संगठनों को 'सिविल सोसाइटी संगठन' भी कहते हैं और ये महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, श्रमिकों, डॉक्टरों, शिक्षकों, व्यापार करने वालों, धार्मिक आस्था रखने वालों, मानव अधिकार सक्रियतावादियों आदि समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे संगठन तथा आम लोगों के आन्दोलन विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में लोगों के बीच जानकारी फैलाते हैं।

(ब) व्यवस्था को उत्तरदायी बनाना

राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करना ही पर्याप्त नहीं है। नागरिकों को लोकतान्त्रिक व्यवस्था को उत्तरदायी एवं प्रतिसम्बेदी बनाना भी आवश्यक है। संविधान ने कार्यकारिणी को तौ विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया है। लेकिन नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे सांसदों, राज्य विधायिकाओं के सदस्यों तथा पंचायती राज की संस्थाओं, नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों में प्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाएँ। 2005 में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों के उपयोग से नागरिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक मुद्दों की जानकारी रखे, इस बात पर कड़ी निगाह रखे कि उनके प्रतिनिधि एवं राजनीतिक नेता अपनी शक्तियों का किस तरह प्रयोग कर रहे हैं तथा अपने विचारों एवं हितों को कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं।

(स) कर्तव्यों का निर्वहन

हम लोगों को यह पूर्ण रूप से समझना चाहिए कि नागरिकता केवल मतदान करने या चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने या व्यवस्था को उत्तरदायी बनाना ही नहीं है। बहुत से लोग लोकतान्त्रिक को ऐसा मानते हैं, जहाँ उन्हें सबकुछ करने की आजादी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार सबकुछ कर सकता है। ऐसी सोच एवं ऐसे व्यवहार से प्रायः पूरी तरह अव्यवस्था हो जाती है तथा सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाती है। अतः एक नागरिक को यह स्वीकार करना चाहिए कि स्वतन्त्रता कभी भी निरपेक्ष नहीं होती। यदि आपको कुछ करने का अधिकार है तो आपका यह उत्तरदायित्व भी है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्यों का दूसरों के अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा है, भारतीय लोकतन्त्र की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। उन सुधारात्मक उपायों को मूर्तरूप तभी दिया जा सकता है, जब नागरिक अग्रणी भूमिका निभाएँ। उन्हें कानून का आदर करना चाहिए तथा हिंसा को अस्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को दूसरे नागरिकों के अधिकारों तथा मानव के रूप में इनकी मर्यादा का आदर करना चाहिए। किसी के द्वारा राजनीतिक विरोधी की भर्त्सना केवल इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन दोनों के विचार एक-दूसरे के विरोधी हैं। लोगों को सरकार के निर्णयों पर सवाल खड़े करना चाहिए, लेकिन सरकार की सत्ता को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक समूह को अपनी संस्कृति के अनुरूप आचरण करने का अधिकार है, लेकिन प्रत्येक समूह को यह मानना चाहिए वह एक लोकतान्त्रिक राज्य तथा बहुलवादी समाज का अभिन्न अंग है। जब आप अपने विचार व्यक्त करते हैं तो आपको दूसरों के विचार भी सुनने चाहिए, भले ही आप विचारों से सहमत नहीं हैं। जब आप कुछ माँगे तो आपको यह समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को सबकुछ पा लना असम्भव है। लोकतन्त्र में पारस्परिक सहयोग आवश्यक होता है। यदि कोई भी एक समूह यह अनुभव करे कि उसकी बात सुनी ही नहीं जा रही है तो वह क्रोधित एवं हतोत्साहित होकर लोकतन्त्र का ही विरोधी बन जा सकता है।

यह भी आवश्यक है कि नागरिक अपने विचारों को दृढ़ता से रखें, क्योंकि लोकतन्त्र में यदि आप किसी निर्णय पर अपनी बात दृढ़ता से नहीं रखते तो यह माना जाता है कि आप उस निर्णय

से सहमत हैं। आपने 23.2 कार्यकलाप में देखा कि किस प्रकार सुनील के परिवार के सदस्य यद्यपि दादा जी के सहमत नहीं थे, लेकिन उनमें से किसी ने अपनी दादा जी के सामने नहीं रखी।

आपने यह समझने का प्रयास किया है कि एक लोकतान्त्रिक नागरिक की भूमिका क्या होती है। अब यह पता लगाना रुचिकर होगा कि आप स्वयं कितने लोकतान्त्रिक हैं? नीचे की तालिका में कुछ कथन लिखे गए हैं। आप प्रत्येक कथन के सामने यह लिखिए कि वह कथन सही है या गलत:

क.सं. कथन	सही/ गलत

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों के द्वारा सरकार को उत्तरदायी बनाने के एक प्रभावी साधन है।

2. आपके समाज में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी सामाजिक या आर्थिक तबके का हो, समान माना जाता है।

3. आपके परिवार में महिलाओं तथा लड़कियों को पुरुषों एवं लड़कों के समान नहीं समझा जाता।

4. आप इस बात में विश्वास करते हैं कि आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिसका दूसरों के अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़े।

5. महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण भारतीय लोकतन्त्र के लिए अच्छा नहीं है।

1. लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी से आप क्या समझते हैं?
2. आम नागरिक के पास सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए कौन-कौन से साधन उपलब्ध हैं?
3. खाली जगहों को भरिए :
(अ) यदि आपको कुछ चीजें करने का अधिकार है, तो आपका यह — है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके कार्य से दूसरों के — पर बुरा असर न पड़े ।

(ब) नागरिकों को सरकार की ——— का आदर करना चाहिए, किन्तु सरकार के ——— पर सवाल खड़े करना चाहिए।

(स) प्रत्येक समूह को अपनी ——— के अनुसार व्यवहार करने का अधिकार है।

(द) जब एक नागरिक अपने विचार ——— तो उसे दूसरों के विचार को भी ——— चाहिए।

आपने क्या सीखा

- लोकतन्त्र शासन का एक स्वरूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित रहती है। जनता इस सत्ता का प्रयोग नियमित अन्तराल में होने वाले स्वतन्त्र निर्वाचनों में एक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। लोकतन्त्र को केवल राजनीतिक सन्दर्भ में ही नहीं बल्कि सामाजिक सन्दर्भ और व्यक्ति के स्वयं के सन्दर्भ में भी परिभाषित किया जाता है।
- किसी शासन व्यवस्था एवं सच्चा लोकतन्त्र या सफलतापूर्वक क्रियाशील लोकतन्त्र तभी कहा जा सकता है जब वह कुछ विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक शर्तों को पूरा करे।
- भारतीय लोकतन्त्र ने इनमें से अनेक आवश्यक शर्तों को पिछले कई वर्षों में पूरा किया है। लेकिन यह अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों के चलते हमारे लोकतन्त्र में कई बार ऐसी विकृतियाँ सामने आई हैं, जो भावी खतरे की तरह प्रतीत हुई हैं। निरक्षरता, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा धार्मिक कट्टरवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, राजनीतिक हिंसा तथा उग्रवाद प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जिनका सामना करने की जरूरत है।
- भारतीय लोकतन्त्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय करने की जरूरत है। ऐसे सुधारात्मक उपाय सार्वभौम साक्षरता, अर्थात् सब के लिए शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक भेदभाव को मिटाना, क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करना, प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार तथा दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास जैसे मुद्दों पर केन्द्रित होने चाहिए।
- भारतीय लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता है जब इसके नागरिक अपने चिन्तन तथा व्यवहार में समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, उत्तरदायित्व एवं सब के लिए आदर जैसे लोकतान्त्रिक मूल्यों को आत्मसात करेंगे। यह भी आवश्यक है कि नागरिकों का चिन्तन और व्यवहार लोकतन्त्र की आवश्यक शर्तों के अनुकूल हो। नागरिकों के लिए लोकतान्त्रिक प्रणाली के प्रत्येक पहलू में भागीदारी करना, व्यवस्था को उत्तरदायी बनाना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा लोकतन्त्र के लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिए अग्रणी भूमिका निभाना भी जरूरी है।

पाठान्त प्रश्न

1. लोकतन्त्र के अर्थ की व्याख्या करें। क्या आप यह मानते हैं कि यदि लोकतन्त्र को केवल राजनीतिक सन्दर्भ में परिभाषित किया जाए तो इसकी परिभाषा व्यापक नहीं हो सकती?
2. सच्चे अर्थों में लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाने वाली शर्तों का विश्लेषण कीजिए।
3. भारतीय लोकतन्त्र की कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? ये चुनौतियाँ किस प्रकार एक प्रभावशाली लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाने के संभावित अवसर हैं? व्याख्या कीजिए।
4. भारतीय लोकतन्त्र की चुनौतियाँ का सामना करने के लिए किन-किन महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपायों को करना आवश्यक है?
5. भारतीय समाज तथा सरकार के अनुभवों के सन्दर्भ में लोकतन्त्र में नागरिकों की भूमिका की चर्चा कीजिए।
6. सही अर्थों में भारतीय नागरिक होने के एक व्यक्ति में कौन-कौन से गुण होने चाहिए?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

23.1

1. लोकतन्त्र को सरकार के एक ऐसे स्वरूप की तरह परिभाषित किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित रहती है और जिसका जनता द्वारा प्रयोग नियमित अन्तराल में होने वाले स्वतन्त्र चुनावों में एक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मूलतः लोकतन्त्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसको जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चलाते हैं।
2. लोकतन्त्र की परिभाषा अपूर्ण रहती है, जबतक उसे सामाजिक एवं व्यक्तिगत सन्दर्भों में भी परिभाषित नहीं किया जाये। वर्तमान युग में यह मात्र सरकार के एक स्वरूप से अधिक है। अपने व्यापक रूप में लोकतन्त्र का अर्थ-(i) सरकार का एक स्वरूप, (ii) राज्य का एक प्रकार, (iii) सामाजिक व्यवस्था का एक ढाँचा, (iv) आर्थिक व्यवस्था की एक रूपरेखा, (v) संस्कृति तथा जीवनयापन का एक तरीका है। अतः जब हम यह कहते हैं कि भारत एक लोकतान्त्रिक है तो हम इसका अर्थ केवल यही नहीं समझते कि यहाँ की संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ लोकतान्त्रिक हैं, बल्कि भारतीय समाज तथा प्रत्येक भारतीय नागरिक लोकतान्त्रिक है। यहाँ के सामाजिक माहौल तथा व्यक्तियों के चिन्तन और व्यवहार में समानता, स्वतन्त्रता, भाईचारा, पंथ निरपेक्षता और न्याय जैसे लोकतान्त्रिक मूल्य प्रतिबिम्बित होते हैं।
3. किसी व्यवस्था को सच्चा लोकतन्त्र तभी कहा जा सकता है जब वह-
(अ) निम्नलिखित राजनीतिक शर्तें पूरी करता है-(i) एक संविधान जो जनता में सर्वोच्च सत्ता को निहित करता है समानता, चिन्तन, अभिव्यक्ति, आस्था, एक जगह से दूसरी

जगह आने-जाने तथा संघ बनाने की स्वतन्त्रता जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है; (ii) प्रतिनिधियों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर होता हो; तथा (iii) एक उत्तरदायी सरकार हो, जिसमें कार्यकारिणी विधायिका के प्रति एवं विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी हो।

(ब) निम्नलिखित सामाजिक एवं आर्थिक शर्तें पूरी करता है-(i) एक ऐसा सामाजिक विकास जो सामाजिक स्थिति की समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण के लोकतान्त्रिक मूल्यों एवं मानकों को प्रतिबिम्बित करता हो; तथा (ii) एक ऐसी स्थिति जिसमें आर्थिक विकास के प्रतिफल सब तक तथा विशेष रूप से गरीब एवं समाज के वंचित वर्गों को मिलें।

23.2

1. निरक्षरता, असमानता तथा गरीबी भारतीय लोकतन्त्र की कार्यशीलता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। (i) निरक्षर नागरिक प्रभावशाली भूमिका निभाने में सक्षम नहीं होते न ही वे अपने मताधिकार का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। साक्षरता नागरिकों को देश के विभिन्न मुद्दों, समस्याओं, माँगों तथा हितों के बारे में जागरूक बनाती है, स्वतन्त्रता और सब की समानता के सिद्धान्तों के प्रति चेतन्य बनाती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि समाज के सभी हितों का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करें। (ii) गरीबी लोकतन्त्र का सबसे बड़ा अभिशाप है। यह सभी तरह की असमानताओं की जड़ है; यह लोगों को स्वस्थ एवं पूर्ण जीवन जीने के अवसरों से वंचित रखती है।

2. हाँ, टेलिवीजन में दिखाए जानेवाले सीरियल एवं फिल्मों प्रायः लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित करती हैं। सच तो यह है कि ये सीरियल परम्परागत रूप से प्रचलित पारिवारिक सम्बन्धों को प्रबलित करते हैं तथा माता, बहन, पत्नी, पुत्री, सास तथा बहू की परम्परागत भूमिकाएँ दिखलाते हैं। यह सच है कि कुछ सीरियल इन परम्परागत भूमिकाओं पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं, लेकिन उनमें भी लैंगिक भेदभाव प्रतिबिम्बित होता रहता है।

3. जातिवाद : छूआछूत जातिवाद का सर्वाधिक हानिकारक एवं अमानवीय पहलू है। संवैधानिक प्रतिबन्ध के बावजूद यह प्रथा हमारे समाज में जारी है। दलित अभी भी भेदभाव के शिकार हैं। इसके कारण तथाकथित निम्न जातियों का अलगाव हो रहा है तथा उनके प्रति भेदभाव बरकरार है। उन्हें शिक्षा तथा अन्य सामाजिक लाभों से वंचित रखा जा रहा है। दूसरा उदाहरण जातिवाद के राजनीतिकरण का है। जातिवाद का उपयोग संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत चेतना से अनुचित लाभ उठाने की रणनीति के रूप में हुआ है। जातिवाद लोकतन्त्र के मूल तत्वों का विरोधी है। साम्प्रदायिकता; यह बहुधार्मिक भारतीय समाज में सह-अस्तित्व की सहज प्रक्रिया मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से ही हो रहे साम्प्रदायिक दंगे शान्ति और व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए हैं। दूसरे, कट्टरपंथियों द्वारा चुनावों में तथा अन्य अवसरों पर धर्म का दुरुपयोग हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालता है।

4. यद्यपि देश की विकास प्रक्रिया का उद्देश्य सभी क्षेत्रों की प्रगति एवं उनका विकास करना रहा है, तब भी क्षेत्रीय असमानता एवं असन्तुलन बने हुए हैं। प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता

दर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की आधारभूत संरचना एवं सेवा, जनसंख्या स्थिति तथा औद्योगिक एवं कृषि विकास से सम्बन्धित क्षेत्रीय असामनताएँ राज्यों के बीच तथा राज्यों के अन्दर के विभिन्न इलाकों के बीच उपेक्षा और भेदभाव की भावना पैदा करते हैं।

5. एक लम्बे अर्से से भारतीय राजनीति में बाहुबल का प्रभाव जीवन की एक सच्चाई रहा है। लगभग सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए अपराधी तत्वों की सहायता लेते हैं। पिछली शताब्दी के छठे दशक तक अपराधीगण छुपकर राजनीतिज्ञों को चुनाव जीतने में मदद करते थे, ताकि राजनीतिज्ञ बाद में उन्हें संरक्षण प्रदान करें। लेकिन अब भूमिकाएँ बदल गई हैं। अब राजनीतिज्ञ ही अपराधियों से संरक्षणप्राप्त करते हैं।

6. कृषि विकास, जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन तथा हरित क्रान्ति एवं श्वेत क्रान्ति के फलस्वरूप उच्चतर एवं मध्य जातियों के हितों के बीच का संघर्ष राजनीतिक हिंसा में बढ़ोत्तरी का एक मुख्य कारण बन गया है। दोनों जाति वर्गों के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए आक्रामक प्रतिद्वन्द्विता होने लगी है, जिसके चलते राजनीतिक हिंसाएँ होती हैं। इसका दूसरा कारण तथाकथित निम्न जातियों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा प्रभावशाली ढंग से उन अधिकारों का दावा करने की प्रवृत्ति की उच्चतर जातियों द्वारा की जानेवाली तीखी प्रतिक्रिया है। इसके अतिरिक्त अलग राज्य बनाने की माँग, राज्यों के पुनर्गठन तथा सीमा में परिवर्तन आदि के अवसरों पर भी राजनीतिक हिंसा होने लगती है। जैसाकि हमने देखा है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को राज्य बनाने का आन्दोलन प्रायः हिंसक हो जाता है। औद्योगिक हड़ताल, कृषकों के आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन तथा अन्य कई आन्दोलनों के दौरान भी हिंसाएँ होती हैं।

23.3

1. साक्षर भारत नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम सार्वभौम साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सर्वशिक्षा अभियान 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। भारत की संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए दो प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं—(i) गरीबों को गरीबी रेखा में ऊपर लाने के लिए उन्हें साधन या कुशलता या दोनों प्रदान किए जाते हैं ताकि वे इनका उपयोग कर अधिक आमदनी अर्जित कर सकें; (ii) गरीबों तथा भूमिहीनों को अस्थायी तौर पर सवैतनिक नोकरी दी जाती है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 27 करोड़ श्रम-दिन पैदा किए गए हैं।

2. राज्यों के अन्दर क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए राज्य-विशिष्ट प्रत्यनों के अतिरिक्त कई केन्द्र समर्थित कार्यक्रम पिछले दो से तीन दशकों से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्षेत्रों के पिछड़ेपन के विशिष्ट पहलुओं को प्रभावित करना है। ऐसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं—(i) जनजाति विकास कार्यक्रम; (ii) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम; (iii) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम; (iv) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम।

3. प्रशासनिक सुधार के लिए, निम्नांकित संस्तुतियों को करने की आवश्यकता है- (i) प्रशासन को उत्तरदायी तथा नागरिकों के अनुकूल बनाया जाना; (ii) गुणवत्तापूर्ण शासन संचालन की क्षमता विकसित करना; (iii) शासन में लोगों भागीदारी तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने के प्रति प्रशासन को उन्मुख बनाना; (iv) प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना; (v) लोकसेवकों में कार्य तथा ईमानदारी को उन्नत बनाना तथा (vi) प्रशासन में अचार-संहिता को प्रबलित करना ।

न्यायपालिका में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाना जरूरी है-(i) नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना; (ii) पुराने कानूनों को निरस्त करना; (iii) न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात में वृद्धि करना; (iv) न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण में पारदर्शिता लाना; (v) न्यायिक उत्तरदायित्व कायम रखना तथा (vi) न्यायालय की कार्यवाही को पारदर्शी बनाना ।

4. दीर्घकालीन विकास संसाधनों के उपयोग की ऐसी प्रतिकृति है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करते हुए मनुष्य की जरूरतों को पूरा करना है । यह आवश्यक है कि केवल आज की जरूरतों को ही नहीं, बल्कि भविष्य में आनेवाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा किया जाए । जब विकास केन्द्रित तथा सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की ओर निर्देशित है तो इसको गरीबी, अज्ञानता, भेदभाव, रोग तथा बेरोजगारी को हटाने पर केन्द्रित रहना चाहिए ।

23.4

1. लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति में नागरिकों की भागीदारी केवल चुनावों में भाग लेने तक सीमित नहीं होती । भागीदारी का एक प्रमुख रूप राजनीतिक दलों की सदस्यता के रूप में तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 'सिविल सोसाइटी' के नाम से लोकप्रिय स्वतन्त्र गैर-सरकारी संगठन की सक्रिय सदस्यता है । ये संगठन महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, श्रमिकों, डॉक्टरों, शिक्षकों, व्यापार करने वालों, धार्मिक आस्था रखने वालों तथा मानव अधिकार सक्रियतावादियों, आदि समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

2. नागरिकों को लोकतान्त्रिक-व्यवस्था को उत्तरदायी एवं प्रतिसम्बेदी बनाना है उन्हें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सांसद, राज्य विधायिकाओं के सदस्यों तथा पंचायत राज की संस्थाओं, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में प्रतिनिधि उत्तरदायी हो । 2005 में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा उपलब्ध करा गए साधनों के उपयोग से नागरिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं । नागरिकों को इस बात पर कड़ी निगाह रखने की आवश्यकता है कि उनके प्रतिनिधि एवं राजनीतिक नेता अपनी शक्तियों का किस तरह प्रयोग कर रहे हैं । उनके द्वारा अपने विचारों एवं हितों को भी अभिव्यक्त करते रहना जरूरी है ।

3. (अ) कर्तव्य अधिकारों

(ब) सत्ता, निर्णयों

(स) संस्कृति

(द) व्यक्त, सुनना

आपने हमलोगों का राष्ट्रगान 'जन गण मन' सीखा होगा तथा गाया भी होगा। विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के समारोहों के दौरान आपने अन्य सभी लोगों के साथ मिलकर इसे गाया होगा। कभी कभी आप यह जानने के लिए उत्सुक होते होंगे कि यह राष्ट्रगान किन विचारों को व्यक्त करता है? इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों, पर्वतों एवं नदियों के नाम क्यों शामिल किए गए हैं? तथा इसमें समुद्र की क्यों चर्चा की गई है? आप इस बात से सहमत होंगे कि राष्ट्रगान गाते समय हम सभी अपने देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं इसका आदर करते हैं। तथा इसके विजय की कामना करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों, पर्वतों तथा नदियों का नाम लेते हुए हम अपने देश की विविधता में एकता को आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। आपने देश की एकता एवं अखण्डता की आवश्यकता पर केन्द्रित समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों या लेखों को पढ़ा होगा या इस विषय पर टेलीविजन में हुई चर्चाओं को देखा होगा। यह सच है कि देश की एकता एवं अखण्डता, अर्थात् राष्ट्रीय समाकलन हमारे देश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। देश की एकता और अखण्डता से सम्बन्धित मुद्दों का विश्लेषण करने के दौरान पंथ निरपेक्षता को देश की एक आधारभूत विशेषता बताया जाता है। यह कहा जाता है कि पंथ निरपेक्षता राष्ट्रीय समाकलन की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। इस पाठ में आप इन्हीं दो प्रमुख विषयों राष्ट्रीय समाकलन तथा पंथ निरपेक्षता के बारे में जानेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पूरा कर लेने के बाद आप :

- राष्ट्रीय समाकलन के अर्थ तथा महत्व को समझ सकेंगे;
- इसकी समीक्षा कर सकेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन ने राष्ट्रीय समाकलन में मदद की;
- भारतीय संविधान में राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- हमारे देश में राष्ट्रीय समाकलन की चुनौतियों की पहचान कर पायेंगे;

- पंथ निरपेक्षता के निहितार्थों को समझ सकेंगे; तथा
- एक व्यक्ति की भारत के नागरिक के रूप में तथा परिवर्तन के एक एजेंट की तरह हमारे देश में राष्ट्रीय समाकलन तथा पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने की भूमिका की समीक्षा कर सकेंगे ।

24.1 राष्ट्रीय समाकलन

24.1.1 राष्ट्रीय समाकलन अर्थ एवं महत्व

राष्ट्रीय समाकलन पर चर्चा करने से पहले इसका अर्थ समझ लेना बेहतर होगा। इस पद में दो अर्थ हैं? राष्ट्र एक ऐसे देश को कहते हैं जहाँ की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है। वहाँ के लोगों में सामान्य इतिहास समाज तथा मूल्यों पर आधारित एकत्व की होती है। यही भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ लांघती है। सामान्य अर्थ में इसी भावना को राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान का बोध है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि नागरिक विभिन्न समुदायों के हैं उनकी जातियाँ भिन्न भिन्न हैं, उनका धर्म और उनका संस्कृति अलग अलग है वे अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं तथा विभिन्न भाषाएं बोलते हैं लेकिन वे सभी तहे दिल से स्वीकार करते हैं। कि वे एक हैं। इस तरह राष्ट्रीय समाकलन एक मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।

क्या आप जानते हैं

राष्ट्रीय समाकलन को सुनिश्चित करने का अर्थ एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण निर्मित करना है जो प्रत्येक व्यक्ति को देश के प्रति निष्ठा को समूह निष्ठाओं से तथा देश के कल्याण की संकीर्ण साम्प्रदायिक हितों से उपर रखने का प्रेरणा है। - डोरोथी सिम्पसन

हम यह जानते हैं। कि भारत महाविविधताओं वाला देश है। यहां विभिन्न प्रजातियों, समुदायों तथा जातियों के लोग रहते हैं। वे भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं तथा अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं तथा उनका आचरण करते हैं। उनकी जीवनशैली में भी काफी विविधता है किन्तु इस व्यापक विविधताओं के बावजूद ये सभी भारतीय हैं तथा वैसा ही अनुभव करते हैं। उनकी अनेक धार्मिक पहचान हो सकती है, जैसे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध या पारसी। उनकी पहचान पंजाबी, तमिल, मलयाली, बंगाली या मणिपुरी के रूप में अथवा दक्षिण या उत्तर या उत्तर-पूर्वी भारतीय के रूप में हो सकती है, किन्तु उनकी राष्ट्रीय पहचान सर्वोपरि है।

क्या आप जानते हैं

पंडित नेहरू ने एक बार कहा था, “राजनीतिक समाकलन तो हो गया है लेकिन मैं जिसके लिए प्रयत्नशील हूँ वह उससे भी अधिक गहन है। वह है भारत में लोगों का भावनात्मक समाकलन ताकि हमारी प्रशंसनीय विविधताओं को बरकरार रखते हुए ये दोनों मिलकर राष्ट्रीय एकता का निर्माण करें।



राष्ट्रीय समाकलन किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, जहां सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाषागत तथा भौगोलिक विविधताएं हों। हमारे देश के लिए तो यह और भी अधिक अनिवार्य है। भारत एक विशाल देश है। हमारी जनसंख्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। यहां दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का आचरण होता है, जैसे हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख तथा पारसी। क्या आप धर्मों की पहचान नीचे दिए चित्र में उनके प्रतीक से कर सकते हैं। भारत में लोग एक हजार से भी अधिक भाषाएं बोलते हैं। पहनावे, खान-पान की आदतों तथा सामाजिक रिवाजों में भी बहुत अधिक विविधताएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे देश में विविधताएं हैं। ऐसी ही स्थिति मौसम के संबंध में भी है। इन विविधताओं के बावजूद भारत का एक राजनीतिक अस्तित्व है। हमलोगों को एक-दूसरे के साथ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है, तथा अपने भारतीय साथियों के धर्मों तथा उनकी संस्कृतियों का आदर करना पड़ता है। यह तभी संभव है जब सही अर्थ में राष्ट्रीय समाकलन साकार हो। राष्ट्रीय समाकलन हमारे राष्ट्र की सुरक्षा तथा इसके विकास के लिए भी आवश्यक है।

चित्र 24.1 धर्मों के प्रतीक चिन्ह

प्रायः यह दावा किया जाता है कि क्रिकेट भारत में एक धर्म जैसा है। आप भी यह अनुभव किए होंगे, कि जब क्रिकेट का खेल होता है तो ऐसा लगता है कि लगभग पूरा देश टेलीविजन के सामने बैठा है। हमारे क्रिकेट के लिए खिलाड़ी देश के विभिन्न भागों तथा विविध सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के हैं। लेकिन वे देश के लिए एक ईकाई की तरह खेलते हैं। भारत के सभी क्षेत्रों के लोग उनके इस खेल के साथ तन्यमयता से जुड़े रहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की प्रत्येक जीत का उत्सव मनाते हैं तथा हार पर अपनी निराशा प्रकट करते हैं। क्या राष्ट्रीय समाकलन का इससे बेहतर उदाहरण हो सकता है? इस अनुभव पर आधारित कम से कम 5 युवकों का निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार इकट्ठा कीजिए। ये युवक आपके वर्ग के प्रार्थी या आपके पड़ोस में रहनेवाले हो सकते हैं।

1. क्रिकेट के सम्बन्ध में भारतीय वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा उपर कहा गया है?

2. लोग क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की लगभग पूजा क्यों करते हैं, यद्यपि वह खिलाड़ी किसी दूसरे क्षेत्र राज्य का रहनेवाला होता है तथा इसका धर्म या उसकी जाति अलग होती है?
3. ऐसे और कौन से अवसर हैं, जब प्रत्येक व्यक्ति एक भारतीय की तरह व्यवहार करता है, एक बिहारी या मराठी या तेलुगू या ब्राह्मण या दलित की तरह नहीं? इन उत्तरों का विश्लेषण कीजिए तथा राष्ट्रीय समाकलन के महत्व को समझिए ।

1. खाली स्थानों को भरिए :

(i) राष्ट्र एक ऐसा देश है —

(ii) राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक — का बोध है ।

(iii) इस तरह का राष्ट्रीय समाकलन एक — के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है ।

(iv) भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों जैसे — का आचरण होता है ।

2. राष्ट्रीय समाकलन क्यों जरूरी है?

24.1.2 राष्ट्रीय आन्दोलन तथा राष्ट्रीय समाकलन

आपको ऐसे अवसर याद होंगे जब आपने पढ़ा था या आपसे कहा गया था कि प्राचीन युग में भारत देश था । हां जिस भारत को हम आज देखते हैं वह प्राचीन युग से ही बना हुआ है लेकिन इसके अस्तित्व मात्र भौगोलिक रहा है । क्योंकि यह अनगिनत राजवाड़ों में विभाजित था । उनमें सांस्कृतिक समानताएँ थी, किन्तु यह आज की तरह का एकीकृत तथा समाकलित राष्ट्र नहीं था । ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार भारत प्रशासनिक दृष्टि संगठित हुआ । ब्रिटिश शासकों ने अनेकों राजवाड़ों पर कब्जा किया तथा अन्य पर परोक्ष रूप से अपना शासन स्थापित किया । भारत का एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक अस्तित्व कायम हुआ, किन्तु लोगों में राष्ट्रत्व की भावना तथा संवेदनशीलता नहीं थी । बल्कि ब्रिटिश शासकों की तो विभाजित करो और शासन करो की रणनीति थी । उन लोगों ने प्रमुख रूप से हिन्दुओं तथा मुस्लिमानों में विभाजन को बढ़ावा दिया । साथ यहाँ के लोगों के आर्थिक विकास की उपेक्षा ने देश को अधिक विभाजित किया ।

पहलीबार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रत्व की भावना एवं संवेदनशीलता का संचार हुआ तथा राष्ट्रीय समाकलन की आवश्यकता महसूस की गई । इस आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों, समुदायों, जातियों तथा पंथों के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके । विशेष रूप से 1885 में गठित भारतीय कांग्रेस के झण्डे के नीचे देश के सभी भागों के लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासकों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया । चूँकि ब्रिटिश शासकों ने “विभाजित करो और शासन करो” की नीति

अपनाई थी, राष्ट्रीय आन्दोलन ने देश के लोगों में एकता को मजबूत करने पर बल दिया। के नेतृत्व ने समानता, स्वतन्त्रता, पंथ निरपेक्षता एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया। यही कारण है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनको भारत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया गया।

जैसा आप जानते हैं, देश के प्रत्येक भाग के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तथा अनेकों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनमें से कई स्वतंत्रता सेनानी आपके राज्य के भी होंगे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की एक सूची तैयार कीजिए जो आपके राज्य के हों। आप ऐसा करने के लिए अपने परिवार तथा पड़ोस के बुजुर्ग सदस्यों, शिक्षकों या अन्य लोगों की सहायता ले सकते हैं।

24.1.3 राष्ट्रीय समाकलन और भारतीय संविधान

जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो इसके समक्ष अनेक समस्याएँ थीं। राष्ट्रीय समाकलन तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी समय देश का दो भागों, भारत तथा पकिस्तान में विभाजन हुआ था। इस दौरान देश सबसे बुरे सांप्रदायिक दंगों के दौर से गुजरा था। बहुत लोगों को शरणार्थियों की तरह उन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भागना पड़ा था, जहाँ वे पौढ़ियों से रह रहे थे। आपने कुछ फिल्मों में तथा टेलीविजन पर वैसे दृश्य देखें होंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय नेतृत्व के समक्ष रजवाड़ों को देश में समाहित करने से संबंधित जटिल मुद्दे थे। कई अन्य कारण भी थे जिनमें देश की एकता और अखण्डता के लिए समस्याएँ उत्पन्न करने की क्षमता थी।

क्या आप जानते हैं

स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत दो तरह के क्षेत्रों में विभाजित था एक क्षेत्र को ब्रिटिश इण्डिया के नाम से जाना जाता था तथा दूसरे प्रकार के क्षेत्र में 562 स्वतन्त्र रजवाड़े थे। पहला क्षेत्र ब्रिटिश शासकों के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में था, जबकि दूसरे पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियन्त्रण था। जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई तो रजवाड़ों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। कुछ रजवाड़े पाकिस्तान में शामिल हुए, लेकिन बाकी सभी भारत में शामिल हो गए। लेकिन हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर तथा जूनागढ़ रजवाड़े स्वतन्त्र रहना चाहते थे। साथ ही मणिपुर तथा त्रिपुरा के संबंध में भी कुछ समस्याएँ थीं।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के कारण भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में ही राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की सम्प्रभुता तथा एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना तथा उन्हें अच्छुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संविधान देश की विविधता का आदर करते हुए देश की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करने का भी

प्रयास करता है। इसलिए संविधान ने एक मजबूत केन्द्र वाली संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया है। अपने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से सम्बंधित पाठों का अध्ययन करते समय ऐसा पाया होगा।

क्या आप जानते हैं

मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत किए गए कई प्रावधान राष्ट्रीय समाकलन को सबल बनाते हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं:

- संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, तथा राष्ट्रगान का आदर करना।
- स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना;
- देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना
- भारत के सभी लोगों में ऐसी समरसता और समान मरातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और देश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो।
- ऐसी समेकित संस्कृति गौरवशाली परम्परा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना
- सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना
- व्यक्तिगत और सामुहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरन्तर प्रगति करते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

1. खाली स्थानों को भरिए :

(क) ब्रिटिश शासन के दौरान भारत भौगोलिक दृष्टि से एकीकृत हुआ लेकिन यह एक — राष्ट्र नहीं था

(ख) स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहली बार — की भावना एवं संवेदनशीलता का संचार हुआ

(ग) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न — के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके ।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन — में हुआ था ।

2. क्या आप यह मानते हैं कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बल देता है? कैसे?

24.1.4 राष्ट्रीय समाकलन की चुनौतियों

जैसा कि हमलोगों ने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत के समक्ष राष्ट्रीय समाकलन की अनेक चुनौतियाँ थी। यद्यपि उन समस्या का समाधान करने के अनेक उपाय किए गए हैं, चुनौतियाँ जारी हैं। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

क. साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता वैसी सर्वाधिक जटिल समस्याओं में से एक है, जिसका सामना भारत वर्षों से करता आया है। यह तब जन्म लेती है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा दूसरे धर्मों के विरुद्ध घृणा करने लगते हैं। इस तरह की भावना धार्मिक कट्टरवाद और धर्मान्धता को बढ़ावा देती है तथा देश की एकता एवं अखण्डता के लिए खतरा पैदा करती है। ऐसा होने की संभावनाएँ भारत जैसे देश में अधिक रहती हैं। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही साम्प्रदायिकता से परेशान है। हम यह जानते हैं कि ठीक स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम लोगों को सबसे खराब सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भी देश के विभिन्न भागों में अनेकों बार साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं।

स्वतंत्रता के बाद हुए कम-से-कम 3 साम्प्रदायिक दंगों को बताइए। पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं या इंटरनेट के माध्यम से उन दंगों के संबंध में तथ्य एकत्रित कीजिए। क्या आपने भारत में हुए सांप्रदायिक दंगों पर बनी किसी फिल्म का नाम सुना है या देखी है? यदि आपने नहीं तो आपके बुजुर्गों या दोस्तों ने देखी होगी। उन लोगों से उस फिल्म के बारे में सूचना इकट्ठा कीजिए। वैसी सूचनाएँ इंटरनेट से भी उपलब्ध की जा सकती हैं।

उपर्युक्त दोनों पर एक संक्षिप्त लेख तैयार कीजिए। उसमें यह विश्लेषित कीजिए आप सांप्रदायिक दंगों के बारे में क्या सोचते हैं?

क. क्षेत्रीयवाद

क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय समाकलन के मार्ग में एक अन्य बाधा है। कई अवसरों पर यह लोगों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की कीमत पर भी क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सोच हो सकती है कि निर्णय लेने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र की समस्याओं को उठाना तथा उस क्षेत्र की उचित मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य करना आवश्यक होता है। यह सोच यथोचित लगती है क्योंकि वे मांगे क्षेत्र की सच्ची शिकायतों पर आधारित हो सकती हैं। उस क्षेत्र या उस क्षेत्र के राज्यों को विकसित करने की प्रक्रिया में उचित हिस्सा नहीं मिला हो। वे मांगे किसी क्षेत्र की लगातार अवहेलना पर भी आधारित हो सकती है।

पिछले छः दशकों के योजनाबद्ध विकास के बावजूद देश के सभी क्षेत्रों का वांछित ढंग से विकास नहीं हो पाया है। अन्य कारणों के साथ-साथ वांछित सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होने से

भी अलग राज्य के गठन के लिए मांगें होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी बार क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर आधारित आंदोलनों के कारण राज्यों का पुनर्गठन किया गया है?

लेकिन कई बार क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करता है तथा लोगों में दूसरे क्षेत्रों के हितों के विरुद्ध नकारात्मक भावना को प्रोत्साहित करता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीयवाद हानिकारक होता है। अनेक अवसरों पर क्षेत्रीय विरोध तथा प्रदर्शन राजनीतिक सोच पर आधारित होते हैं।

आक्रामक क्षेत्रीयवाद तो और भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि यह अलगाववादी हो जाता है। इस तरह की भावनाओं के अनुभव आसाम तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के कुछ भागों से हमें प्राप्त हो रहे हैं।



चित्र 24.2 दार्जिलिंग आन्दोलन

चित्र 24.2 दार्जिलिंग आन्दोलन

क्षेत्रीय आन्दोलनों के फलस्वरूप कुछ राज्यों को निर्वाचित कर नए राज्यों का निर्माण हुआ है। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा प्रमुख रूप में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था।

उसके बाद बहुत से नए राज्यों का निर्माण हुआ है। सबसे हाल में छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड राज्यों का निर्माण हुआ है। इन तीनों में से प्रत्येक राज्य एक राज्य को विभाजित कर के बनाया गया है। नए राज्य के निर्माण के लिए आन्दोलन जारी है। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित कार्य कीजिए :

1. उन तीन राज्यों की पहचान कीजिए, जिनको विभाजित कर छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उत्तराखण्ड राज्य बनाए गए हैं।
2. उस प्रस्तावित राज्य का नाम बताइए जिसे आंध्रप्रदेश को विभाजित कर निर्मित करने के लिए आन्दोलन हो रहा है।

हम यह जानते हैं कि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। भारत के लोग लगभग 2000 भाषाएँ तथा बोलियाँ बोलते हैं। इस बहुलवादिता का कई अवसरों पर, विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद के प्रारम्भिक दशकों में, नकारात्मक उपयोग हुआ है। प्रत्येक देश को एक सामान्य राजभाषा की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत के लिए ऐसा करना आसान नहीं रहा है। जब संविधान सभा में यह संस्तुति की गई कि हिन्दी भाषा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। एक समझौते के अंतर्गत संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया लेकिन यह भी प्रावधान किया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी का केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रयोग होता रहेगा।

जब 1955 में गठित राज-भाषा आयोग ने राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग की सिफरिश की तो गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसका व्यापक विरोध हुआ। वैसे विरोध एवं प्रदर्शन एक बार फिर 1963 में हुए जब लोक सभा में राज-भाषा विधेयक प्रस्तुत किया गया। अतः एक समझौता के तहत 1963 के अधिनियम के द्वारा सरकारी काम-काज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की अनुमति दी गई तथा इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

क्या आप जानते हैं

हिन्दी भाषा को राजभाषा बनाए जाने के विरोध में होने वाले आंदोलनों के समय विभिन्न भाषा समूहों को संतुष्ट करने तथा राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिभाषीय फॉर्मूला को विकसित किया गया! इसके अनुसार प्रत्येक को तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी। हिन्दी तथा अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा के पढ़ाए जाने की व्यवस्था हुई। इसके अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में किसी दक्षिण भारतीय भाषा को पढ़ाने पर प्राथमिकता दी जाएगी। गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाई जाएगी। यद्यपि इस फॉर्मूला को विद्यालयी पाठ्यचर्या में समाहित करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है।

यद्यपि भाषा पर आधारित राज्य की मांग को 1956 में किए गए राज्यों के पुनर्गठन के समय व्यापक तौर पर पूरा किया गया था देश के कुछ भागों में अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। वैसे आंदोलन राष्ट्रीय समाकलन के लिए अनेक चुनौतियाँ पैदा करते हैं।

घ. उग्रवाद

देश के कई भागों में चलाए जा रहे उग्रवादी आंदोलन राष्ट्रीय समाकलन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आपने नक्सलवादी या माओवादी आंदोलन के बारे में सुना होगा। ये आंदोलन प्रायः हिंसा का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक जीवन में भय पैदा करते हैं, सरकारी कर्मचारीगणों तथा लोगों की जान लेते हैं तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को बर्बाद करते हैं। ऐसे आंदोलन में प्रायः युवा भाग लेते हैं। युवाओं के द्वारा हथियार उठाने का आधारभूत कारण उनकी सामाजिक आर्थिक

विकास से वंचित रहने की लगातार बनी हुई स्थिति है। इसके अतिरिक्त दैनिक अपमान, न्याय का नहीं मिलना, मानवाधिकारों का उल्लंघन, विभिन्न प्रकार के शोषण तथा राजनीतिक हाशिए बने रहना उन्हें नक्सलवादी आंदोलन में शामिल हो जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो भी हो इस तरह के उग्रवादी आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा वहां के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए खतरा है।



चित्र 24.3 जंगल में नक्सलवादी

चित्र 24.3 जंगल में नक्सलवादी

24.1.5 राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने वाले कारक

यद्यपि उपर्युक्त चुनौतियों अभी भी कायम हैं, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो राष्ट्रीय समाकलन को ठोस आधार प्रदान करते हैं। वे हैं :

क. सांविधानिक प्रावधान

जैसा हमने देखा है जो राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतन्त्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बन्धुत्व को भारतीय राजनीतिक पद्धति के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायसंगत आर्थिक विकास करने, सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश देता है। इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि विभिन्न संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान राष्ट्रीय समकालीन की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए गए हैं।

ख. सरकारी पहल

राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने के लिए सरकारों द्वारा पहल गए हैं। राष्ट्रीय समाकलन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा उपयुक्त कदम उठाने की अनुसंशा करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद् का गठन किया गया है। एक ही योजना आयोग पूरे देश में आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाता है तथा एक चुनाव आयोग चुनाव कराता है।

ग. राष्ट्रीय त्योहार एवं प्रतीक

राष्ट्रीय त्योहार एक महत्वपूर्ण समेकक शक्ति की तरह कार्य करते हैं। स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, गांधी जयन्ती जैसे राष्ट्रीय त्योहार सभी भारतीय द्वारा देश के सभी भागों में मनाए जाते हैं, चाहे उनकी भाषा, धर्म या उनकी संस्कृति कुछ भी हो। हमलोग प्रत्येक वर्ष 19 नवम्बर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं तथा शपथ लेते हैं। इस दिन को “कौमी एकता दिवस”

भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय प्रतीक भी यह याद

दिलाते हैं कि हम सबों की पहचान एक है। इसीलिए इन प्रतीकों के प्रति उचित आदर दिखाने को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये सभी हमारी सामान्य राष्ट्रीयता की याद दिलाते रहते हैं।

क्या आप जानते हैं

राष्ट्रीय एकता की शपथ का प्रारूप निम्नलिखित है : “मैं सत्य निष्ठा से देश की स्वतन्त्रता तथा अखण्डता को सुरक्षित रखने तथा मजबूत बनाने के लिए समर्पण के साथ काम करने की शपथ लेता हूँ। मैं और आगे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा तथा धर्म, भाषा, क्षेत्र या अन्य राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों से संबंधित सभी मतभेद और विवाद शान्तिपूर्ण एवं सांविधानिक साधनों द्वारा सुलझा लिए जाने चाहिए।”

घ. अखिल भारतीय सेवाएँ तथा अन्य कारक

अखिल भारतीय सेवाएँ (आई. ए. एस., आई. एफ. एस., आई. पी. एस तथा अन्य) एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, डाक तथा रेडियो, टेलीविजन एवं इन्टरनेट सहित संचार तन्त्र भारत राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बढ़ावा देते हैं। आप यह जानते होंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय स्तर पर होती है, लेकिन वे राज्यों में काम करते हैं। उनमें से बहुत राज्य स्तर पर लम्बा अनुभव पाने के बाद केन्द्र सरकार में काम करने आते हैं। तथा पूरे देश के लिए नीति निर्णय लेने में भागीदारी करते हैं। आप रेडियो द्वारा राष्ट्रीय घटनाओं पर होने वाले प्रसारण को सुना होगा या टेलिविजन पर उन घटनाओं को देखा होगा। क्या यह सच नहीं कि देश के सभी भागों के लोग ऐसा करते हैं?

कल्पना चावला का अन्य अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ अन्तरिक्ष में जाना या भारतीय क्रिकेट टीम का विश्व कप जीतना जैसी कुछ घटनाएँ पूरे देश को एक सूत्र में बाँधते हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो राष्ट्रीय नायक हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका पूरे भारत में आदर किया जाता है। आप निम्नलिखित पर कम से कम 5 ऐसे व्यक्तियों का विचार एकत्रित कीजिए जो आपके मित्र, वर्ग के शिक्षार्थी, परिवार के सदस्य, शिक्षक, या अन्य हो सकते हैं :

1. वह कौन सा भारतीय व्यक्तित्व है जिसे पूरे देश में लोगों द्वारा सबसे अधिक आदर किया जाता है?
2. वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसे पूरे देश के अधिकतम युवा अपना आदर्श मानते हैं?
3. वे कौन सी राष्ट्रीय घटनाएँ हैं जिनके टेलीविजन पर होने वाले प्रसारण को पूरे देश के लोग देखते हैं या रेडियो द्वारा होने वाले प्रसारण को सुनते हैं,
4. कम-से-कम ऐसे दो ऐसी भोजन वस्तु का नाम बताइए जिन्हें भारत के सभी भागों के लोग पसन्द करते हैं।

एकत्रित की गई सूचना का विश्लेषण कीजिए तथा भारत के लोगों में एकता की भावना को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है इस पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

1. सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है?
2. आप इससे सहमत हैं कि क्षेत्रीयवाद न्यायोचित हो सकता है? अपने उत्तर का कारण बताइए।
3. गैर-हिन्दी भाषा भाषी राज्य हिन्दी भाषा को राजभाषा बनाए जाने का विरोध क्यों करते हैं?
4. उग्रवाद राष्ट्रीय समाकलन के लिए एक खतरा क्यों है?

हम सभी यह जानते हैं कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय समाकलन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हमलोग यह भी जानते हैं कि भारतीय समाज में गैर-सम्प्रदायवादी परम्परा रही है। सदियों से यह अनेक धर्मों तथा संस्कृतियों को अपनाते रहा है तथा अन्तर्लीन करते रहा है। किन्तु ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ के लोगों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता का प्रयोग किया गया। औपनिवेशिक शासकों ने इसके लिए विशेष परिस्थितियाँ बनायीं तथा भारतीयों को यह महसूस कराया कि वे अलग-अलग धार्मिक समुदायों के सदस्य हैं तथा उन्हें अपने-अपने धार्मिक समुदायों के हितों पर ध्यान देना चाहिए। संविधान निर्माताओं को सांप्रदायिकता की नकारात्मक क्षमता का ज्ञान हो गया था। यही कारण है कि संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। यद्यपि मौलिक संविधान में पंथ निरपेक्षता को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रावधान थे, लेकिन देश में होने वाली सांप्रदायिक गतिविधियों के कारण 1976 में इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया गया। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना में एक उद्देश्य के रूप में जोड़ा गया। इसे भारतीय लोकतंत्र का एक स्तम्भ माना गया।

24.2.1 पंथ निरपेक्षता का अर्थ

पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? इस अवधारणा के बदले कई बार धर्म निरपेक्षता का भी प्रयोग किया जात है। आपने कुछ व्यक्तियों को यह कहे सुना होगा कि “मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ” कुछ लोग, कई राजनीतिज्ञ यह भी कहते हैं। कि संविधान में कृत्रिम पंथ निरपेक्षता (स्यूडो सेकुलरिज्म) का प्रावधान है। इसलिए पंथ निरपेक्षता का सही अर्थ समझना आवश्यक है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ अधार्मिक या धर्मविरोधी होना नहीं है। कृत्रिम पंथ निरपेक्षता पद का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। वास्तव में पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। इसके अर्थ को दो संदर्भों, राज्य के संदर्भ एवं व्यक्ति के संदर्भ में समझना आवश्यक है। राज्य के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का यह अर्थ है कि भारत का कोई औपचारिक राज्य धर्म नहीं है। सरकारो को किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना है, न ही किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव करना है। राज्य सभी धर्मों को समान मानता है तथा उनका आदर करता है। सभी नागरिक चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कानून के सामने समान है। सरकारी या सरकार के अनुदान से चलाए जा रहे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती किन्तु वहाँ विश्व के सभी धर्मों

के बारे में सामान्य सूचनाएँ दी जा सकती हैं। ऐसा करके समय, किसी भी एक धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।

व्यक्ति के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का अर्थ सर्व धर्म समभाव है अर्थात् व्यक्ति के द्वारा सभी धर्मों को समान आदर देना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा चुने गए धर्म को अबोध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने अधिकार है। सभी नागरिकों को अन्य सभी धर्मों का वैसा ही आदर करना चाहिए, जैसा वे अपने धर्म का करते हैं। कोई भी धर्म व्यक्ति को दूसरों की अवहेलना करने या घृणा करने की आज्ञा नहीं देता है।



चित्र 24.4 धर्म का चयन करने की स्वतन्त्रता

चित्र 24.4 धर्म का चयन करने की स्वतन्त्रता

24.2.2 संविधान में पंथ निरपेक्षता

हमने ऊपर यह देखा कि भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान हैं। भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव रहित सिद्धान्त पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है। सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के साथ-साथ पंथ निरपेक्षता को भी भारतीय संविधान की एक आधारभूत संरचना माना गया है। इसको संविधान में प्राथमिक तौर पर एक मूल्य की तरह प्रतिबिम्बित किया गया है ताकि यह हम लोगों के बहुलवादी समाज को समर्थन दे। पंथ निरपेक्षता भारत के विभिन्न समुदायों के बीच सम्बद्धता को बढ़ावा देता है।

24.2.3 पंथ निरपेक्षता का महत्व

संविधानिक प्रावधानों तथा सुरक्षाओं के बावजूद सभी भारतीय अभी तक सच्चे अर्थों में पंथ निरपेक्ष नहीं हो पाए हैं। हमलोगों को नियमित अन्तराल में साम्प्रदायिक दंगों का अनुभव होता रहता है। यहाँ तक कि बहुत ही अमहत्वपूर्ण कारणों से भी साम्प्रदायिकता तनाव एवं हिंसा होते रहते

हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पंथ निरपेक्षता साम्प्रदायिक सद्भाव एवं शक्ति कायम रखने के लिए अनिवार्य है। जब भी आप अपने आस-पास देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मित्र, पड़ोसी आपके साथ पढ़ने वाले मित्र आपसे भिन्न धर्म में विश्वास रखते हैं तथा उसका आचरण करते हैं। वे अलग-अलग जाति के हैं। जब तक आप उनके धर्म का आदर नहीं करते तथा वे आपके धर्म का आदर नहीं करते तब तक आप उनके साथ एक अच्छे मित्र या पड़ोसी जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। चूँकि भारत एक बहुलवादी समाज है अतः यह सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि वे एक दूसरे का आदर करें तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का आचरण करें।

क्या आप जानते हैं

भारत बड़ी विविधताओं तथा असंमित बहुलताओं को देश है यहाँ के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है तथा यहाँ 400 से भी अधिक उपभाषाएँ या बालियाँ हैं। इस देश ने दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का प्रश्रय दिया है। यह मुस्लिमानों की जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूरोप के द्वारा ईसाई धर्म के अपनाए जाने के पहले ही भारत ने उसका स्वागत किया था। भारत ने धार्मिक उत्पीड़न से भागे हुए लोगों को अपने यहाँ हमेशा शरण दी है। यहाँ 4000 से भी अधिक जातियाँ प्रजातियाँ तथा संगोत्रीय जातियाँ रहती हैं। भारत सच में एक बहु-धार्मिक, बहु भाषी, बहु-जातिय एवं बहु क्षेत्रीय सम्यता है, जिसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है।

अतः पंथ निरपेक्षता ही एक मात्र रास्ता है, जिस पर चल कर सभी धर्म एवं समुदाय को बने रहने का स्थान मिलेगा तथा जहाँ वे एक दूसरे का आदर करेंगे।

1. पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है?
2. संविधान से पंथ निरपेक्षता से सम्बन्धित कौन-कौन से प्रावधान हैं?
3. भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में सशक्त बनाने के लिए एक नागरिक की क्या भूमिका है?

आपने क्या सीखा

- राष्ट्र एक ऐसे देश को कहते हैं जहाँ की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है। वहाँ के लोगों में सामान्य इतिहास, समाज, संस्कृति तथा मूल्यों पर आधारित एकत्व की भावना होती है। यही भावना लोगों को एक राष्ट्र में एक साथ बाँधती है।

- भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न परजातियों, समुदायों तथा जातियों के लोग रहते हैं। वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं। तथा अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। वे विभिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं और उनका आचरण करते हैं।
- उनकी जीवन शैली में भी काफी विविधताएँ हैं। किन्तु इन व्यापक विविधताओं के बावजूद वे सभी भारतीय हैं तथा वैसा ही अनुभव करते हैं।
- राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान का बोध है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि नागरिक विभिन्न समुदायों के हैं, उनकी जातियाँ भिन्न-भिन्न हैं। उनका धर्म एवं उनकी संस्कृति अलग-अलग हैं। वे अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं तथा विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, लेकिन वे सभी तहे दिल से इसको स्वीकार करते हैं कि वे एक हैं। इस तरह का राष्ट्रीय समाकलन एक मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
- पहली बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रत्व की भावना एवं संवेदनशीलता का संचार हुआ तथा राष्ट्रीय समाकलन की आवश्यकता महसूस की गई। इस आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों, समुदायों, जातियों तथा पंथों के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके। आंदोलन के नेतृत्व ने समानता, स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता एवं सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनको भारत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया गया।
- भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया।
- भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की सम्प्रभुता तथा एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना तथा उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
- राष्ट्रीय समाकलन को कायम रखने और मजबूत बनाने के प्रयास में भारत अनेक चुनौतियों का सामना करता आया है। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं : साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद तथा उग्रवाद।
- राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने के बहुत से कारक हैं। इसको बढ़ावा देने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। सरकारों द्वारा भी कई प्रयत्न किए गए हैं। राष्ट्रीय समाकलन से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा उपयुक्त कदम उठाने की अनुसंशा करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया है। एक ही योजना आयोग पूरे देश की आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाता है तथा एक चुनाव आयोग चुनाव कराता है। राष्ट्रीय त्योहार एक महत्वपूर्ण समेकक शक्ति की तरह कार्य करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय प्रतीक भी यह याद दिलाते हैं कि हम सबों की पहचान एक है।

- पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। इसका अर्थ यह है कि भारत में कोई औपचारिक सरकारी धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती न ही किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव कर सकती है। यह सभी धर्मों को समान मानती है और उनका आदर करती है। प्रत्येक नागरिक द्वारा “सर्व धर्म समभाव” के सिद्धान्त का आचरण करना आवश्यक है।
- भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव रहित सिद्धान्त पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है।
- पंथनिरपेक्षता केवल सांप्रदायिक सदभाव तथा शान्ति बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि देश के अस्तित्व के अनिवार्य है।

पाठान्त अभ्यास

1. राष्ट्रीय समाकलन को परिभाषित करिए तथा राष्ट्रीय समाकलन के आविर्भाव में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान की चर्चा कीजिए।
2. भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन को किस प्रकार प्रतिबिम्बित करता है तथा उसे बढ़ावा देता है?
3. भारत में राष्ट्रीय समाकलन की कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं?
4. ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देते हैं तथा मजबूत बनाते हैं?
5. पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करिए तथा भारतीय राजनीतिक पद्धति के लिए महत्व की व्याख्या कीजिए।
6. नीचे दो सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के कथन दिए गए हैं :
महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, “मैं एक हिन्दू हूँ तथा उसपर मैं अत्यधिक भरोसा करता हूँ। मैं इसके लिए मर सकता हूँ। लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। राज्य का इससे कोई संबंध नहीं। राज्य आपके पंथनिरपेक्ष कल्याण, स्वास्थ्य, संचार, विदेशी सम्बन्धों, मुद्रा आदि की देखभाल करेगा, लेकिन आपके तथा मेरे धर्म का नहीं। वह प्रत्येक व्यक्ति का वैयक्तिक सरोकार है।”
महात्मा गांधी के एक निकटतम सहयोगी, मौलाना आजाद ने कहा था : “मैं एक मुसलमान हूँ तथा इस तथ्य के प्रति गंभीर रूप से चेतन्य हूँ कि मुझे इस्लाम के पिछले तेरह सौ सालों की गौरवमयी परम्पराएं विरासत में मिली हैं मैं इस विरासत के छोटे से छोटे भाग को खोने

के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे इस तथ्य में भी उतना ही गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, भारतीय राष्ट्रत्व की अविभाज्य एकता का अनिवार्य हूँ इसके सम्पूर्ण ढांचे में एक महत्वपूर्ण घटक हूँ, जिसके बिना यह भव्य इमारत अपूर्ण रहेगी।”

उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में भारत में पंथनिरेक्षता और राष्ट्रीय समाकलन को मजबूत बनाने के लिए भारतीय नागरिकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

24.1

1. (i) जहाँ की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना एकीकृत होती है।

(ii) सामूहिक पहचान

(iii) मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र

(iv) हिन्दू इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिक्ख तथा पारसी

2. राष्ट्रीय समाकलन किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, जहाँ सामाजिक, धार्मिक, भाषागत तथा भौगोलिक विविधताएं हैं। हमारे देश के लिए तो यह और भी अधिक अनिवार्य है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का आचरण होता है। यहाँ हजार से भी अधिक भाषाएं हैं। इन विविधताओं के बावजूद भारत का एक राजनीतिक अस्तित्व है। हमलोगों को एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखना है। यह तभी संभव है जब सही अर्थ में राष्ट्रीय समाकलन साकार हो।

24.2

(क) समाकलित

(ख) राष्ट्रत्व

(ग) क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों, समुदायों तथा जातियों

(घ) 1885

2. भारतीय संविधान राष्ट्रीय समाकलन पर बहुत अधिक बल देता है। इसकी प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की सम्प्रभुता तथा एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना तथा उन्हें अचक्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संविधान ने एक मजबूत केन्द्र वाली संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया है।

24.3

1. साम्प्रदायिकता तब जन्म लेती है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा दूसरे धर्मों के विरुद्ध घृणा करने लगते हैं। इस तरह की भावना धार्मिक कट्टरवाद और धर्मान्धता के लिए खतरा साबित होती है।
2. क्षेत्रीयवाद न्यायोचित हो सकता है, यदि माँगे किसी क्षेत्र की लगातार अवहेलना पर आधारित हो। उस क्षेत्र या उस क्षेत्र के राज्यों को विकास के समग्र ढाँचे में क्रियान्वित हो रहे कार्यक्रमों या उद्योगों को विकसित करने की प्रक्रिया में उचित हिस्सा नहीं मिला हो।
3. चूँकि अधिकतम लोग हिन्दी नहीं जानते हैं लेकिन ऐसे गैर हिन्दी भाषी राज्य हैं जहाँ हिन्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह आवश्यक है कि हिन्दी-भाषी राज्य भी गैर-हिन्दी भाषाओं, जैसे, तमिल, तेलुगू मलयालम, कन्नड़, उड़िया या बंगाली या असमी को अपने क्षेत्रों में बढ़ावा दें।
4. क्योंकि ये आन्दोलन प्रायः हिंसा का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक जीवन में भय पैदा करते हैं, सरकारी कर्मचारी गणों तथा लोगों की जान लेते हैं, तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को बरबाद करते हैं। ऐसे आन्दोलनों में प्रायः युवा भाग लेते हैं। उनके द्वारा हथियार उठाने का आधारभूत कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक विकास से वंचित रहने की लगातार बनी हुई स्थिति है। लेकिन इस तरह की उग्रवादी आन्दोलन प्रभावित क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था तथा वहाँ के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए खतरा है।

24.4

1. पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। राज्य के सन्दर्भ में इसका अर्थ यह है कि भारत में कोई औपचारिक सरकारी धर्म नहीं है। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती न ही किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव कर सकती है। यह सभी धर्मों को समान मानती है। व्यक्ति के संदर्भ में इसका अर्थ सर्व धर्म समभाव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है।
2. भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना तथा विशेष रूप से अपने मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अध्यायों के माध्यम से भारत में समानता एवं भेदभाव से मुक्त सिद्धान्त पर आधारित एक पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण किया है।
3. सभी नागरिकों को सभी धर्मों का वैसा ही आदर करना चाहिए जैसा वे अपने धर्म का करते हैं। कोई भी धर्म व्यक्ति को दूसरों की अवहेलना करने या उनसे घृणा करने की आज्ञा नहीं देता। कोई भी नागरिक जब अपने आसपास देखेगा तो पाएगा कि उसका मित्र पड़ोसी तथा अन्य उससे भिन्न धर्म में विश्वास रखते हैं तथा उसका आचरण करते हैं। वे अलग-अलग जाति के हैं। यदि नागरिक दूसरों के धर्मों का आदर नहीं करें तो वे अपने मित्र या पड़ोसी के सच्चे मित्र कैसे बने रह सकते हैं। यह आवश्यक है कि सभी लोग एक-दूसरों का आदर करें तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का आचरण करें।

25. सामाजिक आर्थिक विकास तथा अभावग्रस्त समूहों का सशक्तिकरण

हम प्रायः अखबार और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न चिन्ताओं व सरोकारों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सड़कों, शिक्षण संस्थानों, पुलों और अस्पतालों के निर्माण के विषय में पढ़ते हैं। इन पर विशेष रूप से चुनाव के दौरान राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों, मतदाताओं और मीडिया के द्वारा चर्चा की जाती है। जब भी विकास पर और विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास पर चर्चा होती है तो हमारे समाज में वंचित व अभावग्रस्त समूहों के सशक्तिकरण के मुद्दे का उल्लेख स्वभाविक रूप से किया जाता है। तुम्हारा भी अपने अध्ययन के दौरान इन शब्दों से परिचय हुआ होगा। इन शब्दों का क्या अर्थ है? हम सामाजिक आर्थिक विकास और वंचित समूहों के सशक्तिकरण के बीच सम्बन्धों को क्यों और किस रूप में समझते

हैं? वर्तमान पाठ इन मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास करेगा।

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात् आप :

- सामाजिक-आर्थिक विकास, मानव विकास, क्षेत्रीय विकास और सतत पोषीय विकास की अवधारणाओं का विश्लेषण कर पाएँगे ।
- भारत में क्षेत्रीय असन्तुलन तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे ।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं जैसे वंचित समूहों के सशक्तिकरण तथा सम्बन्धित मुद्दों पर प्रकाश डालने में समर्थ होंगे ।
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर पाएँगे ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि से सम्बन्धित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की सराहना कर सकेंगे ।

25.1 सामाजिक-आर्थिक विकास का अर्थ

सामाजिक-आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? इस अवधारणा को समझने के लिए पहले हमें विकास को परिभाषित करना होगा। प्रायः एक राज्य में जो सुधार व सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं उन्हें विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन विकास की अवधारणा को विभिन्न सन्दर्भों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा और साहित्य में अलग-अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता है। सामाजिक-आर्थिक सन्दर्भ में विकास से अभिप्राय बेहतर शिक्षा, आय वृद्धि कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से लोगों की जीवन-शैली में सुधार से है। यह सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है।

आपने विभिन्न अध्ययन सामग्रियों या मीडिया में चर्चा के दौरान आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव शरीर में विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की तरह अवधारणाओं के विषय में सुना होगा।

क्या आप कुछ अन्य शब्दों की एक सूची तैयार कर सकते हैं जिनमें 'विकास' शब्द का प्रयोग हुआ हो? ऐसे कम-से-कम आठ शब्द लिखने की कोशिश कीजिए।

सामाजिक-आर्थिक विकास समाज में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और रोजगार के स्तर जैसे संकेतकों से मापा जाता है। सामाजिक-आर्थिक विकास के बेहतर समझ के लिए, हम सामाजिक और आर्थिक विकास के अर्थ को पृथक करके समझ सकते हैं।

सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जो सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन व बदलाव कर समाज की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता में सुधार करती है। इसका सम्बन्ध समाज निर्माण में गुणात्मक परिवर्तन, लोगों का प्रगतिशील दृष्टिकोण और व्यवहार, प्रभावी प्रक्रियाओं और उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने से है। जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देखते हैं पर्यावरण, जीवन-शैली और प्रौद्योगिकी के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध दिखाया गया है।



चित्र 25.1 सामाजिक विकास प्रक्रिया

आर्थिक विकास : किसी देश या क्षेत्र में रह रहे लोगों के हित में आर्थिक सम्पत्ति के संवर्धन को आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक वृद्धि को प्रायः आर्थिक विकास के स्तर

का संकेतक माना जाता है। 'आर्थिक वृद्धि का सम्बन्ध राष्ट्रीय, आय, सकल घरेलू उत्पाद या प्रतिव्यक्ति आय में प्रगति से है। दूसरी तरफ दीर्घकालिक आर्थिक विकास से अभिप्राय है एक राष्ट्र द्वारा अपने लोगों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों को पूरा करना।

क्या आप जानते हैं

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) : सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय (जी.डी.आई.) राष्ट्रीय आय तथा देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन को मापने के कारक है। यह दिए गए वर्ष में एक देश की सीमाओं के भीतर एक विशेष अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल मूल्य है।

राष्ट्रीय आय : राष्ट्रीय आय एक देश के लोगों द्वारा श्रम और पूँजी निवेश सहित प्राप्त आय है यह एक दी गई अवधि के दौरान एक राष्ट्र (श्रम और लाभ, ब्याज, किराए और पेंशन भुगतान) की सभी आय का कुल मूल्य (प्रायः एक वर्ष) है।

प्रतिव्यक्ति आय : कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त होती है। यह वह आय है जो वार्षिक राष्ट्रीय आय समान रूप से सबके बीच विभाजित करके प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है।

सामाजिक-आर्थिक विकास, इस प्रकार, विभिन्न आयामों में सुधार की प्रक्रिया है। यह देश में मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। लेकिन क्या आपको लगता है। कि सामाजिक-आर्थिक विकास की अवधारणा विकास के सभी पहलुओं का ध्यान रखता है? इसके प्रमुख संकेतक, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आर्थिक कल्याण के एक विशिष्ट उपाय है लेकिन यह अवकाश के समय, पर्यावरणीय गुणवत्ता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय या लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं देता। एक अन्य संकेतक, प्रतिव्यक्ति आय भी लोगों के बीच आय की समानता का संकेत नहीं है। इन संकेतकों से यह सुनिश्चित नहीं होता कि विकास का लाभ आय समान रूप से वितरित हो रहा है और विशेष रूप से समाज के वंचित तक पहुँच रहा है। यही कारण है, मानव विकास की एक नई अवधारणा का प्रयोग किया जा रहा है। यह देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता, आनन्द, अवसर तथा स्वतन्त्रता के लाभ पर जोर देता है।

जैसा कि हमने देखा है, जब हम केवल आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं तब हमारा ध्यान केवल आय केन्द्रित होता है। एक लम्बे समय के लिए विकास के बारे में सामान्य धारणा धन या आर्थिक सम्पत्ति का संचय करना था। लेकिन मानव विकास का अर्थ है लोगों की पसन्द का उनके हित में फैलाव व विस्तार। यह मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं और लोगों को पसन्द व विकल्पों को शामिल करता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक, जैविक, मानसिक और भावनात्मक। आय विकास के घटकों में से केवल एक घटक है। मानव विकास लोगों को विकास के केन्द्र में रखता है तथा मानता है कि मानव विकास का अर्थ लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार करना है। यह आर्थिक विकास की गुणवत्ता और इसके समान वितरण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देता है।

क्या आप जानते हैं

मानव विकास की अवधारणा का विकास डॉ. महबूब उल हक, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री द्वारा किया गया। वह लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार तथा उनकी

जीवन स्थिति में सुधार को मानव विकास के रूप में वर्णित करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इस अवधारणा के विकास में योगदान दिया है। वह मानते हैं कि विकास से व्यक्ति की स्वतन्त्रता बढ़ती है।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 1990 में डॉ. महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन सहित अर्थशास्त्रियों एक समूह द्वारा विकसित किया गया था। तब से यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा अपने वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

अब आप समझ सकते हैं कि एक देश का सामाजिक-आर्थिक विकास का मॉडल मानव विकास के ढाँचे के अनुरूप तैयार किया जाता है। यह विकास को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। एचडीआई का वास्तविक उपयोग देश के विकास के स्तर को मापना है।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) तीन आधार संकेतकों और उनके आयाम के साथ संयुक्त रूप से तालिका 25.1 में दिखाया है।

तालिका 25.1 : मानव विकास सूचकांक : संकेतक व आयाम

क्र.सं.सूचकांक परिणाम

1. एक लम्बा और स्वस्थ जीवन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन स्वास्थ्य और दीर्घायु के एक सूचकांक के रूप
2. ज्ञान और प्रौढ़ स्तर पर शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात
3. जीवन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आय, उपयुक्त खरीद (संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर में) शक्ति समता स्तर (पीपीपी) की खरीद पर प्रतिव्यक्ति

क्या आप जानते हैं

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 1990 में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया इसमें विकास के सम्बन्ध में उपयुक्त सूचकांकों से संबंधित आँकड़े शामिल हैं। तब से यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित हुई है और देशों को हर साल सूचकांक में उपरोक्त संकेतकों में किए गए सुधारों

के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है ।

1990 से प्रकाशित प्रत्येक मानव विकास रिपोर्ट में भारत को हमेशा निचली श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में शामिल 177 देशों में से भारत को वर्ष 2007-08 में 128 स्थान में रखा गया। भारत की सरकारने भी राज्यावार मानव विकास सूचकांक विकसित करने का प्रयास किया है। तुम चित्र 25.2 को देखकर राज्यों के बीच विकास स्तर की भिन्नता समझ सकते हो।



चित्र 25.2 भारत: राज्यावार मानव विकास सूचकांक 2001

क्रियाकलाप 25.2

भारत के उपर्युक्त मानव विकास सूचकांक मानचित्र का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) मानव विकास सूचकांक के आधार पर आपके राज्य की क्या स्थिति है? इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कोई दो कारण बताइए ।
- (ii) भारत के उच्चतम मानव विकास सूचकांक और निम्नतर मानव विकास सूचकांक वाले दो राज्यों की पहचान कीजिए ।
- (iii) इन राज्यों में उच्च और निम्न मानव विकास सूचकांक के लिए उत्तरदायी क्रमशः कोई तीन कारक बताइए ।
- (iv) मानव विकास सूचकांक के निम्न स्तर में सुधार के लिए कोई तीन सुझाव दीजिए ।

25.3 संधारणीय विकास

हमने यह देखा और महसूस किया है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी लापरवाही से प्रयोग कर रहे हैं। यदि हम अपनी वर्तमान गति से इन संसाधनों का प्रयोग करते रहे तो कई खनिज पदार्थ जैसे कोयला, पेट्रोल कुछ दशकों में समाप्त हो जाएंगे तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। क्या हमारी पीढ़ी का भविष्य की पीढ़ियों के लिए करना उचित है? संधारणीय विकास की अवधारणा का उदय इसी सन्दर्भ में हुआ है। यह एक बृहद् अवधारणा है जिसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है; “संधारणीय विकास/धारणीय विकास, विकास का वह प्रतिरूप है जो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा भविष्य की पीढ़ियाँ भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इस बात का भी ध्यान रखता है।” यद्यपि कई लोग सोचते हैं कि सतत पोषीय विकास की उपयोगिता केवल पर्यावरण के सन्दर्भ में है पर वास्तव में यह केवल पर्यावरण के मुद्दों पर ही जोर नहीं देता जैसाकि चित्र 25.3 में दर्शाया गया है, यह आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास, पर्यावरणीय विकास आदि को भी समाहित करता है। यह सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक प्रतिरूप है उदाहरण के लिए विकास का ऐसा मॉडल जो वर्तमान पीढ़ी को उपलब्ध अधिकतम



चित्र 25.3 संधारणीय विकास

सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है तथा भविष्य की पीढ़ियों की इन लाभों को प्राप्त करने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता । इस प्रकार संधारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक लाभों का युक्तिसंगत और न्यायसंगत वितरण है जिसे मानव जाति की आने वाली कई पीढ़ियों तक निरन्तर बनाया जा सके । इसमें समाज के सभी वर्गों, कमजोर और वंचित वर्गों सहित की, की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है ।

अब तक हम चार अवधारणाओं; विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास, मानव विकास तथा संधारणीय विकास के विविध रूपों की चर्चा कर चुके हैं। इनके विषय में हमारी जानकारी के आधार पर, भारत में हो रहे सामाजिक आर्थिक विकास को समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् से ही देश के विकास के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन यह 1990 का वर्ष था जिसके पश्चात् भारत की गिनती विश्व की तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी। भारत बाजार विनिमय के आधार पर विश्व की बारहवीं और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) जिसका मापन, खरीद शक्ति समता (पचेजिंग पावर पैरिटी) के आधार पर किया जाता है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

आर्थिक विकास दर में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप देश में जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर तथा खाद्य सुरक्षा में भी वृद्धि हुई है। निर्धनता प्रतिशत में भी महत्वपूर्ण कमी आई है, यद्यपि सरकारी/आधिकारिक गणनाओं के अनुसार लगभग 27.5 प्रतिशत भारतीय अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2004-05 को आधार मानते हुए उन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है जिनकी आय क़रय शक्ति समता के आधार पर 1 डॉलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन हो। हालाँकि भारत में इसका पैमाना एक डॉलर से भी कम रखा गया है। भारत में पिछले दो दशकों से लगातार तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या आज भी दो डॉलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम में जीवन निर्वाह कर रही है। यही कारण है कि कई बार कहा जाता है कि इस बाजार अर्थव्यवस्था आधारित आर्थिक विकास के कारण देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। हरित क्रान्ति से अकाल और भुखमरी से तो छुटकारा मिल गया तथा समूची जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ी लेकिन देश में तीन वर्ष तक की आयु के 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। एक तिहाई स्त्री और पुरुष ऊर्जा की कमी से पीड़ित हैं।

क्या आप जानते हैं

क़रय शक्ति समता (पी.पी.पी.): यह विभिन्न देशों की मुद्रा की क़रय शक्ति को मापने का तरीका है। यह अलग-अलग देशों में लोगों के जीवन स्तर की तुलना करने में उपयोगी है। पहले यह तुलना प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर की जाती थी लेकिन ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका प्रयाग करना छोड़ दिया क्योंकि यह भ्रामक तस्वीर पेश करता था। अलग-अलग मुद्राओं की क़रय शक्ति भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए एक डॉलर से अमेरिका में जितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं उसी डॉलर की कीमत अर्थात् लगभग 50 रुपए से भारत में कई अधिक वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं। इसी प्रकार 1000 डॉलर भारत में निवेश या खर्च कर एक व्यक्ति भारत में तो अच्छा जीवन स्तर रख सकता है लेकिन यही राशि अमेरिका में एक अच्छा जीवन स्तर नहीं दे सकती।

1. सकल घरेलू उत्पाद और प्रतिव्यक्ति आय लोगों के जीवन के स्तर व गुणवत्ता का आकलन सही प्रकार से क्यों नहीं कर पाते ।

2. मानव विकास की अवधारणा पारम्परिक सामाजिक-आर्थिक विकास अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है?

3. सतत् पोषीय/संधारणीय विकास को परिभाषित कीजिए ।

4. ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत में विकास और अल्पविकास का सहअस्तित्व है? मुख्य कारणों की पहचान कीजिए ।

25.3 क्षेत्रीय विकास : असन्तुलन और भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता

हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना रहा है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात नियोजित आर्थिक विकास अपनाने का एक प्रमुख कारण यह था कि देश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता को दूर कर सभी क्षेत्रों का समुचित विकास किया जाय। विकास की नीति में भी क्षेत्रीय उपागम का प्रयोग किया गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी परेशानी यह रही है कि यहाँ विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है।

भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में कुछ भिन्नताएँ तो प्राकृतिक हैं जैसाकि आप नीचे दिए गए चित्र (25.4) में देख सकते हैं। कुछ क्षेत्रों का धरातल उपजाऊ मिट्टी से बना है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है जैसे सिन्धु-गंगा का मैदान जबकि कुछ भूमि ऐसी है जहाँ पर्वत, पहाड़ी और घने जंगल हैं तथा वहाँ जमीन भी कम उपजाऊ है। प्रकृति द्वारा पैदा की गई इन विभिन्नताओं को क्षेत्रीय विविधता कहा जाता है।

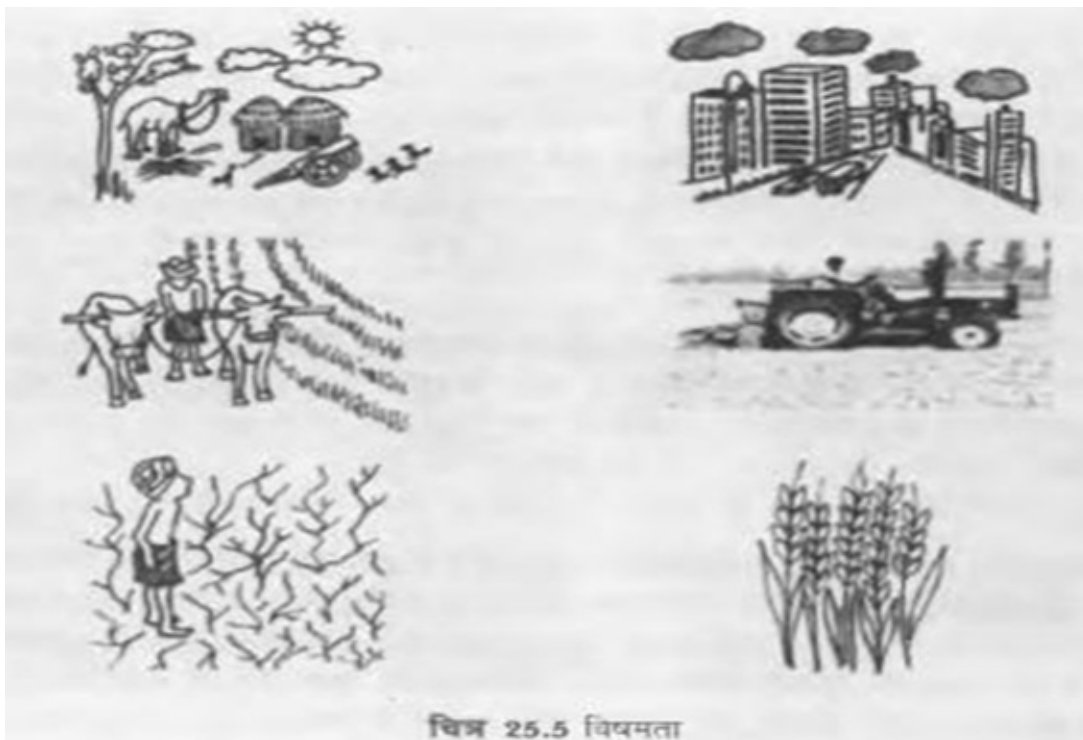
लेकिन कुछ भिन्नताएँ ऐसी हैं जो मनुष्यकृत हैं, जैसे प्रतिव्यक्ति आय, कृषि विकास, परिवहन व संचार के साधनों का विस्तार आदि। मनुष्य कृत इन अन्तरों को असमानता के नाम

से जाना जाता है। चित्र 25.5 को देखकर आप विषमता या असमानता को और भलीभाँति समझ पाएँगे। ये विषमता चिन्ता का विषय है। आइए अब निम्न के सन्दर्भ में विषमताओं का विश्लेषण कर उसे समझने का प्रयास करेंगे।



चित्र 25.4 विविधता

चित्र 25.4 विविधता



चित्र 25.5 विषमता

चित्र 25.5 विषमता

(अ) भारत में विषमता

1. प्रतिव्यक्ति आय : किसी भी क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक क्रियाओं का आधार होता है। हमारे देश के प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर अत्यधिक क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। राष्ट्रीय औसत प्रतिव्यक्ति आय लगभग रु. 25,716 है और ऐसे केवल ग्यारह राज्य हैं जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से सबसे निचले स्तर पर जो राज्य हैं वे हैं; बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखण्ड व छत्तीसगढ़; इन राज्यों में भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है।

2. गरीबी : राज्यावार गरीबी के अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। भारत में व्यापक वृहत् स्तर पर गरीबी में कमी आई है लेकिन ग्रामीण और शहरी तथा राज्यों के बीच विषमाताएँ व्याप्त हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में गरीबी का अनुपात अत्यधिक है। ग्रामीण उड़ीसा और बिहार में क्रमशः 43 और 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं जो कि दुनिया में सबसे खराब स्थितियों में से एक है। दूसरी तरफ ग्रामीण हरियाणा और पंजाब में क्रमशः 5-7 प्रतिशत तथा 2-4 प्रतिशत लोग ही गरीब हैं जो कि वैश्विक और कई मध्यम आर्थिक स्तर के देशों से बेहतर हैं।

3. औद्योगिक वृद्धि : भारत में प्रारम्भिक औद्योगीकरण ब्रिटिश भारतीय सरकार के हितों के अनुरूप एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के अनुरूप किया गया। इसी का परिणाम था कि ज्यादातर उद्योग कुछ ही स्थानों में केन्द्रित थे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भी काफी हद तक यही स्थिति बनी रही।

4. कृषि में वृद्धि : पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में भी विषमता बढ़ी है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस मामले में अन्य सभी राज्यों से आगे निकल गए हैं। प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पर है जबकि केरला निम्नतम स्तर पर है। सिंचित क्षेत्र के मामले में मिजोरम और महाराष्ट्र सबसे नीचे के स्तर में हैं। पंजाब और हरियाणा ने सिंचाई सुविधाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादकता को उच्च स्तर तक बढ़ाया है। भारत के ज्यादातर राज्यों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि उनकी क्षमता से बहुत कम है। इसे तीव्र करने की आवश्यकता है।

5. साक्षरता : साक्षरता सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर में भारी विषमता पाई जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक तथा बिहार में सबसे कम थी, जबकि उसी दौरान पूरे भारत में औसत साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी। केरल में 90.92 प्रतिशत तथा बिहार में 47.53 प्रतिशत थी। देश के विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर में भारी भिन्नता है।

6. परिवहन और संचार : भारत में परिवहन और संचार कई प्रकार का है। परिवहन के विभिन्न साधन हैं, सड़क, रेलवे, हवाई तथा जल परिवहन। यदि आप परिवहन के किसी भी एक साधन के विषय में आँकड़े एकत्रित करें तो आपको इनके विभिन्न क्षेत्रों में फैलाव में व्याप्त विषमता का बोध हो जाएगा। यदि सड़क परिवहन की बात करें तो देश के कुछ राज्यों में तो सड़क घनत्व और सड़कों की स्थिति बड़ी अच्छी है जबकि कुछ अन्य राज्यों में इनकी स्थिति दयनीय है। प्रति 100 किमी. रोड की लम्बाई में केरल प्रथम स्थान पर है जबकि जम्मू-कश्मीर सबसे निचले स्थान पर आता है।

(ब) क्षेत्रीय विषमाताओं के कारण

जब हम विभिन्न क्षेत्रों के बीच असन्तुलन और विषमता की बात करते हैं तो कई बार हम यह सोच लेते हैं किसी क्षेत्र या राज्य विशेष में पिछड़ेपन का कारण जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता और आधारभूत संरचना की कमी है। लेकिन जब हम इन कारणों का आगे विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ये केवल पिछड़ेपन या अल्पविकास के कारण मात्र नहीं हैं बल्कि इसके परिणाम भी हैं। पिछड़े राज्यों में अशिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के अभाव में, अगड़े राज्यों की तुलना

में बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ी, इसका मुख्य कारण इन राज्यों में अगड़े राज्यों की तरह का सामाजिक आर्थिक विकास न हो पाना था। इसलिए क्षेत्रीय विषमता के नीचे दिए गए कारणों का विश्लेषण करना रोचक हो जाता है।

1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : औपनिवेशिक शासन के दौरान जो राज्य और क्षेत्र वाणिज्यिक दृष्टि से ज्यादा लाभकारी नहीं थे उनपर ध्यान नहीं दिया गया और वे पिछड़े रह गए। उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने भी इन पिछड़े क्षेत्रों को नजरंदाज किया है। ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख है मध्य और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी इलाके।

2. भौगोलिक कारक : किसी क्षेत्र का धरातल भी उसके विकास में बाधक हो सकता है। राजस्थान का रेगिस्तान और उत्तर पूर्वी राज्यों का पहाड़ी या पर्वतीय धरातल इसके उदाहरण हैं।

3. प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपयोग में भिन्नता : आपको जानकारी होगी कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, लौह आयरन, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि भारत के सभी राज्यों में नहीं पाए जाते। लेकिन केवल प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता मात्र विकास को सुनिश्चित नहीं करती। कुछ राज्यों ने अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया है जबकि अन्य जैसे बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा आदि ऐसा करने में असफल रहे हैं।

4. देश के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्रों से दूरी : किसी क्षेत्र की देश के प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्रों, मुख्य शहरों, बाजारों से दूरी भी उसके आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।

5. आधारभूत संरचना की कमी : जिन राज्यों ने आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, बिजली, परिवहन सुविधाओं का विकास कर लिया वे तीव्र आर्थिक विकास करने में सफल रहे हैं। जिन राज्यों में ये आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं वे आवंटित धनराशि का उपयोग तथा निवेश को आकर्षित करने में असफल रहे हैं।

6. सुशासन की कमी : सामाजिक आर्थिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है, शासन-प्रशासन की गुणवत्ता। आप देखेंगे कि जिन राज्यों ने तीव्र गति से प्रगति की है वहाँ अधिक समय तक सुशासन रहा है। जो भी राज्य पिछड़े हुए हैं उनमें लगातार कानून और व्यवस्था की समस्या रही है वे आधारभूत संरचना बनाने में असफल रहे हैं, यही कारण रहा कि योजना आयोग द्वारा इन राज्यों को जो आर्थिक सहायता दी गई वे उसका भी प्रयोग नहीं कर पाए हैं। सुशासन की कमी के कारण इन राज्यों में निवेश भी नहीं हो पाता।

1. विषमता और विविधता में उपयुक्त उदाहरण देकर अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

2. भारत में उपनिवेशवाद किस प्रकार क्षेत्रीय विषमताओं को पैदा करने वाला कारक रहा है?

3. निम्न में से कौन-से राज्य को आर्थिक रूप से विकसित राज्यों के समूह में रखा जा सकता है?

(क) बिहार

(ख) उड़ीसा

(ग) अरुणाचल प्रदेश

(घ) हरियाणा

4. मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र देश के अन्य भागों की तुलना में पिछड़े हुए क्यों हैं? निम्न में से सही विकल्प को छाँटकर उत्तर दीजिए।

(क) इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं।

(ख) इन क्षेत्रों में कोई प्रमुख उद्योग नहीं है।

(ग) स्थानीय लोगों का निम्नस्तरीय आर्थिक और विकास स्तर

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

इस अध्याय में हमारा लगातार इस बात पर जोर रहा है कि भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित करना तथा उन्हें विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। सामाजिक और आर्थिक जीवन में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए सभी लोगों की विकास के परिणामों तक पहुँच तथा उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। यद्यपि भारत बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है लेकिन इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना बाकी है। वर्तमान समय में भी समाज के अनेक ऐसे वर्ग हैं जिनके विरुद्ध भेदभाव का व्यवहार होता है तथा उन्हें स्वतन्त्र रूप से विकास की प्रक्रिया में भाग लेने तथा विकास के परिणामों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। इन्हें अभावग्रस्त समूह कहा जाता है। कुछ ऐसे समूह हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएँ, अल्पसंख्यक वर्ग आदि। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.23%, अनुसूचित जनजाति, 8.2% है। अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी काफी संख्या है जबकि महिलाएँ भारत की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है। हम अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।

25.7 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तीकरण

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तीकरण देश में व्याप्त सामुदायिक और क्षेत्रीय स्तर पर व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक माना गया। भारत के संविधान में इन समूहों के विकास के लिए अनेक प्रावधान और कई वचनबद्धताएँ व्यक्त की गई हैं। इन संवैधानिक वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने तीन तरफ़ा रणनीति अपनाई है-(i) सामाजिक सशक्तीकरण, (ii) आर्थिक सशक्तीकरण और (iii) विषमता दूर करने के लिए सामाजिक विषमता का उन्मूलन, शोषण की समाप्ति तथा इन अभावग्रस्त वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना।

(अ) सामाजिक सशक्तीकरण

शिक्षा अभावग्रस्त वर्गों के सशक्तीकरण का प्रमुख यन्त्र रही है इसलिए इन वर्गों में उत्थान के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए इस दिशा में निम्न कदम महत्वपूर्ण हैं -

- प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कई प्रोत्साहन जैसे फीस माफी निःशुल्क पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति दिए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना आदि के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है।
- मैट्रिक के पश्चात् उससे आगे की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति गरीब व कड़ाकड़कट उठाने जैसे - निम्न श्रेणी के कार्यों में लगे वर्गों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए दी जाती है। मैरिट योजना को बढ़ावा देने के लिए निदानात्मक कोचिंग दी जाती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान करने के उद्देश्य से दी जाती है।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन वर्गों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है या तैयारी कराई जाती है।
- उच्च प्राथमिक स्तर के बाद सभी लड़के लड़कियों को हॉस्टल की सुविधा।

(ब) आर्थिक सशक्तीकरण

सामाजिक और आर्थिक रूपसे अभावग्रस्त वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए रोजगार और आय पैदा करने वाले कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस सम्बन्ध में निम्न उच्चतम वित्तीय संगठन स्थापित किए गए हैं-

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एन एस एफ डी सी), विभिन्न आय सृजन करने वाली गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन एस के एफ डी सी), सफाई कर्मचारियों को आय सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता देती है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एन एस टी एफ डी सी), इन वर्गों को प्रशिक्षण, लोन, बाजार समर्थन के द्वारा सहायता करता है।
- अनुसूचित जाति विकास निगम (एस सी डी सी), रोजगार सम्बन्धी योजनाओं, कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों, छोटी सिंचाई योजनाओं, छोटे उद्योगों, परिवहन, व्यापार आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- अनुसूचित जनजाति विकास निगम (एस टी डी सी), एक दिशा निर्धारित करने वाली एजेन्सी के रूप में कार्य कर इन वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ट्राइवल मार्केटिंग डेवलपमेंट फैडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ट्राइफेड), आदिवासियों द्वारा निर्मित वन्य उत्पादों और अतिरिक्त कृषि उत्पाद को बाजार प्रदान करता है।

(स) सामाजिक न्याय

भारत का संविधान हर प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से सुरक्षा की गारण्टी देता है। इस दिशा में कुछ सुरक्षात्मक विधि निर्माण भी हुआ है। इस दिशा में नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निषेध) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासी (नव अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 आदि महत्वपूर्ण हैं।

25.8 महिला सशक्तीकरण

भारत के संविधान में लैंगिक समानता सम्बन्धी प्रावधान संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं



चित्र 25.6 महिला सशक्तीकरण

संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के हित में सकारात्मक विभेदकारी कदम उठाने के लिए भी सशक्त करता है। हालाँकि अभी भी इस दिशा में एक और स्वीकृत लक्ष्य व सम्बन्धित मशीनरी तथा दूसरी ओर धरातल पर महिलाओं की वास्तविक स्थिति के बीच काफी अंतर है। महिलाओं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पादक संसाधनों तक पहुँच अपर्याप्त है। वे ज्यादातर हाशिये पर हैं या गरीब व समाज की मुख्यधारा से बाहर हैं। ऊपर दिए गए चित्र 25.6 में महिला सशक्तीकरण के लिए क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रयासों को दिखाया गया है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए रहे हैं-

(अ) आर्थिक सशक्तीकरण

- भारत में गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण कई ऐसी योजनाएँ लागू की जा रही हैं जो विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो।
- कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र में उत्पादक के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके प्रशिक्षण व विस्तार कार्यक्रमों के लाभ उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित किए जाय।

- श्रम विधायन, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को वृहत् सहायता प्रदान की जाय ताकि वे औद्योगिक क्षेत्र में विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और वस्त्र उद्योग में सहभागी बन सकें।
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यस्थल का वातावरण उनके लिए सहायक होना चाहिए, इसके लिए वहाँ पर बाल देखरेख की सुविधा, क्रेच तथा वृद्ध और विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

(ब) सामाजिक सशक्तीकरण

- महिलाओं में रोजगार, व्यवसायिक और तकनीकी हुनर का विकास करने के उद्देश्य से महिलाओं व बालिकाओं की शिक्षा तक पहुँच, शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव की समाप्ति, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, निरक्षरता उन्मूलन तथा लैंगिक सम्वेदी शिक्षा प्रणाली की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाकर अधिगम को जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया बनाया जा सके।
- स्वास्थ्य के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण जिसमें पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल कर जीवन के हर स्तर पर महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
- महिलाओं के लिए कुपोषण और बीमारियों जैसे खतरों का सामना करने के उद्देश्य से जीवन के हर पड़ाव पर उनकी पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
- महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार की शारीरिक व मानसिक हिंसा के उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, चाहे वह घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर हो या फिर परम्पराओं और रीति-रिवाजों के कारण उपजी हिंसा हो।

(स) राजनीतिक सशक्तीकरण

भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ही महिलाएँ चुनाव लड़ने व मतदान करने के अधिकार का उपभोग कर रही हैं। उन्हें सरकार के हर स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1993) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके द्वारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक व्यवस्था व संरचना में उनकी भागीदारी को बढ़ा दिया है तथा राजनीतिक सत्ता तक उनको समान पहुँच प्रदान कर दी है। इससे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिला है। महिलाओं के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने सम्बन्धी विधेयक संसद् में विचाराधीन पड़ा है।

क्रियाकलाप 25.3

महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण परिस्थिति नीचे दी गई है। प्रत्येक परिस्थिति के लिए कारण बताइए।

1. ज्यादातर परिवारों में लड़कियों को लड़कों जैसी शिक्षा सुविधा के अवसर प्राप्त नहीं होता क्यों?
2. सामान्यतः स्त्रियों जैसे माँ बहन, भाभी की बीमारी को पुरुष सदस्य की बीमारी के समान गम्भीरता से नहीं लिया जाता । क्यों?
3. ज्यादातर घरेलू काम केवल महिलाओं द्वारा किए जाते हैं । पुरुष सदस्य उसमें हाथ नहीं बँटाते । क्यों?
4. परिवार में बालिका के जन्म पर उस तरह जश्न नहीं मनाया जाता जैसे बालक के जन्म पर मनाया जाता है । क्यों?

उपरोक्त कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- (i) आपके अनुसार हमारे समाज में यह असमानता क्यों व्याप्त है?
- (ii) भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के कोई तीन निदानात्मक सुझाव दीजिए ।

1. सामाजिक रूप से अभावग्रस्त प्रमुख समूह कौन-से है?

2. क्या आप सोचते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदमों के कारण ये वर्ग सामाजिक-आर्थिक विकास का लाभ उठा गए हैं? तीन कारण बताइए।

3. हमारे समाज में अब तक महिला सशक्तीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल क्यों रहे हैं?

4. अपने पास-पड़ोस में कम-से-कम 5 परिवारों का सर्वेक्षण कीजिए तथा निम्न के विषय में आँकड़े एकत्रित कीजिए। यह और बेहतर होगा यदि आप इससे अधिक परिवारों, हो सके तो 10 परिवारों का सर्वेक्षण करें।

(i) प्रौढ़ स्त्री और पुरुष सदस्यों की संख्या।

(ii) कुल बालक और बालिकाओं की संख्या।

(iii) पिछले दो साल में जन्मे बालक और बालिकाएँ।

(iv) पिछले दो वर्षों में बाल मृत्यु, बालक व बालिका।

(v) 5 वर्ष से अधिक आयु के वे बालक-बालिकाएँ जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) घर के बाहर किसी दफ्तर और व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं की संख्या।

इस प्रकार एकत्रित आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए-

(क) बालक और बालिकाओं की कुल संख्या क्या है? तथा उनमें से कितने स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं? क्या किसी एक परिवार के बालक और बालिकाएँ एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं? यदि नहीं तो क्या कारण है?

(ख) क्या महिलाएँ घर से बाहर कार्यरत हैं? यदि हाँ तो कहाँ? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

(ग) क्या आपको परिवारों में लैंगिक भेदभाव का माहौल नजर आया? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो कैसे?

25.9 सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रमुख नीतियाँ और कार्यक्रम

हमने अब तक अभावग्रस्त वर्गों के सशक्तीकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयों को समझने का प्रयास किया है। अब आगे आप उन नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में जानना चाहोगे जो सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करती हैं। उन सब पर चर्चा करना अत्यधिक विस्तृत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे, बाकी का अध्ययन आप आगे की कक्षाओं में करेंगे।

25.9.1 सर्वशिक्षा या सभी के लिए शिक्षा

सभी को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए इसकी जरूरत न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय महसूस करता है। यूनेस्को के तत्वावधान में 1990 में विश्व के कई देश जोमेतीन (थाइलैण्ड) में मिले तथा इस बात पर निर्णय लिया गया कि वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। वर्ष 1992 में दुनिया को नौ सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मैक्सिको, बांग्लादेश, ब्राजील और मिस्र दिल्ली में, सभी के लिए शिक्षा/सर्वशिक्षा (इफा) की अपनी वचनबद्धता को बल प्रदान करने के लिए एकत्रित हुए। पिछले दो दशकों में, अनेक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से भारत सर्वशिक्षा के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं।

(क) प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कहा गया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। हाल ही में भारत की संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 पारित किया गया। केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से देश की 95 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक किलो मीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल तथा लगभग 85 प्रतिशत के लिए तीन किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध है। इसके परिणामस्वरूप-

1. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन (enrolment) में लगातार वृद्धि हुई है।
2. बालिकाओं व अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों का स्कूलों में पंजीयन/नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
3. देश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

केन्द्र और राज्य सरकारों ने बीच में विद्यालय छोड़ने (ड्राप आउट) के अनुपात के कम करने तथा विद्यालयों में उपलब्ध स्तर को बढ़ाने के लिए रणनीति अपनाई है। इस दिशा में निम्न कदम उठाए गए हैं-

- अभिभावक जागरण तथा सामुदायिक एकजुटता पैदा करना।
- सामुदायिक और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी।
- आर्थिक प्रोत्साहन जैसे निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, वर्दी आदि।
- स्कूली पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं में सुधार और
- प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन योजना।

निम्न कार्यक्रम विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर केन्द्रित हैं :

(अ) सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की महत्वकांक्षी योजना को सर्वशिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, इसे 2001 में शुरू किया गया। सर्वशिक्षा अभियान के निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं-

- (i) 6 से 14 साल के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन/शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत 2005 तक सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था।
- (ii) सभी प्रकार की लैंगिक भेदों को प्राथमिक स्तर पर दूर किया जाय।
- (iii) वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक विद्यालय उपस्थिति या ड्राप आउट दर समाप्त करना।
- (iv) प्रारम्भिक शिक्षा की सन्तुष्टि जनक गुणवत्ता तथा जीवन के लिए शिक्षा के सिद्धान्त पर जोर।

(ब) प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण समर्थन कार्यक्रम या मध्याह्न भोजन योजना

इस योजना की शुरुआत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य से की गई थी और यह अभी तक चल रही है। मध्याह्न भोजन योजना के मुख्य उद्देश्य हैं :

- (i) सरकारी, स्थानीय, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों व इस स्तर की शिक्षा के अन्य केन्द्रों में पहली से पाँचवीं कक्षा तक के पढ़ने वाले बच्चों की पोषण की स्थिति को सुधारना
- (ii) अभावग्रस्त वर्गों की सहायता कर इन वर्गों के गरीब बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा इनके लिए कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- (iii) गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को पोषाहार प्रदान करना।

25.9.2 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई। इसका उद्देश्य 15-35 वर्ष के अनपढ़ लोगों को कामचलाऊ साक्षरता प्रदान करना था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य कार्यक्रम पूर्ण साक्षरता प्रचार था जिसके द्वारा सभी प्रौढ़ निरक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना था।

इसके पश्चात् साक्षरता के बाद का कार्यक्रम शुरू किया गया जिनके द्वारा नव साक्षरों के साक्षरता कौशल को सुदृढ़ करना। इसके पश्चात् शिक्षा कार्यक्रम को लगातार जारी रखने के उद्देश्य से गाँवों में पुस्तकालय, पढ़ाई के लिए कमरों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जन शिक्षा संस्थान के माध्यम से नव साक्षरों व समाज के अभावग्रस्त वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे –

- यह योजना देश के 597 जिलों में पहुँचने में सफल रहा जिसके अन्तर्गत 12.4 करोड़ लोगों को साक्षर किया गया।
- देश की साक्षरता दर 1991 में 52.21 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65.37 प्रतिशत हो गई, यह अब तक के किसी भी दशक में दर्ज की गई सर्वश्रेष्ठ वृद्धि थी।
- इन उपलब्धियों के बावजूद आज भी विश्व में 15 वर्ष से अधिक आयु के कुल निरक्षरों में 34 प्रतिशत भारत में हैं। साक्षरता से सम्बन्धित क्षेत्रीय, लैंगिक व सामाजिक विषमताएँ अभी भी व्याप्त हैं।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि साक्षरता के लिए अब समेकित/ एकीकृत उपागम अपनाया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और पोस्ट साक्षरता कार्यक्रम दोनों ही अब साक्षरता योजना के अन्तर्गत चलाए जाएँगे। इस तरीके से निरक्षरता की बड़ी समस्या का सम्पूर्ण समाधान किया जा सकेगा। कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया बनाना न कि कभी चालू और कभी बन्द होने वाली गतिविधि। इसके साथ ही जिन्होंने साक्षरता का बुनियादी स्तर पार कर लिया है उनके लिए सुदृढ़ीकरण, व्यावसायिक कौशल तथा जीवन कौशल से एकीकृत शिक्षा के आयामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

25.9.3 सभी के लिए स्वास्थ्य

भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1951 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम व्यक्तिगत स्वास्थ्य में वृद्धि तथा देश के कल्याण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन उस समय दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत कम थी। पिछले कुछ दशकों में पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया गया। यद्यपि हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अपेक्षा के अनुरूप ढाँचा तैयार नहीं किया है पर सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है।

हालाँकि भारत ने स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के विकास में नियमित प्रगति की है लेकिन सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का प्रतिपादन विश्व स्वास्थ्य संगठन व यूनिसेफ द्वारा 1978 में अल्माऊत्ता की बैठक में किया गया। इस उद्देश्य का हस्ताक्षरक राष्ट्र होने के कारण भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, परिवार नियोजन, पोषाहार सहायता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना शुरू किया। भारत सहित विश्व के नेताओं ने इस लक्ष्य को वर्ष 2000 तक प्राप्त करने के लिए प्रयास किए।

1951 से 2001 के बीच भारत की जनसंख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई, 1951 में 36.10 करोड़ से यह 2001 में 102.70 करोड़ तक पहुँच गई। इसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, इस क्षेत्र में माँग और पूर्ति में भारी अन्तर पैदा हो गया है। यदि हम देश में चिकित्सा सेवाओं के वितरण पर गौर करें तो हम देखते हैं कि इसमें अत्यधिक असमानता है, ज्यादातर चिकित्सा सुविधाएँ बड़े शहरों और नगरों में ही संकेन्द्रित हैं। इस विषमता को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (एन आर एच एम) शुरू की है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अलावा भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अन्य अनेक योजनाएँ

शुरू की हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना (जे एस वाई), बालिका समृद्धि योजना (के एस वाई) और किशोरी शक्ति योजना (के एस वाई)। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की सफलता के कारण भारत सरकार इसी तरह की योजना शहरी क्षेत्रों में लागू करना चाहती है जिसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना (एन यू एच एम) नाम दिया गया है। नीचे दिए गए बॉक्स में आप सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों को देख सकते हैं।

क्रम संख्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय वैक्टीरिया जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय फ्लेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम
3. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
4. संशोधित राष्ट्रीय टी बी नियन्त्रण कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम

6.

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

7. राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम
8. राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम
9. सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम
10. बहरापन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
11. मधुमेह, सी बी डी और स्ट्रोक की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए कार्यक्रम
12. राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम
13. दृष्टिहीनता के नियन्त्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

1. सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्षित समूहों पहचान करे ।

(i) ——— और (ii) ———

2. पिछले पचास वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र की किन्हीं दो उपलब्धियों का वर्णन कीजिए ।

(i) ———

(ii) ———

3. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत अपनाए जाने वाला नवीनतम दृष्टिकोण क्या है?

—————
—————

4. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना क्यों लागू गई?

—————
—————

आपने क्या सीखा

- जीवन परिस्थितियों में हो रहे सुधार को विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है । लेकिन विकास को अलगअलग सन्दर्भों में भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है जैसे सामाजिक, राजनीतिक, जैविक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भाषा, साहित्य आदि का विकास ।

सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ में विकास को शिक्षा, आय, कौशल विकास, रोजगार आदि में सुधार के कारण जीवनशैली में आए बदलाव के रूप में देखा जाता है। यह सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित आर्थिक व सामाजिक बदलाव है।

- कुछ विभेद व असमानताएँ प्रकृति जनित होते हैं, प्रकृति जनित भिन्नताओं को विविधता कहा जाता है। लेकिन कुछ भेद व अन्तर मनुष्यों द्वारा पैदा किए जाते हैं। मनुष्यकृत भेद व अन्तर को विषमता कहा जाता है। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उच्च श्रेणी की सुविधाएँ उपलब्ध हैं जबकि कई अन्य क्षेत्रों में आधारभूत सामाजिक आर्थिक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं, विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस प्रकार की भिन्नताओं को क्षेत्रीय विषमता कहा जाता है।
- मानव विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार तथा उनके लिए बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने को कहा जाता है। इसके अन्तर्गत मनुष्य जीवन के सभी आयाम या पक्ष जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी आ जाते हैं। इस प्रकार मानव विकास में आय कई घटकों में से एक घटक है। मानव विकास सूचकांक (एच डी आई) के तीन घटक होते हैं, दीर्घ व स्वस्थ जीवन, ज्ञान, रहन-सहन का उत्तम स्तर।
- 2007-08 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 177 देशों में से 128 के पायदान पर था। भारत को मध्यम स्तर के देशों के समूह में सबसे निम्न स्थान पर रखा गया था।
- भारत में जनसंख्या का ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे समाज के अभावग्रस्त वर्ग में रखा जा सकता है। हम इन वर्गों को अभावग्रस्त समूह में इसलिए रखते हैं कि उनके साथ आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से भेदभाव होता है तथा वे स्वतन्त्र रूप से विकास की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बन सकते। ऐसे कुछ समूह हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाएँ आदि।
- अभावग्रस्त समूहों के विकास सम्बन्धी अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने तीन तरफ़ा रणनीति अपनाई; (i) सामाजिक सशक्तीकरण, (ii) आर्थिक सशक्तीकरण तथा (iii) सामाजिक न्याय के माध्यम से दमन व शोषण का उन्मूलन तथा विषमताओं को दूर करना और इन वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना।
- दो प्रमुख कार्यक्रम जो देश में दो सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं, उदाहरणार्थ शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दो कार्यक्रम हैं सर्वशिक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य योजनाएँ।

पाठान्त प्रश्न

1. सामाजिक आर्थिक विकास की अवधारणा विकास के सभी आयामों को समाहित क्यों नहीं करती? दो कारण बताइए।

2. भारत में क्षेत्रीय असन्तुलन और सामाजिक आर्थिक विषमताएँ क्यों हैं? इसके लिए उत्तरदायी छः कारकों का विश्लेषण कीजिए।
3. समाज के अभावग्रस्त वर्गों के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए छः कदमों की व्याख्या कीजिए।
4. विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर कम करने तथा शिक्षा में उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए।
5. साक्षरता अभियान क्या है? इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनाए जाने वाली विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

25.1

1. सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) आर्थिक कल्याण व स्तर को मापने का एक विशेष तरीका है लेकिन इसके अन्तर्गत आराम का समय, पर्यावरण की गुणवत्ता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता जैसे पक्षों को शामिल नहीं किया जाता, इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति आय सभी लोगों में आय का समान वितरण का सूचक नहीं है।
2. यह मानव जीवन के सभी पक्षों को समाहित करता है। यह लोगों को विकास सम्बन्धी चर्चाओं और चिन्ताओं के केन्द्र में रखता है और इस बात पर जोर देता है कि विकास का उद्देश्य मनुष्यों के लिए विकल्पों का विस्तार करना है और न केवल आय वृद्धि।
3. विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से कोई समझौता न करे उसे संधारणीय विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है।
4. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि;
 - (i) भारतीय अर्थव्यवस्था बाजार विनिमय दर के आधार पर दुनिया की 12वीं तथा सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के आधार पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
 - (ii) 2007-08 में मानव विकास सूचकांक में 177 देशों में से भारत का स्थान 128वाँ है।
 - (iii) 27.5 प्रतिशत भारतीय अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।
 - (iv) भारत की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या क्रय शक्ति समता (पी पी पी) के आधार पर आज भी 2 डॉलर प्रतिदिन तक की आय पर रहता है।

25.2

1. कुछ भेद प्रकृति द्वारा पैदा किए गए हैं। प्रकृतिजनित भेद व अन्तरों को विविधता कहा जाता है। लेकिन कुछ मनुष्यकृत होते हैं, मनुष्यकृत भेद और अन्तर को विविधता कहा जाता है।

2. स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व जिन क्षेत्रों का वाणिज्यिक महत्व नहीं था उनके विकास को नजरंदाज किया गया, यह स्थिति स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जारी रही।

3. (घ)

4. (ग)

25.3

1. सामाजिक रूप से अभावग्रस्त प्रमुख समूह हैं; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व महिलाएँ।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदम। इसके कारण हैं-

(i) विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जैसे मध्याह्न भोजन, पुस्तक आपूर्ति आदि।

(ii) अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष स्कूल जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना, छात्रवृत्ति आदि में इन वर्गों को विशेष सुविधा व व्यवहार।

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एन एस एफ डी सी, एन एस के एफ डी सी, एन एस टी एफ डी सी, एस सी डी, एस टी डी सी आदि संस्थाओं की स्थापना की गई है।

(iv) ट्राइफेड अनुसूचित जनजातियों को अपने वन्य उत्पादों को बेचने के लिए बाजार प्रदान करता है।

3. हमारे समाज में महिला सशक्तीकरण की दिशा में अब तक किए गए असफल रहे हैं क्योंकि

(i) शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादन संसाधनों तक महिलाओं विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाओं की पहुँच अपर्याप्त है।

(ii) वे वंचित, गरीब व सामाजिक रूप से वहिष्कृत हैं।

4. सर्वेक्षण विद्यार्थी स्वयं करे।

मूल्यांकन संकेत शब्द

अधिगम उद्देश्य	मूल्यांकन साधन/ उपकरण	अंक प्राप्ति कुंजी

स्तर-1 (0 से 33 प्रतिशत अंक)

(अप्रयाप्त उत्तर और प्रतिक्रियाएँ शिक्षार्थी तीन में से केवल एक का उत्तर दे पाता है।

स्तर-2 (34-55) (सुधार की आवश्यकता शिक्षार्थी तीन में से दो विषयों को उत्तर दे पाता है।

सामाजिक आर्थिक
विकास के लैंगिक
पहलू का विश्लेषण
करना।

छोटा
सर्वेक्षण
करना।

स्तर-3 (56 से 75 प्रतिशत अंक कमोवेश सन्तुष्टि जनन)

शिक्षार्थी तीनों विषयों का उत्तर देने योग्य हैं।

स्तर-4 (अंक 76-100 बहुत अच्छा)
शिक्षार्थी सभी तीनों विषयों का उत्तर लैंगिक निहितार्थ सभी आयामों सहित देने में सक्षम है।

25.4

1. (i) स्कूली आयु के बच्चे जो स्कूल में उपस्थिति दर्ज न करा रहे हो या स्कूल से बाहर हो।

(ii) प्रौढ़ निरक्षर।

2. (i) मृत्युदर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय 27.4 प्रति हजार से गिरकर 2001 में 8.5 प्रति हजार हो गई।

(ii) बाल मृत्युदर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय 134 प्रति हजार से गिरकर 2001 में 71 बच्चे प्रति हजार हो गई।

(iii) जीवन प्रत्यासा 1947 में 32 वर्ष से बढ़कर 2001 में 65 वर्ष हो गई।

(iv) कुष्ठ निवारण, पोलियो, नवजात शिशु टेटनस, आयोडीन की कमी सम्बन्धी रोग आदि और उन्मूलन में लगातार प्रगति हुई है। (कोई दो)

3. भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अब साक्षरता के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता अभियान अब दोनों ही एक साक्षरता योजना के अन्तर्गत चलाए जाएँगे। इससे निरक्षरता की विशालकाय समस्या का सम्पूर्ण रूप से निदान हो जाएगा।

4. हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण अत्यधिक असमान है, ज्यादातर स्वास्थ्य सुविधाएँ बड़े शहरों और नगरों में संकेन्द्रित हैं। इस प्रकार की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई।

26. पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबन्धन

यदि आप एक गाँव में रहते हैं, तो आपने भूमि का उपयोग फसले पौदा करने के लिए या आवासों का निर्माण करने के लिए पेड़ों को उगाने के लिए करते हुए देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि छोटे जल निकाय जो कुछ समय पहले अस्तित्व में थे अब नहीं देखे जाते हैं। यदि आप एक शहर के निवासी हैं तो आपने बहुमंजिली इमारतों और सड़कों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटते हुए देखा होगा। हम सभी असंख्य वाहनों द्वारा उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड और कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसों द्वारा प्रदूषित वायु का प्रभाव अनुभव करते हैं। समाचार-पत्र पढ़कर या रेडियो पर वार्तालाप सुनकर या दूरदर्शन पर देखकर हमें पता चलता है कि नदियों और यहाँ तक कि भूमिगत जल को भी किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। हमें यह भी पता चलता है कि जल स्तर बहुत तेजी से घट रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों को, लोगों की तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए, काटा जा रहा है। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि इन सभी का हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण क्षरण बहुत सी मानव निर्मित आपदाओं और प्राकृतिक संकटों को उत्पन्न किया है। आप इन में से कुछ जैसे भोपाल गैस त्रासदी, सुनामी, भूस्खलन और लंदन धूम-कोहरा (स्माग) आदि और उनके प्रबन्धन के बारे में जानते होंगे। इस पाठ में हम प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक संकटों से पर्यावरण का सम्बन्ध और उनके प्रबन्धन के विषय में पढ़ेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप,

- पर्यावरण और पर्यावरणीय क्षरण को परिभाषित कर सकेंगे;
- पर्यावरण के विभिन्न भौतिक और जैविक घटकों की पहचान कर सकेंगे;
- पर्यावरण क्षरण के लिए उत्तरदायी कारणों और पर्यावरण में हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी मनुष्य के विविध कार्यकलापों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- पर्यावरण क्षरण के परिणाम का अनुमान लगा सकेंगे;

- पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को उजागर कर सकेंगे;
- पर्यावरण क्षरण और प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के बीच सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे;
- आपदा और सांस्कृतिक संकटों के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे;
- पर्यावरण की सुरक्षा और उसे बनाए रखने में व्यक्तियों और समाज की भूमिका का परीक्षण कर सकेंगे;
- आपदा प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं का सुझाव दे सकेंगे और
- स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के प्रबन्धन के लिए विभिन्न तरीकों को बता सकेंगे ।

26.1 पर्यावरण का अर्थ

पर्यावरणीय क्षरण की चर्चा आइए हम पर्यावरण शब्द का अर्थ समझकर करते हैं। ‘पर्यावरण’ शब्द का क्या अर्थ है? सामान्यतः वातावरण का अर्थ है वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं। आपने सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, साहित्यिक पर्यावरण और स्कूल पर्यावरण जैसे शब्दों को पढ़ा या सुना होगा। परन्तु उस पर्यावरण, जिसकी हम चर्चा करेंगे, का अर्थ भिन्न है।

ऊपर दिए गए उदाहरणों के आधार पर, क्या आप किन्हीं चार तरीकों की सूची बना सकते हो जिसमें वातावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान सन्दर्भ में, पर्यावरण का अर्थ अपने अन्तर्सम्बन्धों के साथ उन सभी घटकों, प्रक्रियाओं और स्थितियों से है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसको जीवन के चारों ओर सभी दशाओं और परिस्थितियों तथा जीवित और अजीवित वस्तुओं के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सभी इस जीव के जीवन को प्रभावित करते हैं।

आइए एक ठोस उदाहरण के माध्यम से इस अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। आप चित्र 26.1 में पेड़, फूल, पौधे, घास, तितली और दो बच्चों के साथ पति-पत्नी को एक पार्क में देख रहे हैं। दम्पति के बच्चों के लिए, पार्क में पेड़, पौधे, फूल, खेल उपकरण हवा, और पानी आदि पर्यावरण के अन्दर सम्मिलित हैं। तालाब में मछली तैर रही है लेकिन मछलियों के लिए पर्यावरण वही नहीं है। मछलियों के लिए तालाब का घेराव ही पर्यावरण है। इसलिए किसी भी जीवित प्राणी जैसे मनुष्य, पौधा अथवा एक जानवर के लिए पर्यावरण का अर्थ वे सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएँ सम्मिलित हैं जो उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। जैसे कि हमें पता है किसी भी जीव के पर्यावरण के दो घटक हैं-जीवित और निर्जीव।

तालाब में जीवित और निर्जीव वस्तुएँ पर्यावरण बनाती हैं। जीवित घटक की जैविक के रूप में जाना जाता है जिसमें मनुष्य, पौधे, पशु, अन्य जीव उनके भोजन और उनकी बातचीत आदि

शामिल हैं दूसरे घटक निर्जीव को अजैविक के रूप में जाना जाता है जिसमें धूप, मिट्टी, हवा, पानी, भूमि, जलवायु आदि शामिल हैं।



चित्र 26.1 : एक पार्क में खेलते बच्चे एवं दम्पति

चित्र 26.1 एक पार्क में खेलने बच्चे एवं दम्पति

पर्यावरण को अच्छी समझ के लिए, अपने आस-पास का वस्तुओं का इस वर्गीकरण के आधार पर दो सूची बनाइए। जैविक घटक की सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कीजिए जो जीवित हैं तथा अजैविक घटकों की दूसरी सूची में उन सभी वस्तुओं का शामिल कीजिए जो जीवन रहित हैं।

जब हम जानकारी के विभिन्न स्त्रोतों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि पर्यावरण को कई तरह से विभिन्न कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हम यह पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण को सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, साहित्यिक पर्यावरण और स्कूल के पर्यावरण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यह वर्गीकरण विशिष्ट सन्दर्भ में जैसे सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और स्कूल पर आधारित हैं। लेकिन वह पर्यावरण जिसे हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं वह उत्पत्ति या विकास की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत है। पर्यावरण को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है-प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण।

प्राकृतिक पर्यावरण इसमें वे सभी जीवित और अजैविक वस्तुएँ सम्मिलित हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इसमें रहने की जगह का प्रकृति शामिल है यह रहने की जगह भूमि या समुद्र हो सकती है अथवा यह मिट्टी या पानी हो सकता है। इसमें रासायनिक घटक और रहने की जगह के भौतिक गुणों, जलवायु और जीवों की किस्म भी शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण में दोनों जैविक और अजैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि ये सभी प्राकृतिक

रूप से विकसित हुए हैं। इन घटकों का विकास किसी भी मानवीय हस्तक्षेप या समर्थन के बगैर प्राकृतिक रूप से हुआ है। यह सच है कि मनुष्य एक ऐसे पर्यावरण में रहता है जहाँ दोनों जैविक और अजैविक कारक उन्हें प्रभावित करते हैं। हम खुद इसके अनुकूल बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण के सृजन और विकास में कोई भूमिका नहीं है।

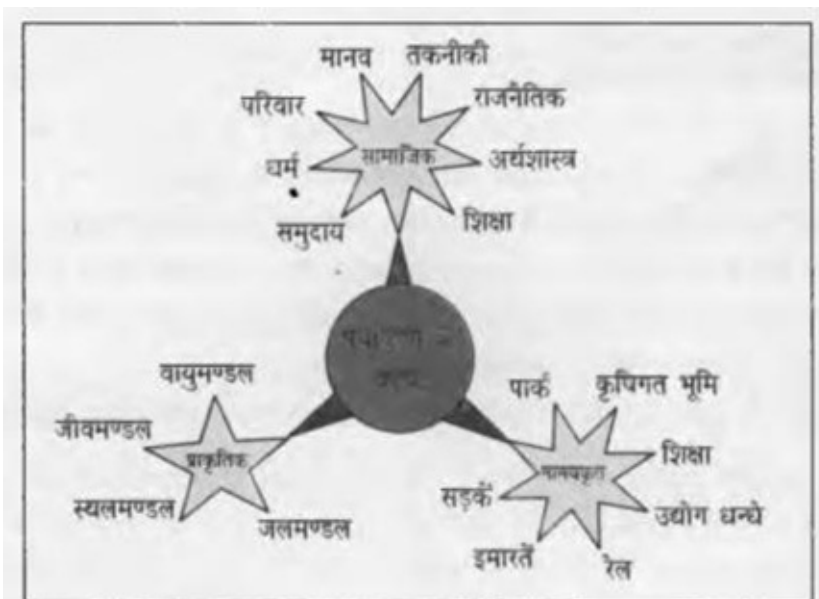
मानव-निर्मित पर्यावरण- दूसरी ओर मानव-निर्मित पर्यावरण में वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए किया है। मनुष्य उन सभी आस-पास की चीजों का निर्माण करता है जो मानवीय अनुक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। यह वस्तुएँ बड़े स्तर पर नगरपालिका की सीमाओं से लेकर व्यक्तिगत मकान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मकान, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, रेलवे लाइन, पुल और पार्क आदि सभी मानव-निर्मित पर्यावरण के घटक हैं।



चित्र 26.2 : पर्यावरण का वर्गीकरण

चित्र 26.2 पर्यावरण का वर्गीकरण

मनुष्य के रहन-सहन में ये पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। सामाजिक वातावरण में सांस्कृतिक मानदण्ड और मूल्यों, मानव संस्कृति और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं जिनके साथ वह पारस्परिक सम्बन्ध रखता है, सभी सम्मिलित हैं।



चित्र 26.3 : पर्यावरण के घटक

चित्र 26.3 : पर्यावरण के घटक

अब तक के अध्ययन के बाद हम समझ गए हैं कि सामान्य रूप से किसी भी स्थान पर पर्यावरण

प्राकृतिक घटक और मानव-निर्मित घटक के संयोजन या उनका कुल योग है। उदाहरण के लिए, एक कस्बे या शहर में लोग और जीव-जन्तु रहते हैं। भूमि, हवा, पानी और पेड़ इमारतें जैसे प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं, जबकि इमारतें, सड़कें तथा अन्य स्कूल अस्पताल, पानी और बिजली की आपूर्ति करने के लिए अन्य प्रतिष्ठान मानव-निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण की मदद से ही मानव-निर्मित पर्यावरण को विकसित करता है।

जैसा कि आप देखते हैं और पता है कि पर्यावरण कभी स्थिर नहीं रहता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी गतिशीलता है। यह लगातार बदल रहा है। पर्यावरण के दोनों घटक जैविक और अजैविक स्वभाव से गतिशील हैं। आइए यह जानते हैं कि गतिशीलता क्या है और यह कैसे कार्य करती है? पर्यावरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा ऐतिहासिक रूप से एक समय से दूसरे समय में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए हिमालय का पर्यावरण वृहत भारतीय मरुस्थल से भिन्न है और वहाँ भी वर्षों और दशकों से एक जैसा नहीं रहा है। विभिन्न मौसमों और विभिन्न स्थानों पर जलवायविक दशाएँ बदल जाती हैं। यदि आप एक ही जगह के पर्यावरण के विकास की 20 या 30 साल की अवधि में देखते हैं, तो आप पाएँगे कि उस जगह का पर्यावरण बदल गया है। कुछ परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होते हैं जबकि दूसरे परिवर्तन मनुष्य की गतिविधियों के कारण होते हैं।

यहाँ तक कि मानव-निर्मित पर्यावरण भी समय और स्थान के साथ बदल रहा है। मानव आवास में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। गगनचुम्बी इमारतें जिन्हें आज आप कई शहरों में देखते हैं 20 साल पहले मौजूद नहीं थी। बहुत से गाँव, कस्बों, शहरों और महानगरों में बदल गए। परिवहन और संचार के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। ये सभी परिवर्तन और विकास पर्यावरण की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं। जिस शहर या गाँव में आप रहते हैं वहाँ के मानव निर्मित पर्यावरण का अवलोकन करो, सोचो और समझो कि वहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। वहाँ जो परिवर्तन हुए हैं क्या वे उल्लेखनीय नहीं हैं?

पर्यावरण प्रकृति में गतिशील है और बदलता रहता है।

पाठ्यगत प्रश्न 26.1

1. निम्नलिखित को जैविक और अजैविक समूह में रखिए :

पौधे, जल, मृदा, पशु, आग, रोगाणुओं, स्थलाकृति, जीवाणु

जैविक अजैविक

2. उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए :

(क) पर्यावरण को —- और —- में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

(ख) पर्यावरण का वर्गीकरण इसके —- के आधार पर भी किया जा सकता है ।

(ग) सड़कें इमारत और स्कूल —- पर्यावरण के हिस्से हैं ।

(घ) पर्यावरण गतिशील है क्योंकि —-

अपने आस-पास की चीजों की एक सूची बनाओ और उन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए। पहली श्रेणी में उन चीजों का उल्लेख करें जो आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं, और दूसरी श्रेणी में उन चीजों को रखें जिनके बिना आप रह सकते हैं।

हम हमेशा कहते हैं कि पर्यावरण हमारा कल्याण और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया है? पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वास्तव में यह मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि, विकास और उनके जीवन को प्रभावित करता है। हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताएँ पर्यावरण से पूरी होती हैं। यह जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति करता है और असंख्य जीवों का भरण-पोषण करता है। हम भोजन, आवास, जल, हवा, मिट्टी, ऊर्जा, दवाओं, फाइबर, कच्चे पदार्थ आदि के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। पर्यावरण वायुमण्डलीय संरचना को बनाए रखता है और सौर विकिरण के हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों की रक्षा करता है। लेकिन इन सभी लाभों के होते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है और इसका लगातार क्षरण हो रहा है। पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग विवेकहीन तरीके से हो रहा है। हम पर्यावरण के प्रदूषण में बड़े खतरनाक तरीके से योगदान दे रहे हैं।

क्या आप जानते हैं

पर्यावरण का क्षरण दस में से एक आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय खतरा पैनल द्वारा आगाह खतरों में से एक है। विश्व संसाधन संस्थान (डबल्यू आर आई) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) और विश्व बैंक ने स्वास्थ्य और दुनिया भर में पर्यावरण पर 1 मई, 1998 को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक की।

पर्यावरणीय क्षरण क्या है? आइए इसे हम समझते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो हमारे पर्यावरण अर्थात् वायु, जल और भूमि का उत्तरोत्तर प्रदूषण और अतिदोहन द्वारा नष्ट होना है। जब पर्यावरण की उपयोगिता घट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब उसे पर्यावरणीय क्षरण कहा जाता है। विशिष्ट शब्दों में पर्यावरणीय क्षरण वायु, जल, मृदा और वन जैसे संसाधनों के गुणवत्ता में कमी के द्वारा तथा पारिस्थितिक तन्त्र के नष्ट होने और वन्य जीवों के विलुप्त होने से पर्यावरण की अवनति होता है। आइए अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को याद करते हैं। हम भविष्य की चिन्ता किए बगैर पानी, मिट्टी, पेड़, कोयला, पेट्रोल जैसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। हम लापरवाही से पारिस्थितिकी तन्त्र के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं और जानबूझकर वन्य जीवों को मार रहे हैं। वास्तव में पर्यावरणीय क्षरण के कई रूप हैं। जब भी प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, जैव विविधता समाप्त हो जाती है अथवा प्राकृतिक संसाधन घट जाते हैं और पर्यावरण का नाश होता है।

26.6 पर्यावरणीय क्षरण के कारण

अब तक की चर्चा के आधार पर हम अब जानते हैं कि स्वस्थ वातावरण मानव समाज और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। लेकिन पर्यावरण का क्षरण बेरोकटोक होता जा रहा है। हमें समय-समय पर पर्यावरण की अवनति या गिरावट और उसके दुष्परिणामों जैसे वैश्विक तापन, जलवायविक परिवर्तन, आसन्न जल संकट, कृषि भूमि की घटती उर्वरता और बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधान किया जा रहा है। सभी सम्भव प्रयास करके पर्यावरणीय क्षरण को रोकने की तुरन्त आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार करने से पहले यह आवश्यक है कि हम पर्यावरणीय क्षरण के कारण समझें। इसके महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं

सामाजिक कारक

बढ़ती जनसंख्या : बढ़ती जनसंख्या किसी देश का सबसे बड़ा संसाधन है और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देनेवाला है लेकिन इसके बावजूद यह पर्यावरणीय क्षरण का सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। विशाल जनसंख्या विशाल कचरे का उत्पादन करती है। इसके परिणाम स्वरूप ध्वनि, वायु, जल और मिट्टी का प्रदूषण और कृषि योग्य भूमि पर विविध प्रकार दबाव बढ़ रहा है। ये सभी पर्यावरण पर बहुत अधिक दबाव डाल रहे हैं। यदि आप भारत का उदाहरण ले, तो यह विश्व के कुल भूमि क्षेत्र के 2.4 प्रतिशत भाग पर विश्व की कुल जनसंख्या के 17 प्रतिशत भाग का भरण-पोषण कर रहा है।



चित्र : सामाजिक कारक

गरीबी : गरीबी पर्यावरण क्षरण का कारण भी है और परिणाम भी। आपने देखा होगा कि गरीब लोग अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं। वे अपनी झोंपड़ियों के निर्माण, खाना पकाने के लिए, अपने भोजन के लिए और कई अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इस तरह से ये लोग अमीर लोगों का अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, संसाधनों का अधिक उपयोग पर्यावरण का अधिक क्षरण करता है। पर्यावरण में जितनी गिरावट आ रही है। गरीब उतना ही अधिक होता जा रहा है।



चित्र : गरीबी पर्यावरण क्षरण का कारण

नगरीकरण : आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग आजीविका की तलाश में गाँव से कस्बों, शहरों और महानगरों की ओर आ रहे हैं। इससे शहरों का तेजी से ओर जा रहे हैं। इससे शहरों का तेजी से अनियोजित विस्तार हुआ है। और मूलभूत सुविधाओं पर अत्यन्त दबाव पड़ा है। यदि आप शहर में रहते हैं, तो आपने पानी आवास और बिजली की आपूर्ति और सीवेज पर इन दबावों का अनुभव किया होगा। आपको बढ़ती हुई मलिन बस्तियों के बारे में पता होगा। शहरी मलिन बस्तियाँ प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं और निम्नतम स्तर की अस्वच्छ दशाओं से घिरी हुई हैं। शहरीकरण की तेज गति, जंगलों के घटने और अन्य संसाधनों के विवेकहीन इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार है।



चित्र : नगरीकरण

जीवन शैली में परिवर्तन : लोगों की जीवन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन न केवल शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों में दिखाई देता है बल्कि गाँवों में रहने वाले लोगों में भी दिखाई देता है। लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन ने संसाधनों के उपभोग का स्तर बहुत बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप मानवीय अनुकूरणाएँ बढ़ गई हैं जिससे पर्यावरण को कई तरह से बहुत नुकसान हो रहा है। उसने हवा, पानी, ध्वनि, वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण को बढ़ाया है।

रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की तरह के आधुनिक उपकरणों के तेजी से बढ़ते उपयोग का नतीजा वातावरण में हानिकारक गैसों का मिलना है। इससे वैश्विक तापन हो रहा है ज बहुत खतरनाक है। वास्तव में, आधुनिक उपकरणों के तेजी से बढ़ते उपयोग खतरनाक है। आधुनिक उपकरणों के अधिक उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों का रिसाव होता है जो वायुमण्डल में मिलकर वैश्विक तापन का कारण बनता है।



चित्र : जीवन शैली में परिवर्तन

क्या आप जानते हैं

क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) : यह एक निष्क्रिय बेजान गैस है। लेकिन जब यह अन्य गैसों के साथ सम्पर्क में आती है, यह हानिकारक हो जाती है। य ओजोन परत में ह्यस के लिए जिम्मेदार है।

आर्थिक कारण

कृषि विकास हमारे जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह पर्यावरण पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। बहुत-सी कृषि पद्धतियाँ विशेषकर कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली पर्यावरण को सीधे प्रभावित कर रही हैं। इन गतिविधियों से मृदा अपरदन, भूमि कालवर्णीकरण, क्षारीयता और पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जैसा कि हम भारत में अनुभव कर रहे हैं, हरित क्रान्ति से भूमि और जल संसाधनों का दोहन बहुत अधिक बढ़ा है। उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक इस्तेमाल जल निकायों के प्रदूषण और भूमि क्षरण का कारण बन रहा है।



चित्र : आर्थिक कारण

औद्योगीकरण : पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण तीव्र औद्योगीकरण भी है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर, हम पाते हैं कि अधिकतर उद्योगों ने ऐसी प्रौद्योगिकी

अपनाई हुई है जिससे पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ता है। इन प्रौद्योगिकी से संसाधनों और ऊर्जा का ज्यादा उपयोग होता है। औद्योगीकरण की वर्तमान गति से प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज और लकड़ी घट रही हैं और जल, वायु और भूमि प्रदूषित हो रही हैं। ये सभी पारिस्थितिक तन्त्र को गम्भीर नुकसान पहुँचा रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।



चित्र : औद्योगीकरण

आर्थिक विकास : यह एक तथ्य है कि आर्थिक विकास का प्रतिरूप भी पर्यावरणीय समस्याओं को पैदा कर रहा है। आर्थिक विकास की गति संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। आज की अर्थव्यवस्था उपभोगवादी बन गई है जिसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और ऐसी शैली को जन्म देती है जिससे अधिक अपव्यय होता है। संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और उनका अपव्यय पर्यावरण की अवनति के लिए उत्तरदायी है।



चित्र : आर्थिक विकास

पर्यावरण क्षरण के कुछ महत्वपूर्ण कारणों की ऊपर चर्चा की गई है। लेकिन कुछ और कारण भी हैं जैसे वनों की कटाई, खनन गतिविधियाँ, मोटर वाहन और औद्योगिक अवशिष्ट, बहुत ज्यादा

कचरा पैदा करना, खतरनाक रेडियो सक्रिय कचरा, तेलरिसाव तथा बड़े बाँधों एवं जलाशयों का निर्माण ।

आप विभिन्न स्रोतों जैसे पुस्तकें और पत्रिकाओं से इनके विषय में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और पर्यावरण को इससे होने वाले नुकसान पर संक्षिप्त में टिप्पणी तैयार कर सकते हैं ।

पर्यावरणीय क्षरण एक बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है। यह मुख्य रूप से प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक और लापरवाही पूर्वक दोहन और उनके अवैज्ञानिक प्रबन्धन के कारण उत्पन्न हो रहा है। वास्तव में, यह दुनिया के सभी देशों के लिए एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरा है। जैसा ऊपर कहा गया है; हवा, पानी और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, औद्योगिक अपशिष्ट, शहरी कचरे, रेडियो कचरे, उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल करने के कारण आधुनिक सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। यदि आप निम्न बॉक्स में दिए गए तथ्यों को पढ़ें तो आपको पर्यावरणीय क्षरण की गम्भीरता का एहसास हो सकता है।

सोचो और विचारो

- भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत भाग अवक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से ग्रसित है इसके प्रमुख कारण वनों की कटाई, अत्यधिक कृषि का कुप्रबन्धन, स्थानान्तरी कृषि, मृदा, अपरदन, मृदालवणीकरण, भराव, क्षारीयता और अम्लीय वर्षा है।
- मृदा अपरदन के कारण हम मृदा की ऊपरी परत का लगभग 5.3 अरब टन भाग प्रति वर्ष खो देते हैं। एक आकलन के अनुसार औसत मृदा-अपरदन प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 15 टन से कुछ अधिक है। यह प्रतिवर्ष एक मिलीमीटर या प्रति दशक 1 सेंमी. के बराबर होती है। इस एक सेंमी. मृदा का निर्माण करने में प्रकृति को लगभग 1000 वर्ष लगते हैं।
- वैश्विक तापन के कारण अनाज का उत्पादन काफी घट जाएगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक मानव स्वास्थ्य पर वैश्विक तापन के तीव्र प्रभाव से अधिक चिन्तित हो रहे हैं। तापन जलवायु गम्भीर संक्रामक रोगों के लिए जिम्मेदार है।
- बढ़ते तापन से कुछ फसलों का वर्धनकाल लम्बा हो रहा है।
- हिमालय के हिमनद पिघल रहे हैं। परिणामस्वरूप हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सूख जाएँगी।
- पछुआ पवनों के 2009 में बाधित होने के कारण शीत ऋतु में उस वर्ष कम वर्षा हुई।

पर्यावरणीय क्षरण के प्रमुख कारणों में से ठोस कचरे का उत्पादन प्रमुख है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लोग प्रतिवर्ष 10 अरब टन ठोस कचरा फेंक देते हैं। अगर हम सभी कचरे को समुद्र तल पर एक शंकु के आकार में इकट्ठा करें तो एक किलोमीटर के क्षेत्र में एक पिरामिड बन जाएगा जिसका शीर्ष माउण्ट एवरेस्ट से भी ऊँचा होगा। इस तरह से हम प्रतिवर्ष कूड़े-कचरे

का एक माउण्ट एवरेस्ट बना रहे हैं। हम वस्तुओं के पुनर्चक्रण, दोबारा प्रयोग और उपयोग को घटाकर न केवल धनोपार्जन कर सकते हैं बल्कि अपने पर्यावरण को क्षरण से भी बचा सकते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में इसका विवरण दिया गया है।

पुनर्चक्रण	पुनः उपयोग	उपभोग घटना			
किसका पुनर्चक्रण करें	इसका प्रभाव	किसका पुनः उपयोग करें	कैसे करें	किसका उपभोग घटाएँ	कैसे घटाएँ
जैविक कचरा जैसे केले के छिलके, अण्डे का छिलका तथा सब्जियाँ	जैसे मृदा की उर्वरता बढ़ेगी।	पेन्सिल बाहरी टिन डिब्बा	बॉक्स उपयोग किया जा सकता है	खरीददारी करने के लिए कपड़े के थैले का उपयोग करें और प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग बन्द कर दें।	
कागज	पेड़ों को काटने बचाया जा सकता है	जिन कागजों का प्रयोग नहीं हुआ उनसे डायरी बिजली बनाई जा सकती है।		जब आप कमरे से बाहर निकलें तो पंखा, बिजली बन्द कर दें।	
एल्युमिनियम	इससे बाक्सइट अयस्क की आवश्यकता होगी।	इससे गलीचा बनाकर प्रयोग किया जा सकता है।	जल	जब पानी की आवश्यकता हो तो टॉटी बन्द कर दीजिए और उतने ही जल का भण्डारण करें जितने की आवश्यकता हो।	



चित्र 26.4 : पर्यावरण को बचाने

पुनर्चक्रण पुनः उपयोग उपभोग घटना

जैविक कचरा जैसे
केले का छिलका और बाल्टी/ डिब्बे/ टिन प्लास्टिक
बची-खुची सब्जियाँ

मृदा की उर्वरता पेन्सिल बॉक्स खरीददारी के लिए कपड़े
बढ़ाएंगी केथैले का प्रयोग करें।

कागज कागज बिजली

पेड़ों का संरक्षण बचे हुए उन कागजों से जब आप कमरे से बाहर
रफ पैड बनाएँ जिनका जाएँ तो पंखा और बिजली
प्रयोग नहीं हुआ है। के उपकरण बन्द कर दें।

आप क्या कर सकते हैं?

- आप परिहितेष्टीय एवं जैन निम्नीकरणीय वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं एवं इनके प्रयोग को बढ़ावा दे सकते हैं ।
- आप पुनर्चक्रण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपने घर के कचरे को अलग-अलग कर सकते हैं ।
- आप प्लास्टिक पैकिंग के उत्पादन को मना कर सकते हैं और कागज और कपड़े की तरह अधिक परम्परागत पैकिंग सामग्री पर निर्भर कर सकते हैं ।
- आप परि हितेष्टीय रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग की माँग कर सकते हैं जिनमें सीएफसी का उपयोग नहीं होता ।

पर्यावरण क्षरण के और भी अधिक गम्भीर परिणाम हैं। यह एक चिन्ता का विषय है। अक्सर यह विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह एक सशक्त विचार है जो मानव समाज द्वारा अपनाया गया विकास का मॉडल पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण है। सतत विकास की अवधारणा एक विकल्प के रूप में सामने आई है जो पर्यावरणीय क्षरण को रोक सकेगी। हालाँकि सतत विकास का प्रयोग विभिन्न अर्थों के साथ विभिन्न सन्दर्भों में किया गया है। लेकिन पर्यावरण और विकास के सन्दर्भ में इसका एक विशेष अर्थ है।

यह एक ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों के विवेकहीन उपयोग को समाप्त किया जाए जिससे पर्यावरणीय रिक्तीकरण होता है। सततता का अर्थ है कि विकास की आवश्यकताओं का ऐसा प्रबन्धन हो जिससे जिस प्राकृतिक वातावरण पर हम निर्भर हैं उसे नष्ट किए बिना यह सुनिश्चित करें कि अर्थव्यवस्था और समाज दोनों बने रहे। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरह से उपयोग करके सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यावरणीय क्षरण के और भी अधिक गम्भीर परिणाम हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में आपदा के कारण बढ़ता विध्वंस पर्यावरणीय क्षरण और संसाधन के कुप्रबन्धन की वजह से उत्पन्न परिणाम है। आपदाएँ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हैं, लेकिन उन्हें नियन्त्रित किया जा सकता है।

हम आपदा शब्द का अर्थ समझकर आपदा प्रबन्धन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपदा एक त्रासदी है जो नकारात्मक रूप से समाज और पर्यावरण को प्रभावित करता है। आपदाओं का अनुपयुक्त प्रबन्धन जोखिम के परिणाम के रूप में देखा जाता है। अपनी उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है-प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा तब होता है जब प्राकृतिक जोखिम (जैसे ज्वालामुखी विस्फोट या भूकम्प या बाढ़) मानव जीवन को प्रभावित करता है। मानवीय क्रियाओं जैसे, लापरवाही, त्रुटि या एक प्रणाली की विफलता

के द्वारा उत्पन्न आपदा को मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, हमारे देश के भिन्न भागों में होने वाले भूस्खलन के कारण आई बाढ़ ऐसा आपदाओं के उदाहरण हैं। वैश्विक तापन एक महान् आपदा होने जा रहा है, और यह भी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव हस्तक्षेप का परिणाम है।

हालाँकि एक आपदा के परिणाम बहुत सारे हैं, परन्तु इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उपयुक्त रणनीति अपनाकर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के

प्रतिकूल प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबन्धन कहा जाता है। आपदा प्रबन्धन प्रणाली के चार चरण हैं- कम करना, तैयारी, अनुक्रिया तथा पुनरुत्थान।

कम करना

‘मिटीगेशन’ आपको एक तकनीक या कठिन शब्द लग सकता है। इसका अर्थ उस प्रयत्न से है जो खतरों को आपदा बनने से रोकते हैं। तथा जब आपदा आ जाती है तो उसके प्रभाव को कम करने से है। यह चरण अन्य चरणों से अलग है क्योंकि यह जोखिम को कम करने या नष्ट करने के लिए लम्बी अवधि के उपायों पर केन्द्रित है। इस चरण से पहले भी, जोखिम की पहचान का एक चरण हो सकता है। इससे पहले कि आप योजना और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करें, जोखिम की पहचान करना बेहतर है। उदाहरण के लिए, बरसात के मौसम को दौरान, वहाँ एक नदी में बाढ़ की सम्भावना हो सकती है। यदि संभावित बाढ़ की वजह से होनेवाली क्षति की पहचान कर ली जाए तो नुकसान को कम करने और उसके लिए आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाई जा सकती है।

तैयारी

तैयारी चरण में आपदा प्रबन्धकों द्वारा आपदा आने पर योजनाएँ बनाई जाती हैं। इसमें शामिल है (क) आसानी से समझ में आने वाली शब्दावली और विधियों के साथ संचार की योजना, (ख) उचित रखरखाव और आपातकालीन सेवाओं का प्रशिक्षण, (ग) आपातकालीन आश्रयों और निकासी की योजना का विकास, (घ) आपदा के लिए वस्तुओं और उपकरणों की आपूर्ति बनाए रखना और (ङ) आम जनता में से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के संगठनों का विकास करना।

अनुक्रिया

जब आपदा आ जाती तो अनुक्रिया चरण के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अन्तर्गत आवश्यक आपातकालीन सेवाओं और लोगों को संगठित करना आपदा क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें आपातकालीन सेवाओं जैसे अग्निशमन, पुलिस और एम्बुलेन्स कर्मचारियों के रूप में शामिल होने की सम्भावना है। तैयारी चरण के रूप में अच्छी तरह से नियोजित कार्यनीति वचाव कार्य में सफल समन्वयन सिद्ध होती है।

पुनरुत्थान

पुनरुत्थान चरण का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र को उसकी पहली जैसी दशा में लौटाना है। यह अपने कार्य में अनुक्रिया चरण से भिन्न है। पुनरुत्थान प्रयासों के मुख्य रूप से उन कार्यों से सम्बन्धित होते हैं जिनमें नष्ट सम्पत्ति को दोबारा बनाना, पुनः रोजगार और आवश्यक बुनियादी ढाँचे की मरम्मत या पुनर्निर्माण शामिल है।

भूकम्प, सुनामी, भूस्खलन, सुखा, बाढ़ और चक्रवात छः प्रमुख आपदाएँ हैं जिससे दुनिया भर में अपार धन-जन की हानि होती है। क्या आप ऊपर वर्णित चार चरणों कम करना, तैयारी, अनुक्रिया तथा पुनरुत्थान के आधार पर इनमें से किसी एक पर आपदा प्रबन्धन की योजना बना सकते हैं?

1. उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए :

(क) जब आवास नष्ट हो जाते हैं, तो—— खो जाती है ।

(ख) आधुनिक उपकरण उत्सर्जित करते हैं और —— पैदा करते हैं ।

(ग) उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग और —— का प्रमुख स्रोत है ।

(घ) पर्यावरण क्षरण के सबसे बड़े कारणों में से एक —— का उत्पादन है ।

2. आपदा का क्या अर्थ है? आपदा का कोई एक उदाहरण दीजिए ।

3. कार्यकलाप : कचरा सवेक्षण

अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें तीन तरीकों में से निपटाने के लिए कचरे को इकट्ठा करने और आवश्यक कदम उठाए यानी उसका पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग तथा उपभोग में कमी इस सन्दर्भ में आपको अवलोकन करना है कि आपके घर, क्षेत्र कॉलोनी में अपशिष्ट का निम्नलिखित प्रारूप में साप्ताहिक सर्वेक्षण कीजिए और लिखिए कि उसमें से किसका पुनर्चक्रण हो सकता है, किसको दोबारा प्रयोग किया जा सकता है और किसके उपभोग को घटाया जा सकता है ।

दिन पुनर्चक्रण दोबारा उपयोग उपभोग को घटाना

सोमवार

मंगलवार

बुधवार

गुरुवार

शुक्रवार

शनिवार

रविवार

उपर्युक्त तालिका में सप्ताह के प्रत्येक दिन आपके घर में उत्पन्न होने वाले का नाम लिखें एक सप्ताह के बाद यह देखें कि कौन सा कचरा अधिक उत्पन्न हुआ है । पाठ में बताए गए तरीके से पुनः उपयोग अथवा उपभोग को घटाइए । यही अभ्यास दूसरे सप्ताह भी कीजिए और दोनों सप्ताहों के परिणामों की तुलना कीजिए । आपको पता चलेगा कि 'उपभोग में कमी' के अन्तर्गत कचरा काफी कम हुआ है ।

4. अपने उन कार्यकलापों की सूची बनाइए जिसे हम पर्यावरणीय क्षरण कहते हैं :

1. प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग करना और उन्हें नालियों में फेंक देना
2. बस स्टॉप पर खड़े होकर पौधों या पेड़ों की पत्तियों को तोड़ना
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

आपने क्या सीखा

- पर्यावरण शब्द का अर्थ है वे सभी तत्व, प्रक्रियाएँ और दशाएँ जो अपने अन्तर्सम्बन्धों के साथ हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। यह सभी दशाओं और प्रभावों का कुलयोग है जो किसी भी जीव विकास को प्रभावित करता है। पर्यावरण के दो घटक हैं-जैविक और अजैविक। यह वर्गीकरण निर्माण या विकास की प्रक्रिया पर आधारित है। पर्यावरण को दो मुख्य श्रेणियों, अर्थात् प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पर्यावरण स्थिर नहीं रहता, बल्कि यह जगह और समय के अनुसार बदलता रहता है। दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण प्रकृति में गतिशील हैं। आपने मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तन होते हुए देखा होगा। पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम भोजन, आवास, पानी, हवा, मिट्टी और ऊर्जा, दवाओं, कच्चे माल आदि के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। पर्यावरण के ऐसे महत्व के बावजूद, हम विकास के नाम पर इसका क्षरण कर रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, नगरीकरण, बदलती जीवन शैली, कृषि विकास, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, सामाजिक और आर्थिक कारक पर्यावरण क्षरण के प्रमुख कारण हैं। हमें कुछ सरल नियमों और मानदण्डों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए।

- बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएँ, पर्यावरण क्षरण और संसाधनों के कुप्रबन्धन की वजह से आ रही हैं। आपदाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक और मानव

निर्मित। आपदा प्रबन्धन चार चरणों की गतिविधियों की एक श्रृंखला है। यो हैं कम करना, तैयारी, अनुक्रिया तथा पुनरुत्थान। हालाँकि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता लेकिन उनका प्रभाव को हम कम कर सकते हैं।

पाठान्त प्रश्न

1. पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण की मदद से इसे स्पष्ट कीजिए।
2. विकास के आधार पर पर्यावरण को वर्गीकृत कीजिए। उन्हें अपने परिवेश से उदाहरण देकर समझाइए।
3. पर्यावरण प्रकृति में गतिशील है और बदलता रहता है। उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए।
4. पर्यावरण के महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
5. पर्यावरण क्षरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण क्षरण के कारकों की व्याख्या कीजिए।
6. पर्यावरण को क्षरण से बचाने के लिए कोई तीन उपाय सुझाइए।
7. मनुष्य के किन्हीं दस कार्यकलापों की सूची बनाइए जिनसे वह पर्यावरण का क्षरण कर रहा है।
8. उत्पत्ति के आधार पर आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए।
9. आपदा प्रबन्धन का क्या अर्थ है? हम आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

26.1

1. जैविक-पौधे, जानवर, रोगाणुओं, बैक्टीरिया
अजैविक-पानी, मिट्टी, स्थलाकृति, अग्नि
2. (क) प्राकृतिक, मानव निर्मित।
(ख) निर्माण या इसका विकास।
(ग) मानव निर्मित
(घ) वह समय और स्थान की अवधि बदलता है।
3. बच्चे अपने क्षेत्र/इलाके के पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के नाम स्वयं लिखेंगे।
उदाहरण पानी बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। वह खुद अन्य चीजों की सूची तैयार करेंगे।

26.2

1. (क) जैव विविधता
(ख) हानिकारक गैसों, वैश्विक चेतावनी
(ग) जल निकायों का प्रदूषण
भूमि क्षरण

(घ) ठोस अपशिष्ट

2. आपदा एक त्रासदी है जो ऋणात्मक रूप से समाज और पर्यावरण को प्रभावित करता है,
उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी, सुनामी, भूस्खलन, लंदन का जहरीला कोहरा, बाढ़, भूकम्प (कोई एक)

3. छात्रों को यह सर्वेक्षण स्वयं करना है।

4. उसे गतिविधियों स्वयं लिखनी है।

गतिविधि के लिए संकेत

26.1

उद्देश्य	मूल्यांकन उपकरण	गणना करने की कुंजी
पर्यावरण के विभिन्न घटकों को पहचानना	परीक्षणात्मक ज्ञानार्जन	स्तर-1 (0-33% अंक) अपर्याप्त उत्तर बच्चा पर्यावरण के उपयोग का केवल एक उत्तर दे पाएगा। स्तर-2 (34-55%) सुधार की आवश्यकता बच्चा पर्यावरण के उपयोग के केवल दो तरीके बता पाएगा। स्तर-3 (56-75%) लगभग सन्तोषजनक बच्चा पर्यावरण के उपयोग के तीन तरीके बता पाएगा स्तर-4 (76-100%) अति उत्तम बच्चा उन सभी चार तरीकों को बता सकेगा जिनमें पर्यावरण शब्द का उपयोग होता है।

क्या आपने 'शांति और सुरक्षा' के विषय में सुना है? जब शहर में या किसी राज्य के भीतर या किसी अन्य क्षेत्र में कुछ हिंसक गतिविधि होती हैं, हमें बताया जाता है कि वहाँ शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। यदि देश के भीतर कुछ उथल-पुथल होती है, तो इसको राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा कहा जाता है। यदि पुलिस बल या सेना को किसी क्षेत्र में विशेष रूप से तैनात किया जाता है यह शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है। दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है या देश में कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो यह अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा है। हमें यह भी बताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतराष्ट्रीय संगठन शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए योगदान कर रहे हैं। इन दो शब्दों शांति और सुरक्षा का अलग-अलग भी प्रयोग किया जाता है। सभी धर्म शांति की बात करते हैं। व्यक्तिगत रूप से, हम मन की शांति या परिवार या समुदाय में शांति के बारे में चिंतित रहते हैं। हम यह भी पढ़ते हैं कि जब लड़कियाँ और महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर उनके परिवारों की चिंता बढ़ जाती है। समय-समय पर अलग-अलग संदर्भों में और अलग-अलग तरीकों से इन शब्दों का प्रयोग हमें भ्रम में डालता है। इसलिए हम व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय संदर्भों में शांति और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप सक्षम हो जायेंगे :

- विभिन्न संदर्भों में शांति और सुरक्षा के अर्थ की व्याख्या करने में;
- शांति और सुरक्षा के पारंपरिक और नई समझ की सराहना करने में;
- लोकतंत्र और विकास के लिए आवश्यक शर्त के रूप में शांति और सुरक्षा को रेखांकित करने में
- शांति और सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए उपागम और विधियों की सराहना करने में ।

- उग्रवादी गुटों के विद्रोह से निपटाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की पहचान करने में और
- अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में भारत के योगदान और संयुक्त राष्ट्र में इसकी भागीदारी का आकलन करने में ।

27.1 शांति और सुरक्षा

27.1.1 अर्थ

प्रारम्भ में हम निम्नलिखित दिलचस्प कहानी की सहायता से शांति और सुरक्षा का अर्थ समझते हैं।

1. शांति

एक बार एक राजा ने कलाकारों को शांति पर सबसे अच्छा रंगीन चित्र बनाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की। कई कलाकारों ने कोशिश की। राजा ने सभी चित्रों को देखा और दो चित्र छांटे जिनमें से वह अंततः एक सबसे अच्छा चित्र चुन सके। एक चित्र में एक शांत झील को चारों तरफ के पहाड़ से एक सही दर्पण के रूप में दर्शाया गया था। ऊपर नीले आकाश में सफेद बादल को खूबसूरती से झील में दर्शाया गया था। हर किसी ने सोचा कि वह शांति का एक सही चित्र था। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, लेकिन वह बीहड़ और नंगे थे। ऊपर आसमान से एक तूफानी बारिश गिर रही थी और बिजली चमक रही थी। नीचे पहाड़ की बगल में तीव्र गति से बहते हुए एक विशाल झरने के पानी को झाग के रूप में दर्शाया गया था। लेकिन झरने के पीछे एक झाड़ी में एक पक्षी का घोंसला बना था और पक्षी शांति से अपने बच्चों को खाना खिला रहा था। आपके अनुसार कौन से चित्र को पुरस्कार मिला होगा? राजा ने दूसरे चित्र को चुना। क्या आप जानते हो क्यों? राजा ने कारण बताया। शोर, परेशानी, या गड़बड़ी की अनुपस्थिति का तात्पर्य शांति नहीं है, शांति का अर्थ है इन सब के बीच में रहकर हृदय में शांति बनाए रखना।

क्या आपको लगता है कि राजा द्वारा चुना गया चित्र सही अर्थों में शांति को दर्शाता है? दरअसल शांति का अर्थ वह मानसिक स्थिति नहीं है जहाँ उपद्रव व टकराव का निरा अभाव हो। वास्तव में, मानवीय दुनिया में गड़बड़ी या संघर्ष का पूर्ण अभाव असंभव है। हम शांति को सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं न कि उस संदर्भ में जहां मनुष्य नहीं हैं। हम, इसलिए, इसे परिभाषित कर रहे हैं : शांति एक सामाजिक और राजनैतिक स्थिति है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करती है। यह सामंजस्य की स्थिति है जिसकी विशेषता है स्वस्थ सम्बंधों का अस्तित्व। यह वह अवस्था है जिसका सम्बन्ध सामाजिक या आर्थिक कल्याण तथा समानता से है। इसका सम्बंध एक कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें सब के सच्चे हितों की पूर्ति होती है।

2. सुरक्षा

शब्द 'सुरक्षा' हमारे दैनिक जीवन की बातचीत में, समाचार पत्रों में, अधिकारिक परिचर्चा में भी प्रकट होता रहता है। सुरक्षा की बात व्यक्तिगत, संस्थागत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय से लेकर अन्तराष्ट्रीय

स्तर तक होती है। हम सब विभिन्न उपायों के द्वारा अपने घरों या उन क्षेत्रों को जहाँ हम रहते हैं सुरक्षित करते हैं। हम जानते हैं कि मंत्रियों और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रमुख सरकारी और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों या धर्मों के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के भी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रयोग उसके विभिन्न अर्थों की ओर संकेत करता है। सामान्यतः इसका अर्थ है सुरक्षित अवस्था या भयमुक्त भावना। व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र, विश्व की कुशलता भी इसका अर्थ है। हालाँकि मौलिक तौर पर सुरक्षा का अर्थ है बेहद खतरनाक संकटों से बचाव। यह मानवाधिकार जैसे बुनियादी मूल्यों के प्रति खतरों से भी सम्बंधित है।

3. शांति और सुरक्षा

दोनों शब्दों के विभिन्न अर्थ जान लेने के बाद यह तय है कि शांति और सुरक्षा अविभाज्य हैं। साथ-साथ देखने पर पता चलता है कि यह वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति, संस्थाएँ, क्षेत्र, राष्ट्र व विश्व बिना किसी खतरे के एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में क्षेत्र, राष्ट्र सामान्यतः रूप से शासित और मानवाधिकार के प्रति आदरवान होते हैं। संघर्ष न सिर्फ संकट और भय उत्पन्न करता है, अपितु आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक प्रगति को भी बाधित करता है।

निम्नलिखित दो परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें और यह पहचान करें कि दोनों में से कौन-सी स्थिति शांति और सुरक्षा की सही स्थिति है? अपने उत्तर का कारण बताइए।

1. एक सैनिक तानाशाह द्वारा शासित देश में सब कुछ व्यवस्थित है। वहाँ हर जगह शांति दिखाई देती है। सत्ताधारी समूह को सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। लोग गरीब हैं और यहाँ तक कि एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं; लेकिन वे चुपचाप सत्तारूढ़ गुट की बात मानते हैं। वहाँ न कोई विरोध है और नहीं सरकार को कोई खतरा। बाहरी खतरे के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है।

2. एक लोकतांत्रिक देश है जो सामाजिक-आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लोग सभी बुनियादी अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय का आनन्द ले रहे हैं। वे स्वतंत्र रूप से अपनी बात सरकार तक पहुँचाते हैं। कभी-कभी, वहाँ शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन होते हैं जिनके प्रति सरकार सकारात्मक रवैया अपनाती है। लोग अपने दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों और राष्ट्र की सुरक्षा के कोई खतरा नहीं है।

27.1.2 शांति और सुरक्षा की पारम्परिक और नई समझ

जब हम शांति और सुरक्षा की बात करते हैं तब हम अक्सर इसे परम्परागत धारणा से जोड़ देते हैं जो युगों से सैनिक या सशस्त्र संघर्ष या धमकी के खतरों पर केन्द्रित रही है। खतरे का

स्त्रोत एक देश द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध सैनिक कारवाई करने की धमकी होती है। यह देश ती प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता तथा अखंडता के अतिरिक्त उसके लोगों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा करती है। शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के रूप में सैनिक कारवाई के खतरे के कारण को सम्बन्धित देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते या एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक कारवाई द्वारा समाप्त किया जाता है। देश अपनी प्रतिरक्षा की क्षमता बढ़ाकर, सीमा पर सशस्त्र बल की तैनाती करके रोकथाम के कदम भी उठते हैं। कुछ देश दूसरे देशों के साथ यह संधि करके कि किसी भी देश की खिलाफ सैनिक कारवाई होने पर वे संयुक्त कदम उठाएंगे, शक्ति संतुलन के उपागम भी अपनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मानवता को युद्ध या सशस्त्र संघर्ष की धमकी से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया है। लेकिन शांति और सुरक्षा की नई और गैर-परम्परावादी धारणा बहुत व्यापक है तथा मात्र सामरिक धमकियों तक सीमित नहीं। इसमें सम्पूर्ण मानव अस्तित्व के प्रति व्यापक खतरे एवं आशंकाएं सम्मिलित हैं। इस अवधारणा में केवल क्षेत्र एवं राष्ट्र की ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों, समुदायों तथा पूरी मानवता को शामिल किया जाता है। सच तो यह है कि धारणा प्राथमिक रूप से व्यक्ति पर केन्द्रित है। यह सच है कि विदेशी आक्रमणों से लोगों की रक्षा करना शांति तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन यह ही सब कुछ नहीं है। वस्तुतः, शांति और सुरक्षा को सामाजिक-आर्थिक विकास एवं मानव गरिमा के बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाना चाहिए। शांति और सुरक्षा की नई धारणा यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को भुखमरी से मुक्त करने, इन्हें उनकी जरूरतों, बिमारियों तथा महामारियों से मुक्त करने, पर्यावरणीय आक्रमण पर रोक लगाने तथा लोगों को शोषण तथा अमानवीय व्यवहारों से बचाने के लिए शांति तथा सुरक्षा आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में शान्ति और सुरक्षा की नयी परिभाषा में सामरिक आक्रमणों के अलावा भी अनेक आशंकाएं शामिल हैं। ये आतंकवाद, विद्रोह, जातिसंहार, मानवाधिकार से वंचित रखने, स्वास्थ्य संबंधी महामारियों, नशीले पदार्थों का व्यापार तथा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकहीन उपयोग से संबंधित आशंकाएं हो सकती हैं।

पाठगत प्रश्न 27.1

1. रिक्त स्थानों को भरें :

(क) शांति का अर्थ वह मानसिक स्थिति नहीं है जहाँ —— का निरा अभाव हो ।

(ख) शांति सामंजस्य की स्थिति है जिसका विशेषता है —— का अस्तित्व ।

(ग) सुरक्षा का अर्थ है —— इसका यह भी अर्थ है ——

(घ) मौलिक तौर पर सुरक्षा का अर्थ है ——

2. शांति व सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्या माना जाता है?

3. शांति और सुरक्षा के पारम्परिक तथा नई या गैर पारम्परिक अवधारणाओं के बीच तीन आधारभूत अंतर क्या हैं?

27.2 लोकतंत्र और विकास के लिए शांति और सुरक्षा

लोकतंत्र और विकास शांति और सुरक्षा के बीच पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र नहीं कर सकता और विकास नहीं हो सकता। चुनाव के संचालन के लिए शांति आवश्यक है। शांति के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएँ काम नहीं कर सकतीं। शांति के वातावरण में ही नागरिक विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए शांति और भी आवश्यक है। उपद्रव, हिंसा या युद्ध के माहौल में विकास गतिविधियाँ सम्भव नहीं हैं।

दूसरी ओर लोकतंत्र में विकास की अनुपस्थिति में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। मोटे तौर पर देखा गया है कि लोकतंत्र युद्ध के पक्ष में नहीं होते। रहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र के सभी देशों में यदि लोकतंत्र हो तो क्षेत्रीय शांति की सम्भावना बढ़ जाती है। जन असंतोष को बढ़ावा देने वाली शर्तों को दूर करने के लिए भी लोकतंत्र बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए लोकतांत्रिक प्रणाली लोगों को शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग का समान अवसर प्रदान करती है। विकास भी शांति को बढ़ावा देता है। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित कर सकता है तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोग अभाव गूरस्तता की भावना से पीड़ित नहीं हों जो उन्हें विरोध और हिंसाक गतिविधियों और प्रेरित करती है। किसी क्षेत्र के सभी देशों में जब विकास गतिविधियाँ चलती हैं तो प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करता है कि शांति भंग न हो; नहीं तो उसका असर विकास पर पड़ेगा। विकास की पहल देशों में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता लाने में योगदान करती है।

क्या आप जानते हैं

2 सितम्बर 2000 को संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्यों द्वारा स्वीकृत सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals) ने शांति और सुरक्षा को सफल विकास के लिए मुख्य शर्त के रूप में स्वीकार किया। 2005 सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर विश्व शिखर सम्मेलन ने सार्वभौमिक रूप से माना कि “विकास, शांति व सुरक्षा एवं मानवाधिकार आपस में जुड़ हुए हैं तथा एक दूसरे का संवर्द्धन करते हैं।”

27.3 शांति और सुरक्षा : भारतीय उपागम

किसी अन्य दो की तरह में भी शांति और सुरक्षा चिन्ता का एक प्रमुख विषय रहा है। आप आखबारों में पढ़ते होंगे या रेडियों और टेलीविजन से जानकारी प्राप्त करते होंगे कि हमारे देश में शांति और सुरक्षा को बाह्य और आंतरिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। भारत की भौगोलिक स्थिति विश्व शक्ति के रूप में इसका उदय इसे बाहरी खतरों के प्रति अतिसंवेनशील बनाता है। भारत को सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध ही नहीं लड़ना पड़ा है बल्कि अन्तराष्ट्रीय आतंकवाद से भी जूझना पड़ा है। आजादी से ही भारत विद्रोही एवं अलगाववादी आंदोलनों के आंतरिक खतरे का सामना करता रहा है। अपनी स्वतंत्रता के दो दशकों के बाद ही ने नक्सली गतिविधियों का अनुभव किया जिसने अब भयावह

रूप धारण कर लिया है। इस संदर्भ में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम काफी पहले से, वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन से ही शुरू गया था। संविधान में भी यह उपागम देखा जा सकता है। हालांकि जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप इस उपागम में कालांतर में परिवर्तन होते रहे हैं।

27.3.1 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शांति और सुरक्षा के उपागम का विकास

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपागम के विचार और दृष्टीकोण की शुरुआत हुई। नेतृत्व ने यह अनुभव किया कि स्वतंत्रता के उपरान्त लोकतांत्रिक व्यवस्था की शर्तों को पूरा किया जाये। शांति कायम रखते हुए ही विकास प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्व ने विचार व्यक्त किया कि स्वतंत्र भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने तथा बढ़ावा देने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगा। उन्होंने विश्व में उपनिवेशवाद विरोधी तथा जातिभेद विरोधी सभी आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया तथा लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। उन्होंने विश्व में उपनिवेशवाद विरोधी तथा जातिभेद विरोधी सभी आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया तथा लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। सामाजिक न्याय तथा पंथनिरपेक्षता पर बल देते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाजवादी उपागम अपनाने पर हुई आम सहमति का लक्ष्य ऐसी शर्तें तैयार करना था जो शांति के लिए आंतरिक खतरों के विरुद्ध सुरक्षा को बढ़ावा दें।

क्या आप जानते हैं

जवाहरलाल नेहरू ने कहा थाः

“परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत ने जो नीति अपनायी है वह नकारात्मक और तलस्थ नहीं है। यह एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण नीति है जो स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष तथा महात्मा गांधी के विचारों से निकलती है। प्रगति और विकास के लिए भारत में हमारे लिए शांति न सिर्फ परम आवश्यक है बल्कि विश्व के लिए भी सर्वोच्च महत्व की है।”

कोलंबिया विश्वविद्यालय में पंडित नेहरू के भाषण से उद्धृत (1949)

27.3.2 संविधान में शांति और सुरक्षा

संविधान निर्माण की प्रक्रिया काफी हद तक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित विचारों से प्रभावित है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अध्याय में शांति और सुरक्षा की चर्चा की गई है। संघीय व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि शक्ति का और केन्द्रीकरण न हो क्योंकि केन्द्रीकरण क्षेत्रीय और स्थानीय असंतोष को जन्म देता है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। संघीय व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय राज्य सरकारें लेती हैं जो राज्य के लोगों की सभी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में हैं। स्थानीय सरकारें विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन सहभागिता सुनिश्चित करती हैं तथा सभी जरूरतों और आवश्यकताओं का ख्याल रखती हैं।

क्या आप जानते हैं

संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार :

“राज्य प्रयास करेगा : (क) अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और (घ) अन्तराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का ।

शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने इस तरह एक बहुआयामी उपागम और विधि अपनायी । अन्तराष्ट्रीय स्तर पर इसने अन्तराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की नीति अपनायी । शांति, न्यायोचित आर्थिक विकास, मानवाधिकार को बढ़ावा तथा आतंकवाद का उन्मूलन करने वाले प्रयासों का समर्थन करता है । राष्ट्रीय स्तर पर, यह स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय, पंथनिरपेक्षता, न्यायोचित आर्थिक विकास तथा सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रति वचनबद्ध है । यह अपने सभी नागरिकों को सिर्फ चुनावों में ही नहीं बल्कि विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने का प्रक्रिया में भी भाग लेने का समान अवसर प्रदान करता है । ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि समाज का कोई भी वर्ग यह अनुभव न करे कि उसके विरुद्ध कोई भेदभाव हो रहा है या उनके हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा क्योंकि यही भेदभाव की भावना असंतोष को जन्म देती है और विद्रोह और राजनीतिक हिंसा की ओर ले जाती है जो शांति और सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरा है ।

1. भारत को अन्तर्राष्ट्रीय और आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए विशेष उपागम विकसित करने और अपनाने का आवश्यकता क्यों पड़ी?
2. शांति और सुरक्षा के उपागम के विकास में राष्ट्रीय आन्दोलन का क्या योगदान रहा?
3. भारत के संविधान में वर्णित शांति और सुरक्षा का उपागम क्या है?
4. आपके अनुसार शान्ति और सुरक्षा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है?

आपने देखा होगा कि जब भी जान-माल को क्षति पहुँचाते हुए कोई आक्रमक विरोध एवं प्रदर्शन या हिंसक गतिविधियाँ होती हैं तो यह शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। किन्तु ऐसी कई घटनाएँ कानून व्यवस्था की समस्याएँ होती हैं जिन्हें पुलिस स्थानीय रूप से सुलझाती है। हमारे लोकतंत्र में ऐसे विरोध, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद और अन्य आंदोलन सरकार या अन्य सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान विशेष मांगों और चिंताओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। हालांकि भारत आतंकवाद या विद्रोह या नक्सल आंदोलन के वेष में कई तरह का हिंसक गतिविधियों का अनुभव करता रहा है जो शांति और सुरक्षा के लिए अधिक गम्भीर खतरे हैं।

27.4.1 आतंकवाद

आतंकवाद हमारे देश में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 26 नवम्बर, 2008 जो आम तौर पर 26/11 के नाम से जाना जाता है, का मुम्बई पर आतंकवादी हमला बहुत ही घिनौनी घटना का प्रतीक है। वास्तव में, स्वतंत्रता से ही देश के विभिन्न भागों में ऐसी गतिविधियाँ होती रही हैं। ये आतंकवादी जो हिंसक गतिविधियों करते हैं वे या तो विदेशी लोग हैं या ऐसे भारतीय युवक पड़ोसी देशों में प्रशिक्षित, उनके द्वारा समर्थित तथा पथ भ्रष्ट हैं। कभी-कभी हम आतंकवादी गतिविधियों का परिभाषा करने में भ्रमित हो जाते हैं। वास्तव में आतंकवाद की परिभाषा को लेकर कोई आम समझति नहीं है। हालांकि भारत के संदर्भ में मोटे तौर पर आतंकवाद आवश्यक रूप से एक अपराधिक गतिविधि है जिसके द्वारा भय का माहौल बनाने के लिए तथा सामान्य रूप से राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्यों का प्राप्ति के लिए आम नागरिकों पर घातक हमला किया जाता है। आतंकवाद एक अपराधी कार्य है। ये कार्य किसी भी परिस्थिति में

अन्यायसंगत है चाहे इसको उचित ठहराने के लिए राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, नस्लीय, प्रजातीय, धार्मिक या अन्य किसी प्रकार का तर्क दिया जाय।



चित्र 27.1 मुम्बई में आतंकी हमला

चित्र 27.1 मुम्बई में आतंकी हमला

क्या आप जानते हैं

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने 2004 में आतंकवाद की भर्त्सना का एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में आतंकवाद को निम्नांकित ढंग से परिभाषित किया गया था :

आतंकवाद “आम जनता या व्यक्तियों के एक समूह पर विशिष्ट व्यक्तियों में आतंक पैदा करने जनता को भयभीत करने या किसी सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को कुछ करने या नहीं करने के लिए बाध्य करने के इरादे से लोगों का जान लेना या उन्हें गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाने या उन्हें बंधक बनाने के उद्देश्य से किए जानेवाले अपराधिक कृत्य हैं। इनमें वे सभी कृत्य सम्मिलित हैं जो आतंकवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों तथा विज्ञापियों द्वारा परिभाषित अपराधों के क्षेत्र में आते हैं। इन कृत्यों को राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक,

प्रजातिगत, विजातीय, धार्मिक या अन्य किसी तरह के तर्क के आधार पर किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः सभी राज्यों से यह अपील की जाती है कि वे ऐसे कृत्यों पर रोक लगाएँ और यदि रोक नहीं सकें तो ऐसे कृत्यों के लिए गंभीरता के दंडित करें।

जैसा कि हमने अनुभव किया है कि आतंकवादी सैकड़ों निर्दोष लोगों को जान से मारने और घायल करने के उद्देश्य से भीड़ भाड़वाले सार्वजनिक स्थान पर बम धमाका करते हैं या अंधाधुंध गोली चलाते हैं। गिरफ्तार और जेल में सड़ रहे आतंकवादियों को छुड़ाने जैसी मांगों को मनवाने के लिए वे हवाई जहाज का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष यात्रियों की जान लेते हैं ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके। गतिविधियों से सार्वजनिक और व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी क्षति पहुँचती है। वे आतंक का माहौल बनाने के लिए तथा लोगों को और सरकार डराने के लिए घिनौने कार्य करते हैं।

1992 के बाद किए गए भारत के विभिन्न शहरों में आतंकवादी हमलों के बारे में जानकारी एकत्र करें और निम्न तालिका में उनकी सूची तैयार करें :

क्र.सं.	आतंकी हमले की तिथि	शहर की नाम	हमले का विस्फोट या दोनों	प्रकार या गोलाबारी	बम मृत योजनाओं की संख्या	और की

27.4.2 विद्रोह

विद्रोह, सरकार जैसी गठित एक संस्था के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह है। आजादी से ही भारत ने विद्रोही आन्दोलन से संबंधित हिंसा का अनुभव किया है। मोटे तौर पर उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : राजनीतिक उद्देश्य से चलाए गए आंदोलन तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आन्दोलन। सबसे प्रमुख उग्रवादी गुट है: जम्मू और कश्मीर तथा असम में कार्यरत हिंसक चरमपंथी अलगावादी, तथा भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों; अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में विभिन्न उग्रवादी गुट। हालांकि इन गुटों के सभी सदस्य भारतीय हैं, परन्तु उन्हें पड़ोसी देशों से सहायता मिलती है। ये उग्रवादी आंदोलन चल रहे हैं क्योंकि इनमें शामिल गुट अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं जबकि कुछ ऐसे भी गुट हैं, विशेषकर जम्मू-कश्मीर और असम में, जिनका राजनीतिक एजेंडा है। वे देश से पृथक होने लिए संघर्षशील हैं। उन गुटों को पड़ोसी देशों तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुटों का सक्रिय सहयोग प्राप्त है।

27.4.3 नक्सलवादी आंदोलन

विभिन्न प्रकार की जटिलताओं के कारण नक्सलवादी आंदोलन चिंता का विषय है। इसकी शुरुआत पश्चिम के एक गाँव से हुई, किन्तु अब यह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हुए बारह राज्यों के 125 जिलों में फैल गया है। नक्सलवाद अक्सर सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी अधिकारियों, पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों तथा ऐसे लोगों पर जिन्हें वे अपना दुश्मन समझते हैं, हमला करते हैं। वे वन क्षेत्र के अंतर्गत किसी विकास कार्य के भी खिलाफ हैं। सरकार गाँवों तथा जंगलों में पक्की सड़क बनाना चाहती है परन्तु नक्सलवादी किसी भी विकास कार्य को हतोत्साहित करते हैं। उन्हें पता है एक बार विकास हो जाता है तो वे शायद लोगों का समर्थन खो बैठेंगे। इसलिए वे निर्दोष लोगों को मुमराह करते हैं कि सरकार उनसे खनिज सम्पदा तथा उनके जंगल उनसे छीनना चाहती है। दुर्भाग्य से इस आंदोलन के उद्भव और प्रसार का बुनियादी कारण समाज के कुछ वर्गों के बीच असंतोष है। वे युवक जो इस आन्दोलन की हिंसक गतिविधियों में लगे हुए हैं मोटे तौर पर समाज के उन वर्गों से जुड़े हुए हैं युगों से सामाजिक भेदभाव और आर्थिक का खामियाजा भुगत रहे हैं जैसे अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति तथा दलित। आपको पता होगा या आपने अनुभव भी किया होगा कि किस तरह इन वर्गों के सदस्यों को समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार सहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, भारत में हो रहे विकास के लाभ उन वर्गों तक पूरी तरह नहीं पहुँच रहे हैं। कारण जो भी हो, विकास उन लोगों की आशा और आकांक्षाएँ पूरा करने में सफल नहीं हैं।



चित्र 27.2 नक्सलवादी

चित्र 27.2 नक्सलवादी

क्या आप जानते हैं

भारत में नक्सली विद्रोह मार्च 1967 में शुरू हुआ जब चारू मजुमदार और कानु सन्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक गुट ने नक्सलवादी में किसान विद्रोह शुरू किया। एसे तब हुआ जब न्यायिक आदेश के बावजूद एक आदिवासी युवक को अपनी जमीन जोतने से रोका गया और स्थानीय जमींदार के गुण्डों ने उस पर हमला किया आदिवसियों ने जवानी कारवाई की और भूमि के मालिक को उपज में उसका हिस्सा देने से इन्कार कर दिया और उसके भंडार से सारा अनाज उठा लिया। एक ऐसी आग भड़की जो पूरे राज्य में फैल गया। जल

प्रयोग द्वारा कुछ भूमि सुधार लाया गया। यह आंदोलन का पहला चरण था। बाद में राज्य के लिए चुनौती पेश करते हुए नक्सलवादी आंदोलन का दूसरा चरण नौ राज्यों में फैल गया-बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नक्सलवादी कंगारू कोई (स्वयं भू अदालत) लगाते हैं जहाँ ठेकेदार, खदान मालिकों, व्यापारियों तथा यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाते हैं। आंदोलन ने लाखों कामगारों की सेना तथा सहानुभूति रखनेवालों को तैयार किया है जो यह मानते हैं कि गुटिल्ला युद्ध रणनीति द्वारा भारत को मुक्ति दिलाई जा सकती है।

27.4.4 सरकार की रणनीति

भारत सरकार आतंकवाद विद्रोह और नक्सलवादी आन्दोलन से निपटने के लिए रणनीतियाँ और तरीके अपना रही है। यह आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी राष्ट्रों के प्रयासों का समर्थन करती रही है तथा कभी भी आतंकवादी हमले होने पर उनका समर्थन मांगती है। कूटनीतिक दृष्टि से भारत पाकिस्तान तथा अन्य पड़ोसी देशों पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बनाती है कि वे ऐसे आतंकवादी गुटों को अपना सक्रिय समर्थन न दें। जहाँ तक राजनीतिक उद्देश्यों के दृष्टिगत विद्रोही गतिविधियों का सवाल है, भारत सरकार इससे कूटनीति से निपटने की कोशिश बांग्लादेश के साथ संधि की है कि वे विद्रोही आंदोलन को सहायता और समर्थन देने से बचें। ऐसा करने के लिए भारत पाकिस्तान पर भी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। नक्सलवादी आंदोलन के संदर्भ में राज्य सरकारों ने प्रारम्भ में इसे कानून-व्यवस्था की समस्या माना। लेकिन यह महसूस किया गया कि यह एक ज्यादा गम्भीर मुद्दा है जिसके गहरे सामाजिक आर्थिक आयाम हैं। क्षेत्रों में विकास के गति बड़ाने तथा युवकों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नीचे लिखे गए कथन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए आसानी से उपलब्ध अपने मित्र, सहपाठी, अध्यापक या किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध करें। उनकी संख्या कम-से-कम पाँच हो। उन्हें कथन से सहमत या असहमत होने के कारण बताना चाहिए।

1. सरकार को नक्सलवादी आंदोलन को कुचल देना चाहिए, सभी नक्सलियों को बन्दी लेना या जान से मार देना चाहिए ताकि शांति और सुरक्षा को कोई खतरा हो।
2. शांति और सुरक्षा को भंग करने से प्रभावी ढंग से रोकने, उन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को तेज करने के लिए सरकार को नक्सलवादी आन्दोलन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए नक्सलियों को हिंसा का त्याग कर मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।

निम्न तालिका में उत्तर के कारणों को लिखें। इन उत्तरों के आधार पर, एक संक्षिप्त लिखें कि आप किस तरह नक्सलवादी आंदोलन की समस्या को हल कर सकते हैं

कथन सं. कारण

1.

2.

कथन 1 3.

4.

5.

1.

2.

कथन 2 3.

4.

5.

1. रिक्त स्थानों को भरे :

(क) भारत में इन रूपों में हिंसक गतिविधियों का अनुभव किया गया : (i) ———(ii) ———

(ख) आतंकवाद एक आपराधिक गतिविधि है जिसके द्वारा (i) ——— तथा सामान्य रूप से राजनीतिक तथा वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्राम नागरिकों पर (ii) ——— किया जाता है ।

(ग) भारत में विद्रोह दो तरह के हैं : (i) ——— चलाए गए आंदोलन (ii) ——— आंदोलन ।

2. विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन सी मुख्य राणनीतियाँ अपनाई गई हैं?

3. आपके अनुसार, विद्रोह की समस्या का हल करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?

भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर समान रूप से परेशान रहा है। यह इसकी प्रगति के लिए आवश्यक है। अन्य राष्ट्रों की तरह, भारत की विदेश नीति भी राष्ट्रीय हित पर है। भारत ने एक ऐसी विदेश नीति अपनाई है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष कर हमारे पड़ोस में तथा हमारे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा मुख्य चिंता का विषय है। वास्तव में स्वतंत्रता

से ही भारत के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य हैं (क) विदेश नीति निर्माण में स्वतंत्रता; (ख) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा; (ग) अन्य राष्ट्रों तथा विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध; (ङ) शस्त्रीकरण; उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जाति भेद का विरोध; (च) विकासशील देशों में सहयोग। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस विदेश नीति का भारत ने निरन्तर पालन किया उसे गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं, हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव के संदर्भ में इसमें बदलाव भी लाए गये हैं।

27.5.1 गुट निरपेक्षता की नीति

गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। भारत ने उस युग में गुट निरपेक्षता की अवधारणा की विकास प्रक्रिया का नेतृत्व किया जब विश्व दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित था: प्रथम गुट राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों और दूसरा गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का था। यह दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध की स्थिति के रूप में जाना जाता था। सीधे तौर पर युद्ध में टकराए बिना शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों को अपने गुट में शामिल करने की होड़ थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद प्रारम्भ हुआ और 45 वर्षों तक चला। ये दोनों शक्तिशाली देश दो विपरीत ध्रुव बन गए और विश्व राजनीति इनके इर्द गिर्द घुमने लगी। वास्तव में विश्व द्वि-ध्रुवीय बन गया।

अमेरिका सोवियत संघ द्वारा गठित दो सैन्य संधियों में बिना शामिल हुए गुट निरपेक्षता का उद्देश्य विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र रहने का था। गुट निरपेक्षता न तो तटस्थता थी, और ही अलगाववाद। यह एक ऐसी गतिशील सक्रिय अवधारणा थी जिसका अर्थ था किसी सैन्य गुट से प्रतिबद्ध हुए बिना हर मामले के गुण-दोष के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राय रखना। विकासशील देशों में गुट निरपेक्षता की नीति के कई समर्थक थे क्योंकि इसने उन्हें अपनी प्रभुसत्ता सुरक्षित रखने का अवसर प्रदान किया, साथ ही इसने तनाव युक्त शीत युद्ध की अवधि में उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया। गुट निरपेक्षता के मुख्य निर्माता तथा गुट निरपेक्षता आंदोलन के अग्रणी सदस्य के रूप में भारत ने इसके विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। आकार और महत्व को नजर अन्दाज करते हुए निरपेक्ष आंदोलन सभी सदस्य देशों को वैश्विक निर्णय निर्धारण तथा विश्व रणनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं

नेहरू ने गुट निरपेक्ष देशों में युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो तथा मिस्त्र के कर्नल राष्ट्रपति नासिर के साथ विशेष संबंध स्थापित किया। इन तीनों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक माना जाता है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन नव स्वतंत्र देशों का समूह था जिन्होंने पूर्व औपनिवेशिक ताकतों का आदेश मानने से इन्कार कर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने स्वतंत्र निर्णय के अनुसार काम करने का निर्णय लिया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन अपने दृष्टिकोण में साम्राज्यवाद विरोधी भी रहा है।

चित्र 27.3 नेहरू, एंक्रुमा, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो (बाएँ से दाहिने) गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता

गुट निरपेक्ष आन्दोलन चूँकि शीत युद्ध तथा द्विध्रुवीय विश्व का परिणाम था, सोवियत संघ के विघटन के बाद गुट निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न लगे। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रथम, सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनियाँ के सामने एक ध्रुवीय विश्व का खतरा बना हुआ है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन अमेरिकी प्रभुत्व पट रूकावट का काम सकता है। द्वितीय; विकसित (उत्तर) और विकासशील (दक्षिण) विश्व कई आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर विभाजित है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन विकासित देशों के साथ एक अपूर्ण वार्तालाप के लिए विकासशील देशों को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, गुट निरपेक्ष आन्दोलन दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक शक्तिशाली संगठन साबित हो सकता है। विकासशील देशों को विकसित देशों के समक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने के लिये भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन आवश्यक व सार्थक है। अंततः विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र में सुधार तथा 12वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल उसे ढालने के लिए विकासशील देशों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन के झंडे तले एक जुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा।

27.5.2 संयुक्त राष्ट्र को समर्थन

भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र की विश्व राजनीति में शांति और सुरक्षा तथा शांतिपूर्ण परिवर्तन के वाहक के रूप में दिखा है। संयुक्त राष्ट्र के 51 में से एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के उसके प्रयासों का खुलकर समर्थन करता रहा है। भारत ये आशा करता है कि संयुक्त राष्ट्र वार्ता के द्वारा देशों के बीच मतभेद को कम करने के लिए प्रयास करता रहेगा। इसके अतिरिक्त भारत ने विकासशील देशों के विकास प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की भी वकालत की है। इसने संयुक्त राष्ट्र में इन देशों की सामान्य एकजुटता की बात की है। इसका मानना है कि गुट निरपेक्ष अपनी संख्या के दम पर महाशक्तियों को अपने हित में इस विश्व संस्था का इस्तेमाल करने से रोककर संयुक्त राष्ट्र में एक सकारात्मक तथा अर्थपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए इसके सुधार की प्रक्रिया की पहल की गई है तथा इसके स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की सम्भावना है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिये भारत की प्रमुख दावेदारी है।



चित्र 27.3 नेहरू, एंक्रुमा, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो (बाएँ से दाहिने) गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता

चित्र 27.4 संयुक्त राष्ट्र भवन, न्यूयार्क

सुरक्षा परिषद् की कुल सदस्य संख्या की जानकारी एकत्र करें और पता करें कि इसके कितने स्थायी सदस्य हैं। यह जानकारी आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर पुस्तक में देख सकते हैं या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर निम्न विषयों का समावेश करते हुए एक लेख लिखिए : (क) सिर्फ इन्हीं देशों को सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य क्यों बनाया गया? (ख) भारत को इसका स्थायी सदस्य क्यों बनाना चाहिए?

1. भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य क्या हैं?
2. भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनायी?
3. रिक्त स्थानों को भरेः:
 1. भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का ————— था ।
 2. भारत ने संयुक्त राष्ट्र को हमेशा विश्व राजनीति में ————— वाहन के रूप में देखा ।
 3. भारत संयुक्त राष्ट्र का ————— तथा ————— जैसे अन्य प्रयासों में खुलकर समर्थन करता रहा है ।
 4. सुरक्षा परिषद् का ————— बनने की भारत की प्रमुख दावेदारी है ।

आपने क्या सीखा

- शांति और सुरक्षा एक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह आस्था है जिसमें व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना किसी खतरे के आगे
- शांति एक सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था है जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करता है। यह सद्भावना की स्थिति है जिसमें निम्न बातें पाई जाती हैं: (क) स्वस्थ अन्तरव्यक्तिगत या अन्तर समूह या अन्तर क्षेत्रीय या अन्तर राज्य या अन्तरराष्ट्रीय सम्बंधों का अस्तित्व; (ख) सामाजिक या आर्थिक कल्याण में समृद्धि; (ग) समानता की स्थापना; (घ) सभी के सच्चे हितों की रक्षा करने वाली कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था। अन्तर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में शांति केवल युद्ध या संघर्ष का अभाव नहीं है बल्कि प्राप्ति के लिए सम्बंधों में सहिष्णुता की भावना होती है।
- सामान्य अर्थों में, सुरक्षा का अर्थ है भयमुक्त सुरक्षित अवस्था या भावना। इसका अर्थ एक व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र या विश्व की सुरक्षा भी है। हालांकि सुरक्षा का मौलिक अर्थ है अत्यधिक भयानक खतरे से बचाव। इसका संबंध उन संकटों से भी है जिससे मानवाधिकार जैसे आधारभूत मूल्यों को खतरा है।
- पारम्परिक रूप से शांति और सुरक्षा युगों से सैनिक, सशस्त्र संघर्ष या धमकी के खतरों पर केन्द्रित रहा है। परन्तु नई समझ मानवीय शांति और सुरक्षा या वैश्विक शांति और सुरक्षा पर केन्द्रित है। यह मूलरूप से व्यक्ति को सम्बोधित करता है तथा सामाजिक आर्थिक विकास तथा मानव गरिमा के रखरखाव की पूर्व शर्त है।
- शांति और सुरक्षा लोकतंत्र और विकास की आवश्यक शर्त है। वास्तव में, लोकतंत्र और विकास तथा शांति व सुरक्षा में पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास के अभाव में शांति की स्थापना नहीं हो सकती।
- भारत में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपागम और तरीके काफी पहले, वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही विकसित होने शुरू हो गए थे। यह उपागम संविधान में भी परिलक्षित होता है। हालांकि जरूरतों के अनुसार कालान्तर में इस उपागम में बदलाव आ रहे हैं।
- शांति और सुरक्षा के गम्भीर खतरे के रूप में भारत आतंकवाद, विद्रोह या नक्सलवादी आंदोलन के भेस में कई तरह के हिंसात्मक गतिविधियों का अनुभव करता रहा है। भारत सरकार आतंकवाद, विद्रोह और नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ तथा तरीके अपनाती रही है।

- भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व ने घोषणा की कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति की नीति को विकास के लिए आवश्यक मानता है। यही कारण है कि अन्य देश की तरह, भारत की विदेशी नीति राष्ट्रीय हित तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।
- गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। विश्व जब दो गुटों में विभाजित था उस अवधि में भारत ने गुट निरपेक्षता की अवधारणा के विकास की प्रक्रिया को नेतृत्व प्रदान किया। आकार और महत्व को नजर अंदाज करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन सभी सदस्य देशों को विश्व निर्णय निर्माण तथा विश्व राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

- भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति बहाली कार्रवाई को तथा निरस्त्रीकरण जैसे अन्य प्रयासों में अपना पूरा समर्थन देता रहा है साथ ही, भारत विकासशील देशों के विकास प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की वकालत करता है। भारत दूसरी सबसे तेजी से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था है, इसका सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में शांति बहाली, तथा विकासशील देशों के हितों की बढ़ावा देने का रिकार्ड रहा है, इसलिए भारत का सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनने का मजबूत दावा है।

पाठान्त प्रश्न

1. शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है? इसकी पारस्परिक धारणा नई धारणा से किस तरह भिन्न है?
2. क्या आप जानते हैं कि शांति व सुरक्षा तथा लोकतंत्र और विकास में पारस्परिक संबंध है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए।
3. राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का शांति और सुरक्षा के खतरे से निपटने के लिए रणनीति और विधि के विकास को क्या योगदान हैं?
4. भारत में शांति और सुरक्षा के कौन से गम्भीर खतरे हैं? इनसे निपटने के लिए भारत कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति और तरीके अपनाता रहा है।
5. शांति और सुरक्षा के संदर्भ में भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए।
6. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती प्रकृति के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति कैसे प्रासंगिक है।
7. भारत संयुक्त राष्ट्र को किस तरह समर्थन देता रहा है? भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनाया जाना चाहिए?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

27.1

1. (क) उपद्रव और टकराव

(ख) स्वस्थ संबंधों

(ग) सुरक्षित अवस्था या भयमुक्त भावना, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र व विश्व की कुशलता

(घ) बेहद खतरनाक संकटों से बचाव

2. क्योंकि यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति, संस्थाएँ, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना किसी खतरे के आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में क्षेत्र या राष्ट्र आमतौर पर आंतरिक रूप से ज्यादा स्थिर

होते हैं, सम्भवतः लोतांत्रिक तरीके से शासित होते हैं। और मानवाधिकार के प्रति अनादर होता है। संघर्ष न सिर्फ खतरा और भय को जन्म देते हैं बल्कि आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन को भी नुकासन पहुँचाते हैं।

3. (1) शांति और सुरक्षा की नई व गैर पारम्परिक धारणा काफी व्यापक है तथा सैन्य धमकी के अतिरिक्त खतरों का व्यापक क्षेत्र तथा मानव अस्तित्व को खतरों को भी समाविष्ट करती है। (ii) इसमें न केवल क्षेत्र और राष्ट्र शामिल हैं बल्कि व्यक्ति या समुदाय और मानवता भी की सुरक्षा भी इसके दायरे में आती है (iii) नई समझ के अनुसार शांति और सुरक्षा को सामाजिक आर्थिक विकास तथा मानव गरिमा के रख रखाव के पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है। (iv) नई धारणा में व्यक्ति के लिए भूख से मुक्ति, आवश्यकताओं, बीमारियों तथा महामारियों, पर्यावरणीय क्षरण, शोषण तथा अमानवीय व्यवहार से मुक्ति शामिल है।

27.2

1. लोकतंत्र और विकास तथा शांति व सुरक्षा में पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास नहीं हो सकता। जब शांति स्थापित होती है तभी नागरिक विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने के प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। शांति विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए अति आवश्यक है। दूसरी ओर, लोकतंत्र और विकास के अभाव में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। जन आक्रोश की स्थिति को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र बेहतर स्थिति में होता है। विकास शांति को बढ़ावा देता है। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित कर सकते हैं।

2. विश्व शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विचार और दृष्टिकोण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए। भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने भली भांति समझा कि स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी कारगर हो सकती है जब विश्व में शांति और सुरक्षा बहाल हो जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाजवादी उपागम अपनाने के लिए आम सहमति का लक्ष्य उस स्थिति प्राप्त करना था जो शांति के लिए आंतरिक खतरे के विरुद्ध सुरक्षा को बढ़ावा दे सके।

3. संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विश्व और सुरक्षा की चर्चा करता है। संघीय व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना का लक्ष्य आंतरिक सुरक्षा के खतरे को मिटाना है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संविधान ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लक्ष्य की नीति को अपनाया। संविधान में विश्व या क्षेत्रीय स्तर पर, न्यायोचित आर्थिक विकास, मानवाधिकार को बढ़ावा तथा आतंकवाद के उन्मूलन के लिए हर सम्भव समर्थन देने का प्रावधान है।

4. लोकतांत्रिक संस्थाएँ तथा प्रक्रिया को सशक्त करने की आवश्यकता है। देश के सभी भागों में सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज किए जाने के लिए प्रयास रखने होंगे। लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियाँ में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। भारत को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

1. (क) (i) आतंकवाद (ii) विद्रोह (iii) नक्सलवादी आंदोलन

(ख) (i) भय का माहौल बनाने के लिए (i) घातक हमला

(ग) (i) राजनीतिक उद्देश्य से (ii) सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए

2. भारत सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों के प्रयासों का समर्थन करती रही है तथा किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में उनका समर्थन लेती रही है। जहाँ तक राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्रोही गतिविधियों का प्रश्न है, भारत सरकार कूटनीतिक तरीके से इसका सामना करने का प्रयास करती है। भारत ने म्यांमार तथा हाल ही में बांग्लादेश के साथ संधि की है जिससे इन देशों से विद्रोही आंदोलनों को मिलने वाले समर्थन और सहायता को रोका जा सके। ऐसा करने के लिए यह पाकिस्तान पर भी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बना रहा है। नक्सलवादी आंदोलन के संबंध में यह महसूस किया गया कि गहरे सामाजिक, आर्थिक विभाजन होने के कारण यह एक गम्भीर मामला है। उन क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने तथा युवकों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3. सरकार को देश के सभी क्षेत्रों के सर्वांगण विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। सभी को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों। भागीदारी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए उसमें लगी संस्थाओं और प्रक्रिया को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन के प्रयास आवश्यक है। आतंकवाद को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करने होंगे।

1. (i) नीति निर्माण में स्वतंत्रता (ii) अन्तराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा (iii) अन्य देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध (iv) संयुक्त राष्ट्र को समर्थन (v) शस्त्रीकरण उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जातिभेद का विरोध तथा (vi) विकासशील देशों के बीच सहयोग।

2. अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा निर्मित दोनों में से किसी भी सैन्य संधि में शामिल हुए बगैर विदेश नीति के मामले में स्वतंत्रता बनाए रखना गुटनिरपेक्षता का लक्ष्य है। गुटनिरपेक्षता न तो तटस्थता है और न ही अलगाववाद। गुटनिरपेक्षता की नीति ने विकासशील देशों को अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करने तथा तनावपूर्ण शीत युद्ध की अवधि में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का अवसर प्रदान किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आकार और महत्व को नजरअंदाज करते हुए सभी सदस्य देशों को वैश्विक निर्णय निर्धारण और विश्व राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

3. (क) मुख्य निर्माता

(ख) शांति और सुरक्षा तथा शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए

(ग) शांति बहाली कारवाई, निरस्त्रीकरण?

(घ) स्थायी सदस्य

प्रश्न पत्र का प्रारूप

विषय : सामाजिक विज्ञान स्तर : माध्यमिक

पूर्णांक : 100

1. उद्देश्यों के अनुसार अंक विवरण

उद्देश्य अंक कुल अंकों का प्रतिशत

ज्ञानात्मक 30 30

बोधात्मक 48 48

प्रयोगात्मक 14 14

कौशल 08 08

कुल पूर्णांक 100

2. प्रश्नवार अंक विवरण

प्रश्नों के उत्तर	प्रश्नों की संख्या	प्रत्येक प्रश्न निर्धारित अंक	कुल अंक
दीर्घ उत्तरीय	04	05	20
लघु उत्तरीय	15	04	60
अति लघु उत्तरीय	04	02	08
वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय प्रश्न)	04	01	04
कौशल (मानचित्र आधारित प्रश्न)	02	04	08
कुल			100

3. विषय आधारित अंक वितरण

इकाई	अंक
1. भारत तथा विश्व विभिन्न युगों में	32
2. भारत प्राकृतिक पर्यावरण, संसाधन तथा विकास	27
3. लोकतंत्र की कार्य प्रणाली	28
4. समकालीन भारत: मुद्दे और चुनौतियां	13
कुल	100

समय: 3 घण्टे कुल कुल अंक : 100

1. दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाइए तथा उनके नाम लिखिए । 4 गुणा
1 = 4

- (i) भारत में सर्वोच्च हिमालयी शिखर
- (ii) भारत की लवणीय जल की विशालतम झील
- (iii) अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जीव आरक्षित क्षेत्र
- (iv) दक्षिणी भारत का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र

2. नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में क्रमांक 1,2,3 और 4 द्वारा दर्शाए गए मुख्य पत्तनों को पहचानिए तथा उन के सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए । 4 गुणा 1 = 4



चित्र : भारत के प्रमुख बंदरगाह

3. निम्नलिखित में से किस कारण से, 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ?

(क) संगठन के पहले ही वर्ष इसे कुचल दिया गया।

(ख) यह उत्तर तथा मध्य भारत तक ही सीमित रहा।

(ग) विद्रोही नेताओं में, अंग्रेजों के विरुद्ध इकट्ठे होकर लड़ने में विश्वास नहीं था।

(घ) एक संगठित तथा शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी।

4. इतिहास के अध्ययन का विषय है:

(क) पूर्व घटित घटनाएं

(ख) समाज तथा संस्कृति के संदर्भ में प्राचीन काल

(ग) राजनीतिक व्यवहार तथा शासन व्यवस्था

(घ) समाज तथा सामाजिक समूह

5. 73वें सांविधानिक संशोधन का संबंध किस से है?

(क) नगरीय स्थानीय प्रशासन

(ख) निर्वाचन संबंधी सुधार

(ग) ग्रामीण स्थानीय प्रशासन

(घ) भूमि सुधार

6. 86वें सांविधानिक संशोधन अधिनियम 2002 का उद्देश्य क्या है?

(क) निःशुल्क महाविद्यालय (कालेज) शिक्षा

(ख) 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

(ग) सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ

(घ) अनिवार्य रोजगार

7. मानवतावाद को पुनर्जागरण आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों समझा जाता था?

8. भारत की दलीय पद्धति की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

9. व्यापारिक मार्गों की खोज, ज्ञान तथा संस्कृति के विस्तार में किस सीमा तक सहायक रही?

10. किसी नगर की आश्रित जनसंख्या 12,000 है तथा कार्यशील जनसंख्या 18,000 है। उस नगर की निर्भरता अनुपात की गणना कीजिए।

11. भारत के सड़क मार्गों के महत्व संबंध किन्हीं चार बिन्दुओं का वर्णन कीजिए।

12. “भारत का स्वरूप तो संघात्मक है परन्तु उस की आत्म एकात्मक है।” इस कथन के संदर्भ में, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की किन्हीं चार एकात्मक विशेषताओं का परीक्षण कीजिए।

13. समानता के अधिकार के किन्हीं चार प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए ।
14. पर्यावरण क्षरण के लिए उत्तरदायी क्रमशः दो-दो सामाजिक तथा आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए ।
15. औद्योगिक क्रांति का लोगों के आजकल के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन क्या प्रभाव पड़ा?
16. भारत में औपनिवेशीकरण के विकास के विभिन्न सौपानों का वर्णन कीजिए ।
17. भारत में जाति प्रथा जैसे मुद्दों से निपटने के लिए, हमारे समाज सुधारकों द्वारा किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए ।
18. 1857 से पूर्व औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध होने वाले जन प्रतिरोधक आंदोलनों के किन्हीं चार कारणों की पहचान कीजिए ।
19. वनस्पति संरक्षण की आवश्यकता क्यों हैं? किन्हीं चार कारणों को स्पष्ट कीजिए ।
20. कल्याणकारी राज्य से क्या अभिप्राय हैं? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किन्हीं तीन ऐसे प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जिन का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है ।
21. भारत के चुनाव आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए ।
22. गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय हैं? इस के किन्हीं दो उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए ।
23. नीचे दी गई तालिका के अध्ययन के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
स्थान 'क' तापमान (सेल्सियस) तथा वर्षा (से.मी)

मास ज फ मा अ म जू जु अ सि अ न दि

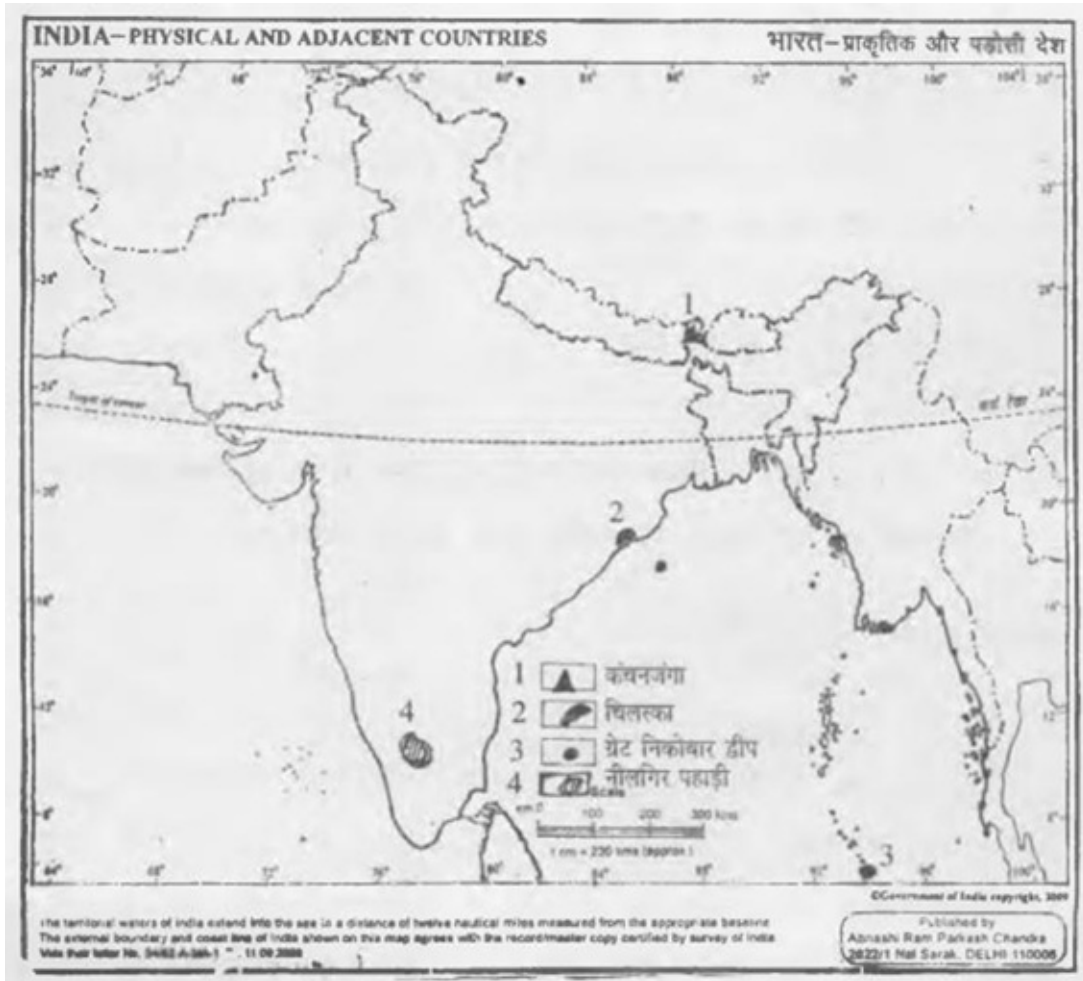
तापमान 27 27 28 29 29 27 26 26 27 27 27 27

वर्षा 23 21 39 106 208 356 223 146 138 273 206 75

- (I) स्थान 'क' का औसत वार्षिक तापमान तथा वर्षा की गणना कीजिए ।
- (II) स्थान 'क' पर 200 से.मी. से अधिक वर्षा कितने महीने होती हैं?
- (III) स्थान 'क' किस प्रकार की जलवायु संबंधी परिस्थितियां हैं?
24. राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए ।
25. भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं चार चुनौतियों का आकलन कीजिए ।
26. पुरापाषाणकाल से लौह युग तक मानव सभ्यता के विकास की रूप रेखा लिखिए ।
27. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कीजिए ।
28. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए ।
29. भारत में गन्ने उत्पादन के लिए आवश्यक किन्हीं पांच भौगोलिक दशाओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए ।

अंक योजना सामाजिक विज्ञान (213)

1. नीचे दिये गए भारत के मानचित्र को देखिए (4 गुणा 1 = 4)



चित्र : भारत- प्राकृतिक और पड़ोसी देश

2. (i) कांडला

(ii) तूतिकोरण

(iii) विशाखापट्टनम

(iv) मैंगलौर

3. घ
4. क
5. ग
6. ख

7. मानवतावाद मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता में विश्वास रखता है तथा आनन्द और सुख को उसके अधिकार के रूप में स्वीकार करता है ।

8. भारत की दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं

- (i) बहुदलीय व्यवस्था
- (ii) केन्द्र में सरकार गठन में क्षेत्रीय दलों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना
- (iii) प्रतियोगी न कि प्रभुत्वशाली दलीय प्रणाली
- (iv) गठबंधन का निर्माण

9. (i) इससे ज्ञान को फैलाने में मदद मिली

(ii) नये वैकल्पिक मार्ग खोले गए

(iii) इससे औद्योगिक क्रान्ति के विस्तार तथा वस्तुओं के विनिमय में सहायता मिली

(iv) यूरोपवासियों का ज्योतिषशास्त्र, गणित तथा यूनानी दर्शन से परिचय हुआ ।

10. निर्भरता अनुपात = आश्रित जनसंख्या/ कार्यशील जनसंख्या गुणा (100)

$$= 12,000 / 18,000 \text{ गुणा} = 66.66\% = 67\%$$

11. भारत में सड़कों का महत्व

(i) सड़कें साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, कार, बस और ट्रक के माध्यम से घर-घर तक सेवा प्रदान करती हैं ।

(ii) इनके निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव पर परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कम खर्च आता है ।

(iii) थोड़े सामान तथा कम दूरी की मात्रा के लिए यह सस्ता और सुविधाजनक साधन है ।

(iv) रेलवे, हवाई अड्डे तथा पत्तन तक पहुंचने के लिए हम सड़क परिवहन का ही प्रयोग करते हैं ।

(v) नाशवान तथा खराब होने वाली वस्तुओं को गांवों से शहरों तक लाने के लिए उपयुक्त

(vi) सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं तथा इसका निर्माण हर प्रकार की भौतिक परिस्थितियों, पहाड़ों, रेगिस्तान, पठारों आदि में किया जा सकता है । (कोई चार)

12. भारत के संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण

- (i) शक्ति विभाजन केन्द्र के पक्ष में
- (ii) एकीकृत न्याय प्रणाली
- (iii) आपातकालीन प्रावधान
- (iv) राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
- (v) राज्यों की केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता
- (vi) अखिल भारतीय सेवाएँ

13.(i) कानून के समक्ष समानता

- (ii) पथ, जाति, नश्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव की मनाही
- (iii) राज्य के अंतर्गत रोजगार में अवसरों की समानता ।
- (iv) अस्पृश्यता या छुआछुत की समाप्ति
- (v) उपाधियों की समाप्ति

14. (अ) सामाजिक कारक

- (i) जनसंख्या वृद्धि
- (ii) गरीबी
- (iii) शहरीकरण
- (iv) बदलती जीवन शैली

(ब) आर्थिक कारक

- (i) कृषि विकास
- (ii) औद्योगीकरण
- (iii) आर्थिक विकास
- (iv) अति उत्पादन

15.(i) वस्तुओं के उत्पादन को तीव्र व आसान कर दिया

- (ii) वस्तुओं व मनुष्यों के लिए परिवहन के विकास में सहायक
- (iii) शहर बड़े व्यवसाय केन्द्रों में तब्दील हो गए तथा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने लगे ।
- (iv) स्वास्थ्य सेवाओं का विकास
- (v) जीवन की गति तेज व आसान हो गयी ।

16. (i) अंग्रेज भारत में मिशनरी के दम पे आये ।

(ii) उन्होंने व्यापार शुरू किया भारत के राज्यों को जीतकर या अपनी नीतियों जैसे विलय नीति से भारत के राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया ।

(iii) भू-राजस्व की नीतियां

(iv) भारत के आत्म सम्मान को नुकसान पहुंचाया ।

(v) अंग्रेजों की भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति ।

17. (i) जाति पवित्रता की अवधारणा का उन्होंने विरोध किया

(ii) वे जाति व्यवस्था को अतार्किक व अवैज्ञानिक मानते थे ।

(iii) वह मानते थे कि यह मानवता के आधारभूत नियमों के विरुद्ध था ।

(iv) उन्होंने लोगों को और अधिक सहनशील बनाने में सहायता की ।

18. (i) किसानों, जमींदारों, स्थानीय सरदारों तथा राजाओं का शोषण

(ii) कृषि का व्यवसायीकरण

(iii) लगान व अन्य करों की जबरन उगाही

(iv) लोगों के सामाजिक व धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप

19. वनस्पति संरक्षण की आवश्यकता

(i) वनस्पति के अभाव में कई प्राणी और सूक्ष्मजीव आवास, भोजन व आक्सीजन की कमी के कारण मर जायेंगे ।

(ii) पौधों की जड़ें मिट्टी के अपरदन व कटाव को रोकती हैं ।

(iii) वनस्पति जलचक्र में भी प्रमुख भूमिका निभाती है ।

(iv) वनस्पति धरती पर जो प्रवाह को प्राकृतिक तरीके से रोकने का कार्य करती है ।

(v) प्रकाश संश्लेषन की क्रिया के द्वारा पेड़-पौधे पर्यावरण से कार्बनडाइआक्साइड छोड़ते हैं । वनस्पति का शुद्धीकरण का कार्य करती है ।

(vi) वनस्पति ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करता है ।

(कोई अन्य संबंधित बिन्दु)

20. (i) ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिये कार्य करता है, कल्याणकारी राज्य के नाम से जाना जाता है । तीन नीति निर्देशक सिद्धान्त जो सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा देते हैं ।

(a) राज्य देश के भौतिक संसाधनों का देश और लोगों के सामान्य हित में, न्यायोचित वितरण करेगा ।

(b) राज्य संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा कि वे कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाये ।

(c) समान कार्य के लिए समान वेतन

(d) 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सरकार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी।

(e) राज्य, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता की स्थिति में लोगों को सहायता प्रदान करेगा।

21. भारत में चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य

(i) चुनाव मशीनरी और प्रक्रिया का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण

(ii) मतदाता सूची तैयार करना

(iii) राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जारी करना।

(iv) चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व चुनाव कमीटी के लिये आचार संहिता व दिशानिर्देश जारी करना।

(v) चुनाव संबंधी शिकायतों का निपटारा करना।

22. (i) गुटनिरपेक्षता-शीत युद्ध काल में किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होने की नीति को गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है।

उद्देश्य: -

(i) विदेश मामलों में स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना।

(ii) अपनी स्वतंत्रता और सम्प्रभुता को सुरक्षित रखना।

(iii) विश्व शांति में योगदान।

(iv) तीव्र आर्थिक विकास

23. (i) औसत, वार्षिक तापमान 327/12 27.25 27.3

औसत वार्षिक वर्षा 1814/12 15116 151.2 से.मी.

(ii) पाँच

(iii) उष्ण और नम

24. राज्य के शासन के प्रभावपूर्ण ढंग से चलाने के उद्देश्य से संविधान द्वारा राज्यपाल को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

(i) कार्यकारी शक्तियां-वह राज्य में मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रीपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, इसके अलावा वह राज्य में कई अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी करता है।

(ii) विधायी शक्तियां- राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा होता है। वह राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने तथा सत्तावसान की घोषण करता है, इसके अलावा वह राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकता

(iii) वित्तीय शक्तियां-राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति और उसके नाम पर राज्य के मंत्री द्वारा तैयार कर राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है।

(iii) स्वैच्छिक शक्तियां- सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वह राज्य मंत्रीपरिषद (मुख्यमंत्री सहित) की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। वे शक्तियां जिनका प्रयोग राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार करता है उसकी स्वैच्छिक शक्तियों के नाम से जानी जाती है। उदाहरणार्थ राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के विषय में रिपोर्ट भेजना। (कोई अन्य बिन्दु)

25. भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां :

(i) गरीबी

(ii) निरक्षरता

(iii) लिंग भेद

(iv) जातिवाद

(v) साम्प्रदायिकता

(vi) क्षेत्रवाद व भाषावाद

(vii) भ्रष्टाचार

(viii) हिंसा

(किन्हीं चार की व्याख्या करें)

26. पुरापाषाण काल के औजार

(i) पौलिंग किये हुये औजार जैसे कुल्हाड़ी, भाले, धनुष-बाण

(ii) नवपाषाणकाल में पहिये की खोज

(iii) मिश्रित कृषि व सामुदायिक जीवन

(iv) हड़प्पा संस्कृति, नगरों का विकास संघ, सामाजिक जीवन और व्यापार की शुरुआत।

(v) ग्रीक नगर राज्यों का उद, संस्कृति, चित्रकला सजावट, राजनीतिक जीवन तथा साम्राज्यों की शुरुआत।

27. सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

(अ) प्रारंभिक क्षेत्राधिकार-कुछ विवादों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, वे हैं;

(i) केंद्र सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद।

(ii) दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद

(iii) भारत सरकार व एक और एक से अधिक राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद।

सर्वोच्च न्यायालय के अन्य विशिष्ट कार्य हैं:

- (i) संविधान का संरक्षण
- (ii) न्यायिक पुनर्वालयन
- (iii) मौलिक अधिकारों का संरक्षक

28. (i) महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया ।

- (ii) असहयोग आंदोलन
- (iii) स्वदेशी व बहिष्कार
- (iv) खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया
- (v) नमक पर अंग्रेजों द्वारा लगाये गए कर हटाने के उद्देश्य से दांडी मार्च किया । सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
- (vi) स्वराज व स्वशासन की मांग ।
- (vii) भारत छोड़ो आंदोलन

29. गन्ने की खेती के लिए भारत में आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां:

- (i) तापमान: इसके गरम व नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है, औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस.
- (ii) वर्षा- गन्ने के लिये औसत 75 से 150 सेमी. तक वर्षा आवश्यक होती है जिन क्षेत्रों में इससे कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए ।
- (iii) मिट्टी (अ)
 - (ब) गन्ने के लिए मिट्टी मृदा में प्रचूर मात्रा में नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस होना चाहिए लेकिन यह अत्यधिक लवणीय व क्षारीय नहीं होना चाहिये ।
- (iv) श्रमिक- यह श्रम का धारित होती है इसलिए इसके लिए सस्ता श्रम का होना आवश्यक है ।
- (v) वितरण- भारत में तीन भौगोलिक क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता है;
 - (अ) सतलुज, गंगा मैदान, पंजाब से बिहार तक
 - (ब) काली मिट्टी क्षेत्र महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में
 - (स) तटीय आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी की घाटी में (कोई एक क्षेत्र) 5 गुणा 1 = 5